लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र / Fifth Session]

Reference Unit
16-1-89

[खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. 18 contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय सूची CONTENTS

अंक 5 शुक्रवार, 26 जुलाई, 1968 4 श्रावण, 1890 (शक)

No. 5 Friday, July 26, 1968/Sravana 4, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तां० प्र० संख्या *S. Q. No. विषय	SUBJECT	पृष्ठ Pages
121. अशोक होटल का उप-भवन और रिवाल्विंग टावर	Ashoka Hotel Annexe and Revolving Tower	739—42
122. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Central Government Employees	742
148. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को संयुक्त मंत्रणा व्यवस्था	Joint Consultative Machinery of Government Employees	742—52
123. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ऐच्छिक सेवानिवृत्ति	Voluntary Retirement of Central Government Employees	752—55
124. विमान यात्रा टिकटों को कम मूल्य पर बेचने का कारोबार	Cut price business in Airlines Tickets .	755—57
125. प्रशुल्क आयोग के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Report of the Administrative Reforms Commission on Tariff Commission .	757
126. बैरकपुर हवाई पट्टी में पान अमरीका बोइंग विमान का उतरना	Landing of Pan American Boeing at Barrackpore Airfield	758
127. काश्मीर के बारे में शेख का मत	Sheikh's views on Kashmir . . .	758–59
128. सोफिया को जाने वाले युवक प्रतिनिधिमंडल में विद्यार्थी परिषद् के प्रतिनिधियों का शामिल नहीं किया जाना	Non-inclusion of Representatives of Vidyarthi Parishad in Youth Delegation to Sofia	759

*किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
S. Q. Nos.			
129.	सेन्ट्रल इन्टैलीजेंस एजेंसी के जासूस	C.I.A. Spies	759-60
130.	ग्राम चुनावों में हारे व्यक्तियों की उच्च पदों पर नियुक्ति	Appointment to High Posts of Persons Defeated in 1967 General Elections .	760
131.	राष्ट्रीय एकता परिषद्	National Integration Council . . .	760-61
132.	चीन को जाने वाले मिजो	Mizos on way to China	761-62
133.	काश्मीर संबंधी संयुक्त राष्ट्र की 1953 की योजना	1953 UN Plan on Kashmir . . .	762
134.	दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों द्वारा वेतन के पुनरीक्षण की मांग	Pay Revision Demand by Delhi School Teachers	762
135.	आसाम का पुनर्गठन	Reorganisation of Assam	762-63
136.	शेख अब्दुल्ला के वक्तव्य	Statements by Sheikh Abdullah . . .	763
137.	कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा त्यागपत्र	Resignation of a Calcutta High Court Judge	763
138.	बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers	764-65
139.	मोदी नगर में मजदूरों पर लाठी चार्ज	Lathi Charge on Workers in Modi Nagar	766
140.	शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति	National Policy on Education . . .	766
141.	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग	Use of Regional Languages in UPSC Examinations	766-67
142.	बिहार के इंजीनियर	Bihar Engineers	767
143.	सेनाएं	Senas	767-68
144.	वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय प्रेस के मेनेजर द्वारा दुर्विनियोग	Misappropriations by Manager of Varanasi Sanskrit University Press . .	768
145.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	IAC	768-69
146.	निजी थैलियों का समाप्त करना	Abolition of Privy Purses	769
147.	जम्मू तथा काश्मीर के संविधान का संशोधन	Amendment of Constitution of Jammu and Kashmir	769-70
149.	यूनाइटेड स्टेट्स इन्फारमेशन सर्विस के लखनऊ स्थित कार्यालय के सामने प्रदर्शन	Demonstration in front of USIS Office in Lucknow	770
150.	राष्ट्रीय एकीकरण परिषद्	National Integration Council	770-71

तारा० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1005.	राज्यपालों का राज्यों से बाहर जाना Absence of Governors from States . .	771
1006.	शेख अब्दुल्ला पर खर्च Expenditure on Sheikh Abdullah. . .	771-72
1007.	केरल में केन्द्रीय पुलिस Central Police Force in Kerala . . .	772
1008.	अहिन्दी भाषा भाषी छात्रों को छात्रवृत्ति Scholarships to non-Hindi Speaking Students	772
1009.	पुरातत्वीय सर्वेक्षण सम्बन्धी व्हीलर पुनर्विलोकन समिति Wheeler's Review Committee on Archaeological Survey	772-73
1011.	मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल Tourists resorts in Madhya Pradesh . .	773
1012.	बम्बई पत्तन Bombay Port	773-74
1013.	प्रयोगात्मक बहुप्रयोजनीय स्कूल Demonstration Multipurpose Schools . .	774
1014.	प्रयोगात्मक बहुप्रयोजन स्कूल मैसूर Demonstration Multipurpose School, Mysore	774-75
1015.	त्रिभाषा सूत्र Three Language Formula	775
1016.	सफदरजंग हवाई अड्डे का हटाया जाना Shifting of Safdarjang Airport . . .	775
1017.	अशोक होटल, नई दिल्ली Ashoka Hotel, New Delhi . . .	776
1018.	राज्यपालों द्वारा आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क Customs duty on goods imported by Governors	776-77
1019.	ताज महल का धंसना Sinking of Taj Mahal	777
1020.	1970 में एशियाई खेल 1970 Asian Games	777
1021.	दिल्ली के सरकारी होटलों में कमरों का खाली रहना Unoccupancy in Government Hotels in Delhi	777-78
1022.	इलाहाबाद में चीनी पुस्तक का पकड़ा जाना Chinese Books recovered in Allahabad .	778
1023.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद, सम्बन्धी सरकार समिति Sarkar Committee on CSIR . .	778
1024.	आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों का दमन Repression on Harijans in Andhra . .	778-79
1025.	सेवा निवृत्त भारतीय ब्रिगेडियर की सी० आई० ए० एजेंट मिस्टर स्मिथ के साथ भेंट Meeting of retired Indian Brigadier with CIA agent Mr. Smith	779
1027.	आकाशवाणी के एजल केन्द्र में बम विस्फोट Bomb Explosion in Aijal Station of AIR	779-80

अ ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1028.	अगरतला के निकट खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय और निवास स्थान पर मिजो विद्रोहियों द्वारा हमला	Attack by Mizo Rebels on BDOs . .	780
1029.	उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप	Charges against Orissa Chief Minister .	780-81
1030.	भारत की दशाओं के सम्बन्ध में चीन का मूल्यांकन	Chinese Assessment of Conditions in India	781
1031.	समितियां/आयोग	Committees/Commissions . . .	781
1032.	अण्डमान के राजनैतिक बन्दियों से अभ्यावेदन	Representations from Political Prisoners of Andamans	782
1033.	नागाओं के साथ मुठ-भेड़	Clashes with Nagas	782
1034.	शेख अब्दुल्ला तथा पाकिस्तान के बीच पत्र-व्यवहार	Correspondence between Sheikh Abdullah and Pakistan	783
1035.	पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by West Bengal Government Employees	783
1036.	कमर्शियल पायलेटों के लाइसेंसों का नवीकरण	Renewal of Licences of Commercial Pilots .	783-84
1037.	साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots	785-86
1038.	जम्बो जैट	Jumbo Jets	786
1039.	केन्द्रीय स्कूलों में हिन्दी माध्यम	Hindi Medium in Central Schools . .	786-87
1040.	हाउसिंग फार्मों द्वारा धन का तथा कथित दुर्विनियोग	Alleged Misappropriation by Housing Firms	787
1041.	विचाराधीन बन्दी (अण्डर ट्रायल प्रिजनर्स)	Under Trial Prisoners	787
1042.	नेशनल फिटनैस कोर को समाप्त करना	Abolition of National Fitness Corps. .	788
1043.	दिल्ली परिवहन के प्राइवेट बस कंडक्टरों द्वारा दुर्व्यवहार	Misbehaviour by DTU Private Bus Conductors	788-89
1044.	ब्रिटेन, अमरीका और रूस से विमानों की खरीद	Purchase of Aircraft from UK, USA and USSR	789
1045.	आई० ए० सी० विमानों पर हिन्दी में नाम लिखा जाना	Writing of Names on IAC Aircraft in Hindi	790
1046.	नागा लोगों से फ्रांस में बने बमों की बरामदगी	Recovery of French Bombs from Nagas	790

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1047.	मद्रास के स्कूलों में हिन्दी का हटाया जाना	Removal of Hindi from Schools in Madras	790-91
1048.	दमकलें	Fire Brigades	791
1049.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानें	IAC Flights	791 92
1050.	मिजो विद्रोहियों द्वारा लूट	Looting by Mizo Hostiles	792
1051.	दिल्ली पुलिस द्वारा किसी दूसरे शव का दाह संस्कार	Cremation of Wrong Body by Delhi Police	793
1052.	दिल्ली में प्रदर्शन	Demonstration in Delhi	793-94
1053.	आदिम जातियों पर गोलियां चलाया जाना	Firing on Tribals	794
1054	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12	National Highway No. 12	794-95
1055.	भारतीय वन सेवा	Indian Forest Service	795
1056.	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का केन्द्रीय कोटा	Central Quota of IAS Officers . . .	795
1057.	भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिये पदोन्नति कोटा	Promotee Quota for IAS and IPS	795-96
1058.	बरेली (उत्तर प्रदेश) में अपराध	Crime in Bareilly (UP)	796
1059.	बरेली में पुलिस की तथाकथित ज्यादतियां	Alleged Police Excesses in Bareilly . .	796
1060.	कटरा (उत्तर प्रदेश) में व्यापारी की गिरफ्तारी	Arrest of Businessman in Katra (U.P.) .	797
1061.	नेशनल फिटनैस कोर के शिक्षक	National Fitness Corps Instructors .	797
1062.	पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बन्दियों की रिहाई	Release of Political Detenus in West Bengal	797
1063.	सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञान की हिन्दी माध्यम से शिक्षा	Hindi Medium in Social Science and Natural and Physical Sciences	798
1064.	दोषी माता पिताओं के लिये दण्ड	Penalty for Defaulting Parents . . .	798-99
1065.	हरिजनों का दमन	Repression of Harijans	799

तारांकित प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1066.	कोचीन में दूसरा पोत निर्माण कारखाना	Second Ship Building Yard at Cochin	799-800
1067.	केरल पदालि के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	IAS Officers of Kerala	800
1068.	केरल में केन्द्रीय स्कूल	Central Schools in Kerala	800
1069.	मिनिकाय द्वीप समूह में पुलिस की ज्यादतियां	Police Excesses in Minicoy Islands	801
1070.	सत्य साई मत	Satya Sai Baba Cult	801
1071.	पश्चिमी बंगाल में अपराध में वृद्धि	Increase in Crime in West Bengal	801-802
1072.	हवाई कम्पनियों द्वारा तथा कथित गैर-कानूनी कदाचार	Alleged Illegal malpractices by Airlines.	802-03
1073.	त्रिपुरा में आदिम जातियों के लोगों की भूमि	Tribals Land in Tripura	803
1074	इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली	Imperial Hotel, New Delhi	803-804
1075.	खोसला आयोग प्रतिवदन	Khosla Commission Report	804
1076.	केदारनाथ जाने वाले पर्यटकों के लिये सुविधायें	Facilities for Tourists to Kedarnath	804-805
1077.	झाड़खण्ड राज्य के लिये मांग	Demand for Jharkhand State	805
1078.	बद्रीनाथ के पर्यटकों के लिये सुविधायें	Facilities for Tourists to Badrinath	805-806
1079.	रांची में बम विस्फोट	Bomb Explosion in Ranchi	806
1080.	कलकत्ता बन्दरगाह	Calcutta Port	806-807
1081.	दिल्ली जनरल मर्चेन्ट्स एसोसिएशन	Delhi General Merchants Association	807
1082.	संसद्-सदस्यों को विमान द्वारा यात्रा की सुविधायें	Facility of Air Travel to M.Ps.	807
1083.	अशोक होटलस लिमिटेड, नई दिल्ली	Asoka Hotels Ltd., New Delhi	807–808
1084.	यात्रियों और डाक ले जाने वाली विमान सेवा	Passenger-cum-Mail Carrying Air Service	808
1085.	हिन्दी में पत्र-व्यवहार	Correspondence in Hindi	808
1086.	बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय	Mithila Vishwavidyalaya in Bihar	808-809

तारांकित प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1087.	मण्डक पुल परियोजना Gandak Bridge Project	809
1088.	पादरी फेरर के खेतकारा संघ नासिक में विस्फोटक पदार्थों का पकड़ा जाना Recovery of explosives from Ferrer's Shetkari Sangh Nasik	809–10
1089.	धर्म प्रचारकों तथा धर्मार्थ संगठनों के लिये विदेशी धन Foreign Funds for Missionaries and Charitable Organisations	810–11
1090.	कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी जांच आयोग Calcutta Tramway Company Inquiry Commission	811
1091.	साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी अध्ययन Case Study on Communal Riots	811–12
1093.	दिल्ली में मकान का गिरना House Collapse in Delhi	812–13
1094.	रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली में चोरी की घटनायें Burglaries in Ramakrishnapuram, New Delhi	813
1095.	मजलिस-ए-तामीर-ए-मिल्लत Majlis-e-Tamir-e Milat	813–14
1096.	राज्यों का पुनर्गठन Reorganisation of States	814
1097.	नई दिल्ली नगर पालिका New Delhi Municipal Committee	814–15
1098.	साम्प्रदायिक दंगे Communal Riots]	815–816
1099.	नागाओं द्वारा विस्फोटक पदार्थों तथा गोला बारूद का लूटा जाना Looting of Explosives and Ammunition by Nagas	816
1100.	मिजो विद्रोहियों द्वारा हमला Attack by Mizo Hostiles	816
1101.	विद्रोही नागाओं द्वारा कर वसूली Tax Collection by Nagas Hostiles	816–17
1103.	रीडर्स डाइजैस्ट में प्रकाशित मानचित्र Map published in Readers Digest	817–18
1104.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये टी० यू० 134 रूसी विमान TU 134 Russian Aircraft by IAC	818
1105.	डमडम (कलकत्ता) से विमान सेवाओं को समाप्त करना Withdrawa of Air Service from Dum-Dum (Calcutta)	818–19

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1106.	गोहाटी दंगे	Gauhati Riots	819
1107.	मध्यपूर्व देशों की विमान कम्पनियों के कार्यालयों पर छापे	Raids on Offices of Middle East Airlines	819-20
1108.	विदेशियों के लिये प्रतिबंधित घोषित किया गया देहरादून का क्षेत्र	Areas of Dehra Dun declared out of Bounds for Foreigners	820
1109.	मनीपुर में युद्ध विराम की अवधि	Extension of Cease Fire Agreement in Manipur	820–21
1110.	तटीय जहाजरानी	Coastal Shipping	821–22
1111.	दिल्ली में अपराध	Crime in Delhi	822–23
1112.	दिल्ली में मजिस्ट्रेट	Magistrates in Delhi	823
1113.	दिल्ली में लड़कियों के अनैतिक पण्य में लगे गुंडे	Goondas engaged in Illegal Traffic of Girls in Delhi	823
1114.	श्रीनगर रीजनल इंजीनियरिंग कालिज में दंगे	Clashes in Srinagar Regional Engineering College	823–24
1115.	भारत पश्चिम बंगाल विमान सेवा वार्ता	Indo-West German Air Talks	824
1116.	इंडोनेशिया की गरुड़ एयर लाइन्स के जैट विमान की दुर्घटना	Air Crash of Indonesian Garuda Airlines Jet Plane	824–25
1117.	भारत ईरान विमान सेवा समझौता	Indo Iranian Air Agreement	825
1118.	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रमों में असमानता	Disparity in Pay Scales of Primary Teachers	825–26
1119.	उत्तर प्रदेश के कारागार	Jails in Uttar Pradesh	826
1120.	उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी	Employees of UP Government	826
1121.	उत्तर प्रदेश में हथियारों पर प्रतिबन्ध	Ban on Weapons in UP	826–27
1122.	आसाम में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां	Anti-national activities in Assam	827
1123.	एन्सियन्ट इंण्डिया इतिहास में आपत्तिजनक अंश	Objectional portions in Ancient India History	827–28

अ० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1124.	राज्यों में अग्नि सेवायें — Fire Services in States	828–29
1125.	नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर — National Fire Service College, Nagpur	829
1126.	अग्नि सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति — Central Fire Advisory Committee	829–830
1127.	नेशनल फायर कालेज, नागपुर — National Fire Service College, Nagpur	830
1128.	नेशनल फायरसर्विस कालेज नागपुर — National Fire Service College, Nagpur	830–31
1129.	जहाज खरीदने के लिये डैनमार्क सरकार द्वारा ऋण — Loan by Government of Denmark for purchase of Ship	831
1130.	केन्द्रीय सराकार के कर्मचारियों की मांगें — Demand of Central Government Employees	831–32
1131.	चीनी सैनिकों द्वारा मिजो क्षेत्रों पर अस्थायी कब्जा — Temporary occupation of Mizo areas by Chinese troops	832
1132.	माओ समर्थक पुस्तकें — Pro-Mao Books	832
1133.	प्रादेशिक भाषाओं में सस्ती पाठ्यपुस्तकों के लिये उड़ीसा सरकार को सहायता — Aid to Orissa State for cheaper text books in Regional Language	832–33
1135.	गुप्त स्रोतों से शेख अब्दुल्ला को सहायता — Help to Sheikh Abdullah by Mysterious sources.	833
1136.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के चालकगण से होटल शुल्क — Hotel charges for IAC crew	833-34
1137.	हैदराबाद में क्षेत्रीय अनुसंन्धान प्रयोगशाला में कोयला से गैस बनाने की परियोजना — Coal Gasification project at Regional Research Laboratory, Hyderabad	834–35
1138.	कोकरझार (आसाम) में उपचुनाव — By-election in Kikrajhar (Assam)	835-36
1139.	हुगली पर दूसरा पुल — Second bridge over Hooghly	836
1140.	अयोध्या में प्राचीन संस्कृति तथा संस्कृत का अध्ययन करने के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना — Establishment of University for study of ancient culture and Sanskrit at Ayodhya	837

ता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1141	दिल्ली में अपराध — Crime in Delhi	837
1142	नई दिल्ली में सत्याग्राहियों की पिटाई — Manhandling of Satyagrahis in New Delhi	838
1143	दलबदलुओं सम्बन्धी समिति — Committee of defections	838
1144	लाईबेरिया का जहाज — Liberian Ship	838–39
1145	पर्यटन के विकास के लिये प्रादेशिक सम्मेलन — Regional conference for the development of tourism	839
1146	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा रात्रि विमान सेवा आरम्भ करना — Operation of night air services by IAC	839–40
1147.	कर्मचारी निरीक्षण समिति की सिफारिशें — Recommendations of Staff Inspection Committee	840
1148.	उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मुकदमों का निपटाया जाना — Clearance of arrears of cases in High Courts	840–41
1149.	हैदराबाद स्थित सेंट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इंगलिश — Central Institute of English Hyderabad	841
1150.	राजस्थान के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप — Strcutures against Rajasthan Chief Ministeric	841–42
1151.	जून 1966 में डम डम पर पान अमरीकन विमान की दुर्घटना — Air crash of Pan American plan at Dum Dum in June, 1968.	842
1152.	नागा विद्रोहियों तथा मिजो विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ — Clashes with Rebel Nagas and Mizos	842
1153.	आनन्द मार्ग के विरुद्ध आरोप — Charges against Anand Marg	842
1154.	1971 की जनगणना — 1971—Census	842
1155.	कैलाश नगर गान्धीनगर, दिल्ली में तनाव की स्थिति. — Tension in Kailash Nagar—Gandhi Nagar, Delhi	842–43
1156.	दिल्ली के एक सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट का आचरण — Conduct of a Delhi SDM	843
1157.	दिल्ली में पौलीटैक्नीक संस्थाओं में विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां — Scholarships to students in Polytechnic Institutes in Delhi	843

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.	SUBJECT	PAGES
1158. दिल्ली के मैजिस्ट्रेट द्वारा मकान किराया गलत ढंग से लिया जाना	Wrong Demand of House Rent by a Delhi Magis-Magistrate	844-45
1159. गोविन्द बल्लभ पन्त पोली-टैकनिक ओखला नई दिल्ली में अनियमितताएं	Irregularities in Govind Ballabh Pant Polytechnic, Okhla (New Delhi) . .	845
1160. "पहले आती थी हाले दिल पे शर्म" के लेखक	Author of "Pahle Aati Thi Hale Dil Pe Sharm"	845
1161. केन्द्रीय स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी	Hindi as a medium of Instructions in Central Schools	845
1163. कलकत्ता में डाका	Robbery in Calcutta	846
1164. अंग्रेजी की शिक्षा के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया शिक्षा सम्बन्धी श्वेतपत्र	White Paper by Maharashtra Government on Education for Introduction of English	846-47
1165. न्यायाधीशों की सेवा शर्तें	Conditions of Service of Judges . . .	847
1166. कुकियों के साथ मुठभेड़	Clash with Kukis	847
1167. माओ समर्थकों द्वारा एक युवक पर हमला	Attack on a young man by Pro-Maoists .	848
1168. उत्तर प्रदेश में भू-आन्दोलन के दौरान गिरफ्तारियां	Arrests during Land Agitation in UP . .	848
1169. मनोरा पीक (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय राज्य वेधशाला	National State Observatory at Manora Peak (U.P.)	848-49
1170. छोटी गंडक और घाघरा नदियों पर पुल	Bridges over Choti Gandak and Ghaghra .	849
1171. शिक्षा आयोग की सिफारिशें	Recommendation of Education Commission	849
1172. स्वयं भू मिजोराम सेना की ओर से धमकी	Threats from self styled mizoram Army .	850
1173. मिजो लोगों को रिग्रुपिंग	Regrouping of Mizos	850
1174. कोकराझार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव	By election in Kikrajhar Lok Sabha Constituency	850-51
1175. दिल्ली मेरठ सीमा पर गैर-कानूनी शराब का बरामद किया जाना	Recovery of Illicit Liquor on Delhi Meerut Border	851

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1176.	शिक्षा प्रणाली में सुधार — Improvement in the System of Education .	851-52
1177.	उड़ीसा में तकनीकी शिक्षा — Technical Education in Orissa	852
1178.	उड़ीसा में त्रै-लाभ योजना — Triple Benefit Scheme in Orissa . . .	852-53
1179.	1968–69 में उड़ीसा को धन का नियतन — Allocation of Funds to Orissa in 1968-69	853
1180.	श्री सत्य नारायण सिंह का चीन को पलायन — Escape of Shri Satya Narain Singh to China	853-54
1181.	चौथी योजना में छोटे और मध्यम बन्दरगाहों का विकास — Development of Minor and Intermediate Ports during Fourth Plan	854
1182.	भारतीय खेलकूद में गिरावट — Deterioration in Indian Sports . .	854
1183.	कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी — Calcutta Tramway Company . . .	855
1185.	अनिवार्य शिक्षा — Compulsory Education	855
1186.	संघ लोक सेवा आयोग — Union Public Service Commission . .	856
1187.	शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षा — Physical Training Education . . .	856
1188.	पहाड़ी क्षेत्रों से बरामद किये गये हथियार — Weapons Discovered from Hilly Areas .	857
1189.	दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकी अध्ययन — African Studies in Delhi University . .	857
1190.	अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में शिक्षा आयोग की सिफारिशें — Education Commisson's Recommendations *re.* Pay Scales of Teachers . . .	857
1191.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् — Indian Council of Social Science Research .	857-58
1192.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिए नए विमानों की खरीद सम्बन्धी मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन — Report of the Evaluating Committee on Purchase of New Aircraft for IAC . .	858
1193.	राष्ट्रीय सेवा और कार्यक्रम — National Service Corps Programme	858-59
1194.	सड़क परिवहन से आय — Revenue from Road Transport	859
1195.	मोटर गाड़ियों पर कर — Taxes on Motor Vehicles	860
1196.	मुख्य हवाई अड्डों का विस्तार — Expansion of major Airports	850

अता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1197.	पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना Conversion of Punjab University into Central University	861
1198.	पंजाब सरकार से ज्ञापन Memorandum from Punjab Government	861
1199.	दिल्ली में आग लगने की घटनायें Fire incidents in Delhi	861–62
1200.	बिहार-नेपाल सीमा पर चीनी तथा नेपाली छापामार दलों की उपस्थिति Presence of Chinese and Nepalese Guerilla Groups on Bihar-Nepal-Border	862
1201.	सलाहकार समितियां Advisory Committees	862–63
1202.	कलाकृतियों की चोरी और विदेशों में बिक्री Theft and Sale of Art Pieces Abroad	863
1203.	लक्कादीव द्वीप समूह को बारहमासी सेवा All Weather Service to Laccadive Islands	864
1204.	नागालैंड में विदेशी सम्वाददाता Foreign Correspondent in Nagaland	864
1205.	महाराष्ट्र-मैसूर-सीमा विवाद Maharashtra-Mysore Border Dispute	864
1206.	दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति Law and Order situation in Delhi	865
1207.	मिजो आदिवासियों के बीच पर्चों का वितरण Distribution of Pamphlet amongst Mizo Tribals	865
1208.	दिल्ली परिवहन की बस दुर्घटना Accident to DTU Bus	865–66
1209.	दिल्ली परिवहन Delhi Transport Undertaking	866
1210.	पर्यटन विभाग द्वारा अशोक होटल और जनपथ होटल का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना Taking over Management of Ashoka and Janpath Hotels by Department of Tourism	867
1211.	काश्मीर में पाकिस्तानी ऐजेंट Pak Agents in Kashmir	867
1212.	कोचीन बन्दरगाह Cochin Harbour	867
1213.	सीनेटर राबर्ट कैनेडी के कथित हत्यारे के मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिये भारतीय मनोवैज्ञानिक की अमरीका यात्रा Indian Psychologist going to USA to study the Mind of the alleged killer of Senator Robert Kennedy	868

तारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q.Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1214.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा मैसूर राज्य से प्राप्त की गयी राज सहायता — Subsidy received by IAC from Mysore State	868-69
1215.	हुबली-धारवाड़ निगम (मैसूर) के समीप हवाई अड्डा — Aerodrome near Hubli-Dharwar Corporation (Mysore)	869
1216.	हास्पेट के निकट हवाई अड्डा तथा पर्यटक गृह — Airfield and Tourist Home near Hospet	869-70
1217.	सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु — Retirement Age of Government Employees	870
1218.	संघ लोक सेवा आयोग — UPSC	871
1219.	कोवालम में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र — International Tourist Centre at Kovalam	871
1220.	दिल्ली पुलिस — Delhi Police	872
1221.	मातृ भाषा में शिक्षण — Teaching through Mother Tongue	872
1222.	बांदा, (उत्तर प्रदेश) में पुलिस की ज्यादतियां — Police Excess in Banda (U.P.)	872-73
1223.	उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमिडिएट बोर्ड इलाहाबाद — U.P. High School and Intermediate Board, Allahabad	873
1224.	उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन मामले — Pending Cases in Supreme Court	873
1225.	उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त — Transport Commissioner of U.P.	873
1226.	राजनीतिक पीड़ित — Political Sufferers	873-74
1227.	वामपक्षी साम्यवादियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण — Guerilla training of left communists	874
1228.	दिल्ली के पर्यटन अधिकारियों द्वारा कथित दुर्व्यवहार — Alleged misbehaviour by tourist officers, Delhi	874
1229.	आशुलिपिकों के वेतनक्रम — Pay Scales of Stenographers	875
1230.	दिल्ली में खतरनाक मकान — Dangerous Structures in Delhi	875

तारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q.Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1231.	दिल्ली में एक लड़के की बिजली से मृत्यु Electrocution of a boy in New Delhi	875-76
1232.	आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व इन्स्पैक्टर जनरल आफ पुलिस के विरुद्ध जांच Enquiry against former I.G. of Police, Andhra Pradesh	876
1233.	सारूरनगर (हैदराबाद) में सरकारी भूमि Government Lands in Saroor Nagar (Hyderabad)	876
1234.	पश्चिमी बंगाल सरकार के कर्मचारी West Bengal Government Employees	876-77
1235.	पब्लिक स्कूलों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना Hindi as a Medium of Instructions in Public Schools	877
1236.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों को रियायतें Concessions to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government employees	877
1237.	कलकत्ता में राष्ट्र विरोधी इश्तहार Anti-National Posters in Calcutta	877-78
1238.	नान-मैट्रिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति Promotions of Non-Matric Class IV Staff	878
1239.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास Development of International Airports	878-79
1240.	पंजाब सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु Retirement Age of Punjab Government Employees	879
1241.	लन्दन स्थित इंडिया लाइब्रेरी India Library at London	879-80
1242.	राजभाषा अधिनियम Official Language Act	880
1243.	कोठारी आयोग Kothari Commission.	880-81
1244.	भारत-नेपाल सीमा सड़क Indo-Nepal Border Road	881
1245.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी Scheduled Castes and Scheduled Tribes Officers	881-82
1246.	महानदी पर पुल Bridge over Mahanadi	882

1791 LSD—1.

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1247.	उड़ीसा में महानदी पर पुल Bridge over Mahanadi, Orissa	882-83
1248.	कच्छ सीमा क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना Settlement of Ex-Servicemen in Kutch Border Area	883
1250.	उड़ीसा में नया राष्ट्रीय राजपथ New National Highway in Orissa	883
1251.	सीमा सड़क विकास योजना Border Road Development Scheme	883-84
1253.	केरल में पत्तनों का विकास Development of Ports in Kerala	884
1254.	कोलाघाट-हल्दिया रोड Kolaghat-Haldia Road	884
1255.	पोलीटैक्निक, वैजनाथ, (कांगड़ा) का बन्द होना Closure of Polytechnic, Baijnath (Kangra)	885
1256.	कोठारी आयोग Kothari Commission	885
1257.	धर्म प्रचारक Missionaries	885-86
1258.	एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों के वेतन तथा भत्तों में अन्तर Difference in the Pay and Allowances of Air India and IAC Pilots	886-87
1259.	इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों के लिये मंहगाई भत्ता Dearness Allowance for IAC Pilots	887
1260.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पायलटों के लिये प्रोत्साहन योजना Incentive Scheme for IAC Pilots	887-88
1261.	उत्तर प्रदेश प्रशासन Administration of U.P.	888
1262.	राज्यों की शक्तियां छीनने के बारे में केरल के मुख्य मंत्री की शिकायत Kerala Chief Minister's Complaint About Erosion of Powers of States	888
1263.	उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन के लिये निगम Corporation for UP Roadways	889
1264.	तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् All India Council for Technical Education	889
1265.	उत्तर प्रदेश में नक्सलबाड़ी जैसी गतिविधियां Naxalite Activities in U.P.	890

तारां० प्र० संख्या U-S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1266.	भारत पर्यटक केन्द्र के रूप में — India as a Tourist Centre . .	890
1267.	पंजाब मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की मांग के बारे में ग्रपन — Memorandum Demanding Dismissal of Punjab Ministry	891
1268.	प्रशासन सुधार ग्रायोग — Administrative Reform Commission	891
1269.	दिल्ली में कालेजों में दाखिला — Admission to Delhi Colleges .	891
1270.	मंगलौर पत्तन — Mangalore Port	892
1271.	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंटरमिडिएट की कक्षाग्रों में एक ग्रतिरिक्त विषय का ग्रारम्भ किया जाना — Introduction by U.P. Govt. of an Additional Subject in Intermediate Classes . .	892
1272.	शिक्षा ग्रायोग की सिफारिश की क्रियान्विति — Implementation of Recommendation of Education Commissions . . .	892-93
1273.	केरल में साम्यवादी ग्रान्दोलन — Communist Movement in Kerala	893
1274.	केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा बिरला उद्योग समूह के विरुद्ध लगाये गये ग्रारोपों की जांच — C.B.I. Enquiry into Allegation against Birla Enterprises	893
1275.	विदेशी शिकारी — Foreign Shikaris . . .	893-94
1276.	यारदी समिति का प्रतिवेदन — Yardi Committee Report	894
1277.	हरिजनों पर ग्रत्याचार — Atrocities on Harijans . . .	894-95
1278.	सीमा सड़क विकास बोर्ड — Border Roads Development Board . .	895
1279.	स्थायिवत सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें — Service Conditions of Quasi-Permanent Government Employees . . .	895-96
1280.	ग्रखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाएं — All India and Central Services . . .	896
1281.	समाज कल्याण ग्रधिछात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम — Social Welfare Fellowship and Scholarships Programme	896-97

U.S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1282. मिजो विद्रोहियों के साथ मुठभेड़	Clash with Mizo Hostiles .	897
1283. क्रान्ति अड्डों की स्थापना हेतु नक्सलबाड़ी जैसे आन्दोलन का आह्वान	Naxalite call for Revolutionary Bases	897-98
1284. आसाम के गारो पर्वतीय जिले में पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण	Kidnapping by Pakistanis in Garo Hill District of Assam	898
1285. दिल्ली की कालोनियों में उद्दण्ड लड़कों की अवैध गतिविधियां	Unlawful Activities by Teddy Boys in Delhi Colonies	898
1286. हिल्टन के सहयोग से होटल	Hotel in Collaboration with Hilton .	898-99
1287. इटावा, उत्तर प्रदेश में कौशलपुरी फार्म	Kaushalyapuri Farm at Etawah, U.P. .	899
1288. संसद् सदस्य पर हमला	Assault on M.P.	899
1289. आसाम से पाकिस्तानी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना	Deporting of Pakistani Infiltrators from Assam	899-900
1290. राजस्थान में पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों का विकास	Development of places of Tourist Interest in Rajasthan	900
1291. उदयपुर हवाई अड्डा	Udaipur Airport	900
1292. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विदेशों को प्रतिनिधि मंडल भेजना	Delegations to Foreign Countries to Attract Tourists	900-901
1293. क्षेत्रीय परिषद्, मनीपुर द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों के बारे में पारित संकल्प	Resolution re. untrained Teachers passed by Territorial Council, Manipur. . .	901-902
1294. गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Non-Government Colleges Teachers . .	902
1295. सेवानिवृत्त अध्यापकों को पेंशन का न दिया जाना	Non-Payment of Pensions to Retired Teachers .	902-903

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1297.	मनीपुर में एम० ई० और वी० जे० बी० के स्कूलों के हैडमास्टरों के वेतन का पुनरीक्षण	Revision of Pay of Headmasters of M.E. and V.J.B. Schools in Manipur	903
1298.	उत्तर प्रदेश के स्कूलों में दक्षिण भारत की भाषाओं का पढ़ाया जाना	Introduction of South Indian Languages in Uttar Pradesh Schools	903
1299.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Central Government Employees	904
1300.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	Jawahar Lal Nehru University, New Delhi	904
1301.	कलकत्ता-मद्रास समुद्र तट के साथ साथ शक्तिशाली राडार	Powerful Radar along Calcutta-Madras Coast Line	904-905
1302.	एवरो 748 संकट के समय खुलने वाले दरवाजे	Emergency Doors of Avro 748	905
1304.	दिल्ली के स्कूलों में त्रिभाषी सूत्र	Three Language Formula in Schools in Delhi	905-906
1306.	राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्र गीत के प्रति सम्मान	Respect to National Flag and Anthem .	906-907
1306.	विद्यार्थियों द्वारा स्कूल के प्रशासन में भाग लिया जाना	Students Participation in Schools Administration	907
1307.	त्रिपुरा में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak Infiltrators in Tripura . . .	907-908
1308.	त्रिपुरा में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा	Free Compulsory Education in Tripura .	908
1309.	त्रिपुरा में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा योजना	Free and Compulsory Education Scheme in Tripura	908-909
1310.	कमालपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police Firing in Kamalpur .	909-10
1311.	कलकत्ता विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में माओ के लेख	Mao's Work in Calcutta University Syllabus	910
	10 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10384 के उत्तर की शुद्धि	Correction of Answer to USQ 10348 dated 10-5-1968	

तारां० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	910-14
	प्रधान मंत्री की सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और मलेशिया की यात्रा के बारे में वक्तव्य	Statement re. Prime Minister's Visit to Singapore, Australia, New Zeeland and Malaysia	914-15
	श्रीमती इन्दिरा गाँधी .	Shrimati Indira Gandhi . .	914-15
	सभा का कार्य	Business of the House . . .	915—19
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee .	919
	बीसवाँ प्रतिवेदन	Twentieth Report . .	919
	पुर:स्थापित विधेयक	Bills Introduced	919
	(1) भारतीय पेटेंट तथा डिजाइन (संशोधन) विधेयक	(1) Indian Patents and Design (Amendment) Bill	919-20
	(2) शत्रु सम्पत्ति विधेयक	(2) Enemy Property Bill	920
	(3) अन्तर्राज्य जल विवाद (संशोधन) विधेयक	(3) Inter-State Water Dispute (Amendment) Bill	920-21
	अध्यादेशों के बारे में विवरण	Statements re-Ordinance	920
	संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण) विधेयक	Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Bill . .	921—23
	संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Joint Committee. .	922
	श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	921—23
	धान कुटाई उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक	Rice Milling Industry (Regulation) Amendment Bill	923—30
	राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	923
	श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde .	923-24
	श्री रंगा	Shri Ranga .	924-25
	श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	925
	श्री बृज भूषण लाल	Shri Brij Bhushan Lal	925-26
	श्री दत्तात्रेय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	926-27
	श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri	927-28
	श्री एस० के० सम्बन्धन	Shri S. K. Sambandhan	928
	श्री हेम राज	Shri Hem Raj	928-29
	श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	929

प्रश्न० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	929
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharti .	929–30
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	930
गैर-सरकारी सदस्यों की विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति बत्तीसवां प्रतिवेदन	Committee on Private Members Bills and Resolutions	930
	Thrity Second Report . .	930
पुरःस्थापित किये गये विधेयक	Bills Introduced . .	930
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 145 का संशोधन) श्री मधु लिमये का	The Constitution (Amendment) Bill, (Amendment of Article 145) by Shri Madhu Limaye	930-31
(2) उच्चतम न्यायालय (अतिरिक्त विवेकाधिकार) विधेयक 1968 श्री मधु लिमये का	The Supreme Court (Additional Discretionary Powers) Bill, 1968 by Shri Madhu Limaye	931
(3) छावनी (संशोधन) विधेयक, 1968 (धारा 13, 14 आदि का संशोधन) श्री मधु लिमये का	The Cantonments (Amendment) Bill, 1968 (Amendment of Sections 13, 14 etc.) by Shri Madhu Limaye.	931
(4) परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1968 (नयी धारा 9क का रखा जाना) श्री मधु लिमये का	The Delimitation Commission (Amendment) Bill, 1968 (Insertion of new section 9A) by Shri Madhu Limaye	932
(5) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन), विधेयक, 1968 (धारा 124क का हटाया जाना) श्री जार्ज फरनेन्डीज का	The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1968 (Omission of Section 124A) by Shri George Fernandes . .	932
(6) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1968 (धारा 125, 126 और 127 का हटाया जाना) श्री जार्ज फरनेन्डीज का	The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1968 (Omission of sections 125, 126 and 127) by Shri George Fernandes . .	932-33
संविधान (संशोधन) विधेयक—वापिस लिया गया	Constitution (Amendment) Bill—Withdrawan.	933—42
(अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन) श्री मधु लिमये द्वारा	(Amendment of articles 74 and 163) by Shri Madhu Limaye	933

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	विचार करने का प्रस्ताव Motion to Consider	933
	श्री रा० ढो० भण्डारे Shri R.D. Bhandare	933
	श्री लोबो प्रभु Shri Lobo Prabhu	933-34
	श्री राणे Shri Rane	934-35
	श्री तेन्नेटि विश्वनायम Shri Tenneti Viswanatham	935
	श्री रणधीर सिंह Shri Randhir Singh	936
	श्री एस० एम० कृष्ण Shri S.M. Krishna	936
	श्री असगर हुसैन Shri Asghar Husain	936-37
	श्री ओम प्रकाश त्यागी Shri Om Prakash Tyagi	937
	श्री प्रेम चन्द वर्मा Shri Prem Chand Verma	937-38
	श्री राजा राम Shri Raja Ram	938
	श्री ओंकार लाल बोहरा Shri Onkar Lal Bohra	938-39
	श्री सरजू पाण्डे Syri Sarjoo Pandey	939
	श्री तुलशी दास जाधव Shri Tulshidas Jadhav	939-40
	श्री अब्दुल ग़नी दार Shri Abdul Ghani Dar	940
	श्री श्रीधरन Shri A. Sreedharan	940
	श्री सेझियान Shri Sezhiyan	940
	श्री गोविन्द मेनन Shri Govinda Menon	941
	श्री मधु लिमये Shri Madhu Limaye	942
	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 120 का संशोधन) श्री सेझियान का Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 120) by Shri Sezhiyan	942-43
	विचार करने का प्रस्ताव Motion to consider	942
	श्री सेझियान Shri Sezhiyan	942-43
	श्री शिव नारायण Shri Sheo Narain	943
	पाकिस्तानी विशेषज्ञों की फ़रक्का बांध स्थल की यात्रा के बारे में आधे घंटे की चर्चा Half-an-hour Discussion *re.* Visit of Pakistani Experts to Farakka Barrage site	943—48
	श्री चेंगलराया नायडू Shri Chengalraya Naidu	943—46
	डा० कु० ल० राव Dr. K. L. Rao	946—48

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 26 जुलाई, 1968/4 श्रावण, 1890 (शक)
Friday, July 26, 1968/Sravana 4, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अशोक होटल का उप-भवन और रिवाल्विंग टावर

*121. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री अम्बेकेंजियान :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अशोक होटल के उप-भवन तथा रिवाल्विंग टावर के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच के लिये एक जांच समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) उसकी मख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) इन सिफारिशों को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सत्य नहीं है कि 50 प्रतिशत कार्य समाप्त हो गया है । आधा कार्य समाप्त हो जाने के बाद उसकी त्रुटियों को ढूंढ निकालने के लिये एक समिति बिठाई गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस कार्य को पूरा कर रही है या नहीं । आधा धन व्यय करने के बाद क्या वे कार्य को बन्द करके समिति नियुक्त करेंगे ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : यह सत्य है कि कार्य बन्द कर दिया गया है । इसका कारण यह था कि सरकारी उपक्रम समिति ने इस सारे मामले के प्रति आक्षेप के रूप में कछ टीका-टिप्पणी की जिसके परिणाम स्वरूप निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय ने समिति द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच के लिए एक समिति नियक्त की। इस समिति की प्रतिवेदन के आने तक कार्य कुछ समय के लिए स्थगित हो गया है। वास्तव में यह वांछनीय होता अगर यह रिवाल्विंग टावर पूरा बन जाता परन्तु यह तीसरी मंजिल तक ही बन पाया है । कार्य के फिर से शुरू होने के लिये हमें कछ समय इन्तजार करनी पड़ेगी। इसके कई कारण हैं, पहला टावर की ऊंचाई का अनुमान बहुत बार बदला गया। शुरू में 150 फीट का विचार था फिर 200 फीट का और उसके बाद 250 फीट की ऊंचाई रखी गई। मैं अशोका होटल के प्रबन्धकर्ता को यह परामर्श दे रहा हूं कि टावर की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए व्यापारिक ढंग से पुनः विचार करें और उस आधार पर कार्य शरू करें।

श्री चेंगलराया नायडू : इन सब बातों की पहले ही जांच कर लेनी चाहिए। यह सरकार के लिए बुद्धिमानी की बात नहीं है कि 50 प्रतिशत कार्य समाप्त करने के बाद इसको रोक दे। अगर समिति ने कोई टिप्पणी की है तो यह केवल संशोधन के लिए है न कि कार्य को रोकने की है ।

डा० कर्ण सिंह : मैं सब के साथ इस बात के लिए चिन्तित हूं कि यह कार्य पूरा हो जाना चाहिये। जितनी जल्दी संभव हो सके हम इस कार्य को पूरा करेंगे । यह सच नहीं है कि 50 प्रतिशत राशि खर्च कर दी गई है । करीब 6 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

श्री नि० रं० लास्कर : यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन तैयार कर लेगी और वे इतना समय क्यों ले रही है । दूसरा, मैं व्यक्तिगत रूप से इस टावर के विरुद्ध नहीं हूं क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा की आय होगी, परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई प्राथमिकता भी है ।

आसाम में मेरा सारा जिला पानी में डूबा हुआ है और वहां एक ही परियोजना को शुरू करना है जो सारे जिले को बाढ़ से बचा सकती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की विलासमय परियोजनाओं को शुरू करने से पहले वे प्राथमिकता को निर्धारित करेंगे और पहला कार्य पहले शुरू करेंगे ?

डा० कर्ण सिंह : जहां तक समिति का सम्बन्ध है, यह 11 जून को स्थापित की गई थी। और इसको तीन, महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन देना है ।

Shri Beni Shankar Sharma : At the time of the construction of Revolving tower and Ashoka Hotel Annexe, it was said that it was being constructed for the lodging and entertainment of the delegates of UNCTAD. The session of UNCTAD was held, reprensetative came and went away but the Revolving tower could not be completed. Whether the Home Minister be pleased to state that when we have no houses for slum people, our school children are

compelled to study even now under the tents in the sun and raining season, then under such circumstances how far it is justifiable for this Government to build luxurious things like this revolving tower for the sake of enjoyment for some people.

Dr. Karan Singh : I am sorry that the revolving tower could not be constructed. As I have said that it will be my endeavour to get the work done as soon as it is possible. The honourable member has raised the question of slum. No doubt ours is a poor country, but I would like to say that projects like Revolving tower or Hotel give profit to the State. These hotels etc. are in public sector. It is not that we are building this strange item for the sake of our enjoyment, but it is our effort that the hotels in the Public sector are as profitable as in the Private sector. Such things are made to add attraction of these hotels. The country will get profit and not loss.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : इस टावर के निर्माण में कितनी विदेशी मुद्रा लगी हुई है और इस टावर के निर्माण के बाद कितनी आय होगी ।

डा० कर्ण सिंह : इस परियोजना में लगी हुई विदेशी मुद्रा के आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि सारे होटल में से लाभ प्राप्त किया जाना है। यह कहना कठिन होगा कि रिवाल्विंग टावर से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी क्योंकि यह अपने देश के लोगों और विदेशियों के लिए खुला रहेगा ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मंत्री महोदय ने यह बताने की कृपा की कि रिवाल्विंग टावर केवल तीसरी मंजिल तक बना है । इस में कुल कितनी मंजिल हैं।

डा० कर्ण सिंह : योजना के अनुसार इस में 15 मंजिलें और एक जलपान गृह बनेगा। जैसे कि मैंने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस टावर की ऊंचाई के बारे में फिर से विचार जानना चाहूंगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr Speaker, It is a matter of pleasure that these hotels have come under Ministry of Tourism. Perhaps their efficiency will increase. The Chairman of Asoka Hotels Shri Himmat Singh is a blue-eyed boy of the Government. He is a Chairman of Film Finance Corporation, director of B.I.C. as well as Chairman of Asoka Hotel. He is a blue-eyed boy of some high up in the Government. With the result that the hotel which was once in luxury class, has been demoted to five star or four star. I want to know what steps have been taken or likely to be taken to improve the standard of Asoka Hotel. Whether the honourable minister is going to change the Chairman.

Dr. Karan Singh : As far as the eyes of Shri Himmat Singh is concerned it is as black as ours and not blue. I think it is injustice to say that the standard of Hotel has fallen down due to him. He has even not completed a year. But the honourable member has raised the second question which is very serious, *i.e.*, how we raise the fallen standard of Asoka Hotel. When it was under the first ministry then also the Government was trying to raise its standard and I assure you we will try to raise its standard. You may feel satisfied to hear that I have two fold interests in it. First I am a minister-in-charge, secondly, I have been a share-holder when the Hotel was started. Though I have not been able to get interest on my equity share. As such I had great interest in it. Now we are trying to increase many things. He asked what we were doing. The answer is in details. Firstly, I think that the different managements of Janpath and Asoka Hotel may be merged so that we may improve it. We are also trying to bring the high-ranking officers pertaining to house-keeper on other public relations. And thirdly, we are thinking to get foreign experts. We do not want collaboration. We will not hand over

management to anyone. We are trying to get foreign consultant from Japan, Switzerland, Austria. It will be our effort to make Asoka Hotel an important hotel in the world and to raise it to that standard.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल

*122. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री अब्राहम :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिये भूख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार लिपिक संघ के कुछ प्रतिनिधियों ने 4-6-1968 से तीन दिन के लिये निम्नलिखित मांगों पर दबाव डालने के लिए भूख हड़ताल की थी:--

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का पुनः केन्द्रीयकरण ।

(ii) निम्नलिखित श्रेणी लिपिकों के लिए 150—240 के वेतन मान में सलैक्शन ग्रेड का का लागू करना ।

(iii) सहायकों की सीधी भर्ती को रोकना ।

(iv) अपने ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण।

(v) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा उच्च श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय परीक्षा का तब तक स्थगन करना जब तक 10 वर्ष की सेवा वाले सभी निम्न श्रेणी लिपिक उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नित हो जाएं ।

सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक मांगों पर विचार किया गया, किन्तु उसी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकीं । फिर भी, निम्न श्रेणी लिपिक से अनुभाग अधिकारी तक के केन्द्रीय सचिवालय संस्थापनों के वर्तमान विकेंद्रित प्रशासन में सुधार करने की सम्भावनाओं की परीक्षा की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न संख्या 148 का उत्तर देंगे । यह भी करीब-करीब वही प्रश्न है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी, हां ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त मंत्रणा व्यवस्था

*148. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी, सेवा निवृत्ति की आय को 55 वर्ष तक करने, बढ़े हुए निर्वाह व्यय का पूरी तरह निराकरण करने और महंगाई भत्ते को वेतन के

साथ मिलाने सम्बन्धी प्रश्न गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत नियुक्त की गई संयुक्त मंत्रणा व्यवस्था के विचाराधीन है; और

(ख) इन प्रत्येक मामलों में अब तक यदि कोई निर्णय किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) संयुक्त परामर्शदायी व्यवस्था के अधीन स्थापित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी तथा मंहगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने के प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ था। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को घटाने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और राष्ट्रीय परिषद् में इस पर चर्चा होने का प्रश्न नहीं उठता। 12 जुलाई, 1968 को हुई राष्ट्रीय परिषद् की बैठक की कार्य-सूची में बढ़े हुए जीवन-निर्वाह के पूर्णतया निराकरण से सम्बन्धित प्रश्न शामिल किया गया था। तथापि यह मामला विचार विमर्श के लिये नहीं लिया जा सका क्योंकि राष्ट्रीय परिषद् की बैठक समाप्त कर दी गई थी।

(ख) राष्ट्रीय परिषद् में उठाये गये मामलों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

Shri Mohammad Ismail : As the honourable minister has just said that there are some points, which he is not prepared to consider. I would like to say that the Central Government Clerks Union gave notice of "Gherao" on 20th, then Shri Chavan had met him and asked not to resort to "Gherao", and we will accept your demands because it does not involve a big financial liability. Then he asked to see G.C.M. and if nothing takes place then we are prepared. I would like to ask what action has been taken on what they asked on 2oth and the reply of Home Minister on 19th that they would talk with Home Minister and that he would personally intervene.

Shri Vidya Charan Shukla : The departmental Council of Home Ministry has considered in details this question and tried to bring reconciliation. But I regret to say that no such agreement could take place. As I said in my previous reply that we are trying to evolve a way so that we may do something for their demands within decentralization such as to create zones for promotion. The problem of their uneven promotion may be solved in different ministry. We thought that if the different services, which were decentralized in 1962, once again centralized then it would prove harmful than good. So instead of taking risks by centralization we want to solve the problems of the staff keeping in view of the decentralization and we are trying for it.

Shri Mohammad Isamail : I want to know whether the Home Minister is prepared to settle the issue of sixty percent. confirmation which according to the Home Minister does not involve finance, *i.e.*, issue of grades etc. whether anything is being decided or not. If not, the Home Minister will be responsible for any events which may take place on 2nd August.

Shri Vidya Charan Shukla : The Home Minister has met him last month and there were detailed talks on this subject. We are considering, as to how to remove their grievances. It is not as such that we have no sympathy with them or we do not want to remove their grievances. But we do not want that while removing the grievances other grievances may increase and more complications may be created. So I will say that our L.D.Cs. and Clerk's Union should keep in mind not to do such thing which may increase the complications of the situation and we may not able to evolve the desired solution.

Shri Satya Narain Singh : Mr. Speaker, I want to know from the honourable minister whether he considers the dissatisfaction prevailing among the employees of Central Government and the talks which were held from time to time and their demands as justified. If their demands are justified then what are the obstructions before the Government to solve that issue.

Shri Vidya Charan Shukla : It is a big question. It is a matter of general principles. The august house knows that there is a Joint Consultative machinery. It has a national Council and these issues are being considered there. Representatives from Staff side and oficial side are negotiating and it is our effort to evolve such solution through which some settlement may take place and the efforts are being made.

श्री के०एम० अब्राहम : मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या समस्त देश के रक्षा कर्मचारियों ने प्रधान मंत्री और प्रति रक्षा मंत्री के निवास स्थानों के सामने भूख हड़ताल की थी ? क्या प्रधान मंत्री रक्षा कर्मचारियों की प्रतिनिधियों से मिली थी और उनको यह वचन दिया था कि उनकी शिकायतों को दूर किया जायेगा । मुझे मालूम हुआ है कि न केवल रक्षा कर्मचारी अपितु सब सरकारी कर्मचारी 19 सितम्बर को हड़ताल करने जा रहे हैं और "भारत बंद" भी हो सकता है । क्या सरकार इसको गंभीर मामला नहीं समझती और संघ के प्रतिनिधियों के साथ उनको उत्तेजित करने के बजाय वार्ता द्वारा मामले को नहीं सुलझायेगी ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह एक बड़ा प्रश्न है । हम इस प्रश्न को सुलझाने और विभिन्न स्तरों तक समझौता करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : जब कर्मचारी सरकारी नौक री में आता है तो उसकी कुछ आशाएं होती हैं, यह एक प्रकार का सरकार और कर्मचारी के मध्य अनुबन्ध होता है । उसे पहले से मालूम होता है कि उसकी सेवा की शर्तें क्या हैं और उसे कितना वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे । अतः बाद में इस प्रकार का भूख हड़ताल करना उचित नहीं हैं । जे० सी० एम० के समक्ष जो प्रस्ताव हैं अगर उनको कार्यान्वित किया जाय तो राज्यकोष में कितना वित्तीय भार पड़ेगा और सरकार किस प्रकार इस भार को वहन करेगी । दूसरा क्या वह इस प्रकार की सुविधाएं देश में दूसरे मजदूरी कमाने वालों को भी देगी जिनके पास सरकारी नौकरी की भांति बचाव और सुरक्षा नहीं है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह प्रश्न का महत्वपूर्ण भाग है । परन्तु दुर्भाग्यवश मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं । अगर यह प्रश्न अलग से पूछा जाय तो मैं आंकड़े दे सकता हूं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : प्रश्न के दूसरे भाग का क्या हुआ ? क्या गैरसरकारी उद्योगों में भी श्रमिक वर्ग को भी ये सुविधाएं दी जाएंगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस समय सरकार के सामने ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है ।

Shri D. N. Tiwary : There are some employees in the Government service who work very hard while some others work less. Some devote much time while others do not want to work. Some are lazy while some are fast in their work. Whether there is such proposal before the Government as to review the work of these employees and pay to be given on the basis of their work. More pay to be given to those who work more and less pay to those who work less.

Shri Vidya Charan Shukla : The Government has received suggestions in this connection several times. I think that this question is under consideration before the Administrative Reforms Commission. When they will submit their report on Central Government machinery then we will say something and the matter will be considered only then.

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए भूख हड़ताल की, मुझे आ श्चर्य हैं कि इस देश के गृह मंत्री को इतना भी पता नहीं है कि प्रति रक्षा कर्मचारी संघ में नेताओं ने भी हड़ताल की . . . . .

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट ही देश में इस प्रकार की हड़तालें हुई हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री और श्रम मंत्री के निवास स्थानों के सामने अपनी मांगों को मनवाने के लिए यह हड़ताल हुई, और प्रधान मंत्री ने यह वचन दिया कि वह इस सम्बन्ध में गृह मंत्री से बातचीत करेगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, और मुझे इसका आश्चर्य नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री को पता है कि जे० सी० एम० खत्म हो चुकी है । केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारियों की मध्यस्थता करने की मांग को ठुकरा कर गद्दारी की है । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने कल यह निर्णय किया कि वे 19 सितम्बर को सांकेतिक हड़ताल करेंगे और यदि सरकार का दृष्टिकोण नहीं बदला तो वे आम हड़ताल करेंगे, जे० सी० एम० को छोड़कर, जो कि समाप्त हो गई है, सरकार राष्ट्रीय स्तर पर बैठक बुलावने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ताकि सारे मामले पर बातचीत हो सके और वचनों को पूरा किया जा सके ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जे० सी० एम० समाप्त नही हुई है, यह अभी भी कायम है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह समाप्त हो चुकी है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप इसे समाप्त समझ सकते हैं परन्तु यह.....

श्री स० मो० बनर्जी : देश में इंटक सहित सबको इस पर कोई आशा नहीं है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप गल्ती पर हैं । इंटक के लोग यहां आ रहे हैं । शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं मालम है ।

श्री स० मो० बनर्जी : जे० सी० एम० में गतिरोध हो गया है । यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है और गृह मंत्री महोदय अपने वक्तव्य द्वारा सदन को गुमराह कर रहे हैं और देश में अनिश्चितता की हालत ला रहे हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ये लोग इस प्रकार देश को आगे ले जाना चाहते हैं ताकि इसे बरबाद कर सकें, दुर्भाग्यवश आप भी सरकारी कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि व इस बात को समझेंगे । आप उन्हें गुमराह कर रहे हैं और उनको अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है ।

Shri George Fernandes : It is a wrong statement. He should withdraw these words. (Interruptions). He has said that Government employees are being used for political motives. These words should be withdrawn. Mr Speaker, you please ask the Home Minister to withdraw these words.

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन, मैं यह जानना चाहता हूं, कि उन्होंने जे० सी० एम० में यह वचन दिया था कि इस मामले के लिए मध्यस्थता बिठायेंगे ।

Shri M. A. Khan : Mr. Speaker.

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि आप आ गए हैं । मैंने सोचा था कि केवल शिव नारायण वहां हैं । परन्तु आप कृपया बैठ जायेंगे । अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं आपको भी कहूंगा ।

Shri M. A. Khan : You may not call me. You give him a chance. But this should not go in this way.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी आज्ञा नहीं दूंगा । आप इस तरह से शुरू नहीं कर सकते । मैं आपको प्रश्न पूछने के लिए समय दूंगा और तब आप जो चाहें कह सकते हैं । मैं आपको एक मौका दूगां ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मेरा प्रश्न सही सूचना पर आधारित है । संयुक्त परामर्श-दायी व्यवस्था की बैठक में सरकारी दल, जिसका नेतृत्व मंत्रिमंडल सचिव कर रहे थे, इस बात पर सहमत हो गई थी कि न्यूनतम मजदूरी, और मंहगाई भत्ते का मिलाना जे० सी० एम० के विधान के अनुसार मध्यस्थता का मामला है । इस आशय के संयुक्त पत्र में हस्ताक्षर हुए थे । जब कोई समझौता न हो सका और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इंटक सहित सर्वसम्मति से कहा था कि यह मध्यस्थता को सौंपा जाय इसके बावजूद उन्होंने कहा कि यह मध्यस्थता को सौंपा नहीं जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह विवादास्पद मामला है । कुछ सदस्य खड़े हो गए ।

Shri Madhu Limaye : It is a question of facts. What is debateable in it ?

अध्यक्ष महोदय : जब वह बोल रहे हैं तो आप क्यों खड़े हो जाते हैं ?

Shri Madhu Limaye : I am saying to support him.

अध्यक्ष महोदय : क्या यह संसदीय कार्य-विधि है ? क्या उनको आप की सहायता की आवश्यकता है । वे अपनी सहायता खुद कर सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं केवल सभा की सूचना के लिए कह रहा हूं कि मेरा प्रश्न तथ्य पर आधारित है । गृह मंत्री महोदय, जो अन्य बातों में व्यस्त हैं, उन कागजातों को नहीं पढ़ सके होगें, तभी वे कह रहे हैं कि यह अभी समाप्त नहीं हुई है । यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है । कर्मचारियों के सब प्रतिनिधि ए० पी० शर्मा सहित बाहर आ गये और कहा कि हड़ताल ही एकमात्र हल है क्योंकि सरकार ने अपने वचन को तोड़ दिया है । चूंकि जे० सी०एम० में गतिरोध उत्पन्न हो गया है और सरकार ने जे० सी० एम० की बैठक नहीं बुलाई है । अतएव कर्मचारियों ने मंत्री महोदय से मिलने को इंकार कर दिया । मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे राष्ट्रीय स्तर पर बैठक बुला रहे हैं । इसमें कोई राजनीति नहीं है । यह तो केवल सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक मांग है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं । मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता । यह समय इस के लिए उपयुक्त नहीं है ।

श्री एस० एम० जोशी : आप इसे राजनीति क्यों कहते हैं यह राजनीति नहीं है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप जिस ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं उसमें मुझे निश्चय ही राजनीति की गंध आती है । क्या श्री एस० एम० जोशी फिर से यह कहने के लिए तैयार हैं कि जे० सी० एम० समाप्त हो चुकी है । क्या वे यह कहने के लिए तैहैं।

Shri George Fernandes : You see politics in every things.

Shri S. M. Joshi : As you are asking I can reply your question.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन् जोशी जी क्या आप बैठ जायगे? श्री वाजपेयी जी ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, गृह मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको प्रश्न का उत्तर देने के लिए रोक नहीं रहा हूं । अगर उनको कुछ कहना है तो वे कह सकते हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सारी सूचना देने के लिए तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा है कि समिति अभी भी कायम है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : अब केवल बात यह है कि क्या किसी समय इसकी बैठक होगी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किसी संस्था का प्राणवान होना इस बात से ही नहीं जाना जा सकता कि उसकी कोई बैठक हुई है या नहीं, इसमें गतिरोध हो सकते हैं । परन्तु गतिरोध का तात्पर्य यह नहीं है कि यह ढाचा समाप्त हो गया है । इसमें कठिनाइयां भी हो सकती हैं । मैं इससे इन्कार नहीं करता, मैं इसकी व्याख्या करना चाहूंगा । इस प्रश्न पर कि क्या दो मामले मध्यस्थ को सौंपे जाने चाहिए या नहीं, इसमें मतभेद हो सकते हैं । सरकार यह समझती है कि जे० सी० एम० के विधान के अनुसार ये मामले मध्यस्थ को सौंपे नहीं जाने चाहिए, यह स्थिति है । अब सवाल यह है कि उन्होंने यह अन्तिम फैसला ले लिया है कि ये मध्यस्थ को सौंपे जाने चाहिए । हमने राष्ट्रीय परिषद् के अध्यक्ष के द्वारा यह प्रस्ताव रखा है कि इस मामले में बातचीत करने के लिए जिसमें यह भी शामिल है कि क्या यह मध्यस्थ को सौंपे जाने चाहिए या नहीं, तीन मंत्री तथा उपप्रधान मंत्री, गृह मंत्री व श्रम मंत्री उनके प्रतिनिधियों के साथ मिलने के लिए तैयार हैं (**व्यवधान**) इसका मतलब है कि उन्होंने इसका निश्चय कर लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, आपने प्रश्न पूछा है और वे इसका उत्तर दे रहे हैं । आपको ध्यान देना चाहिए ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार इस प्रश्न पर स्वतंत्र है कि क्या यह मध्यस्थ को सौंपे जाने चाहिए अथवा नहीं । जे० सी० एम० के विधान की व्याख्या द्वारा यह जाहिर है कि यह मध्यस्थ को नहीं सौंपे जा सकते । हम उनके साथ इस पर बातचीत के लिए तैयार हैं । हमने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है । अब इसे स्वीकार करना या न करना उन पर निर्भर करता है ।

Shri Atal Behari Vajpayee : The point is that when there exists a difference of opinion between the Central Government and the Central Government employees, then are the Government prepared to keep an open mind to settle the issues ? There can arise a situation when there is no mutual agreement and the matter is put to arbitration as is provided under law and our constitution also constitutes it that the disputes should be settled through arbitration. I would like that the leaders of the Central Government employees may agree to have talks with you, but in case of total disagreement, would the Government be prepared to put the whole matter to arbitration ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं मनगढ़ंत स्थितियों के बारे में उत्तर नहीं देना चाहता । मेरे विचार से वह उन्हें यह सलाह देते हैं तथा वे वह सलाह मान लेते हैं । यदि हम इस स्थिति तक

पहुंचते हैं, तो निश्चय ही आप वे प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उनका उत्तर देने को तैयार हूं। यही हमारा दर्शन है। संयुक्त सलाहकार व्यवस्था भी सरकार तथा कर्मचारियों के मध्य किन्हीं समझौतों का प्रतिनिधित्व करती है ।

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार द्वारा उसका उल्लंघन किया गया है

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब भी मैं उनको स्पष्ट करने का प्रयत्न करता हूं वे इसे समझना नहीं चाहते । यह संयुक्त सलाहकार व्यवस्था भी सरकार तथा कर्मचारियों की ओर से की गई बातचीत का परिणाम है। अब जब भी उस समझौते के वास्तविक अर्थ के बारे में कोई विवाद होता है, तो इसका दूसरा उपाय केवल परस्पर बात-चीत है । यहां तक कि प्रभुसत्ता सम्पन्न देशों में भी बातचीत करने तथा मिल-बैठने को अस्वीकार नहीं किया जाता। यहां का रवैया यह है कि मिल-बैठने को भी अस्वीकार कर देते हैं। क्या यह वांछित है ?

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, my question has not been answered. In case there is no agreement during negotiations, then, will the Government refer the matter to arbitration? Do the Government have an open mind in regard to arbitration ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप ऐसी बातों की कल्पना क्यों करते हैं ? आओ हम वाद-विवाद के दौरान इस पर भी बहस कर लें। आप इस बारे में भी क्यों बहस नहीं करते ?

श्री स० मो० बनर्जी : हम इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करने को तैयार हैं।

Shri Chandra Jot Yadav : Mr. Speaker, Sir. This is a serious issue. There have been strikes of the Government employees, whether of State or Centre, in the country for the last two years which has been resulting in the paralysing the work of the administration and the loss to the nation. It is a serious state of affairs for the country. Now, there is a likelihood of central Government employees going on strike. Keep all these circumstances in view. I want to say that it is not the question of a particular party. In U.P., even in the Congress regime, all the employees went on strike. When the opposition who led the employees for strike now, came to power, still then the employees started going on strike and they were kept in custody under Preventive Detention Act and were discharged from service ; that too awaits a solution. My point is that any party can come into power but if there is such a situation and the Government employees adopt such an attitude and also if it is not solved, it will, then, harm the country. Keeping this in view and also the offer made by the hon. Home Minister that the Dy. Prime Minister and the Labour Minister are prepared to have talks in order to meet the legitimate demands keeping in view the Government's difficulties, may I hope that the leaders of the employees too will keep all this in view and have the negotiations again ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे अब उसका उत्तर नहीं देना है ।

श्री रंगा : हमें तो यह जानकार धक्का पहुंचा है कि सरकारी कर्मचारियों ने गृह-कार्य मंत्री से मिलना अस्वीकार कर दिया है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यहां तक कि उप-प्रधान मंत्री से भी नहीं ।

श्री रंगा : इस से तो और बुरा होगा। यह तो इस एक दलीय सरकार के लिये बड़े हतोत्साह की स्थिति है। कुछ समय पूर्व हमारे यहां पुलिस के आदमियों की भी हड़ताल हुई थी। आज प्रातः मेरे माननीय मित्र श्री वाजपेयी ने एक प्रश्न उठाया परन्तु बाद में सौभाग्य से उसे

छोड़ दिया । मेरे माननीय मित्र गृह-कार्य मंत्री इसके लिये हमारे मित्रों पर राजनयिक स्वार्थों का आरोप लगा रहे थे । यह कैसे हुआ कि उन्होंने स्थिति को इस सीमा तक बढ़ने दिया कि राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा न केवल सरकार के विरुद्ध बल्कि गृह-कार्य मंत्री, उप-प्रधान मंत्री तथा प्रधान मंत्री के विरुद्ध भी सरकारी कर्मचारियों की स्थिति का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। क्या इस से सरकार के व्यक्तित्व और मान के बारे में कुछ स्पष्ट होता है ?

क्या मैं अब गृह-कार्य मंत्री महोदय से यह प्रश्न कर सकता हू ? उन्होंने कहा है संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के बारे में भी तथा अन्य किसी भी विषय के बारे में पंच-फैसले के प्रश्न पर बात-चीत करने को वह तैयार हैं । इस सम्बन्ध में निर्णय के लिये मामला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्यों नहीं प्रस्तुत कर दिया जाता, बजाये इसके कि वे इस बारे में अपना सिर खपायें, कर्मचारियों को सम्मेलन के लिये बुलायें, तथा उन्हें सरकार की आज्ञा, तथा सरकार और देश का अपमान करने का अवसर दें ? वे लोग गृह-कार्य मंत्री से मिलने की तैयार नहीं हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है (**व्यवधान**)

श्री रंगा : उच्च श्रेणी लिपिकों तथा अवर श्रेणी लिपिकों का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं । कैसे हैं हमारे गृह-कार्य मंत्री ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसे वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिये मेरे दिल में बड़ा आदर है (**व्यवधान**)

श्री रंगा : सारी सभा और सारा देश अपना अपमान अनुभव करता है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह किसी व्यक्ति विशेष की ओर से किया गया अपमान नहीं है। वे सरकारी कर्मचारियों की ओर से बोल रहे हैं, वह एक श्रेणी हैं, वे संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में प्रतिनिधियों के रूप में बोल रहे हैं। यहां यह प्रश्न नहीं है कि किसी अवर सचिव ने गृह-कार्य मंत्री से मिलना अस्वीकार कर दिया हो। उन्हें इन दोनों बातों के मध्य का अन्तर समझना चाहिये। यहां प्रश्न उस स्तर पर नहीं है ? जब कभी यह प्रश्न उठे कि क्या हम यह सिद्धान्त स्वीकार करते हैं कि जब कभी भी समझौते के अभिप्राय के बारे में मतभेद हो तो हमें हर बार उस पर पंच फैसला कराना चाहिये, इस स्थिति को स्वीकार करना बड़ा कठिन है ।

श्री काशीनाथ पांडे : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह विवाद इस सिद्धा त पर है कि कुछ मामलों पर पंच फैसला कराया जा सकता है या नहीं अथवा किसी मामले पर योग्यता के आधार पर बातचीत की जा सकती है, यदि ऐसा किया जा चुका है, तो कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : न जाने क्यों अब वह प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बारे में बोल रहे हैं। जहां तक संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के पक्ष का सम्बन्ध है, हमने कहा है कि हम उनसे मिलने को तैयार हैं ।

Shri Madhu Limaye: Shri Banerjee says that the Government should refer the demands of the employees to arbitration as per the agreement with the J.C.M. but they say that they are not prepared for that. First the Government agreed that it could be so, but later on they declined. My point is that if they are not serious of approaching the Supreme Court, they should then take the opinion of the chairman of the Labour Commission whether it is arbitrable or not. And if the Commission says that it is arbitrable, then there remains absolutely no dis-

pute about it and Government should accept it. I, therefore, want to know, whether the Government would take the advice of Shri Gajendragadekar, the Chairman of National Labour Commission, whether it is arbitrable or not ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि गृह-कार्य मंत्री के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं कि वे आयें तथा उप-समिति से मिलें । इस सम्बन्ध में पहले ही बात-चीत रुक गई है तथा उन्होंने आम हड़ताल का समय भी नियुक्त कर लिया है । यदि सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार करती है कि इस प्रकार के विवाद-ग्रस्त मामलों पर पंच-फैसला लिया जाना चाहिये, परन्तु इस विशिष्ट मामले में कोई संवैधानिक बाधा है, तो क्या यह उचित न होगा कि इस मामले को किसी व्यक्ति के पास संवैधानिक राय देने के लिये भेज दिया जाये ? मेरे विचार से मामला इतना गम्भीर है कि उन्हें सारी स्थिति पर पुनः दृष्टिपात करना चाहिये और यह सम्भव करना चाहिये कि प्रतिनिधिगण उनसे मिलें ताकि विवाद को किसी के हवाले कर दिया जाये जो कि सारे मामले में एक में अपनी निष्पक्ष राय दे सकें ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक सम्भव है, हम उनसे मिलने को इच्छुक हैं । मैंने उनसे मिलने को मना नहीं किया है । वे स्वयं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के रूप में मिलने से मना कर रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : ये स्वयं ही कर्मचारियों से मिलने को मना कर रहे हैं । हम पहले ही पत्र दे चुके हैं । श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि आप वाद-विवाद की अनुमति दें तथा हम कागज़ात पेश करेंगे ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्होंने दो मांगें उठाई हैं; अर्थात् महंगाई भत्ते का विलय तथा आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन ।

एक माननीय सदस्य : संयुक्त सलाहकार व्यवस्था का संविधान सभा-पटल पर रखा जाये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के संविधान के अनुसार तथा उस संविधान के अभिप्राय के अनुसार, सरकार समझती है कि उन पर पंच-फैसला नहीं कराया जा सकता । यह बात उन्हें बता दी गई है ।

श्री रंगा : यह बात सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर छोड़ दीजिये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : परन्तु इसके साथ ही यह एक परम्परा भी है कि जब संयुक्त सलाहकार समिति में कोई जटिल स्थिति आ जाती है तो उन मामलों पर मंत्रियों से बातचीत की जा सकती है क्योंकि वे सरकार के प्रतिनिधि हैं । अतः एक प्रस्ताव किया गया था कि वे आकर निश्चय ही इस पर बात-चीत कर सकते हैं तथा बात-चीत के बाद, ये सब सुझाव तथा श्री रंगा सहित सब माननीय सदस्यों के सुझावों पर भी विचार किया जा सकता है तथा वे निश्चय ही उन तर्कों को प्रस्तुत कर सकते हैं । यही सरकार की धारणा है और मेरे विचार से यह संगत भी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप मंत्री महोदय को इसे सभा-पटल पर रखने को कहें।

श्री पें० वेन्कटासुब्बैया : इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने तथा जलूस निकालने का संवैधानिक अधिकार है। परन्तु इसके अतिरिक्त क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गृह मंत्रालय को इस तथ्य का ज्ञान है कि जब केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का जलूस निकलता है तो राजनैतिक नारे लगाये जाते हैं और उनमें से कई नारों में आज की सरकार की भर्त्सना की गई है? क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें कोई राजनैतिक तत्व घुस आये हैं और क्या इससे देश के प्रशासन के ऊपर हतोत्साह करने वाला प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस संदर्भ में मामले पर विचार किया गया है; और यदि हां, तो गृह-कार्य मंत्री ने ऐसे क्या प्रभावपूर्ण उपाय किये हैं ताकि ये हड़तालें और प्रदर्शन राजनैतिक रूप न लें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्वभावतः ही सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की बातों से प्रशासन पर हतोत्साही प्रभाव पड़ता है और देश के हितों पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। परन्तु वास्तविक नारों तथा उनको लगाने वाले व्यक्तियों के बारे में मुझे कोई निश्चित जानकारी नहीं है। इस समय मैं उस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने उन नारों को सुना ही नहीं है। संसद् भवन से वह उन नारों को कैसे सुन सकते थे?

Shri Abdul Ghani Dar : Particularly in view of Pakistan to getting arms from the USSR and to further strengthening Indian positions so as to be able to successfully face any outer danger, would the Government call for a round table conference, just like the National Integration Council, to settle the disputes which are resulting in labour unrest and strikes by the Government employees and others, so that the Congress, opposition and labour leaders may get together and settle the matters through negotiations and get these strikes postponed for a certain period and we may unite. and face the enemy successfully?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इस समय इस बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Sheo Narain : Is it a fact that the leaders of the Government employees are preventing the employees from coming to their work? Which persons are becoming an obstacle in the employees accepting the Government's offer for talks? The Hon. Minister may please state the names of such persons if he has.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री नम्बियार : उस बात-चीत के समय जिसके परिणामस्वरूप यह संयुक्त सलाहकार व्यवस्था स्थापित हुई, क्या यह स्पष्ट नहीं कर दिया गया था कि कुछ मदें पंच-फैसले के लिये भेजी जानी थीं तथा विशेष रूप से वेतन और महंगाई भत्ते सम्बन्धी मामले, जो कि केन्द्र सरकार और कर्मचारियों के मध्य मुख्य रूप से विवाद का विषय थे, वे भी दोनों पक्षों के मध्य समझौता न होने पर पंच फैसले के लिये थे? संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की स्थापना के समय सरकार के तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के मध्य होने वाले निर्णयों में से यह एक मुख्य निर्णय था, और इसीलिये, अभिप्राय स्पष्ट करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, और जो बात पहले ही स्वीकार हो चुकी है उस पर वाद-विवाद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य अपना दृष्टिकोण दे रहे हैं और मैं इससे सहमत नहीं हूं ।

Voluntary Retirement of Central Government Employees

+

*123. **Shri Onkar Singh :**
Shri Sharda Nand :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government had announced that those Government employees who want to retire voluntarily after a period of service of 21 years will be given 26/80 of their pay as pension for 5 years after retirement and their period of service will be deemed to be 26 years ;

(*b*) if so, the action so far taken by Government in this regard ;

(*c*) whether it is also a fact that certain employees had applied for voluntary retirement as a result of this announcement ; and

(*d*) if so, their total number and the number of those among them who have been retired from service ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (*a*) No, Sir.

(*b*) *to* (*d*) *:* Do not arise.

Shri Onkar Singh : Will the Home Minister be pleased to State the reason for the failure of the scheme evolved by the Government for the voluntary retirement .

Shri Vidya Charan Shukla : The scheme for voluntary retirement was considered only after the report submitted by Santanam Committee. A scheme was evolved for it when the scheme was placed before J.C.M. then some persons of staff side objected it . They wanted certain amendments in the scheme . These amendments are being looked into and there is no proposal to implement this scheme until it is fully considered .

Shri Onkar Singh : When this scheme after making amendments will be placed before the house .

Shri Vidya Charan Shukla : It is not possible to say anything with centainty at this time.

Shri Sharda Nand : I want to ask from the Honourable Minister that when he gave information regarding the scheme in 1964, then under which circumstances this scheme was considered necessary and now whether the conditions are same or certain changes have taken place.

Shri Vidya Charan Shukla : I have already said that there was a report of Santanam Committee regarding elimination of corruption. They made a recommendation that the Government may retire the Government officials at the age of fifty years and in this way the Government officials were also given chance to take leave from the Government service at the age of fifty years at their own will. The purpose behind it was the welfare of the people. A Scheme was evolve in this connection and the Staff side was consulted about it and they mentained their grievances and raised some objections. As such we have suspended the scheme till the objections are considered .

Shri Atal Bihari Vajpayee : When Shri T.T. Krishnamachari was the Finance Minister then he made a declaration in the house that the Government has accepted such scheme that those employees, who want to retire after the service of twenty one Years will be deemed to have served five years more and the facilities will be given accordingly. As such the question of Consulting with the employees did not arise and neither there was any united Committee of the employees in existance, so I want to ask how many employees were retired in accordance with the decision of 1964 . How many were given the facilities or whether this decsion is still pending .

Shri Vidya Charan Shukla : The honourable member is talking of some other decision. That decision was in connection with liberalized Pension rules of Shri T.T. Krishnamachari. According to it that after qualifying service of thirty Years , the employees can be retired after adding five Years in there service and the Scheme is still in vogue. I have no information at present regarding the number of employees who have been retired and the number of those who have been given this facilities as asked by the honourable member. If the honourable member raise a separate question then I can furnish him the information after collecting it .

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मंत्री महोदय ने कहा है कि चूंकि कर्मचारियों को इस ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना पर कुछ आपत्ति थी और वे इसमें कुछ संशोधन व परिवर्तन चाहते थे अतएव इसको जे० सी० एम० के सामने लाया गया एक और योजना के अनुसार किसी भी कर्मचारी को 50 वर्ष की उमर होने पर अथवा सेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर सेवा निवृत्त होने पर बाध्य किया जा सकता है और इस पर कोई ऐच्छिकता नहीं है। जब सरकारी कर्मचारियों के सब वर्गों ने इस योजना का तीव्र विरोध किया, तब यह जे० सी० एम० के पास वाद-विवाद के लिए क्यों नहीं लाया गया और कर्मचारियों से राय लिये बिना इसको कार्यान्वित क्यों किया जा रहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कुछ योजनाएं पहले से ही चालू हैं। जहां तक इनका सम्बन्ध है इन पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। हम अभी एक नई योजना के बारे में विचार कर रहे हैं। यह सरकार ने संतानम समिति के सिफारिशों का अनुसरण करते हुए बनाया है। जब इस योजना को क्रियान्वित किया जाना था तब यह आपत्ति उठाई गई थी।

माननीय सदस्य पूर्व योजना का जिक्र कर रहे हैं। जिसको स्वीकार कर लिया गया था और अब क्रियान्वित किया जा रहा है। कुछ कर्मचारी जब वे चाहते हैं तब इसका फायदा उठाते हैं और कभी सरकार के लिए स योजना के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक होता है। तब वे भी इसके अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व योजना स्वीकार कर ली गई है और अब वह प्रचलित है। उनको कब और किसके द्वारा स्वीकार किया गया है। मैं एक विशिष्ट योजना के बारे में कह रहा हूं जिसके द्वारा कुशलता व अकुशलता के नाम पर कर्मचारियों को 50 वर्ष की उम्र होने पर अथवा सेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर सेवा निवृत्त होने पर बाध्य किया जा सकता है। क्या उस पर वाद-विवाद किया गया और सहमति प्रकट की गई।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समय तीन योजनाएं चल रही हैं, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का तात्पर्य किससे है। जे० सी० एम० के अस्तित्व में आने से पहले वे अनुमोदित हो चुकी है और क्रियान्वित हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय :

श्री मधु लिमये : वे पूछ रहे हैं कि किसने इसको स्वीकार किया है, where are you going.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : हजारों कर्मचारियों ने इस योजना का विरोध किया है। तभी वे इसका उत्तर देना नहीं चाहते।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know from the Honourable Minister whether any circular from the Home Ministry was sent to all ministries in which it is said that any Government employee can take leave from his service after twenty six years of service. Just now the honourable minister has replied that they have accepted some conditions and have implemented it. I want to know what are those conditions and whether these have been implemented ? If implemented, then how many persons have taken benefit out of it.

Shri Vidya Charan Shukla : As far as this question is concerned, no conditions have been implemented under this Scheme. The whole Scheme is under consideration neither it has been partly implemented nor it has been left out. As far as the circutar is concerned. I have no information. If the honourable member put a separate question then I can answer it.

Shri Hukam Chand Kachwai : I have been told that all the ministiers have been issued a circular from the Home ministry. I want to know whether it is correct or not.

Shri Vidya Charan Shukla : I do not Know whether it is corret or not. If the honourable member put a seprate notice then I will answer it.

श्री लोबो प्रभु : क्या सरकार को मालूम है कि जीवन की आशा 27 से 41 वर्ष तक बढ़ गई है और उसके साथ इसमें कोई औचित्य नहीं है कि किसी सरकारी कर्मचारी की कार्य करने के जीवन को घटाया जाय। दूसरा क्या सरकार को इस बात का पता है कि एक अधिकारी को 21 साल की सेवा के उपरांत सेवा निवृत्त करने से या उस अवधि के उपरांत उसको सेवा निवृत्त हो जाने देने से हम एक ऐसे आदमी को खोते हैं जब उसको पूर्ण अनुभव हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसके गुणों की चर्चा कर रहे हैं।

श्री लोबो प्रभु : मैं इसको प्रश्न के रूप में रख रहा हूं और कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं।

तीसरा, क्या सरकार ने वित्तीय जटिलताओं की जांच करली है जो 21 वर्ष की सेवा के उपरान्त उदार पेंशन देने से और नए लोगों को पूरी तनख्वाह पर भरती करने से होगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें इन सब बातों का पता है। यहां सेवा निवृत्ति कोई लोगों को एकावशेष उम्र में पहुंचकर उनसे छुटकारा पाने के लिए नहीं हो रही है। सरकार इस योजना के अधीन उन्हीं लोगों को सेवा निवृत्त करेगी जिनको ऐसा करना जनहित के लिए होगा अन्यथा नहीं। और सरकारी कर्मचारियों को भी यह अधिकार दिया गया है कि वे अगर चाहें तो उस उम्र में सेवा निवृत्त हो सकते हैं। इसलिये यह योजना एच्छिक सेवादिवृत्ति कहलाती है।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, I am asking the same question which was put by Shri Indrajit Gupta whether the Government has such scheme in operation under which any Government employee can be turned out on the pretext that he is not able to work or on

the basis of in efficiency when the Government decided to implement this scheme, then at time whether she did this with Consultation or after placing it before J.C.M. or it was done at her own will. I want to know from the hon. minister whether Government is ready to have talks with the representative of Government employees or J.C. M.

Shri Vidya Charan Shukla : Probably the honourable member refer to the article 465 (A) of Central service rules which is applicable on those Government employees who were recruited before 1938. As far as I think the J.C. M. was not in existence when the Scheme was implemented. As such the question of Consulting with J.C.M. does not arise. Anyhow I will get the information and place it on the table of the house.

विमान यात्रा टिकटों को 'कम मूल्य' पर बेचने का कारोबार

*124. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान यात्रा टिकटों के "कम मूल्य" पर बेचे जाने के धन्धे से भारत के रिज़र्व बैंक को प्रति वर्ष कई करोड़ रुपये की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में अनुमानतः कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) से (ग). मैं सभा-पटल पर अपेक्षित सूचना प्रदान करने वाला एक विवरण रख रहा हूं।

विवरण

(क) ऐसा विश्वास करने के कारण हैं कि कई हवाई कंपनियाँ कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर, विशेषतः भारत और यू० के० के बीच उत्प्रवासी यातायात (इमाइग्रेंट) के सम्बन्ध में निर्धारित हवाई किरायों की अपेक्षा कम किराये लेती हैं। इसके परिणामस्वरूप यातायात विदर कर इन हवाई कंपनियों को चला जाता है और एयर इंडिया को नुकसान होता है तथा फलतः विदेशी मुद्रा की हानि होती है।

(ख) इस प्रकार के कुत्सित आचार की सही सही मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती, जब तक कि विशिष्ट मामलों को साबित न कर दिया जाय। इसलिये इस कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ग) इस कारण से होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि को रोकने के लिये कई कदम उठाये गये हैं तथा उठाये जा रहे हैं। वे ये हैं :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था की अन्य सदस्य देशों की भांति एक 'एनफोर्समेंट एजेंसी' (प्रवर्तक अभिकरण) है, जो इस प्रकार के अनाचारों पर निगरानी

रखती है तथा जहाँ तक सबूत मिलता है वहाँ, वहाँ संस्था के नियमों के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करती है।

(ii) जहाँ इस प्रकार के अनाचार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विरुद्ध अपराध के दोषी होते हैं वहाँ प्रवर्तन निदेशालय निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही करता है। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी हवाई कम्पनियों मे से एक के विरुद्ध एक मामले की जाँच कर रहा है।

(iii) क्योंकि यह अनाचार अधिकतया उत्प्रवासी यातायात के संबन्ध में चल रहा है, भारत और यू० के० के बीच उत्प्रवासियों के लिए एक नियंत्रती किराये की व्यवस्था की गयी है। केवल इन दो देशों के राष्ट्रीय वाहकों, अर्थात् एयर इंडिया और ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन, को ही इन घटाये हुए किरायों को लेने का अधिकार है। इसका प्रभाव यह होता है कि उत्प्रवासी यातायात इन दो हवाई कम्पनियों की ओर आकर्षित होता है तथा विदेशी मुद्रा में हानि का निरोध होता है।

Shri Sitaram Kesri : Whether the attention of the honourable minister has been drawn to the news published in The Times of India that there is a news in the London Telegraph about the loss of Rs. 7 crores in foregin exchange incurred on Air India and action was taken in two cases. The honourable minister has said in his statement that he cannot say about the loss as he has got no clear case the newspaper reveals that there is a loss of foreign exchange amounting to Rs. 7 crores, as the tickets were sold in a wrong way by the three agents they are being prosecuted. Two are being prosecuted in London and one in India. I want to know whether you have such news on which basis the loss can be determined. I want to know about those firms which are being prosecuted.

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr Karan Singh): The honourable member asked about the total loss incurred on Air India. It is difficult to say clearly about it because such mal-practices occur in many places . But it is our effort to take action wherever such loss incurs or malpractices take place . It is our effort to take action against those who misuse the mony intended for this country .

Shri Sitaram Kesri : You have said in your statement that the case is going on the Foreign Airlines . I would like to know which are the Foreign Airlines and the nature of the cases which is going on. Have they done embezzlement regarding Foreign Exchange.

Dr. Karan Singh : There are three or four such airlines on which the cases are going on. But I think it will be not proper at this time to give their names because the cases are still going on.

An Honourable Member : Their names should be given .

Dr. Karan Singh : We will not be doing any justice in this way because if the cases fall then our relation with them will be spoiled and we will not be benefitted in any way .

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय ने कहा है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की भारत में एसी व्यवस्था है जिसके द्वारा वह उन कादाचारों की निगरानी रखता है। जहां तक भारत का सम्बन्ध है यह संस्था व्यर्थ है क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में इसका केवल एक प्रतिनिधि है जो बम्बई में है। इस संस्था द्वारा इतने वर्षों के दौरान कितने कदाचारों के मामले

सूचित किये गये हैं । एयर इंडिया इस आई० ए० टी० ए० को कितनी फीस देती है । भारत को इस फीस देने के बदले क्या लाभ मिलता है । क्या सरकार इस व्यवस्था की अक्षमता को देखते हुए अपनी व्यवस्था स्थापित करना चाहती है ताकि इस प्रकार के कदाचारों का पता लगाया जा सके ।

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि आई० ए० टी० ए० के भारत में एक या दो प्रतिनिधि हैं । वास्तव में वे इसको रोकने में असमर्थ रहे हैं । वित्त मंत्रालय का प्रवर्तन निदेशालय विशेषकर इसमें अन्तर्ग्रस्त है क्योंकि इसको कीमती विदेशी मुद्रा में हानि उठानी पड़ती है, मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हूं कि आई० ए० टी० ए० इतना सक्षम नहीं जितना कि इसे होना चाहिए था । परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि इन बातों की निगरानी रखने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकार है, इसलिए हमें उससे सम्बन्ध तोड़ देना चाहिए । परन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें अतिरिक्त वित्त मंत्रालय का प्रवर्तन निदेशालय इसकी जांच कर रहा है । भारत और लन्दन के मध्य हमने विशेष आप्रवासी किराये का निर्धारण किया है क्योंकि इन्ही मार्गों में ये बातें बड़े पैमाने पर होती हैं हमने बी० ओ० ए० सी० के साथ आप्रवासी किराये का निर्धारण किया है और हमें आशा है कि हम इन कदाचारों को रोक सकेंगे । इसके अतिरिक्त हम यह भी कोशिश करेंगे कि यह धन गलत रास्ते पर न चला जाय ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रशुल्क आयोग के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

*125. **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकारी ग्रुप ने प्रशुल्क आयोग के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन में इस आयोग को समाप्त करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त विकास, नियन्त्रण और विनियमित संगठनों पर कार्यकारी दलों ने सीका-शुल्क आयोग पर एक पूरक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की थी, जिसकी प्रतिलिपियां ससदीय पुस्तकालय में रख दी गई हैं । रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशें प्रशासनिक सुधार आयोग को मामले में अपने निष्कर्षों पर पहुंचने में सहायता करने के इरादे से की गई थी । आयोग ने अब सरकार की आर्थिक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो अन्य बातों के साथ-साथ सीमा-शुल्क आयोग मे भी सम्बन्धित है । सरकार आयोग की रिपोर्ट की परीक्षा कर रही है ।

बैरकपुर हवाई पट्टी में पान-अमरीकी बोइंग विमान का उतरना

*126. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पान अमरीका एयरवेज का पूर्व की ओर जाने वाला एक बोइंग विमान 29 जून, 1968 को कलकत्ता की बैरकपुर पट्टी पर उतरा था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या विमान को पुनः उड़ान भरने देने से पहले सुरक्षा सम्बन्धी सभी पूर्वोपाय कर लिये गये थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 29 जून, 1968 को एक पैन-अमेरिकन एयरवेज़ बोइंग विमान को, जब कि वह कराची और कलकत्ता से होकर बेरुत से बैंकाक की अनुसूचित उड़ान पर था अपर्याप्त दृश्यता के कारण दम दम हवाई अड्डे के विमान परिवहन नियंत्रण (ए० टी० सी०) द्वारा दम दम हवाई अड्डे पर उतरने के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग के अनुदेश दिये गये क्योंकि उस समय वर्षा की मामूली बूंदें पड़ रही थीं और आसमान बादलों से आच्छादित था। हवाई अड्डे की ओर आते हुए विमान बादलों से बाहर निकल आया और कर्मीदल का एक सदस्य चिल्ला उठा, "धावन-पथ दिखाई दे रहा है," जिससे विमान चालक ने, इस विश्वास के साथ कि दिखाई दे रहा धावन-पथ दमदम हवाई अड्डे का है, उतरने की प्रक्रिया जारी रखी। लेकिन वास्तव में, दिखाई देने वाला धावन-पथ बैरकपुर हवाई अड्डे का था और इस प्रकार विमान चालक दमदम के बजाय बैरकपुर में उतर गया।

(ग) अपेक्षित औपचरिकताओं का पालन करने के बाद वायुसेना के अधिकारियों ने उस विमान को बैरकपुर हवाई अड्डे से दम दम हवाई अड्डे के लिए उड़ान करने की अनुमति दे दी। कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है ।

काश्मीर के बारे में शेख का मत

*127. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में शेख अब्दुल्ला द्वारा दिये गये राष्ट्रविरोधी वक्तव्यों विशषकर उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उसने जम्मू और काश्मीर राज्य के प्रशासन के लिये विधियां बनाने के भारतीय संसद् के अधिकार पर आपत्ति उठायी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्। जहां तक जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में संसद् के अधिकार का सम्बन्ध है शेख अब्दुल्ला ने यह कहा बताया जाता है कि राज्य के भारत में संविलयन की अन्तिमता पर संसद् का फैसला उसे मान्य नहीं है ।

(ख) सरकार के विचार में उसके कुछ वक्तव्य बहुत गलत और आपत्तिजनक हैं किन्तु सरकार नहीं समझती है कि उस पर कार्यवाही करना सार्वजनिक हित में होगा ।

Non Inclusion of representatives of Vidyarathi Parishad in Youth Delegation to Sofia.

***128. Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri S. Kundu :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the representatives of Vidyarthi Parishad have not been included in the youth delegation from India which is to visit Sofia to participate in the Youth Festival proposed to be held there ;

(*b*) whether it is also a fact that people from some special institutions only are selected for such delegations abroad ;

(*c*) whether Government propose to prescribe some special procedure according to which all youth organisations in the country may be represented in such delegations ; and

(*d*) if so, the details thereof and if not, the reasons there for ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (*a*) and (*b*) The International Preparatory Committee for the IX World Festival of Youth and Students for Solidarity, Peace and Friendship had invited only the National Preparatory Committee, 923, Faiz Road. Korol Bagh, New Delhi-5 , to send a delegation to the Youth Festival which is due to be held in July / August, 1968 in Sofia (Bulgaria). The National Prepartory Committee, New Delhi, proposed a delegation of 85 to 100 prersons to attend the Festival . As the invitation was extended only to this body persons nominated by this body alone could obviously attend the Festival and accordingly the 'P' Form clearance was given to them. The members of the Vidyarathi Parishad were not included in the delegation by the National Preparatory Committee.

(*c*) and (*d*) It is normal that when the invitation is received by the Govenrnment, the composition of the delegation is decided by the Government. If however, the delegation is to be sent by a non-Government organisation, the Government decides only the number that could conceivably be allowed to go keeping into view the foreign exchange involved, facilities available, etc.

सैन्ट्रल इन्टैलीजेंस एजेंसी के जासूस

***129. श्री प० गोपालन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री उमानाथ : **श्री रमानी :**
श्री अनिरुद्धन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1968 के "पेट्रिआट" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "सी० आई० ए० हूज हू" के सम्पादक डाक्टर माल्डर ने कहा है कि सर्वश्री सी० जी० कोगन, ई० ए० मरेलियस पी० आर० पेटरसन को नई दिल्ली में सेन्ट्रल इन्टैलीजेंस एजेंसी के जासूस थे ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) मामले पर ध्यानपूर्वक विचार कर लिया गया है । वे तीन व्यक्ति, जिनके दिनांक 4 जून, 1968 के "पेट्रिआट" में प्रकाशित समाचार में नाम थे, जब 1957 और 1962 के बीच भारत में सेवा कर रहे थे तब कोई प्रतिकूल कार्य करते नहीं देखे गये ।

आम चुनावों में हारे व्यक्तियों की उच्च पदों पर नियुक्ती

*130. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ ऐसे कांग्रेसियों को जो 1967 के आम चुनावों में हार गये थे राज्यपालों और राजदूतों तथा सरकारी उपक्रमों में सभापतियों के रूप में नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कांग्रेसियों के नाम क्या हैं और वे किन पदों पर नियुक्त किये गये हैं;

(ग) ये नियुक्तियां किस आधार पर की जाती हैं ; और

(घ) क्या गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों के किन्हीं प्रमुख व्यक्तियों को जो आम चुनावों में हार गये थे ऐसे पदों पर नियुक्त किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) से (घ) सरकार के अधीन सेवा और पद पर नियुक्ति करने में मुख्य विचार उस विशेष पद या सेवा के लिये व्यक्ति की उपयुक्तता है और चुनावों में हारना नियुक्ति के लिये अयोग्यता नहीं समझी जाती है । 1967 के आम चुनावों में हारे हुए किसी उम्मीदवार को राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है । इन चुनावों में हारे हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को राजदूत/उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है :—

1. श्री राज बहादुर, राजदूत, काठमाण्डू ।
2. श्री ए० एम० थौमस, उच्चायुक्त, कैनबरा ।
3. श्री ओ० व्ही० अलगेशन, राजदूत (नामांकित), आदिस अबाबा ।

सरकारी उपक्रमों के सभापति के पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीय एकता परिषद्

*131. **श्री दामानी :**
श्री रबि राय :
श्री हेम राज :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अनन्तराव पाटिल :
श्री क० लकप्पा :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

श्री रा० कृ० सिंह :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री जी० एस० रेड्डी :
श्री मु० न० नाघनूर :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकों में क्या क्या निर्णय किये गये थे;

(ख) इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या समाज के हित में साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने अथवा साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) परिषद् द्वारा जारी किये गये उद्देश्यों की घोषणा तथा उसकी तीन समितियों की सिफारिशें, जो कि परिषद द्वारा अपनाई गई है, सदन के सभा पटल पर रख दी गई हैं।

(ख) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1463/68]**।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

चीन को जाने वाले मिजो

*132. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री श्रीधरन :
श्री मृत्युजंय प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि साम्यवादी, चीन जाते हुए लगभग, 200 कुकी तथा मिजो विद्रोही जून, 1968 के अन्तिम सप्ताह में सीमा पार करके अपर बर्मा पहुंचे;

(ख) क्या चीन को जाने वाले 150 कुकी तथा मिजो विद्रोहियों का एक और दल भी उसी सप्ताह सीमा पार करके अपर बर्मा पहुंच गया था;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने किन परिस्थितियों में सीमा पार की; और

(घ) मिजो विद्रोहियों का निरन्तर सीमाओं के आर पार आना जाना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख) जून के अन्तिम सप्ताह में दो अलग अलग टुकड़ियों में मिजो कुकी विद्रोहियों का एक गिरोह बर्मा सीमा क्षेत्र में दाखिल हो गया। इन गिरोहों के गन्तव्य स्थान के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ग) गिरोह छोटी टुकड़ियों में घने जंगलों और भारत-बर्मा सीमा के भू-भाग का लाभ उठाते हुए पार जा चुका होगा ।

(घ) सीमा के पार आना जाना रोकने के प्रबन्धों का पुनरीक्षण किया गया है और सुरक्षा दलों ने सीमाओं पर गश्त कड़ी और मज़बूत करने के लिए कायवाहियां की हैं । सीमा पार गुप्त रूप से आने जाने को रोकने के लिए असाधारण राजपत्र में अधिसूचना जी० एस० आर० 1265 के अनुसार कानूनी प्रतिबन्ध भी लगाये गये हैं ।

काश्मीर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र की 1953 की योजना

*133. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रीनगर में 'डेली टेलीग्राफ' सम्वाददाता के साथ शेख अब्दुल्ला की भेंट के समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें शेख अब्दुल्ला ने सर ओवन डिक्सन द्वारा 1953 में बनाई गई संयुक्त राष्ट्र की योजना के अन्तर्गत काश्मीर घाटी में पांच वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र के शासन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) विचार पूर्णतः तथ्य और कारण से असंगत है ।

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों द्वारा वेतन के पुनरीक्षण की मांग

*134. **श्री म० ला० सोंधी:** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्कूल अध्यापकों की संयुक्त परिषद् के प्रतिनिधि मण्डल को वेतन के पुनरीक्षण के लिये उनकी मांग के बारे में कोई आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

आसाम का पुनर्गठन

*135. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-सभा के गत सत्र के समाप्त हो जाने के बाद आसाम के पुनर्गठन के प्रस्ताव में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन योजना का अन्तिम रूप क्या है; और

(ग) क्या इसके लिए किसी केन्द्रीय विधान की आवश्यकता होगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) से (ग). आसाम सरकार और ए० पी० एच० एल० सी० के प्रतिनिधियों के साथ गत सत्र के समाप्त हो जाने के बाद और विचार विमर्श हुआ है किन्तु कोई मान्य हल नहीं निकला है। एक मान्य हल निकालने के प्रयत्न जारी हैं।

Statement by Sheikh Abdullah

***136. Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during informal talks Sheikh Abdullah has put all the responsibility on India for the Indo-Pak hostilities in 1965 and has also stated that Pakistan had to resort to hostilities when the doors for negotiations were closed by the late Prime Minister Lal Bahadur Shastri and the former Home Minister, Shri Gulzari lal Nanda, and he has further stated that Pakistan would have to resort to another conflict in future ; and

(b) if so, the reason for allowing Sheikh Abdullah to make such statements openly ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) It is reported that in a meeting of some citizens of Srinagar convened by Sheikh Abdullah he stated that Pakistan would not have resorted to infiltration if the Indian Government leaders had not closed all doors of negotiations.

(b) Sheikh Abdullah's statement is totally against fact and is objectionable. Government do not consider that any public interest would be served by taking action in this case.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा त्यागपत्र

*137. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री अरुण कुमार दत्त ने पदस्थिति, वतन आदि के आधार पर त्यागपत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा पदस्थिति में वृद्धि करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) न्यायाधीश अरुण कुमार दत्त ने त्यागपत्र दिया था क्योंकि उनके विचार में उनकी नियुक्ति कलकत्ता उच्च न्यायालय में किसी नियमित रिक्ति पर नहीं हुई थी बल्कि केवल प्रथम औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रधान अधिष्ठाता के रूप कार्य करने को हुई थी। अतः उन्होंने महसूस किया कि उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर और आगे अवधि तक बने नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपने त्यागपत्र में उच्च न्यायालय न्यायाधीश के वेतन तथा अन्य सेवा की शर्तों का भी उल्लेख किया था जिन्हें वे अपर्याप्त समझते थे।

(ख) ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

Unemployed Engineers

*138. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri A. K. Gopalan :
Shri Ganesh Ghosh :
Shri K. M. Kaushik :
Shri Vasudevan Nair :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to provide employment to the unemployed Engineers ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that Government have circulated a programme to State Governments for finding employment for unemployed Engineers ;

(d) if so, the details thereof ;

(e) whether any scheme is being chalked out to pay some allowance to such engineers during unemployment ;

(f) whether instructions have been issued to restrict fresh adimissions to the Engineering Colleges during the current year; and

(g) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K.S. Ramaswamy) : (a) to (d). In May, 1968, certain measures recommended by the Planning Commission for the creation of employment opportunites for engineers were approved of generally by the Government. A statement listing the measures approved is placed on the table of the House. The Central Ministries have been asked to initiate action in consultation, where necessary, with the Ministry of Finance. The State Governments have also been requested to consider implementing these measures to the extent possible .

Statement

The following measures for the creation of employment opportunities for engineers were recommended by the Planning Commission and have been approved of, generally, by the Government :

(1) State Governments and the Central Ministries may take up preparatory work in connection with projects to be included in the Fourth and subsequent plans to the extent resources are available or can be provided. It may be decided and made known that only fully investigated projects will be included in the Fourth Plan.

(2) The preparation of technical reports for selected completed major projects may be taken up under the supervision of senior engineers.

(3) The training-in-industry programme of the Ministry of Education may be expanded as soon as may be possible to cover 5,00 trainees per annum. The suggestion of the Ministry Labour & Employment that the Apprentices Act may be modified to cover engineering graduates and diploma holders may also be examined further in consultation with the Ministry of Education.

(4) Arrangements may be made for the training of 1,500 graduates and diploma holders for the operation and maintenance of thermal stations.

(5) Vacant posts may be filled rapidly, recruitment procedure and prescribed qualifications being modified wherever possible. The general ban on the filling of vacant technical posts my be lifted.

(6) An early decision may be taken on the introduction of a short service techical commission for the Army Technical Corps.

(7) The development of Indian Consultancy Organisations may be encouraged. Wherever possible and desirable, and having due regard to the present capacity and competence of existing consultancy organisations, certificates of technical soundness and feasibility from an Indian Consultancy Organistion or a Gov. organisation with the necessary expertise may be insisted upon in the case of major plan projects, foreign collaboration projects and projects for which financial assistance is sought from financial organisations set up by the Government.

(8) A special scheme may be drawn up for financial assistance to engineers for the setting up of small scale industries. The existing State Bank Scheme may be re-examined in the light of the response so far evoked.

(9) The contractual provision requiring approved contractors to employ qualified engineers may be enforced.

(10) Engineers may be encouraged to set up cooperatives for undertaking construction work or for setting up repair and servicing facilities for agricultural machinery in rural areas.

(11) Avenues may be explored for the employment of engineers in marketing, sales and management posts in public undertakings.

(12) A multi-speciality approach may be adopted to scientific research and development.

(13) Special efforts may be made through our Missions abroad to send out technical experts to friendly developing countries to assist in their development programmes.

(14) The suggestion of the Ministry of Labour & Employment that factories employing more than a particular number of workers and using power be obliged to employ a qualified engineer may be examined further in consultation with the Ministry of Industrial Development and Company Affairs.

(e) No, Sir.

(f) and (g). The Education Ministry has suggested to the State Governments that the intake capacity of engineering colleges be reviewed and efforts made to restrict admissions to a level which is in conformity with the facilities available so that standards may be maintained. As a result, the overall reduction in the admissions to engineering colleges in 1968-69 is expected to be of the order of 8,800 seats.

Lathi Charge on Workers in Modi Nagar

*139. **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether the Tribunal appointed to look into the firing and lathi charge on the workers some time past in Modi Nagar has submitted its report ;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the time by which the report is likely to be received ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Commission of Enquiry appointed by the Government of Uttar Pradesh has not yet submitted its report.

(b) and (c). There is a large volume of material which the Commission is examining at present. Their report is expected to be furnished to Government by the end of August, 1968.

शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति

*140. **श्री मीठा लाल मीना :** **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री अजमल खां : **श्री लीलाधर कटकी .**
श्री रा० की० अमीन :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मन्त्रालय द्वारा बनाई गई शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं , तो निर्णय को स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है और उसे संसद् के दोनों सभा पटलों पर रख दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग

*141. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किये जाने के बारे में कोई प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस योजना के कब तक लागू होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार के चुनने हेतु वैकल्पिक माध्यम के रूप में आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को लागू करने के लिए आवश्यक प्रारम्भिक कार्य करने में आयोग ने कुछ प्रगति की है। कुछ अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये हैं और उपकरण इत्यादि जैसे कि टाइपराइटर जिसमें कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के भी की-बोर्ड हैं, भी प्राप्त किये । हैं योग्यता प्राप्तपरीक्षक, जिन्हें एक से अधिक भाषा का ज्ञान है, खोजे जा रहे हैं ।

सरकार और आयोग दोनों ही इस निर्णय को शीघ्रातिशीघ्र अमल में लाने के लिए इच्छुक हैं। अब तक की गई प्रगति को देखते हुए सरकार को विश्वास है कि 1969 में होने वाली सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ विषयों के लिए इन भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लागू किया जा सकेगा ।

बिहार के इंजीनियर

*142. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री बिहार के कुछ इंजीनियरों के विरुद्ध जांच के बारे में 5 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1096 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष लेखा-परीक्षण और भण्डार की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इसमें हो रहे विलम्ब को ध्यान में रखते हुए सरकार यह उचित समझती है कि इस मामले की केन्द्रीय जांच विभाग से जांच कराई जाये ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ). बिहार सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि विशेष लेखा-परीक्षण पूरा हो गया है, किन्तु अभी चार अधीनस्थ प्रभागों से रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है। सब रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने पर मामला केन्द्रीय जांच विभाग के हवाले कर दिया जायेगा। राज्य सरकार इन रिपोर्टों को शीघ्र प्राप्त करने की कार्यवाही के लिए कदम उठा रही है ।

"सेनाएं"

*143. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :
श्री वी० ना० शास्त्री :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० सोंधी :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत सी 'सेनाएं' बन गई हैं;

(ख) क्या सरकार को पूर्ण विश्वास है कि इन संगठनों से देश में साम्प्रदायिकता तथा प्रादेशिकता को बढ़ावा नहीं मिलेगा ;

(ग) क्या सरकार ने यह भी पता लगा लिया है कि इन संगठनों के लिये विदेशी एजेंट धन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और इन 'सेनाओं' की गतिविधियों के बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान कई स्वयं सेवी संगठन, जिनमें से कुछ 'सेनाएं' कहलाती हैं अस्तित्व में आए हैं। सरकार इनकी गतिविधियों पर ध्यानपूर्वक नजर रखती है और जब कभी आवश्यक होता है विधि के अनुसार उचित कार्यवाही करती है। इनमें से किसी संगठन को विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त होने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

Misappropriations by Manager of Varanasi Sanskrit University Press

*144. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the President of Varanasi Press Mazdoor Association made a complaint to the Vice-Chancellor in regard to the misappropriations by the Manager of the Varanasi Sanskrit University Press;

(b) whether it is also a fact that a 3-member Commisssion investigated into this matter on the 15th January, 1968 ; and

(c) if so, the findings thereof and the action taken or proposed to be taken by Govern ment thereon ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c). The information is being colllected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

*145. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ब्रिटिश लेखक द्वारा लिखित "ईस्टर्न क्वैस्ट" नामक यात्रा पुस्तक में इण्डियन एयरलाइन्स कोरपोरेशन को "इनकारपोरेटिड एयर केआस" (निगमित वैमानिक गड़बड़ी) बताया गया है और उन्होंने अपने तर्कों को उन्हें पेश आई कठिनाइयाँ बता कर सिद्ध किया है ;

(ख) क्या भारत में रहने के दौरान लेखक के इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन सम्बन्धी अनुभव तथ्यों पर आधारित हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस भारी बदनामी के लिये लेखक के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे ठीक करने तथा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवाओं में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). इण्डियन एयर लाइन्स को उद्धृत किये गये ऐसे विशिष्ट दृष्टान्तों की जांच करने के लिये कहा जा रहा है जिनमें तिथियों, इत्यादि के बारे में पुस्तक में पर्याप्त ब्योरा दिया गया है। कुछ विवरण तो स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण हैं। परन्तु सरकार लेखक अथवा पुस्तक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना लाभदायक नहीं समझती।

निजी थैलियों को समाप्त करना

*146. **श्री मधु लिमये :**
श्री नायनार :
डा० रानेन सेन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री धरेश्वर कलिता :
श्री स० अ० अगड़ी :
श्री राने :
श्री मंगलायुमाडोम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री जुगल मण्डल :
श्री हेम बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियां समाप्त करने के बारे में कोई अन्तिम नर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) सरकार ने भूतपूर्व भारतीय रियासतों के शासकों की निजी थैलियां व विशेषाधिकार समाप्त करने का निर्णय सिद्धान्त रूप में ल लिया है। संक्रमणकालीन प्रबन्धों के लिये कुछ प्रस्तावों की परीक्षा की जा रही है। किन्तु निर्णय के क्रियान्वित करने का निश्चित समय बतलाना सम्भव नहीं है।

जम्मू तथा काश्मीर के संविधान का संशोधन

*147. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के लिये, जम्मू तथा काश्मीर के संविधान में संशोधन करने हेतु जम्मू तथा काश्मीर सरकार से एक विधान लाने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) ऊधमपुर के सब-रजिस्ट्रार द्वारा भारत के राष्ट्रपति को जम्मू तथा काश्मीर के एक नागरिक के रूप में मान्यता न दिये जाने को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार जम्मू तथा काश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को हटाने के लिये निकट भविष्य में विधान लाना चाहती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा संसद् में ऐसा विधान कब तक लाये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

यूनाइटेड स्टेट्स इन्फारमेशन सर्विस के लखनऊ स्थित कार्यालय के सामने प्रदर्शन

†149. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम में अमरीकी आक्रमण के विरोध में 23 जून, 1968 को लखनऊ में यूनाईटेड स्टेट्स इन्फारमेंशन सर्विस के कार्यालय के सामने किये गये प्रदर्शन में पुलिस ने लाठी प्रहार किया था ;

(ख) यदि हां, तो लाठी प्रहार में कितने व्यक्ति घायल हुए ;

(ग) पुलिस ने कितने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया ;

(घ) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है और यदि हां तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करने तथा उनके विरुद्ध मामलों को वापिस लेने की मांग पर विचार कर लिया है ; और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) **से (ङ)**. राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद्

†150. **श्री समर गुह** :
श्री देवेन सेन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर में हाल में हुई राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की बैठक में आमंत्रित व्यक्तियों का चयन किस आधार पर किया गया था तथा कुल कितने व्यक्ति आमंत्रित किये गये ; और

(ख) आमंत्रित व्यक्तियों में से (एक) सरकारी प्रतिनिधियों, (दो) केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों को छोड़कर संसद् सदस्यों, (तीन) केन्द्रीय और राज्य मंत्रियों को छोड़कर सरकारी लाभ प्राप्त कर्ताओं, (चार) शिक्षाविदों और (पांच) अन्य गैर-सरकारी अधिकारियों की संख्या कितनी कितनी थी ?

गृह काय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) परिषद् की रचना मूलतः राष्ट्रीय एकता परिषद् (1961) द्वारा निर्धारित की गयी थी । मोट तौर पर उसी नमूने पर परिषद् का पुर्गठन किया गया था । फिर भी 1961 के बाद जो परिवर्तन हुए हैं उनको

ध्यान में रखा गया है ताकि परिषद अधिक बोझिल न होते हुए पर्याप्तरूप में सभी हितों को, जिनको लाने की आवश्यकता है, स्थान देने में काफी विशाल हो। सदस्यों की वर्तमान संख्या 55 है और जब कि सब आमन्त्रित किये गये थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और स्वतंत्र पार्टी परिषद में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए सहमत नहीं हुई। परिषद की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत रचना और सदस्यों के नाम बताने वाला विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--146/68]।

राज्यपालों का राज्यों से बाहर जाना

1005. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्यपाल को राज्य से बाहर जाने के लिये राष्ट्रपति को लिखितरूप में पूर्व अनुमति लेनी होती है ;

(ख) क्या अनुमति लेने के इन आवेदन पत्रों का रिकार्ड रखा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रिकार्ड रखा जाता है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) राज्यपाल को, केवल ऐसे मौकों को छोड़, जब रात्रि में राज्य से बाहर न रुकना हो, अन्य हर मौके पर राज्य से बाहर जाने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये अनुरोध प्रायः राज्यपाल के सचिव द्वारा राष्ट्रपति के सचिव को पत्र अथवा तार द्वारा किया जाता है। अविलम्बिता के मामलों में अनुमति टेलीफोन पर ली जा सकती है।

(ख) और (ग) अनुमति के लिए प्रत्येक राज्यपाल के ऐसे अनुरोध की वार्षिक नस्तियां रखी जाती हैं।

शेख अब्दुल्ला पर खर्च

1006. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 जनवरी, 1968 को शेख अब्दुल्ला को रिहा करने के बाद उन तथा उन के परिवार के भोजन तथा निवास तथा यात्रा की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने कितना धन खर्च किया है ;

(ख) यह धन किन शीर्षकों के अन्तर्गत खर्च किया गया है तथा किस आधार पर इसे उपलब्ध किया गया है ;

(ग) ये सुविधायें कब तक दी जाती रहेंगी तथा इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या अन्य राजनैतिक नेताओं को भी ऐसी वित्तीय सुविधायें दी जा रही हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) शेख अब्दुल्ला और उनके परिवार पर से पाबन्दी हटा देने के बाद उनके भोजन, निवास और रख-रखाव आदि पर कोई व्यय नहीं किया गया, सरकार ने उनको श्रीनगर तक उनकी अपनी कार में यात्रा का व्यय देना स्वीकार कर लिया था परन्तु इसका उन्होंने लाभ नहीं उठाया। सरकार उनके व्यक्तिगत असबाब को भिजवाने का खर्च जो 730 रुपया आता है, खुद वहन करेगी।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केरल में केन्द्रीय पुलिस

1007. **श्री रंगलायुमाडेम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या इस संख्या में और वृद्धि करने के बारे में विचार किया गया है; और

(ग) क्या ये बटेलियन प्रत्येक राज्य से ली गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की एक बी.एस. टुकड़ी केरल में रखी जाती है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) जी हाँ, श्रीमान् ।

Scholarship to non-Hindi Speaking Students

1008. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether the Government have approved the Scheme of awarding scholarship to the Non-Hindi Speaklnng Students for learning Hindi ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the amount to be paid to each student as scholarship ?

The Minister of States in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) The Scheme of scholarship to non-Hindi Speaking Students for Post-Matric Studies in Hindi is in operation since 1955-56.

(b) and (c) A copy of the Scheme with full details is laid on the table. [*Placed in Library. See No. LT-1465/68*]

पुरातत्वीय सर्वेक्षण सम्बन्धी व्हीलर पुनर्विलोकन समिति

1099. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यकरण के बारे में व्हीलर पुनर्विलोकन समिति गठित की थी;

(ख) क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार तथा कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिये गये थे किन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण, कुछ को छोड़ कर, उन पर अमल करना अभी तक संभव नहीं हो सका है।

मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल

1011. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विभाग ने मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने के लिये कौन से महत्वपूर्ण केन्द्रों का चयन किया है;

(ख) इनके विकास के लिये यदि कोई योजनायें हैं तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष बहुत से विदेशी मध्य प्रदेश के जंगलों का शिकार और भूदृश्यों की फोटो लेने के लिये भ्रमण करते हैं और इस वर्ष मध्य प्रदेश की एक शिकार कम्पनी ने राज्य के भूदृश्य और जनजाति के रहन-सहन के तरीकों के चित्र लेने की व्यवस्था की है;

(घ) मध्य प्रदेश का शिकार और चित्र लेने के लिये प्रत्येक वर्ष औसतन कितने विदेशी दौरा करते हैं; और

(ङ) भारत के अन्य राज्यों का भ्रमण करने वाले विदेशियों की राज्यवार औसतन संख्या क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) पर्यटक रुचि के वे स्थान जहां कि भारत सरकार द्वारा पहले से सुविधाएं प्रदान की गयी हैं माण्डू, खजुराहो, सांची और ग्वालियर हैं। अब तक प्रदान की गयी सुविधाएं आवास और पर्यटन विषयक सूचना सेवा हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार शिकार खेलने के लिये प्रत्येक वर्ष लगभग 225 विदेशी मध्य प्रदेश आते हैं। इनमें से अधिकांश पर्यटक फोटोग्राफ भी लेते हैं।

(ङ) केवल कुछ-एक राज्य ही शिकारोपयोगी अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं, और उन राज्यों में शिकार के लिये आने वालों की औसत संख्या लगभग इतनी ही होगी।

बम्बई पत्तन

1012. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन को एक सहायक पत्तन (सेटेलिट पोर्ट) बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या ऐसा पत्तन अन्य देशों में भी है;

(ग) इससे भारतीय माल के विदेशों में निर्यात किये जाने में क्या लाभ उपलब्ध होंगे; और

(घ) प्रस्तावित योजना पर कुल कितना खर्च आयेगा और उसे किन स्रोतों से पूरा किया जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : चूंकि पत्तन को सहायक पत्तन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । दूसरी ओर बम्बई पत्तन ट्रस्ट के परामर्शी इंजीनियर बम्बई पत्तन के भावी विकास के लिये मास्टर योजना तैयार करने के अध्ययन के अंग के रूप में न्हावा-शेवा पर बम्बई पत्तन का एक सहायक पत्तन निर्माण करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

(ख) इस प्रायोजना के प्रथम क्रम में खुले माल के लिये दो घाट और 'फीडर' जहाजों के लिये एक घाट बनाने का विचार है ।

ज्ञात हुआ है कि अन्य देशों में भी सहायक पत्तन है जैसे लन्दन पत्तन पर टिलबरी डाक और न्यूयार्क पर पोर्ट एलिजाबेथ ।

(ग) बम्बई पत्तन की गोदियों को पर्याप्त राहत देने के अलावा सहायक पत्तन का डिजाइन इस प्रकार बनाया गया है कि वहाँ पर गहरे डुबाव वाले खुले मालवाहकों को माल लादने उतारने की सुविधाएं होंगी और माल उतारने लादने के लिये यांत्रिक सुविधाएं होंगी जिसके फलस्वरूप समद्री भाड़े में बचत होगी और विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि होगी ।

(घ) वर्तमान लक्षणों के अनुसार इस परियोजना के प्रथम क्रम के निर्माण-कार्यों पर लगभग 13 करोड़ रुपये लाभ होने का अनुमान है परन्तु पत्तन ट्रस्ट के परामर्शी इंजीनियरों से मास्टर योजना प्रतिवेदन प्राप्त होने और सहायक पत्तन पर दी जाने वाली सुविधाओं का ठीक-ठीक ब्यौरा तैयार किये जाने पर ही स्थिति और स्पष्ट होगी । प्रथम क्रम के व्यय के बम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा अपने साधनों से पूरा किये जाने की आशा है ।

प्रयोगात्मक बहुप्रयोजनीय स्कूल

1013. **श्री सिद्धय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में मैसूर, भोपाल, अजमेर और भुवनेश्वर के प्रयोगात्मक बहुप्रयोजनीय स्कूलों की ग्यारहवीं श्रेणी की परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी;

(ख) प्रत्येक स्कूल में कितने प्रतिशत उम्मीदवार सफल हुए;

(ग) क्या परिणाम संतोषजनक हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उनमें सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रयोगात्मक बहुप्रयोजनीय स्कूल, मैसूर

1014. **श्री सिद्धय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 से 1968-69 तक (वर्षवार) मैसूर के प्रयोगात्मक बहुप्रयोजनीय स्कूल की प्रत्येक श्रेणी में कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया गया था;

(ख) इस समय इस स्कूल में कितने अध्यापक काम कर रहे हैं; और

(ग) इस स्कूल को कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है और इस स्कूल के शुरू होने से अब तक प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि व्यय की गई ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिभाषा सूत्र

1015. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सभी राज्यों में त्रिभाषा सूत्र को अपनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न राज्यों के बीच मत-भेद को दूर करने के लिये कौन से कदम विचाराधीन हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1466/68]

(ख) इस सूत्र को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ।

सफदरजंग हवाई अड्डे का हटाया जाना

1016. **श्री कं० हाल्वर** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग हवाई अड्डे को नये स्थान पर ले जाने तथा हवाई अड्डे के वर्तमान क्षेत्र को रिहायशी बस्ती बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असैनिक उड्डयन विभाग ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो हवाई अड्डे को कब तक नये स्थान पर ले जाया जायेगा?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) सफदरजंग हवाई अड्डे को अपने मौजूदा स्थान से हटा कर किसी अन्य स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। दिल्ली के लिए मास्टर प्लान में की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार हवाई अड्डे को किसी अन्य स्थान पर ले जाने के बाद यह क्षेत्र मनोरंजनात्मक प्रयोजनों के लिए अर्थात् पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा ।

(ख) और (ग). स्थान चुनने वाले बोर्ड ने कुछ वैकल्पिक स्थानों की जांच की है और इसकी सिफारिशों पर जो कि सरकार को हाल ही में मिली हैं, विचार किया जा रहा है।

(घ) अन्तिम निर्णय किये जा चुकने के बाद नये स्थान को विकसित करने और परिचालन कार्यों को वहां से आरम्भ करने में कुछ वर्ष लग जायेंगे ।

अशोक, होटल नई दिल्ली

1017. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री ए ३० पी० रामामूर्ति :
श्री प्र० नं० सोलंकी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल समीक्षा तथा सर्वेक्षण समिति ने सिफारिश की है कि अशोक होटल को "विलासपूर्ण" का दर्जा समाप्त कर दिया जाये;

(ख) किन विशेष सेवाओं में होटल का स्तर गिरा है; और

(ग) उन सेवाओं में सुधार करने के लिये प्रबन्धकों ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग): होटल पुनरालोकन और सर्वेक्षण समिति ने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए अभी इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं होगा कि समिति अशोक होटल के बारे में क्या सिफारिशें करेगी।

राज्यपालों द्वारा आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क

1018. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी निवासों में राज्यपालों (अपने परिवारों समेत) की आवश्यकतायें (व्यक्तिगत समेत) विदेश से निशुल्क आयात की जा सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) गत दस वर्षों में इस प्रकार की कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया था; और

(घ) कुल कितनी राशि के शुल्क की छूट दी गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां श्रीमान्। राज्यपाल को यह विशेषाधिकार भारत सरकार (राज्यपाल के भत्ते तथा विशेषाधिकार) आदेश 1950 (जो कि संविधान के प्रारम्भ से पहले बनाया गया था और संविधान की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 3 के आधार पर जारी रहा) के अनुच्छेद 9 के उपबन्धों तथा राज्य पुनर्गठन (राज्यपाल के भत्ते तथा विशेषाधिकार) आदेश 1957 के अनुच्छेद 10 गुजरात के राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश 1960 और हरियाणा के राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1967 के अनुसार प्राप्त है।

(ख) यद्यपि कानून के अधीन यह विशेषाधिकार प्राप्य है अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि राज्यपालों को निषिद्ध वस्तुएं, उपभोक्ता सामान तथा अन्य वस्तुएं जिनके आयात पर रोक है या जिनके स्थानीय अनुकल्प मिलते हैं आयात या खरीद नहीं करनी चाहिये। फिर भी वे सीमित मात्रा में निषिद्ध विदेशी शराब और निर्मित तम्बाकू (जैसे सिगार और सिगरेट) की आयात या खरीद कर

सकते हैं, जो विदेशी व्ही० आई० पी० जिनका राज्यपाल के पास अतिथि के रूप में आना होता है, के प्रयोग में आते हैं।

(ग) और (घ). सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है। फिर भी अधिक से अधिक सूचना एकत्रित करने के प्रयत्न किये जायेंगे और यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

ताज महल का धंसना

1019. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "ताजमहल" धंस रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्मारक को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

1970 Asian Games

1020. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Education be pleased to state

(a) whether Government propose to organise Asian Games in 1970 in India ;

(b) If so, the steps taken by Government in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) We do not have the facilities required to host these Games in 1970.

दिल्ली के सरकारी होटलों में कमरों का खाली रहना

1021. **श्री राने** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे अशोक तथा अन्य होटलों में कई महीनों तक कमरे खाली पड़े रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कारण अप्रैल से जून, 1968 तक कितनी हानि हुई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जून, 1968 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान चार सरकारी होटलों में ठहरने वाले यात्रियों का औसत निम्न प्रकार था :—

अशोक		जनपथ		रणजीत		लोधी	
प्रतिदिन औसत शय्याएं	798 शय्याओं पर प्रतिशत	प्रतिदिन औसत शय्याएं	280 शय्याओं पर प्रतिशत	प्रतिदिन औसत शय्याएं	242 शय्याओं पर प्रतिशत	प्रतिदिन औसत शय्याएं	250 शय्याओं पर प्रतिशत
271.23	33.98	214	77	75	31	90	36

(ख) अप्रैल से जून तक की अवधि में दिल्ली में आमतौर पर बहुत कम पर्यटक आते हैं ।

(ग) वित्तीय परिणामों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है । इसलिए खास जून, 1968 को समाप्त होने वाली तिमाही में होने वाले लाभ अथवा हानि का निर्धारण करना सम्भव नहीं है ।

इलाहाबाद में चीनी पुस्तक का पकड़ा जाना

1022. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1968 में इलाहाबाद में कुछ मुद्रणालयों तथा पुस्तकों की जिल्द बांधने वाली कम्पनियों के पास से बहुत सी चीनी पुस्तकें पकड़ी गई हैं, जिनमें चीन के साम्यवादी दल के अध्यक्ष के भाषण और लेख हैं;

(ख) क्या ये पुस्तकें उर्दू, अंग्रेजी और हिन्दी में हैं और भारत में छापी गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० राघाचारी) : (क) से (घ) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् सम्बन्धी सरकार समिति

1023. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की समूची कार्यप्रणाली पर विचार करने तथा उसमें सुधार करने के लिये उपाय सुझाने के हेतु श्री सरकार की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति की रचना, उसके निर्देश-पद तथा कार्य-क्षेत्र क्या हैं; और

(ग) यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1467/68]

(ग) किस तारीख तक समिति सम्भवतः अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी इसका निश्चयपूर्वक बताना अभी कठिन है । समिति के संघटन के समय यह उम्मीद की जाती थी कि समिति विचार-विमर्श शुरू करने के तीन महीनों के भीतर अपने काम को पूरा करने के लिए हर तरह से प्रयास करेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों का दमन

1024. **श्री सत्यनारायण सिंह**
श्री एस्थोस :
श्री रामनी :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अप्रैल में तिरुक्कुरम गांव में हरिजनों का दमन किये जाने के बारे में हरिजन सेवक संघ की आंध्र प्रदेश शाखा के महामन्त्री से प्रधान मन्त्री को कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 20 अप्रैल, 1968 को अनन्तपुर जिले में ग्राम थीमापुरम में हुई एक घटना के बारे में प्राविन्शल हरिजन सेवा संघ आन्ध्र प्रदेश के महामन्त्री से 10 मई, 1968 का एक तार प्रधान मन्त्री को प्राप्त हुआ था। ये आरोप लगाये गये थे कि दो हरिजनों को चोरी करने की दलील पर गांव के मुखिया और सरपंचों द्वारा बुरी तरह पीटा गया था और उन्हें गधों पर चढ़ाकर गलियों में से गुजारा गया था। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मामले में जांच से यह प्रतीत होता है कि 20 अप्रैल, 1968 की रात्रि को दो हरिजनों ने धान की चोरी की थी और चुराये हुए धान को बेचते हुए पकड़े गये थे। उनकी निन्दा की गई और उन्हें चेतावनी दी गई। उनका गधों पर प्रदर्शन नहीं निकाला गया था।

सेवा निवृत भारतीय ब्रिगेडियर की सी० आई० ए० एजेंट मिस्टर स्मिथ के साथ भेंट

1025. **श्री चक्रपाणि :**
श्री गणेश घोष :
श्री उमानाथ :
श्री अनिरुद्धन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना निवृत्त ब्रिगेडियर श्री ई० टी० सेन ने हाल में ही न्यायालय में स्वीकार किया है कि वह सी० आई० ए० एजेंट श्री जान स्मिथ से कई बार मिले थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने श्री सेन के श्री स्मिथ से किस प्रकार के सम्बन्ध थे इसकी जांच की है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसकी जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वह मामला जिसके सम्बन्ध में सूचना पूछी जा रही है न्यायालय के निर्णयाधीन है।

(ख) से (ङ). जॉन स्मिथ के लेखों में पहले ही की गई जांच को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा और आगे कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

आकाशवाणी के एजल केन्द्र में बम विस्फोट

1027. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के एजल केन्द्र के अहाते में 16 जून, 1968 को एक बम विस्फोट हुआ था;

(ख) क्या केन्द्रीय सशस्त्र रक्षा दल का एक सदस्य मारा गया था तथा कुछ अन्य व्यक्ति घायल हो गये थे; और

(ग) क्या मिजो लोगों ने मिजो जिला के मुख्यालय के मध्य में स्थित आकाशवाणी के इस केन्द्र को बार-बार धमकी दी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). आकाशवाणी के एजल केन्द्र के अहाते में गाढ़ा गया एक बिना फटा बम 15 जून, 1968 को तब फटा जब केन्द्रीय सुरक्षित आरक्षी के एक सिपाही ने उसे अपने फावड़े से, जब वह खोद रहा था, अकस्मात् ठोका। सिपाही घायल हो गया और अस्पताल जाते हुए रास्ते में मर गया। सामग्री की परीक्षा से यह विश्वास होता है कि वह बम हमारे सुरक्षादल ने मार्च, 1966 में प्रयोग किया था। बाद की खोज पर उसी स्थल से इसी के समान एक अन्य बिना फटा बम भी बरामद हुआ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

अगरतला के निकट खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय और निवास स्थान पर मिजो विद्रोहियों द्वारा हमला

1028. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही मिजो और शंगारा कबीले के 30 व्यक्तियों के एक दल ने अगरतला के निकट कैलाशहर उप-खण्ड में थैलगता स्थित खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय और रिहायशी क्वार्टर में लूटपाट करके उन्हें जला दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) 21 मई, 1968 की रात को रैंग कबीले से सम्बन्धित करीब 25 व्यक्तियों ने जिन पर त्रिपुरा कबीले सिंगरक संघ के सदस्य होने का सन्देह किया गया है, चेलेंगटा कबीला विकास खण्ड कार्यालय भवन पर हमला किया और उसे आग लगा दी।

(ख) अपराधी गोली हथियारों से लैस थे, कार्यालय से एक टाइपराइटर मशीन एवं खण्ड कर्मचारियों का कुछ निजी सामान ले गये। 43 के अस्थायी निर्माण, जिसमें खण्ड कार्यालय के मैदान में स्थित क्वाटर्स भी शामिल हैं तथा एक बेकार पड़ी सरकारी जीप भी नष्ट कर दिये गये थे।

(ग) समस्त क्षेत्र में सशस्त्र एवं सिविल पुलिस द्वारा गश्त को बढ़ाया गया है। पुलिस द्वारा मामले दर्ज किये गए हैं तथा जांच पड़ताल तेजी से चल रही है।

उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

1029. **श्री श्रद्धाकार सूपकार** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के वर्तमान मुख्य मन्त्री तथा उनके कुछ सहयोगियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप यह जांच करने के लिये उच्चतम न्यायालय के किसी सेवा निवृत्त न्यायाधीश के पास भेजे गये हैं कि क्या यह मामला प्रथम दृष्ट्या बनता है; और

(ख) यदि हां, तो सेवा निवृत्त न्यायाधीश द्वारा कब तक प्रतिवेदन दिये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसा पता चला है कि उड़ीसा सरकार ने आरोपों को सत्यापित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया है ।

(ख) अभी ज्ञात नहीं ।

भारत की दशाओं के सम्बन्ध में चीन का मूल्यांकन

1030. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व में चीन द्वारा आरम्भ किये जाने वाले विश्व आन्दोलन की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में चीन के मूल्यांकन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाया गया है कि उस मूल्यांकन में कहा गया है कि भारतीय उप महाद्वीप क्रान्ति के लिये तैयार है तथापि भारत में क्रान्तिवादियों में वास्तविक नेतृत्व का अभाव है। अतः भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सिस्ट) ने प्रतिक्रियात्मक रुख अपना लिया है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उग्रवादी दल के जिसे अभी हाल में साम्यवादी पार्टी (मार्क्सिस्ट) से निकाल दिया गया था, हाल में दिये गये इस बयान की ओर दिलाया गया है कि वे संगठन की दृष्टि से मान्य नेतृत्व से सम्बन्ध विच्छेद कर लेंगे और वे नक्सलबाड़ी प्रकार के सशस्त्र संघर्ष के द्वारा एक तीसरा साम्यवादी दल खड़ा कर लेंगे; और

(घ) क्या सरकार ने भारत के साम्यवादी दल (मार्क्सिस्ट) में हुए इन परिवर्तनों का कोई मूल्यांकन किया है; यदि हां, तो किस परिणाम पर पहुंचे है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग). जी हां, श्रीमान् ।

(घ) परिवर्तनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

समितियां / आयोग

1031. **डा० रामेन सेन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने विभिन्न अभिप्रायों के लिये अनेक समितियां और आयोग स्थापित किये है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी है; तथा उनमें से किस-किस ने निश्चित तिथि तक अपना कार्य पूरा कर लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). जी हां। पिछले पांच वर्षों में 419 ऐसे आयोग / समितियां नियुक्त की गई थीं । सामान्यतः आयोग समितियां अपना कार्य नियत समय या बढायी गई सीमावधि में पूरा कर लेते है

अन्दमान के राजनैतिक बन्दियों से अभ्यावेदन

1032. **श्री समर गुह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को अन्दमान के भूतपूर्व राजनैतिक बन्दियों से दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो उन्हें 8 अप्रैल, 1968 को कलकत्ता से भेजे गये थे;

(ख) क्या एक अभ्यावेदन अंग्रेजों द्वारा अन्दमान के काल-कोठरी वाले जेल में डाले जाने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों के उचित स्मारक के रूप में उस जेल को बनाये रखने के सुझाव से सम्बन्धित है और दूसरा अभ्यावेदन अन्दमान के भूतपूर्व राजनैतिक बन्दियों के बारे में महत्वपूर्ण समस्याओं से सम्बन्धित है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अन्दमान के भूतपूर्व बन्दियों को उनके अभ्यावेदनों में उठाये गये मामलों पर विचार करने के लिये आमन्त्रित करेगी ताकि उनके सुझावों को क्रियान्वित किया जा सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् ।

(ग) देश में फैले हुए भूतपूर्व अन्दमान राजनैतिक बन्दियों से भिन्न, जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था, विशेष श्रेणी के रूप में व्यवहार किया जाता है । भूतपूर्व अन्दमान राजनैतिक बन्दी भी उन सभी सुविधाओं तथा रियायतों का लाभ उठा सकते हैं जो सामान्यतः उन राजनैतिक पीड़ितों को प्राप्त हैं जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था । अतः उनके सुझावों पर विचार-विमर्श करने के लिये उनको आमन्त्रित करना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

जहां तक पोर्ट ब्लेयर से लूलर जेल में बन्दी बनाये गये स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये स्मारक स्थापित करने के सम्बन्ध हैं, जेल के सेन्ट्रल टावर को स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने का तथा भारतीय देशभक्तों की, जो वहां बन्दी बनाये गये थे, पीड़ाओं का स्मरण कराने के लिये वहां पट्टे लगाने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है ।

Clashes with Nagas

1033. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of clashes occurred between our Security Forces and Naga hostiles on the Bengal-Burma border during the last six months ;

(b) the number of Naga hostiles killed and the quantity of arms seized from them in these clashes; and

(c) the number of our troops killed and the extent of loss sustained to property ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) There were only two clashes between our Security Forces and Naga hostiles near our international borders, both within three miles of the Indo-Burma border during the period from 1st January, 1968 to 19th July, 1968.

(b) and (c). Nil.

Correspondence between Sheikh Abdullah and Pakistan

1034. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have received reports about the secret correspondence going on between Sheikh Abdullah and Pakistan ;

(b) whether it is a fact that this correspondence is being carried through the Pakistan High Commissioner in India; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Government have no information about any secret correspondence between Sheikh Abdullah and Pakistan. Sheikh Abdullah have met the Pakistan High Commissioner a number of times since the lifting of restrictions on him.

पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1035. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रा न सेन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के कर्मचारियों ने 16 मई, 1968 को एक दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है; और

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1468/68]

कमर्शियल पायलेटों के लाइसेंसों का नवीकरण

1036. श्री मोठाजाल मीना :
श्री अजमल खां :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कमर्शियल पायलेटों के लाइसेंसों के नवीकरण के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ख) तीन या चार वर्ष पहले क्या योग्यतायें तथा अन्य शर्तें लागू थीं और उनमें परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय तथा मार्च 1963, 1964, 1965, 1966 और 1967 में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान बेड़े के विभिन्न प्रकार के विमानों पर उड़ान अभ्यास के दौरान औसतन कितना व्यय हुआ है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). वाणिज्यिक विमान चालकों की तीन श्रेणियां हैं, अर्थात् (i) वाणिज्यिक विमानचालक का लाइसेंस, (ii) प्रवर वाणिज्यिक विमानचालक का लाइसेंस, और (iii) एयर लाइन्स परिवहन विमानचालक का लाइसेंस धारण-कर्त्ता। इन लाइसेंसों को जारी करने और नवीकरण करने के लिये अपेक्षित शर्तें वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची II के क्रमशः सेक्शन डी, ई और एफ में दी गयी हैं। इन नियमों को सितम्बर 1962 में चालू किया गया ताकि इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबन्ध I (परसोनेल लाइसेंसिंग) में निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप बनाया जा सके तब से नवीकरण की आवश्यक शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इन नियमों के अनुसार, वाणिज्यिक विमानचालक के लाइसेंस का नवीकरण आवेदक से निम्न बातों के विषय में सन्तोषजनक प्रमाण प्राप्त होने पर किया जा सकता है :—

(i) महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शर्तों के अनुसार आवेदक की डाक्टरी परीक्षा हुई है;

(ii) आवेदक ने नवीकरण के आवेदन की तारीख से ठीक पहले छः मास की अवधि के अन्तर्गत कम से कम 10 घंटे का उड़ान समय सन्तोषजनक रूप से पूरा कर लिया है, या इसके बजाये, उसी अवधि में दिन और रात्रि में सामान्य उड़ान परीक्षा सन्तोषजनक रूप से पूरे कर लिए हैं; और

(iii) आवेदक के पास, विमान में उड़ान के समय रेडियो टेलीफोनी उपकरण को परिचालित करने की योग्यता का चालू लाइसेंस है।

(ग) इण्डियन एयर लाइन्स ने 1962–63 से 1968–69 तक के वर्षों के दौरान उड़ान कर्मीदल के प्रशिक्षण पर किये गये व्यय के निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किये हैं :—

1962–63	1310 लाख रुपये।
1963–64	1394 लाख रुपये।
1964–65	2383 लाख रुपये
1965–66	3047 लाख रुपये।
1966–67	2903 लाख रुपये।
1967–68	3400 लाख रुपये।
1968–69	3500 लाख रुपये।

केवल प्रशिक्षण उड़ानों के लिए विभिन्न प्रकार के विमानों को उड़ाने की औसत लागत अभी इस समय उपलब्ध नहीं है।

साम्प्रदायिक दंगे

1037. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री एस्थोस :
श्री अम्बचेजियान :
श्री नम्बियार
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री नायनार :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री वेंगलराया नायडू :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हेम राज :
श्री देवराव पाटिल :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्री न० कु० साधी :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री श्रीवरन :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई और जून, 1968 में नागपुर, औरंगाबाद, गाजीपुर तथा देश के कुछ अन्य स्थानों में कई भयंकर साम्प्रदायिक दंगे हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन में से प्रत्येक दंगे के कारणों के बारे में जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) इन दंगों में जान और माल का कितना नुकसान हुआ है ; और

(घ) देश में साम्प्रदायिकता की बुराई का उन्मूलन करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) मई और जून, 1968 के दौरान नागपुर, औरंगाबाद, और हैदराबाद में साम्प्रदायिक दंगे हुए, असम, गुजरात, मध्य-प्रदेश, मैसूर, नागालैंड, हरियाना, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए, बाकी और राज्यों से सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं ।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार 8 जून, 1968 को औरंगाबाद में एक गाय के चोट लगने की घटना से साम्प्रदायिक दंगे शुरू हुए । नागपुर में दंगे, एक मुसलमान नाई और एक बौद्ध ग्राहक के बाल कटाने के पैसे न चुकाने पर झगड़ा होने पर हुए । 31 मई और 1 जून, 1968 को हैदराबाद में दंगा 31 मई, 1968 को चाकूबाजी की घातक घटना से शुरू हुआ ।

(ग) औरंगाबाद में साम्प्रदायिक दंगों से तीन व्यक्ति मारे गये । अनुमानतः 8,92,125.70 रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ । नागपुर में 9 जून से 13 जून, 1968 तक हुए साम्प्रदायिक दंगों में 26 व्यक्ति मारे गये । राज्य सरकार से नष्ट हुई सम्पत्ति की सूचना सुनिश्चित की जा रही है । 31 मई, 1968 को हैदराबाद के दंगों में एक व्यक्ति मारा गया । अनुमानतः 1,37,000 रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई है ।

(घ) दिनांक 10-5-68 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10472 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। 19 मई, 1968 को नई दिल्ली में हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक में साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार हुआ। राष्ट्रीय एकता समिति की बैठक में, जो श्रीनगर में जून 20 से 22 तक हुई, इस साम्प्रदायिक स्थिति का सामना करने के लिये कुछ सिफारिशें की गई थीं। सिफारिशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1469/68**]

संसद् के चालू अधिवेशन में एक विधेयक को प्रस्तुत करने का विचार है जिस के अनुसार सरकार को इस बात का अधिकार दिया जायेगा कि वह फूट पैदा करने वालों, और धर्म, जाति, भाषा, सम्प्रदाय, जन्मस्थान, तथा निवास स्थान के आधार पर विभिन्न सम्प्रदायों के बीच द्वेष भावना फैलाने वालों के विरुद्ध कठोरता से पेश आयेगी।

जम्बो जैट

1038. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने दो बोइंग 747 जम्बो जेट प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त जैटों के कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग). जी, हां। एयर इंडिया ने 48.20 करोड़ रुपये की कुल लागत पर सम्बन्धित फालतू पुर्जों व उपस्कर सहित दो बोइंग 747 विमानों की खरीद के लिये आर्डर दिये हैं। प्रायोजना की कुल लागत के विदेशी मुद्रा के अंश की पूर्ति 6.0 करोड़ डालर (45.00 करोड़ रुपये) के ऋणों की सहायता से होगी, जिसकी कारपोरेशन ने संयुक्त राज्य अमरीका के वाणिज्यिक बैंकों के कंसोर्टियम तथा निर्यात आयात बैंक से बातचीत करके व्यवस्था की है तथा जिसमें बोइंग कम्पनी का भी थोड़ा सा योगदान है। ऋणों पर वार्षिक ब्याज की दर क्रमशः 8 प्रतिशत और 6 प्रतिशत होगी, तथा उनकी अदायगी 7 वर्षों में और 14 अर्द्धवार्षिक किश्तों में की जायेगी और दूसरे विमान की डिलीवरी के 6 माह बाद प्रारम्भ होगी। उक्त दोनों विमानों के 1971 की पहली तिमाही में वितरित होने की आशा है।

केन्द्रीय स्कूलों में हिन्दी माध्यम

1039. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री को० सूर्यनारायण :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्कूल संगठन के मानवशास्त्र की शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को

लागू करने के निर्णय का कुछ विरोध हुआ है ;

(ख) क्या उस सर्कुलर पर पुनर्विचार किया गया है जिसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार के स्कूलों में चौथी कक्षा तक सामाजिक विषयों को हिन्दी के माध्यम से पढ़ाया जाये जैसा कि इस सम्बन्ध में मंत्रिमंडल ने 1962 में निर्णय किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मिला जुला हिन्दी और अंग्रेजी है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा हाल ही में जारी किये गये परिपत्र के जरिये केन्द्रीय स्कूल प्राधिकारियों को अपने स्कूलों में इस नीति पर एकरूपता से अमल करने के लिये आदेश दिया गया था । कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जो इस सम्बन्ध में संगठन की नीति के बारे में गलतफहमी पर आधारित थे ।

Alleged Misappropriation by Housing Firms

1040. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. Alankar Housing and Construction (P) Ltd., has been charged with misappropriation of Rs. 61 lakhs by defrauding several people ;

(b) whether it is also a fact that four Directors of the said firm have been arrested in this connection ; and

(c) the action taken by Government in that connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) In a criminal case registered by Delhi Police, the firm has been charged u/s 406/420 IPC. The firm was reported to have sold several plots of lands and earned an amount of Rs. 61,23,879.

(b) 8 Directors of the firm have been arrested in connection with the case.

(c) On receipt of complaint the Delhi police registered a case u/s 406/420 IPC against the colonisers and took up imvestigation which is in progress.

विचाराधीन बन्दी

(अन्डर ट्रायल प्रिजनर्स)

1041. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री 19 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7722 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस जानकारी को एकत्रित करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1470/68]**

नेशनल फिटनेस कोर को समाप्त करना

1042. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री क० लकप्पा :
श्री कं० हाल्दर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल फिटनेस कोर के लगभग 7,000 कर्मचारियों के शीघ्र छंटनी किये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कोर पर पहले ही लगभग 15 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं ;

(ग) क्या छंटनी किये गये कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरी का आश्वासन दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का उन्हें किस प्रकार प्रतिकर देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (ग) और (घ) जी नहीं, सरकार ने राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कार्मिकों के केवल प्रशासकीय नियंत्रण का विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय किया है ।

राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा प्राइवेट प्रबन्धकों के अधीन स्कूलों के राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के प्रशिक्षकों को नौकरी देने की व्यवस्था सरकार कर रही है । सरकार ने उन व्यक्तियों को जो परिस्थितिवश अथवा अपनी इच्छा से राज्य सरकारों के अधीन रोजगार प्राप्त नहीं कर सके हैं, नियमाधीन अनुमत्य सेवांत लाभ अथवा इस समय मिलने वाले वेतन और नई नौकरी के अधीन निर्धारित वेतन के अन्तर को पांच साल तक देने का निर्णय किया है ।

(ख) सरकार ने कोर पर लगभग 10.20 करोड़ रुपए खर्च किये हैं ।

दिल्ली परिवहन के प्राइवेट बस कंडक्टरों द्वारा दुर्व्यवहार

1043. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जून, 1968 में दो ऐसी घटनायें हुई थीं जिनमें दिल्ली परिवहन की गैर-सरकारी बसों के कंडक्टरों द्वारा सवारी लेने से इन्कार किये जाने पर महिलायें अपने परिवार से बिछुड़ गई थीं तथा एक गुम हो गई थी और दूसरी संदिग्ध परिस्थितियों में मारी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कंडक्टरों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध दिल्ली परिवहन के यात्रियों द्वारा की गई शिकायतों के प्रति अधिकारी औपचारिक रवैया अपनाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो बस कण्डक्टरों के आचरण में सुधार करने तथा दिल्ली परिवहन में यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी हां। डी० टी० यू० अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार 9 और 23 जून को क्रमशः दो महिलायें भारी भीड़ के कारण, डी० टी० यू० बसों में चढ़ते हुए अपने परिवारों से पथक् हो गयीं। पहले मामले में मृतक का शव न्यू महरौली सड़क पर 10 जून को पड़ा मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरे मामले में सम्बद्ध महिला अपने बच्चे सहित कुशलपूर्वक अपने पिता के घर पहुंच गयी।

(ख) जी नहीं।

(ग) उक्त पहले मामले से सम्बद्ध बस को डी० टी० यू० चालन से हटाने के अलावा डी० टी० यू० अधिकारियों ने कुछ अन्य कदम भी उठाये हैं। ऐसी घटनाओं को आगे होने से रोकने के लिये दिल्ली परिवहन संस्थान ने अपने कंडक्टरों को हिदायतें जारी की हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि साथ यात्रा करने वाले परिवारों का या दलों के सदस्यों में से कोई पृथक् न हो जाय। 1-7-88 से संस्थान ने डी०टी०यू० रास्तों पर की निजी बसों के चालन के सम्बन्ध में एक पुनरीक्षित योजना चालू की है जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के अलावा कंडक्टरों की वह स्वयं व्यवस्था करेगी। संस्थान अब केवल उन्हीं ड्राइवरों को लेती है जिनका आचरण और पूर्ववृत्त का पुलिस द्वारा सत्यापन किया जा चुका हो।

ब्रिटेन, अमरीका और रूस से विमानों की खरीद

1044. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत द्वारा ब्रिटेन, अमरीका और रूस से प्राप्त हुए विमान खरीदने के प्रस्तावों पर अब विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों से अब तक प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किये हैं और इस बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ये निष्कर्ष किस पर आधारित हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) संयुक्त राज्य अमरीका, यू० के० और रूस में बनाये गये कुछ प्रकार के विमानों पर इंडियन एयरलाइन्स द्वारा खरीद के लिये विचार किया जा रहा है।

(ख) विमानों के प्रस्ताव के ब्यौरे पर इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सम्बन्धित पार्टियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ). तुलनात्मक अध्ययन इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किया जा रहा है। सरकार उनकी सिफारिशों प्रतीक्षा कर रही है।

Writing of Names on I.A.C. Aircraft in Hindi

1045. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the names of the aircraft belonging to the Indian Airlines Corporation were used to be written in English and Hindi both, but now the names in Hindi Language have been wiped off ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Yes Sir. Indian Airlines aircraft painted in the new livery have, at present, the logotype painted on either side in English. The Corporation has been experimenting with a number of Hindi logotype designs but it has not been able to select a satisfactory design. The Hindi version will be painted on the aircraft as soon as a suitable design is developed.

Recovery of French Bombs from Nagas

1046. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the stock of arms recovered from the Naga hostiles in Ukhrul area include a bomb made in France ;

(b) if so, whether the matter has been taken up with the French Government ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Among the arms and ammunition captured by the Security Forces on 26th June, 1968 from a hide-out in ukhrul sub-division were two bombs of French origin such as are being used by Pakistan.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Removal of Hindi Schools in Madras

1047. Shri Nihal Singh :
Shri Sarjoo Pandey :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a scheme to remove Hindi completely in Madras ;

(b) whether it is also a fact that Hindi specialists and teachers have been put on different duties in Madras on the condition that they would not teach Hindi at any place ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) to (c). In pursuance of the Resolution passed by the Madras State Legislative Assembly at the special meeting held on the 23rd January, 1968, the Government of Madras passed an order abolishing the three-language formula in schools and introducing in lieu thereof, a two-language formula which has resulted in the elimination of teaching of Hindi from the school curriculum. In the same order, it was stated by the State Government that every effort would be made to find alternative employment for the Hindi Teachers who would be rendered surplus as a result of this decision. Subsequently, the State Government issued detailed instructions for the absorption of these teachers.

The decision of the Madras Government to abolish Hindi at the school stage goes against the three-language formula unanimously agreed upon earlier by the Chief Ministers of various States.

Fire Brigades

1048. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are making arrangements to keep fire brigades in blocks and tehsils in Uttar Pradesh to safeguard against the heavy loss of life and property due to sudden fire blaze in rural areas ;

(b) if so, the names of districts and tehsils in Uttar Pradesh where these arrangements have already been made ; and

(c) the extent of loss to life and property as a result of fires in Uttar Pradesh from January, 1968 so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K.S. Ramaswamy) : (a) to (c). The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as it becomes available.

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानें

1049. श्री मणि भाई जे० पटेल : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों में बारम्बार देर होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रत्येक 15 मिनट अथवा आधा घंटा बाद चार-पांच बार विमानों के जाने में विलम्ब होने की घोषणा की जाती है और प्रत्येक बार यात्रियों को कहा जाता है कि उड़ान में और देरी हो गई है;

(घ) किसी उड़ान में होने वाली देरी का ठीक अनुमान न लगाये जाने और यात्रियों को तदनुसार सूचित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) जनवरी, 1968 से अब तक इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की कितनी उड़ानें समय पर नहीं हुईं तथा प्रत्येक उड़ान में देरी होने का क्या कारण था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ङ). जनवरी मार्च, 1968 की अवधि में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 10,492 सेवाओं में से 1,600 सेवाएं, निम्न कारणों से 30 मिनट से अधिक विलम्बित हुईं :—

1.	मौसम	384
2.	इंजीनियरी	213
3.	कार्मिक	1

4.	परिचालन	26
5.	हवाई यातायात नियंत्रण	5
6.	यातायात	26
7.	सीमा-शुल्क, आप्रवासन और स्वास्थ्य	3
8.	मेल	797
9.	खान-पान	2
10.	भूमि यातायात	9
11.	विविध	134
	कुल	1,600

(ग) और (घ). यह सच है कि उड़ानों के विलम्ब की संख्या चार या पांच बार 15 से 20 मिनट के अन्तरों पर यात्रियों के लिये घोषित की जाती है। इस बात की हर सम्भव कोशिश की जाती है कि विलम्बित उड़ान के रवानगी के समय का सही अंदाज लगाया जाय। परन्तु उस हालत में जबकि विलम्ब खराब मौसम, इन्जीनियरी त्रुटियों और इसी प्रकार के अन्य कारणों की वजह से होता है, रवानगी का ठीक ठीक समय सही तौर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, तथा ऐसे मामलों में विलंबित सेवा की रवानगी के समय में अनिश्चितता का अंश रहता है। तथापि और अधिक विलम्ब के बारे में जितनी जल्दी सम्भव हो सकता है घोषणाएं की जाती हैं।

मिजो विद्रोहियों द्वारा लूट

1050. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुकी मिजो विद्रोहियों द्वारा इम्फाल के निकट मोटंबुंग गांव को लूटे जाने के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार को ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सुरक्षा दल (सेनाएं) वहां काफी देर से पहुंचीं।

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(घ) इस लूट में कितने जान तथा माल का नुकसान हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) 17-6-68 को लगभग 150 मिजो / कुकी विद्रोहियों ने मोडबुंग गांव पर, जो इम्फाल से 12 मील उत्तर में है, हमला किया।

(ख) और (ग). जी नहीं श्रीमान्। पुलिस घटनास्थल को शीघ्रता से गई और गिरोह को रोकने के लिये सब प्रयत्न किये।

(घ) दो ग्रामवासी मारे गये तथा 300 रु० अन्य ग्रामवासियों से ऐंठ लिया गया।

दिल्ली पुलिस द्वारा किसी दूसरे शव का दाह-संस्कार

1051. श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने 28 मई, 1968 को शव परीक्षा किये जाने तथा शव को पहचाने जाने से काफी पहले किसी दूसरे शव का दाह-संस्कार कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें दिल्ली पुलिस ने ऐसा काम किया, जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) यह सूचित किया जाता है कि 29-5-68 को एक न पहचाना जाने वाला मृत शरीर सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन से पुलिस कर्मचारियों द्वारा आवश्यक जांच रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् शवशाला में जमा कराया गया ।

शवशाला में दो अन्य मृत शरीर भी रखे हुए थे । उनमें से एक लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन से लाया गया एक व्यक्ति का न पहचाना जाने वाला मृत शरीर था । इस मृत शरीर को पहचान नहीं हुई थी और इस मामले में शव-परीक्षा की गई थी । लाहौरी गेट के कांस्टेबल, जो इस मृत शरीर को निपटाने के लिए आए थे, इसके बजाय सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन से लाये गये मृत शरीर को ले गये । मृत शरीर को उसी दिन दफना दिया गया ।

जिम्मेदार व्यक्तियों को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

दिल्ली में प्रदर्शन

1052. श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1500 लोगों की भीड़ में, जिनमें अधिकांशत: साम्यवादी दल के लोग थे, 1 जून, 1968 को संयुक्त राज्य अमरीका के सूचना कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था;

(ख) क्या पुलिस को लाठी प्रहार तथा अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा था;

(ग) यदि हां, तो पुलिस ने यह कार्यवाही किन परिस्थितियों के कारण की है;

(घ) क्या पुलिस की कथित ज्यादतियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये लोगों तथा रुचि रखने वाले अन्य लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1 जून, 1968 को यू० एस० इनफर्मेशन आफिस के सामने लगभग 1000 से 2000 व्यक्तियों की एक भीड़ ने प्रदर्शन किया था।

(ख) और (ग). भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिये, पुलिस को अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा क्योंकि भीड़ उपद्रवी हो गई थी और सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की चेतावनी के बावजूद, कि उनका जमाव अवैध है और उन्हें तुरन्त तितर-बितर हो जाना चाहिये पुलिस पर पथराव कर रही थी। पुलिस द्वारा कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया था।

(घ) श्री भूपेश गुप्ता, संसद् सदस्य से घटना के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ङ) सरकार ने मामले में जांच की है। इन परिस्थितियों में भीड़ को तितर-बितर करने के लिये अश्रु गैस के प्रयोग के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था।

आदिम जातियों पर गोलियां चलाया जाना

1053. **श्री एस० पी० राममूर्ति :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राँची के निकट कुरु पुलिस क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत चिरी गाँव में पुलिस द्वारा सशस्त्र आदिम जातियों की एक भीड़ पर गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप हाल में छः आदिवासी मारे गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन हालतों के बारे में जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, कोई जाँच की गई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रावास्वामी) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12

1054. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि के कार्य, जंगल साफ करने तथा राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12 पर टीक के वृक्षों की बिक्री के कार्यों की जाँच इस बीच पूरी हो गई है जिसका उल्लेख उनके पत्र संख्या 1680, संसद् सदस्य, 67, तारीख 26 अक्तूबर, 1967 में किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जाँच कब पूरी होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). भराई व खुदाई और वन साफ करने के काम पर किये गये व्यय की परीक्षा का काम मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पूरा कर लिया है और ज्ञात हुआ है कि बेकार खर्च नहीं किया गया है। जहाँ तक साल की बिक्री का प्रश्न है, कटे हुए पेड़ राज्य वन विभाग बेचने के लिये अपने हाथ में ले लेता है।

भारतीय वन सेवा

1055. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964 के बाद डिप्लोमा पास करने वाले राज्य वन सेवा अधिकारियों को अपनी चार वर्ष से अधिक राजपत्रित सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् भारतीय वन सेवा में पदोन्नत करने के लिए अर्हता प्राप्त समझा जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस वर्ष 1964 से पहले डिप्लोमा पास करने वाले लोगों की तुलना में वह लोग घाटे में नहीं रहेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा भर्ती) विनियम 1966 में व्यवस्था है कि अन्य बातों के साथ-साथ एक राज्य वन सेवा अधिकारी भारतीय वन सेवा में पदोन्नति का जब पात्र होगा जब वह कम से कम वन का सहायक कॉंजरवेटर के पद या समकक्ष पद पर लगातार 8 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। उपरोक्त (क) में उल्लिखित पात्रता की शर्तें समान रूप में राज्य वन सेवा के सभी अधिकारियों पर लागू होती हैं। चाहे उन्होंने 1964 के पहले या बाद अपना डिप्लोमा हासिल किया हो।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का केन्द्रीय कोटा

1056. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने केन्द्रीय कोटा के लिये अपेक्षित संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी देने से इन्कार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन्कार करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इससे भविष्य में अधिकारियों आदि की पदोन्नति पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिये पदोन्नति कोटा

1057. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री 3 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिये राज्य सेवा

पदोन्नति कोटे में वृद्धि करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर इस बीच कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति कोटे में वृद्धि करने का मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

Crime in Bareilly (U.P.)

1058. Shri Brij Bhushan Lal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that incidents either of decoity or road robbery or big thefts have been taking place every day in the city of Bareilly (Uttar Pradesh) for the last two months ;

(b) whether it is also a fact that a gang of decoits has come in the city of Bareilly two months back and is committing such crimes daily ;

(c) whether it is further a fact that the local Police has failed to maintain law and order so far as a reuslt of which the residents of different sectors keep a vigil by awaking the whole night and face great trouble ; and

(d) if so, the step proposed to be taken by Government to remove the feeling of insecurity of life and property among the people ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (d). The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the House on receipt.

Alleged Police Excesses in Bareilly

1059. Shri Brij Bhushan Lal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police in Bareilly (Uttar Pradesh) has threatened the journalists not to publish the correct reports regarding the atrocities of Police.

(b) whether Government are aware that the reports of alleged atrocities by the Police Officers have been published by local newspapers ;

(c) if so, the action taken by Government against these Officers and if not, the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to take any action to protect the Press in Bareilly in case it has been endangered ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No Sir.

(b) and (c). It is reported by the Government of Uttar Pradesh that in local newspapers allegations were made against the local police. These allegations were inquired into and they were not substantiated.

(d) Does not arise.

Arrest of Businessman in Katra (U.P.)

1060. Shri Brij Bhushan Lal : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the beginning of the current year, the Police apprehended a respectable rice mill owner and two of the members of his family for no reason in the broad day-light in Katra, District Shahjahanpur, Uttar Pradesh, beat them severely and detained them in jail ; and

(b) if so, the action taken by Government against those police personnel ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). According to information furnished by the State Government, a rice mill owner and three others were taken into custody by a Police Party of Katra Police Station in District Shahjahanpur. They were alleged to have assaulted a police party escorting two accused persons arrested in a robbery case and assisted them to escape from custody. Since allegations of harassment have also been made against the Police, the matter is being enquired into by the Government of U.P.

नेशनल फिटनेस कोर के शिक्षक

1061. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने नेशनल फिटनेस कोर के शिक्षकों की सेवायें लेने में असमर्थता प्रकट की है;

(ख) क्या इसके बावजूद नेशनल फिटनेस कोर को समाप्त करने का निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1471/68]

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बन्दियों की रिहाई

1062. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति के कई सदस्यों की इस माँग पर उचित ध्यान दिया है कि राज्य में मध्यावधि चुनाव से पहले सामान्य वातावरण बनाने के लिए शेष राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). शेष राजनीतिक बन्दियों के मामलों का ध्यानपूर्वक पुनरावलोकन किया गया है और केवल उन्हीं व्यक्तियों को नजरबन्द रखा जा रहा है जिनके विरुद्ध विध्वंसक कार्यवाहियों के आरोप हैं। 17-18 जून, 1968 को हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक के बाद सरकार के आदेशों के अधीन एक और बन्दी को रिहा कर दिया गया है। दो बन्दी उच्च न्यायालय द्वारा रिहा कर दिये गये हैं। इस समय निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत केवल 32 व्यक्ति नजरबन्द हैं।

सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञान की हिन्दी माध्यम से शिक्षा

1063. श्री अदिचन :
श्री कीर्ति विक्रम देव वर्मन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के आदेशानुसार हाल एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें केन्द्रीय स्कूलों को आदेश दिया गया है कि वे सामाजिक विज्ञानों में पूर्णतः और प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों में अंग्रेज़ी को हटाकर यथासम्भव हिन्दी माध्यम अपनाएं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य भाषा अधिनियम का, जिसमें यह आश्वासन दिया गया है कि अंग्रेजी तथा हिन्दी तब तक राजभाषा रहेगी जब तक कि गैर-हिन्दी राज्य हिन्दी में काम करने के इच्छुक न हों, उल्लंघन करके किन परिस्थितियों में ऐसा परिपत्र जारी किया गया था ;

(ग) क्या गैर-हिन्दी राज्यों से सरकारी अथवा गैर-सरकारी स्तर पर कोई विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद): (क) से (घ). केन्द्रीय विद्यालयों की योजना एक विशेष प्रयोजन, यानी बदली पर जाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, मुख्यतः रक्षा कर्मचारियों की जरूरतों के लिए बनाई गयी थी। इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी और साथ ही अंग्रेजी है ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की ओर से हाल ही में जारी किए गए अनुदेशों से प्रकट होता है कि कक्षा I से VI तक में सामाजिक अध्ययन का विषय हिन्दी माध्यम से पढ़ाया जाएगा और इन कक्षाओं के शेष विषयों, और कक्षा VII से XI तक में सभी विषयों का हिन्दी तथा अंग्रेजी में पढ़ाया जाना जारी रहेगा। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि परिपत्र में दी गयी हिदायतें मूल योजना से हटकर नहीं है । अतः आगे किसी और निर्णय का प्रश्न नहीं उठता ।

दोषी माता पिताओं के लिये दण्ड

1064. श्री अदिचन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में और विशेष रूप से दिल्ली में 6 से 14 वर्ष या ऐसी अन्य आयु सीमाओं के बीच बच्चों के लिए शिक्षा, कानून द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाई गई है;

(ख) क्या दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध दोषी माता पिता के विरुद्ध लागू नहीं होते हैं या उनको बिल्कुल लागू नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिये यह कानून किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है और उनमें से किन में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दाण्डिक उपबन्ध लागू नहीं किये गये हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) से (ग). लगभग सभी राज्यों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हैं, जिनमें दिल्ली का संघीय क्षेत्र भी शामिल है ।

किन्तु वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में अनिवार्यता को लागू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। इसलिए दाण्डिक उपबन्ध कहीं कहीं ही लागू किये गये हैं। इसके स्थान पर उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन और अन्य अनुनयी उपाय काम में लाने के प्रयत्न किये जाते हैं।

हरिजनों का दमन

1065. **श्री अदिचन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के किसी भाग से हरिजनों पर अत्याचार किये जाने के नये समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) हरिजनों की ऐसे अत्याचारों से रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या अग्रेतर कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, आसाम, हरियाना, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में तथा मणिपुर, त्रिपुरा, अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, दमण, तथा दीव, दादरा और नगर हवेली, पाण्डिचेरी और चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों में हरिजनों पर किये गये अत्याचार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। नेफा में भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी। शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) अन्य जरूरी विषयों के साथ-साथ हरिजनों की दशा पर चर्चा करने के लिये 19 मई, 1968 को मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन किया गया था। गृह मंत्री ने प्रशासन को अपनी पूर्ण शक्ति से समाज के दुर्बल भाग का पक्ष लेने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि हरिजनों के विरुद्ध किये गये अपराधों की शीघ्र तथा प्रभावकारी जांच हो। विशेष जांच दल स्थापित करने की आवश्यकता की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित किया था ताकि अपर्याप्त जांच के कारण अपराधों के मुकदमों को नुकसान न पहुंचे। यह भी सुझाव दिया गया कि पुलिस में हरिजनों की भर्ती चालू रखने की विशेष व्यवस्था का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता थी।

कोचीन में दूसरा पोत निर्माण कारखाना

1066. **श्री अदिचन :** **श्री विश्वम्भरन् :**
श्री श्रीधरन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में दूसरा पोत निर्माण कारखाना स्थापित करने की दिशा में और क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस बारे में अब तक कितना खर्च किया गया है; और

(ग) पोत निर्माण कारखाने के वास्तविक निर्माण कार्य को कब तक आरम्भ करने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) परियोजना प्रतिवेदन के पुनरीक्षण के लिए और शिपयार्ड के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता के मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर विचार-विमर्श करने के लिए मैसर्स मित्सुविशीहेवी इंडस्ट्रीज लि० के साथ एक समझौता करने के लिए भारत सरकार ने एक वार्ता-दल जापान भेजा है ।

(ख) 1967–68 के अन्त तक इस परियोजना पर लगभग 96 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं ।

(ग) पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन के प्राप्त होने, भारत सरकार द्वारा उसे स्वीकार करने और सामान्य पूर्व-निर्माण औपचारिकताओं के पूरा होने पर शिपयार्ड का निर्यात-कार्य आरम्भ किया जाएगा । तैयारी के कार्य, जैसे ड्रेजिंग और भूमिसुधार, जरूरी सड़क, विद्युत् और जल सप्लाई सेवाएं, पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन के तुरन्त बाद ही कार्यान्वित करने के लिए शुरू किये जाएंगे । परन्तु विलिडंग डाक और 'क्वैरी' का निर्माण कार्य निविदा औपचारिकताओं के पूरा होने और ठेकों के दिये जाने पर शुरू किया जाएगा ।

केरल पदालि के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

1067. श्री मंगलायुमाडोम : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल पदालि के भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ वरिष्ठ अधिकारी केन्द्रीय सरकार की सेवा में नियुक्त हैं;

(ख) ऐसी नियुक्तियों के लिये चयन का तरीका क्या है; और

(ग) क्या राज्य सरकार की सिफारिशों अथवा उसके परामर्श से ऐसा किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : केन्द्र सरकार के अधीन पदों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्र में प्रतिनियुक्ति के लिये राज्य सरकारों द्वारा सुझाये गये नामों में से उनकी उपयुक्तता तथा वरिष्ठता को ध्यान में रखकर की जाती है ।

केरल में केन्द्रीय स्कूल

1068. श्री मंगलायुमाडोम : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार केरल में कुछ और केन्द्रीय स्कूल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मिनिकाय द्वीप समूह में पुलिस की ज्यादतियां

1069. श्री अ० क० गोपालन :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनिकाय द्वीप समूहों के निवासियों ने स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध यह आरोप लगाये हैं कि पुलिस उनका दमन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों के बारे में जांच की है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). अप्रैल, 1968 में लूट के एक संदिग्ध मामले की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस द्वारा तंग करने तथा प्रहार करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं । मामले में जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजा जा रहा है ।

सत्य साई मत

1070. श्री अ० क० गोपालन :
श्री अनिरुद्धन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोगों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि सत्य साई बाबा से धमकी भरे ऐसे पत्र भेजे जा रहे हैं कि यदि लोग उसके मत का प्रचार नहीं करेंगे तो उन्हें उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी बंगाल में अपराध में वृद्धि

1071. श्री अ० क० गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल के गृह सचिव के वक्तव्य की ओर गया है जो उन्होंने हाल ही में संसद सदस्यों की बंगाल परामर्श समिति की बैठक में दिया था कि अपराधों में वृद्धि का कारण आवश्यक वस्तुओं के भाव में वृद्धि तथा बेरोजगारी का होना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :(क) और (ख). कलकत्ता में 18 जून को हुई परामर्श समिति की बैठक में विचार विमर्श के दौरान पश्चिमी बंगाल की सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि 1964 की अपेक्षा 1966 तथा 1967 के दौरान अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई थी। यह भी बतलाया गया था कि औद्योगिक गतिविधियों में मन्दी एवं उसके फलस्वरूप बेरोजगारी की स्थिति अपराध की घटनाओं में वृद्धि होने का एक महत्त्वपूर्ण कारण था। अन्य कारणों, जैसा कि, आवश्यक वस्तुओं के भाव में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, दंगों के साथ पुलिस का पक्षपात इत्यादि। पुलिस शक्ति की पर्याप्ता एवं राज्य में परिवहन भी अपराध की घटनाओं में वृद्धि लाने वाले कारणों से सम्बद्ध कहे जायेंगे।

हवाई कम्पनियों द्वारा तथाकथित गैर कानूनी कदाचार

1072. श्री अ० क० गोपालन :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री नायनार :
श्री गणेश घोष :
श्री काशीनाथ पाण्डेय :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ हवाई कम्पनियों द्वारा गैर कानूनी कदाचार के तरीके अपनाये जाने के कारण देश की प्रति वर्ष 7 करोड़ रुपये की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है, जिसमें हवाई कम्पनियों पर अनाचार के आरोप लगाये गये हैं।

(ख) किसी भी सदस्य हवाई कम्पनी द्वारा आई०ए०टी०ए० (अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संस्था) द्वारा निर्धारित किरायों से कम किराया लेना आई०ए०टी०ए० के संकल्प का उल्लंघन है। इस संकल्प का प्रवर्तन आई०ए०टी०ए० की एक एन्फोर्समेन्ट एजेंसी (प्रवर्तन अभिकरण) द्वारा किया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि आई०ए०टी०ए० उल्लंघनों के बारे में कठोरतापूर्वक कार्यवाही करने के लिये इस संगठन को अधिक पुष्ट बनाने के लिये कदम उठा रहा है। कुछ मामलों में आई०ए०टी०ए० ने चूक करने वाली हवाई कम्पनियों पर पहले ही भारी जुर्माने लगाये हैं।

इसके अलावा, सरकार ने अनाचारों के बारे में कार्रवाई करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(i) जिन व्यक्तियों/हवाई कम्पनियों के बारे में यह संदेह है कि वे इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक जांच-पड़ताल का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। यदि जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघन का पता चलता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ii) क्योंकि आम तौर पर ये अनाचार के कार्य उत्प्रवासी यातायात के सम्बन्ध में किये जाते हैं, भारत से य० के० के लिये उत्प्रवासियों के लिये एच रियायती किराये की स्थापना की गयी है जो केवल उन देशों के राष्ट्रीय वाहकों की सेवाओं को लागू होंगे जिनसे कि सेवा प्रारम्भ हो रही होगी अथवा जहां वह समाप्त होगी, अर्थात् एयर इंडिया और ब्रिटिश ओवरसीज़ एवरवेज़ कारपोरेशन ।

त्रिपुरा में आदिम जाति के लोगों की भूमि

1073. **श्री एस्थोस :**
श्री भगवान दास :
श्री नायनार :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों ने आदिम जातियों के लोगों की भूमि पर कब्जा कर लिया है तथा इस कारण आदिम जातियों के लोगों में बहुत असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आदिम जातियों के लोगों को उनकी भूमि वापिस दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 187 के उपबन्धों के विरुद्ध आदिम जातियों द्वारा गैर-आदिम जातियों को गुप्त रूप से भूमि हस्तान्तरित करने के मामले ध्यान में आये हैं । इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि आदिम जातियों के लोग इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हैं ।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है ।

इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली

1074. **श्री एस्थोस :**
श्री नम्बियार :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्थित इम्पीरियल होटल बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके बन्द होने से कुल कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पर्यटन विभाग नये मालिक को होटल के पुनः खोलने के लिये आवश्यक सहायता दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ङ) क्या सभी पुराने कर्मचारियों को सेवा की पुरानी शर्तों पर पुनः सेवा में रख लिया जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) होटल के बन्द किये जाने से प्रभावित कर्मचारियों की कुल संख्या 293 थी ।

(ग) होटल के नये मालिकों को पर्यटन विभाग द्वारा उपस्कर, मशीनरी, इत्यादि के लिये आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सभी आवश्यक सहायता दी जा रही है ।

(घ) कुछ नहीं; क्योंकि होटल के नये प्रबन्धकों द्वारा सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी गयी है ।

(ङ) और (च). इम्पीरियल होटल के बन्द किये जाने से कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच हुए करार के अनुसार सभी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं । यह भी पता चला है कि चूंकि होटल की अभी काफी पैमाने पर मरम्मत एवं उसका नवीकरण किया जा रहा है, होटल के नये प्रबन्धकों ने अभी तक होटल के लिये नियमित रूप से कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किये हैं ।

खोसला आयोग प्रतिवेदन

1075. **श्री एस्थोस :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस के बारे में खोसला आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है तो इस पर कब तक अन्तिम रूप से विचार कर लिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). सरकार द्वारा खोसला आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन की परीक्षा की जा रही है । परीक्षा शीघ्र ही पूरी होने की सम्भावना है ।

केदारनाथ जाने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं

1076. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि केदारनाथ प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से एक बहुत ही सुन्दर स्थान है जहां देश विदेश के पर्यटक आते

(ख) क्या यह सच है कि मार्ग में रात्रि-विश्राम के स्थानों पर आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं और सफाई और स्वच्छता की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कुविधाओं में सुधार करने और स्थान का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां, सिवाय इसके कि विदेशियों के उस क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध है ।

(ख) और (ग). सरकार को मालूम है कि इस मार्ग पर तीर्थ-यात्रियों के लिये सुविधाओं के बारे में बहुत कुछ करना बाकी है । उत्तराखण्ड डिवीजन के विकास के लिये एक अलग निधि रखी गयी है और राज्य सरकार से मालूम हुआ है कि रुद्रप्रयाग, गौरीकुण्ड और केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों के लिये आवास का निर्माण करने का प्रस्ताव है । फटेल से गौरीकुण्ड तक जीप जाने लायक एक सड़क पहले से ही बनायी जा रही है, और इस भाग के पूरा तैयार हो जाने के बाद इस सड़क को केदारनाथ तक बढ़ाने का कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

झाड़खंड राज्य के लिए मांग

1077. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री हीं० ना० मुकर्जी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों ने फिर से एक अलग झाड़खण्ड राज्य की मांग की है;

(ख) क्या यह सच है कि इस अभियान के पीछे ईसाई धर्म प्रचारकों तथा कुछ अन्य शक्तियों का हाथ है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आदिवासियों के कुछ प्रवर्गों ने 'बिरसा सेवा दल', छोटा नागपुर पठार प्रजा परिषद और नव-गठित झारखण्ड दल के साथ मिलकर एक अलग झारखण्ड राज्य के लिये मांग उठाई है ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुछ ईसाई धर्म प्रचारक, साम्यवादी (मार्क्सवादी) पार्टी तथा मुसलमानों में से कुछ तत्व झारखण्ड राज्य के लिये मांग का समर्थन कर रहे हैं ।

(ग) स्थिति का सावधानी से निरीक्षण किया जा रहा है और कानून-भंग करने के मामले को निपटाने के लिये उचित कार्यवाही की जायगी । राज्य सरकार भी आदिवासियों की शिकायतों पर ध्यान दे रही है और यथासम्भव उनका निराकरण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

बद्रीनाथ के पर्यटकों के लिए सुविधाएं

1078. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाली सड़क बहुत खराब हालत में है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देवप्रयाग में बस अड्डे पर रोड उन पर्यटकों के लिये बहुत छोटा और अपर्याप्त है जिन्हें खराब मौसम के कारण वहां कई घंटों तक ठहरना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सड़क को सुधारने और देवप्रयाग में बस अड्डे पर रोड में अधिक स्थान की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) यह सूचित किया गया है कि केदारनाथ के रास्ते में गुप्तकाशी तक सड़क अच्छी हालत में है । गुप्तकाशी से आगे की सड़क अभी बनाई जा रही है । जहां तक बद्रीनाथ की सड़क का सम्बन्ध है, यह बतलाया जाता है कि वह कुछ अच्छी हालत में है और चालू यात्रा के मौसम के दौरान तीर्थ यात्रियों की एक भारी संख्या द्वारा प्रयोग में लाई गई है । कुछ ऐसे अवसर आये थे जब सड़क को भारी वर्षा के परिणामस्वरूप तटी सर्पण के कारण थोड़ी अवधि के लिये यातायात के लिये बन्द करना पड़ा था ।

(ख) और (ग) यह सूचित किया गया है कि देवप्रयाग पर बसों को केवल थोड़े समय के लिये रोका जाता है । देवप्रयाग पर एक यात्रियों का शेड लगाने का उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव है ।

रांची में बम विस्फोट

1079. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 मई, 1968 को रांची में एक बम विस्फोट हुआ था जिसके परिणामस्वरूप नौ व्यक्ति घायल हुए थे;

(ख) क्या इस दुर्घटना के बारे में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). नौ व्यक्तियों के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है और उसकी जांच हो रही है ।

कलकत्ता बन्दरगाह

1080. **श्री भगवान दास :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966–67 में कलकत्ता बन्दरगाह को घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना घाटा हुआ था;

(ग) क्या सरकार ने घाटे के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले हैं; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी०के०आर०वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) 3.12 करोड़ रुपये ।

(ग) से (ङ). भारत सरकार ने कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों की वित्तीय दशा की जांच करने के लिये भारत के रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री पी० सी० भट्टाचार्य की एक सदस्य समिति नियुक्त की थी। समिति की रिपोर्ट कुछ दिन पूर्व प्राप्त हुई है और उसकी परीक्षा की जा रही है।

दिल्ली जनरल मर्चेंट्स एसोसिएशन

1081. **श्री भगवान दास :**
श्री रमानी :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या गृह-कार्य मन्त्री 19 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 78 31 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली जनरल मर्चेंट्स एसोसिएशन, दिल्ली द्वारा दिये गये ज्ञापन पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). एसोसिएशन ने दिल्ली में बिक्री-कर के प्रभाव को बिक्री के प्रथम विन्दु पर बदलने का सुझाव दिया था। बंगाल वित्त (बिक्री-कर) अधिनियम, 1941 की धारा 5-क के अधीन, जो दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया गया है, उप राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि वह उस बिन्दु को निश्चित करे जिस पर वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री-कर पड़े। दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि वे संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व आय पर बिक्री-कर के प्रभाव को प्रथम बिन्दु पर लाने के बारे में विस्तृत जांच कर रहे हैं।

Facility of Air Travel to M.Ps.

1082. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(*a*) the extent to which air traffic is likely to go up following the extension of facility of air travel to the Members of Parliament by Government on payment of difference between the air and rail fares ; and

(*b*) the amount of additional capital and foreign exchange that would be required for the acquisition and maintenance of new aeroplanes as a result thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). It is not possible to assess the increase in air traffic. However, inasmuch as the Members of Parliament are already making use of Indian Airlines services, the Corporation feel that the increase in traffic will not be of such a magnitude as to necessitate acquisition of new aeroplanes.

Ashoka Hotels Ltd. New Delhi

1083. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri S.M. Banerjee :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have this year directed the management of the Ashoka Hotels Ltd., New Delhi to lower the rates and to improve the standard of service ; and

(b) if so, the annual loss likely to be incurred by the Ashoka Hotel as a result thereof

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) No directive has been issued to Ashoka Hotels Ltd., to lower its rates. The Hotel is of course expected to render the best service possible to the guests.

(b) Does not arise.

Passengers-cum-Mail Carrying Air Service

1084. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the routes on which passengers cum-mail carrying air service have been introduced and the names of those routes on which such airservice is proposed to be introduced during the next five years ; and

(b) the difference between the airfares charged for the journey by aeroplanes carrying mail and by ordinary passenger aeroplanes ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) All the passenger services operated by Indian Airlines carry mails also. Effective 15th July, 1968 the Indian Airlines have introduced night airmail service between Delhi and Nagpur carrying passengers and mail. In the ensuing winter schedule effective November, 1968, the Indian Airlines are planning to introduce night air mail service, with passengers, between Calcutta-Nagpur, Madras-Nagpur and Bombay-Nagpur. Other routes to be opened during the next five years have not yet been finalised.

(b) There is no distinction between planes carrying mail and those carrying passengers. Fares applicable to passengers travelling by the night air mail service are, however, 15% less than the fares applicable for services operated during day time.

हिन्दी में पत्र व्यवहार

1085. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय में अपने सभी विभागों को यह अनुदेश जारी कर दिये हैं कि हिन्दी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज किसी भाषा में प्राप्त होने वाले पत्र का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना चाहिए जिस भाषा में पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किये गये हैं और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) अनुदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों में प्राप्त होने वाले हिन्दी पत्रों का उत्तर, चाहे वह राज्य सरकार या किसी व्यक्ति से आया हो, हिन्दी में जाना चाहिए। अधिकतर सभी मन्त्रालय/विभाग इस उद्देश्य के लिये आवश्यक कर्मचारी वर्ग रखते हैं। जब आवश्यक होगा इसे अनुपूरित भी कर दिया जाएगा।

बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय

1086. **श्री मधु लिमये :** **श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के ग़ैर-कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के शिक्षा मन्त्री ने उत्तर बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया था;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) उक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने में क्या कठिनाइयां हैं अथवा उसे स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) बिहार के भूतपूर्व उपमुख्य मन्त्री और शिक्षा मन्त्री (श्री कर्पूरी ठाकुर) ने राज्य में विद्यमान के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का पुनर्गठन करके मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित करने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पास भेजा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी और उस समिति की रिपोर्ट पर आयोग ने अपनी पहली मई, 1968 को हुई बैठक में विचार किया था। आयोग ने सर्वप्रथम समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार के विचार जानने का निर्णय किया है। राज्य सरकार के विचार अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा अपने विचार भेज दिये जाने के बाद, आयोग इस मामले पर फिर विचार करेगा।

गण्डक पुल परियोजना

1087. **श्री मधु लिमये**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक पुल परियोजना को त्याग दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि परियोजना का त्याग नहीं किया गया है तो इसे कब तक पूरा किया जायेगा; और

(घ) उस योजना पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है तथा आगामी दो वर्षों में अनुमानित व्यय कितना होगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) पुल के दोनों गाइड बन्द पूरे हो गये हैं और पुल का कूप बुनियादी निर्माण कार्य का लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो गया है। शख्त स्तर के कारण कुएं ढालने में धीमी प्रगति को दृष्टि में रखते हुए राज्य लोक निर्माण विभाग को पुल के 1970 के अन्त से पहले पूरे होने की आशा नहीं है। वास्तविक तिथि बुनियादी निर्माणकार्य की प्रगति की गति पर निर्भर करता है।

(घ) 31 मार्च, 1968 तक का कुल परिव्यय 317.69 लाख रु० है। निर्माण स्थल पर की वास्तविक प्रगति के अधीन आगामी दो वर्षों का परिव्यय अनुमानतः 8 6 लाख रु० होगा।

पादरी फैरर के शेतकारी संघ, नासिक में विस्फोटक पदार्थों का पकड़ा जाना

1088. **श्री मधु लिमये :**
श्री अबुचेजियान :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रघवीर सिंह शास्त्री :
श्रीमती तारा सप्रे :

श्री चेंगलराया नायडू : श्री रा० की० अमीन :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में पादरी फैरर के शेतकारी संघ के एक पदाधिकारी अथवा कर्मचारी के पास से मई के अन्तिम सप्ताह में अथवा जून, 1968 के आरम्भ में कुछ विस्फोटक पदार्थ पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो वे पदार्थ क्या थे;

(ग) क्या उस व्यक्ति के पास, जिससे यह सामान पकड़ा गया था, वैध लाइसेंस / परमिट था;

(घ) यदि नहीं, तो इस सामान के जमा करने/रखने का क्या प्रयोजन था;

(ङ) यदि सम्बन्धित व्यक्ति के पास वैध लाइसेंस था तो यह सामान क्यों पकड़ा गया तथा यह समाचार क्यों प्रकाशित किया गया; और

(च) क्या सरकार इस बरामदगी को ध्यान में रखते हुए पादरी फैरर के वीसा की अधिक अवधि को नहीं बढ़ाने/रद्द करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) और (ख). 31 मई, 1968 को महाराष्ट्र शतकारी सेवा मण्डल मनमाद, जिला नासिक के गोदाम से तथा मंडल के खनिकर्म इंजीनियर के निवासस्थान से 285 किलोग्राम जिलेटिन एवं 98 1 विस्फोटक पदार्थ पकड़े गये थे ।

(ग) और (घ) मंडल के खनिकर्म इंजीनियर के पास मंडल के गोदाम में केवल 10 पौंड जिलेटिन, 100 विस्फोटक पदार्थ तथा 100 पौंड विस्फोटक चूर्ण जमा रखने के लिए वैध लाइसेंस था । विस्फोटकों को उड़ाने वाली कार्यवाहियों में प्रयोग करने के विचार से रखा गया था ।

(ङ) विस्फोटक इसलिए पकड़े गये थे क्योंकि ये लाइसेंस में दी गई अनुमति से अधिक तादाद में थे तथा इसलिए भी कि खनिकर्म इंजीनियर के पास विस्फोटकों को अपने निवास स्थान पर रखने का लाइसेंस नहीं था ।

(च) सरकार के पास अब तक उपलब्ध सूचना से यह प्रगट नहीं होता कि पादरी फैरर व्यक्तिगत रूप से भारतीय विस्फोटक अधिनियम की किसी धारा में फंसा हुआ था । किसी भी प्रकार से चंकि पादर फेरर ने भारत छोड़ दिया है तथा उसके वीसा की अवधि को बढ़ाने/रद्द करने का प्रश्न इस समय नहीं उठता ।

धर्म प्रचारकों तथा धर्मार्थ संगठनों के लिये विदेशी धन

1089. श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री पी० राममूर्ति :
श्री रमानी : श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रत्येक धर्म प्रचारकों तथा धर्मार्थ संगठनों को 1966 के हर तीन महीनों में विदेशों से कुल कितनी निधि प्राप्त हुई ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं तथा हर तीन महीनों के बाद उनसे कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(ग) सन 1966 के अन्तिम तीन महीनों में इस राशि में वृद्धि का क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जायगी ।

कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी जांच आयोग

1090. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री वि० कु० मोडक :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता ट्रामवे जांच आयोग के प्रतवेदन पर बिचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उस पर कब तक विचार पूरा हो जायेगा ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) से (घ). पश्चिम बंगाल की सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी अध्ययन

1091. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व दो अनुसंधानकर्ताओं के मेरठ में साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी मामले में अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन की मुख्य-मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ;

(ग) क्या उस मामले सम्बन्धी अध्ययन के भारतीय तथा विदेशी समाचारपत्रों में प्रकाशित होने के बाद अनुसन्धानकर्ताओं में से एक को उस संस्थान में जिसमें वह कार्य कर रहा था, नौकरी से निकाल दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के हस्तक्षेप के कारण उस अनुसन्धानकर्ता को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से घ). 25 फरवरी, 1968 के "लिंक" में "मेरठ दंगे एक्सरेड" शीर्षक के नाम से एक व्यक्ति द्वारा एक अध्ययन प्रकाशित हुआ जो उस समय भारतीय इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली में एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में, विश्वकार्य की भारतीय परिषद् से सम्बन्धित एक अन्य व्यक्ति के साथ कार्य कर रहे थे । यह अध्ययन उनके द्वारा इन्स्टीट्यूट के लिये उसके कार्य के रूप में नहीं किया गया था और न ही इस इन्स्टीट्यूट को कोई रिपोर्ट पेश की गई थी । अतः अध्ययन या इसके

निष्कर्षों के बारे में कोई सरकारी सूचना उपलब्ध नहीं है। यह अध्ययन इन व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा एवं अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के बल पर किया गया था।

2. टीचिंग असिस्टेंट को भारतीय इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 माह के एक निर्दिष्ट समय के लिए 31-3-1968 तक एक अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया था तथा जिस तिथि को उसकी नियुक्ति समाप्त होनी थी। अतः रिपोर्ट किये गये अध्ययन मामलों के प्रकाशन का उसकी सेवा की समाप्ति में कोई हाथ नहीं है तथा भारत सरकार द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने का प्रश्न भी नहीं उठता।

दिल्ली में मकान का गिरना

1093. **श्री बलराज मधोक :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शारदा नन्द :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम ने 15 अगस्त, 1966 को दिल्ली के मोहल्ला धर्मपुरा में एक मकान के गिर जाने की घटना के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त किये गये आयोग के प्रतिवेदन पर जो 31 मई, 1967 को पेश किया गया था, उनके मंत्रालय को अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर सरकार का विचार उस मकान के दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को कुछ मुआवजा देने का है ;

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम ने दोषी अधिकारियों तथा मकान मालिक के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही भी की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) कथित जांच आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा है।

(ख) मुख्य सचिव से प्राप्त तारीख 10 जून, 1968 के पत्र संख्या 2(68)/67-एल० एसड जीड की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1472/68]**

(ग) और (घ). न तो जांच आयोग और न दिल्ली नगर निगम ने इस घटना में प्रभावित कुटुम्बों को कोई आर्थिक सहायता देने के लिये कोई सिफारिश की है। दिल्ली प्रशासन ऐसी कोई सहायता स्वीकार करने का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। भारत सरकार द्वारा कोई क्षति-पूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मकान मालिक के विरुद्ध जांच आयोग ने कोई कार्यवाही करने की सिफारिश नहीं की है। दिल्ली नगर निगम द्वारा कसूरवार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम ने यह रिपोर्ट दी है कि अभियोग पत्र तैयार किये जा रहे हैं और सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् सम्बन्धित व्यक्तियों को जारी किये जायेंगे।

रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में चोरी की घटनाएं

1094. **श्री बलराज मधोक :** **श्री शशि रंजन :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई तथा जून, 1968 में रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में चोरी की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) कितने मामलों में पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई ;

(ग) यदि कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) इस क्षेत्र में चोरियां आदि करने वाले गिरोह का पता लगाने तथा उसे समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) मई-जून, 1968 के दौरान रामकृष्णपुरम पुलिस स्टेशन पर चोरी के 22 मामले सूचित किये गये थे।

(ख) और (ग). इन मामलों के सम्बन्ध में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। अभी हाल में 4 कथित अन्तर-राज्य चोरों के एक गिरोह का पता चला है जिसके द्वारा 10,000 रुपये की कीमत की चुराई गई सम्पत्ति बरामद हुई। रामकृष्णपुरम में चोरी के मामलों के बारे में इन व्यक्तियों से भी पूछ-ताछ की जा रही है।

(घ) इन क्षेत्रों में गश्त कड़ी कर दी गई है और पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ी की भी ड्यूटी लगा दी है।

Majlis-E-Tamir-E-Millat

1095. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that leaders of the Majlis-e-Tamir-e-Millat made provocative speeches at Aurangabad recently and also gave a call for the formation of a 'Muslim Sena' ;

(b) whether he was appraised in the matter when he visited Maharashtra;

(c) whether it is fact that in spite of getting prior information in this regard, he could not give his advice to take effective steps for checking the disturbances in Aurangabad ;

(d) whether it is also a fact that the leaders of the Majlis also gave a call to the people at Hyderabad for the formation of an 'Ali Sena' ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The leaders of 'Majlis-e-Tamir-e-Millat' made provocative speeches at the conference of the Maharashtra Majlis-e-Tamir-Millat was held at Aurangabad on 11 and 12 May, 1968. The formation of 'Tippu Sena' and 'Malikaber Sena' was suggested in this conference, but not the formation of a 'Muslim Sena'.

(b) and (c). The Home Minister received information about communal activities in the country from various sources. Whenever it is necessary and possible, he discusses with the Chief Ministers communal and other problems. He did not, however, give any advice to the Chief Minister, Maharashtra, regarding the speeches made by the leaders of Majlis-e-Tamir-e-Millat at Aurangabad.

(d) and (e) The All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen had contemplated the organising of an 'Ali Sena' in Hyderabad city. A few persons were given training in the use of lathi during the months of March and April. The proposed Ali Sena has not been regularly constituted so far. Government view with concern the activities of communal organisations and appropriate action under the law is taken if the organisations infringe any law.

Reorganisation of States

1096. Shri Bal Raj Madhok :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Home Affffairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a proposal for the reorganisation of Assam, Nagaland, Manipur, Tripura or any of the said States, Union Territories is under consideration of Government; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State In the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The question of reorganising the State of Assam has been under consideration of the Government of India. Simultaneously Government are also considering measures for ensuring an integrated approach to the security and development of all the States and Union Territories in the north-eastern region.

नई दिल्ली नगरपालिका

1097. **श्री हरदयाल देवगुण:** **श्री नारायण स्वरूप शर्मा**
श्री ओंकार सिंह : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के सदस्यों के नामांकन को रक्षित विषय बना कर उसे पूर्ण रूप से दिल्ली के उप-राज्यपाल के अधीन कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). संसद् द्वारा पारित दिल्ली प्रशासन अधिनियम की धारा 27(1) का परन्तुक इस प्रकार है कि नई दिल्ली से

सम्बन्धित किसी विषय के बारे में कार्यकारी परिषद या कार्यकारी परिषद के किसी सदस्य द्वारा किये गये प्रत्येक निर्णय प्रशासक की अनुमति लेनी आवश्यक होगी और इस उप धारा का यह अर्थ नहीं होगा कि कार्यकारी परिषद के सदस्यों और प्रशासक के बीच मतभेद होने पर प्रशासक नई दिल्ली के प्रशासन के सम्बन्ध में कोई ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकेगा जो वह स्वय आवश्यक समझे ?" इस परन्तुक का यह अर्थ है कि नई दिल्ली से सम्बन्धित मामलों में प्रशासक अर्थात दिल्ली के उपराज्यपाल को पूरा अधिकार है। लोक-हित में इस मामले को स्पष्ट करने के लिये यह निश्चय किया गया कि अनुच्छेद 27 के उपानुच्छेद (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के कार्यान्वियन में, सदस्यों और प्रधान की नियुक्ति, सदस्यों की संख्या, उनकी कार्यालय-अवधि तथा सम्बन्धित, अनुपूरक आदि विषय निर्धारित करने से सम्बन्धित सभी मामलों में प्रशासक अपने विवेक का उपयोग करेगा।

साम्प्रदायिक दंगे

1098. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री नरेन्द्र कुमार सालवे :**
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में साम्प्रदायिक दगों के बढ़ने तथा साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिये अपनाये जा सकने वाले उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए हाल में नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं और उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि साम्प्रदायिक दलों के ब्यूरो के बारे में जाँच करने के लिए निकट भविष्य में श्रीनगर में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक हो रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली में 19 मई, 1968 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में देश की साम्प्रदायिक स्थिति सम्बन्धी विचार विमर्श हुआ था।

(ख) मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने स्थिति पर विचार-विमर्श करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए :—

(i) साम्प्रदायिक प्रकृति के लेखों पर कार्यवाही करने के लिए विधि की व्यवस्थाओं विशेषकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153–क तथा 295–क का पूण रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। साधारणत: यह महसूस किया गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के अधीन जिलाधीशों को अभियोग के सम्मोदन की शक्ति प्रत्यायोजन, जनता के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा एवं शत्रुता को बढ़ावा देने वाले लोगों के विरुद्ध अभियोग चलाने में सहायक होगा।

(ii) यह स्वीकार किया गया था कि उत्तेजक सामग्री लिखने में लगे हुए पत्रों पर अभियोग चलाना पर्याप्त नहीं था। सरकारों को इस प्रकार के लेखों को बन्द करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त करना आवश्यक था। इस सम्बन्ध में पंजाब विशेष शक्ति (प्रेस) अधिनियम, 1956 की व्यवस्थायें साधारण रूप से स्वीकार करने योग्य पाई गई।

(iii) अल्प सख्यक जाति के संदस्यों को विशेष कर सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाओं की देखभाल करने वाली सेवाओं में नियुक्ति की दिशा में कदम उठाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जाने चाहिये।

(iv) प्रेस में गैरजिम्मेदार लेखों के विषय में कार्यवाही करने के लिए प्रेस परिषद का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागाओं द्वारा विस्फोटक पदार्थों तथा गोला बारूद का लूटा जाना

1099. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री चपलकान्त भट्टाचार्य :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के तामेंगलांग सब-डिवीजन में कैकू में एक सरकारी ठेकेदार के गोदाम से हाल में नागा विद्रोहियों ने बहुत तेज विस्फोटक पदार्थों तथा अन्य गोला-बारूद से भरी कई पेटियाँ लूट ली थीं;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत से सूचना मिली है कि नागा विद्रोही मनीपुर के तामेंगलांग सब-डिवीजन में केवरू-कुकी ग्राम में स्थित श्रम-शिविर में घुस गये और दस विस्फोटक द्रव्य, पाँच फ्यूज कायल, जिलेटिन के दो बक्सों के अतिरिक्त कुछ कपड़े और धन ले गये। एक पुलिस केस आरम्भ किया गया था किन्तु दोषी का पता नहीं चला है।

(ग) अवाँछनीय हाथों में ऐसी सामग्री पड़ने को रोकने के सुरक्षात्मक पूर्वोपायों का पुनरीक्षण किया गया है, और उन्हें सुदृढ़ कर दिया गया है।

मिजो विद्रोहियों द्वारा हमला

1100. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मिजो विद्रोही एजल-लुंगले सड़क पर स्थित एक प्रति-रक्षित गाँव सुलथिलिया में घुस आये थे और सुरक्षा दल पर हमला किया था;

(ख) यदि हाँ, तो दोनों पक्षों में कितने-कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) कितनी गिरफ्तारियाँ की गई हैं; और

(घ) उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) हाल में थिंगसुलथिलिया में घुसपैठ की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) क्षेत्र में नियमित तथा कड़ी गश्त लगाई जा रही है।

विद्रोही नागाओं द्वारा कर वसूली

1101. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के तेंगनूपाल सब-डिवीजन के अनाल नागा विद्रोही वहाँ के आदिम जाति गाँवों से जबरदस्ती मकान कर तथा अन्य कर वसूल कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि विद्रोहियों द्वारा यह राशि एक सेना बनाने के लिये प्रयोग में लाई जा रही है जो निकट भविष्य में प्रशिक्षण के लिये चीन भेजी जायेगी, और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार इन गाँवों की रक्षा करने तथा चीन को इन टुकड़ियों के भेजे जाने को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार को सूचनाएँ मिली हैं कि विद्रोही अनाल नागाओं ने मनीपुर के सब-डिवीजन तेंगनूपाल में कुछ घरों से जहाँ अनाल नागा रहते हैं जबरदस्ती धन एकत्रित किया था। उन्होंने ठीक किस उद्देश्य से यह धन एकत्रित किया मालूम नहीं है। फिर भी इस क्षेत्र के कुछ ग्रामवासियों को अनाल विद्रोहियों ने कहा है कि चीन जाने को तैयार रहें।

(ग) इन विद्रोहियों के सम्भावी चीन को जाने को रोकने के लिए गश्त कड़ी कर दी गई है और सुरक्षात्मक उपाय सुदृढ़ कर दिये हैं।

"रीडर्स डाइजेस्ट" में प्रकाशित मानचित्र

1103. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "रीडर्स डाइजेस्ट" के मई, 1968 के अंक में प्रकाशित एशिया के मानचित्र की ओर दिलाया गया है; जिसमें काश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे मानचित्रों के परिचालन को बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) भारत सरकार का ध्यान "रीडर्स डाइजेस्ट" के मई, 1968 के अंक में प्रकाशित मानचित्र की ओर दिलाया गया है।

स्थानीय प्रकाशकों को ऐसे मानचित्रों के प्रकाशन से बचने की सलाह दी गई है जो काश्मीर की स्थिति के बारे में भ्रमात्मक धारणाएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे किसी मानचित्र का प्रकाशन, जो भारत की सुरक्षा के हितों के विपरीत होते हुए भारत की प्रादेशिक अखण्डता के बारे में असन्दिग्धता उत्पन्न करे, पहले ही कानून के अन्तर्गत एक अपराध है। भारत में सम्पादकों तथा प्रकाशकों को भी भारत के सर्वेक्षण द्वारा निकाले गये देश के ठीक मानचित्रों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सूचित कर दिया गया है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए टी०यू० 134 रूसी विमान

1104. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूस सरकार से इण्डियन एयरलाइन्स के लिए टी० यू०-134 विमान सप्लाई किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इस प्रस्ताव का अध्ययन किया है; और

(ग) अब तक कितने टी० यू०-134 विमानों का निर्माण किया गया है और इन विमानों द्वारा कितनी अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं का प्रयोग किया जाता है और इन विमानों ने अब तक कुल कितने घंटों और मीलों की उड़ान की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) जी, हां, । भारत द्वारा रूस को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बदले में रूस ने भारत में आयात की जाने वाली मद में विमान देने का प्रस्ताव किया है। अपने विमान-बेड़े की वृद्धि के सम्बन्ध में इंडियन एयरलाइन्स अन्य विमानों के साथ साथ रूसी विमानों की भी उपयुक्तता की जांच कर रहे हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

डमडम (कलकत्ता) से विमान सेवाओं को समाप्त करना

1105. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
डा० रानेन सेन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों से इस आशय का कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने डमडम, कलकत्ता से अपनी सेवाओं को समाप्त करने का इरादा व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन विमान कम्पनियों द्वारा कौन कौन से वैकल्पिक मार्गों की मांग की गयी है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार को इन्टरनेशनल एयरलाइनों से कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने दमदम, कलकत्ता से अपनी सेवाएं हटा लेने का इरादा व्यक्त किया है। परन्तु दो या तीन अन्तर्राष्ट्रीय परिचालक हाल ही में नागर विमानन के महानिदेशक से मिले थे और उन्होंने उन से दम दम हवाई अड्डे पर पूर्ण धारिता लिये हुए बोइंग 707 के परिचालन के लिए अपेक्षित धावन-पथ की लम्बाई के न मिल सकने के बारे में शिकायत की थी। इस समस्या का सामयिक समाधान ढूंढ़ लिया गया है, तथा हवाई कम्पनियां इस समय दम दम हवाई अड्डे पर उपलब्ध धावन-पथ की अभिवर्तित लम्बाई से सन्तुष्ट हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

गोहाटी दंगे

1106. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी में गणतंत्र दिवस को हुए दंगों के बारे में जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त एक संसदीय जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके जांच-परिणाम क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय की अवधि बढ़ा कर 12 सितम्बर, 1968 तक कर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्यपूर्व देशों की विमान कम्पनियों के कार्यालयों पर छापे

1107. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अप्रैल, 1968 के चौथे सप्ताह में नई दिल्ली और बम्बई में मध्यपूर्व देशों की विमान कम्पनियों के कार्यालयों पर एक साथ छापे मारकर कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किये गये थे जिनसे विमान भाड़ा लेने में अनियमितताओं का पता लगता है ;

(ख) यदि हां, तो जब्त किये गये दस्तावेजों का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त विमान कम्पनियों के विरुद्ध ठीक ठीक क्या आरोप थे और उनके विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से क्या मामला था ; और

(घ) यदि इस मामले में कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 16-4-1968 को मिडिल ईस्ट एयरलाइन्स तथा उनके दिल्ली और बम्बई स्थित यात्रा अभिकर्ताओं ट्रैवल (एजेन्टस) के कार्यालयों में की गई छानबीन के परिणामस्वरूप कई ऐसे अभिशंसी कागजात (इन्क्रीमिनेटिंग डाक्यूमेंटस्) पकड़े गये, जिनसे विमान किराये लेने स अनियमिततायें सामने आयीं ।

(ख) पकड़े गये कागजात में पत्र-व्यवहार की फाइलें, कैश रिसीट बुकें, रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गयी एक्सचज आर्डर बुकें और विवरण-पत्र इत्यादि शामिल थे ।

(ग) हवाई कम्पनियों और उनके एजेंटों के विरुद्ध ये आरोप थे कि वे उन द्वारा टिकटों की बिक्री के कारण किये गये वास्तविक धन-संचय से अधिक धन-राशि विदेश भेज रहे थे ।

(घ) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किया जा रहा जांच-पड़ताल का कार्य अभी चालू है ।

विदेशियों के लिये प्रतिबन्धित घोषित किया गया देहरादून का क्षेत्र

1108. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में देहरादून में क्लीमंट टाउन और राजपुर को विदेशी राष्ट्रिकों के लिये प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 30 मई, 1968 को विदेशी अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत इस आशय का एक आदेश जारी किया गया है कि कोई विदेशी स्थानीय प्राधिकारियों स लिखित आज्ञा प्राप्त किये वगैर सात दिन से अधिक अवधि के लिए जिला देहरादून में क्लीमेंट टाउन और राजपुर में नहीं रहेगा ।

(ख) सुरक्षा के आधार पर ।

मनीपुर में युद्ध-विराम समझौते की अवधि बढ़ाना

1109. **श्री अजमल खां** :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रादेशिक समिति ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि कम से कम मनीपुर के तीन सब-डीविजनों में छिपे नागाओं के साथ युद्ध-विराम समझौते की अवधि को न बढ़ाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मनीपुर प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने इस संबंध में मनीपुर प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित मनीपुर राजनीतिक परिषद् द्वारा स्वीकार किया हुआ एक प्रस्ताव भेजा था ।

(ख) युद्ध विराम समझौते की अवधि बढ़ाने के प्रश्न पर प्रभावित क्षेत्रों में सामयिक सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

तटीय जहाजरानी

1110. श्री अम्बचेजियान :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री वेंगलराया नायडू :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जहाज बोर्ड द्वारा बनाये गये तटीय जहाजरानी संबंधी अध्ययन दल ने अपने सर्वेक्षण प्रतिवेदन में यह प्रस्ताव दिया है कि पुराने जहाजों को बदलने के लिये 70 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई जानी चाहिये ;

(ख) अध्ययन दल ने और कौन-कौन से सुझाव दिये हैं ; और

(ग) उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा स्थापित तटीय नौवहन अध्ययन दल द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न हैं :—

(1) तटीय और संलग्न व्यापार के सूखे माल यातायात के लिए कुल आवश्यक टन भार 3.5 लाख जी० आर० टी० के 51 पोत होता है। इस में टेंकर टन भार, द्वीप सेवाओं और पश्चिम तट पर मौजूदा यात्री जहाजों के लिए आवश्यक टन भार को जोड़ने से कुल तटीय बेड़ा टन भार 4.5 लाख जी० आर० टी० होता है।

(2) 1971 तक 31-12-67 को जो सूखा माल टन भार था उस का 44 प्रतिशत 20 वर्ष से अधिक पुराना हो जाएगा और उसको बदलने की आवश्यकता होगी। अतः इस से पहले कि तटीय बेड़ा अपने साइज और दशा के कारण देश के आर्थिक और अन्य हितों को खतरे में डाले यह आवश्यक है कि उसके पुनर्वास के लिए तुरन्त और निश्चित निर्णय किया जाय।

(3) भारत में पत्तन दशाओं को ध्यान में रखते हुए, और विशेष कर हुगली में उपलब्ध डुबाव का विचार रखते हुए तटीय बेड़े के पोतों का कम से कम संभव डुबाव हो और उनकी धरनें सामान्य से अधिक चौड़ी हो।

(4) यह मानते हुए कि 1971 तक सब 20 वर्ष से अधिक पुराने जहाज बदल दिये जाते हैं, तो आगे प्रत्येक लगभग 14000 डी० डब्लू० टी० (अर्थात् 9600 जी० आर० टी०) के 23 जहाज लेने की आवश्यकता होगी। कुल 2.21 लाख जी० आर० टी० अर्थात् 1.01 लाख जी० आर० टी के 33 पुराने जहाजों के स्थान में 0.96 लाख जी० आर० टी० के 10 जहाज और अतिरिक्त जहाजों के रूप में 1.25 लाख जी० आर० टी० के 13 जहाज। इससे सूखे माल का कुल तटीय बेड़ा 3.52 लाख जी० आर० टी० हो जाएगा।

(5) तटीय नौपरिवहन के लिए कोयला सबसे अधिक माल है और कलकत्ता आने वाले सामान्य माल यातायात के संतुलन के लिए कलकत्ता से जहाजों द्वारा कम से

कम 7·5 लाख टन कोयला भेजना पड़ता है। तटीय नौपरिवहन के लिए इस न्यूनतम मात्रा कम सुनिश्चयन, रेलों की भारवाहन क्षमता में कमीबेशी या अन्य कारणों का विचार किये बिना, किया जाना चाहिये। गत समय में तटीय नौपरिवहन को दिये गये कोयले की मात्रा में बड़ी कम-बेशी हुई है।

(6) गत समय में जिन अनिश्चितताओं ने तटीय बेड़े के विकास में बाधा डाली उन्हें दूर करने के लिए तटीय नौपरिवहन को आवंटित होने वाली कोयले की मात्रा के बाबत दीर्घावधिक आधार पर उच्चतम स्तर पर तुरन्त निर्णय करने की आवश्यकता है।

(7) अनुमान है कि 14,000 डी०डब्लू०टी० के आवश्यक टाइप के जहाज का मूल्य 2·7 करोड़ रुपये होगा। यूगोस्लाविया को किये गये भुगतान की रीति के आधार पर 1971 तक प्राप्त करने के लिए 23 जहाजों को लेने के लिए कुल 69·62 करोड़ रु० लगाने पड़ेंगे जिसमें 7·52 करोड़ रु० ब्याज का भुगतान भी शामिल है जो 1968–69 से शुरू हो कर 1979–80 तक 12 वर्षों में किया जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने अभी रिपोर्ट पर विचार नहीं किया है। सिफारिशों को लागू करने का प्रश्न तब ही उठेगा जब बोर्ड उसे आवश्यक परिवर्तनों के साथ, स्वीकार करने और उसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजे।

दिल्ली में अपराध

1111. **श्री अम्बचेंजियान :** **श्री देवेन सेन :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई और जून, 1968 में रात को दिल्ली में कुछ परिवारों को जिन्दा जला दिया गया था और कुछ औरतों का अपहरण किया गया तथा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस सभी मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ रही है ;

(ग) क्या पुलिस के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन घटनाओं को रोकने तथा पुलिस की लापरवाही समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) मई और जून, 1968 के दौरान एक परिवार के तीन बच्चे बताया जाता है कि अपने निवास स्थान के बाहर सोते हुए जला दिये गये हैं। बाद में जख्मों के कारण तीनों मर गए। उक्त अवधि के दौरान एक और मामला सूचित किया गया जिसमें एक महिला का कथित अपहरण किया गया और बाद में वह मृत पाई गई।

(ख) पहले मामले में दो व्यक्तियों को सन्देह पर गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में दर्ज किये गये मामले में जांच की जा रही है। दूसरे मामले में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और मामले में जांच की जा रही है।

(ग) और (घ). जब कभी पुलिस के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं तथ्यों की जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक मामले की स्थिति की आवश्यकतानुसार विभागीय कार्यवाही या अन्य कार्यवाही की जाती है ।

दिल्ली में मजिस्ट्रेट

1112. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में काम करने वाले सब-डिविजनल मजिस्ट्रेटों और मजिस्ट्रेटों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने विधि स्नातक हैं;

(ग) क्या इन पदों पर विधि स्नातकों को नियुक्त करना वांछनीय नहीं समझा जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन पदों पर विधि स्नातक नियुक्त करने के लिये दिल्ली प्रशासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क)

सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट	15
मजिस्ट्रेट	35

(ख) 14

(ग) से (ङ). दिल्ली में मजिस्ट्रेट आमतौर पर भारतीय प्रशासन सेवा/दिल्ली, हिमाचल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा या प्रतिनियुक्ति पर राज्य सेवा के अधिकारी होते हैं । यह जरूरी नहीं है कि अधिकारियों को, जो इन सेवाओं के सदस्य हैं, आवश्यक रूप में विधि स्नातक होना चाहिए । फिर भी वे उन अधिकारियों को जिनको मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है विधि का आधारभूत सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है ।

Goondas engaged in illegal Traffic of Girls in Delhi

1113. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a gang of goondas has been playing with the honour of girls and using them for illegal traffic in Delhi for the last so many years, giving them to understand that they would be provided employment;

(b) whether it is also a fact that Government had deployed Police to trace the gang on receipt of complaints from some girls; and

(c) if so, the result achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Clashes in Srinagar Regional Engineering College

1114. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a clash took place among the students of the Regional Engineering College, Srinagar last month ;

(b) if so, whether Government have made any efforts to find out the causes of the clash ;

(c) if so, the result thereof ; and

(d) the arrangements made by Government to prevent such clashes in future ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir. The clash took place towards the end of May, 1968 .

(b) to (d). The State Government of Jammu and Kashmir has appointed an Enquiry Officer and his report is awaited .

भारत-पश्चिम जर्मनी विमान सेवा वार्ता

1115. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के इस निवेदन के संबंध में कि उसकी विमान कम्पनी लुफथान्सा को बम्बई से विमान सेवा चालू किये जाने की अनुमति दी जाये, भारतीय और पश्चिम जर्मनी के अधिकारियों के बीच कोई वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो जर्मन दल ने अपने निवेदन के समर्थन में क्या तर्क प्रस्तुत किये;

(ग) वार्ता के क्या परिणाम निकले और क्या जर्मनी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो किन आधारों पर ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के प्रतिनिधिमण्डल ने यह बताया कि कलकत्ते में रूरकेला के जर्मन यातायात के कम होने के कारण और इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि अधिकांश उद्योग जिनमें जर्मनी सहयोग दे रहा है बम्बई में और उसके आस-पास स्थापित हो चुके हैं, जर्मन एयर-लाइंस को दिल्ली के अतिरिक्त बम्बई में भी सेवा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

(ग) और (घ). जर्मनी के अनुरोध को माना नहीं जा सका, और बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला । इस बात पर सहमति हुई कि बातचीत अक्तूबर, 1968 के लगभग फिर शुरू की जानी चाहिए ।

इंडोनेशिया की गरुड़ एयरलाइन्स के जेट विमान की दुर्घटना

1116. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 मई, 1968 को बम्बई के निकट इंडोनेशिया की गरुड़ एयर-लाइन्स के एक जेट विमान की दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे और उनमें से कितने भारतीय थे और कितनी महिलाएं तथा बच्चे थे ;

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण परिणाम निकले ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज का एक कानवेर 990–ए विमान पी०के०जी०जे०ए०, 28 मई, 1966 को जबकि वह बम्बई से कराची की एक अनुसूचित यात्री उड़ान पर जा रहा था, बम्बई के निकट विलालपाड़ा ग्राम में ध्वंस हो गया जिसके परिणामस्वरूप विमान कर्मीदल के सभी 14 सदस्यों व विमान में बैठे सभी 15 यात्रियों की मृत्यु हो गयी। विमान पूर्णतया नष्ट हो गया । विमान में सवार 29 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतीय था; 8 स्त्रियां, 3 विमान परिचारिकाएं और 5 यात्री सभी विदेशी थे। मृतकों में कोई बच्चा नहीं था ।

इसके अतिरिक्त, विमान के जलते हुए मलवे और सम्भवतया बिखरे हुए ईंधन से [illegible] झोंपड़ियों में आग लग गई जिससे कई ग्रामवासी घायल हो गये जिनमें से तीन को अस्पताल [illegible] गया। इनमें से एक स्त्री की बाद में मृत्यु हो गयी।

( ) और (घ). दुर्घटना की औपचारिक जांच करने के लिए एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच अदालत नियुक्त की गयी है ।

भारत-ईरान विमान सेवा समझौता

1117. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत-ईरान विमान सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य शर्तें क्या हैं ;

(ग) किन पहलुओं की दृष्टि से यह समझौता पहले समझौते से अच्छा है; और

(घ) इस समझौत के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच विमान यातायात किस हद तक वृद्धि होगी और इससे एयर इण्डिया तथा ईरान-एयर की आय में कितनी वृद्धि होने सम्भावना है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) : भारत सरकार और ईरान सरकार के बीच विमान सेवाओं का करार जिस पर कि 10 अगस्त 1968 को हस्ताक्षर हुए थे, अभी भी लागू है। ईरान सरकार और भारत सरकार के हवाई प्रतिनिधिमण्डलों के बीच हाल ही में जो नई दिल्ली में बातचीत हुई, उसने एयर इंडिया की तेहरान होकर और ईरान नशनल एयरलाइन्स कारपोरेशन बम्बई होकर जाने वाली सेवाओं का पुनरालोकन किया गया । बातचीत में कोई निर्णय नहीं हो सका तथा अगस्त, 1968 में किसी समय पुनः बातचीत होने की सम्भावना है ।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रमों में असमानता

1118. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री 3 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1628 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रमों में असमानता के क्या कारण हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को, शिक्षा आयोग को क्या मुख्य सिफारिश भेजी गई हैं; और

(ग) उन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) असमानता के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) वेतन क्रमों के मंजूर करने वाले भिन्न-भिन्न प्राधिकारी,

(2) निर्वाह-खर्च में अन्तर,

(3) राज्यों की आर्थिक क्षमता में भिन्नता ।

(ख) शिक्षा आयोग की सभी सिफारिश उन्हें भेज दी गई थीं;

(ग) अध्यापकों के वतन में सुधार करने के प्रति सभी राज्यों का रवैया सहानुभूतिपूर्ण है। परन्तु समस्या मुख्यत: पर्याप्त निधि के जुटाने की है ।

Jails in Uttar Pradesh

1119. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of high class and general class jails and prisons under the Government of Uttar Pradesh, District-wise;

(b) the number of prisoners of each class for whom arrangements exist in the jail of each category and the number of prisoners actually accommodated in each prison during the period from 15th May to June, 1968;

(c) the details of officers and other staff working in each category, District-wise and their break-up category-wise under the Scheduled Castes and sub-Castes thereof and Scheduled Tribes and sub-Tribes thereof, their designation, pay, allowances and other facilities; and

(d) the details of income, expenditure, District-wise of all these Jails during the Year 1966-67?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (d). Information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

Employees of U. P. Government

1120. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other castes employees, Department-wise, category-wise and District-wise along with their designations in the Police Service, Administrative Service and the Judicial Service under the Uttar Pradesh Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : The requisite information is being obtained and will be placed on the Table of the House .

Ban on Weapons in U.P.

1121 . Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether U.P. Government have issued orders in June, 1968 under Section (4) of Arms Act, 1959 (in public interest) to 19 Districts of Uttar Pradesh for imposing a ban on arms

more than 10·17 cms. long weapons such as sword, stick, dagger, spear, lance, axe, karoli, kanta, bhujali, sangeen and knife; and

(b) if so, the names of Districts in which the order has been issued and the reasons for not issuing this order to the remaining districts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) In September 1967 the Government of Uttar Pradesh imposed restrictions on carrying of swords, sword-sticks, spears, spear-heads, ballams, kantas, karolies, daggers, pharasas, bhujlies, bayonets, knives with blades longer than 10·16 cms., other than those primarily designed for industrial, agricultural or domestic purposes and gandasas, other than gandasas of the type ordinarily used for domestic purposes within limits of Nagar-mahapalikas of Kanpur, Allahabad, Varanasi, Agra, Lucknow and Municipalities of Aligarh, Meerut, Bareilly, Moradabad, Shahjahanpur, Saharanpur, Gorakhpur and Districts of Unnao, Hardoi, Barabanki, Badaun, Fatehpur and Farakhabad. Subsequently in March 1968 restrictions on carrying the above weapons were extended within the Municipal limits of Dehradun, Muzaffarnagar, Muthura, Etah, Rampur, Hamirpur, Mirzapur, Azamgarh, Sitapur, Faizabad, Ballia, Sultanpur, Pratapgarh, Chandausi, Jhansi, Lalitpur, Jaunpur, Pilibhit, Bisalpur and town area of Kanth (District Moradabad) and notified area of Shahganj (District Jaunpur). The above restrictions were imposed in the areas mentioned above on the recommendations of local authorities. Proposals for imposing licensing restrictions in respect of above weapons in certain other areas, received from the local authorities, are under consideration of the State Government.

आसाम में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

1122. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम में कुछ लोगों की हाल की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से पूर्ण रिपोर्ट मांगी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन गतिविधियों में किसी विदेशी शक्ति का हाथ है; और

(घ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार आसाम सरकार से राज्य के सभी मुख्य घटनाओं के बारे में सतत सम्पर्क बनाए रखती है । विशिष्ट घटनाओं पर सूचना भी प्राप्त की जाती है । जहां कहीं आवश्यक है कानून के अनुसार उपर्युक्त कार्यवाही की जा रही है और सुरक्षा दल मिजो विद्रोहियों के विरुद्ध अपनी कार्यवाहियां कर रहे हैं और कड़ी सतर्कता बरत रहे हैं ।

"एन्सियन्ट इण्डिया" इतिहास में आपत्तिजनक अंश

1123. **श्री कं० हाल्दर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई आदर्श इतिहास पाठ्य पुस्तक "एन्सियन्ट इंडिया" के कुछ अशों पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो जिन अंशों पर आपत्ति की गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने इन आपत्तियों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो परिषद् ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). जी हां । मुख्यतया "वैदिक युग में जीवन" नामक अध्याय की विषय-वस्तु के बारे में आपत्तियां/आलोचनाएं हैं।

(ग) और (घ). आपत्तियों/आलोचनाओं पर इतिहास सम्पादकीय मण्डल द्वारा विचार किय गया है और मण्डल ने यह विचार प्रकट किया है कि पाठ्य पुस्तकें बिना किसी पक्षपात या पूर्वग्रह के भावनाओं को प्रभावित किए बिना एक इतिहासकार की सच्ची भावना से मिडिल स्कूलों की कक्षाओं की आदर्श पाठ्यपुस्तकों के रूप में लिखी गई है। सम्पादकीय मण्डल की सिफारिशों पर हाष्ट्रीय परिषद् ने संबंधित अध्याय की विषय-वस्तु में परिवर्तन नहीं करने निर्णय किया है ।

(ङ) क्योंकि पाठ्य पुस्तकें प्रमुख इतिहासकारों के बोर्ड द्वारा एक आ ...य-पुस्तक के रूप में अपनाने अथवा अनुकूलन करने के लिए लिखी गई है ... रकार ने इस मामले में और कोई कदम नहीं उठाया है ।

राज्यों में अग्नि सेवायें

1124. **श्री द० रा० परमार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बत... ा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में अग्नि ... न भिन्न एजेंसियों के नियंत्राधीन हैं और सेवा नियम समान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अग्नि सेवा ... ा एजेंसी अर्थात् सिविल रक्षा अथवा नगर निगमों के नियन्त्राधीन लाने तथा ... सेवा-नियमों के समान मान लागू करने का कभी प्रस्ताव किया है अथवा करना ..., और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्य... ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (...स० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (घ). अग्... था अग्नि-शमन राज्य के विषय हैं तथा इस संबंध में भारत सरकार का कार्य ... रो है। तथ पि, सन् 1950 में स्थापित एक विशेषज्ञ समिति तथा अग्नि संबं... लाहकार समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार ने एक माडल अग्नि विधेयक ... यार किया और अग्नि-सेवाओं में एकरूपता लाने की दृष्टि से इसे इस विषय... राज्य सरकारों को भेजा गया कि उस विधेयक की रूप-रेखा पर स्थानीय आ... संशोधित कर कानून अधिनियमित कर सकें सेवा-नियमों तथा उपक... धारण में एकरूपता के लिए अग्नि सम्बन्धी स्थायी सलाहकार समिति

भी समय-समय पर सिफारिश करती रही है। ये सिफारिशें राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ भेज दी गई हैं ।

नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर

1125. **श्री द० रा० परमार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर में नेशनल फायर सर्विस कालेज के छात्रावास में विद्यार्थियों से नगर तथा नगर के अन्य कालेजों के छात्रावासों में लिये जा रहे आवास-व्यय की तुलना में बहुत अधिक आवास व्यय लिया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो आवास व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि विद्यार्थियों को घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । कालेज छात्रावास में आवास-व्यय कुछ अन्य संस्थाओं की तुलना में कम है ।

(ख) एक अकेले सुसज्जित कमरे के लिए 20 रु० प्रति मास तथा जब कमरा दो प्रशिक्षणार्थियों द्वारा साझे में लिया गया हो तो 16 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति मास । इनमें बिजली तथा पानी के व्यय भी शामिल हैं ।

(ग) और (घ). जून, 1968 में कालेज के निदेशक ने सूचित किया था कि छात्रावास में दिये गये भोजन की किस्म घटिया हो गई है और निर्धारित भोज्य-सूची में बरकरार फेर-बदल की जाती है । भोजनादि की व्यवस्था करने को आगाह कर दिया गया था कि यदि वह भोजन तथा सेवा की किस्म सुधारने में सफल न हुआ तो उसका ठेका समाप्त कर दिया जायगा । परिणामतः भोजन की किस्म में सुधार हुआ है । दिया जाने वाला भोजन छात्रावास के वार्डन तथा कालेज के एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रति दिन चखा जाता है और निरीक्षण किया जाता है ।

अग्नि सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति

1126. **श्री द० रा० परमार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन अग्नि सम्बन्धी एक केन्द्रीय सलाहकार समिति है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के कितने सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को कितना पारिश्रमिक दिया जाता है;

(ग) इस समिति के कृत्य क्या है; और

(घ) इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित मान और नियम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) नीस। किसी भी सदस्य को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है ।

(ग) समिति के कृत्य अग्नि सेवाओं से सम्बन्धित तकनीकी समस्याओं की परीक्षा करना, अग्नि-शमन तथा अग्नि-निरोध से सम्बन्धित मामलों में सरकार को सलाह देना तथा अग्नि-शमन सामग्री का मान-निर्धारण करना है ।

(घ) ऐसे कोई नियम निर्धारित नहीं किये गये हैं। अग्नि-निरोध तथा अग्निशमन और इसके उपकरणों का ज्ञान तथा अनुभव रखने वालों या अग्नि शमन सेवाओं के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वालों में से नामांकन किया जाता है ।

नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर

1127. श्री द० रा० परमार : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये अपेक्षित न्यूनतम अर्हता क्या है ;

(ग) क्या प्रशिक्षणार्थियों को सीधे प्रवेश दिया जाता है अथवा वे अग्नि विभागों द्वारा भेजे जाते हैं ; और

(घ) क्या अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण देने के लिए देश में कोई अन्य कालेज है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन के सभापटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1473/68**]

(ग) उप-अधिकारियों के पाठ्यक्रम में 10 प्रतिशत सीटें स्वयंपाठी उम्मीदवारों के लिये खुली हैं ; शेष प्रायोजित (स्पौन्सर्ड) उम्मीदवारों के लिये हैं। अन्य पाठ्यक्रमों में सभी सीटें प्रायोजित (स्पौन्सर्ड) उम्मीदवारों के लिये हैं ।

(घ) भारत में इस प्रकार का यही एक कालेज है ।

नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर

1128. श्री द० रा० परमार : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए आरक्षित स्थानों की प्रतिशतता कितनी है और वास्तव में दाखिल किये जा रहे इन विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) यदि कोई आरक्षण नहीं किया जाता है तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस कालेज में कुल कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा उन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी हैं ;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की फीस माफ की जा रही है तथा उनको छात्र-वृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता दी जा रही है, और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) और (ख). उप-अधिकारियों के पाठ्यक्रम के लिए 40 स्थान हैं जो अकेला ही प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए भी खुला है। इन स्थानों में से 10 प्रतिशत प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए निश्चित हैं और इनमें से दो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित उम्मीदारों के लिए आरक्षित किये गये हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिए स्थानों के कोटे को उदार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। हालांकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए अन्य पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है जिनमें केवल फायर-फायटिंग और अग्नि-बचाव में निर्धारित तकनीकी योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले उम्मीदवार प्रवेश पाने के अधिकारी हैं।

(ग) इस समय कालिज में 74 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिनमें से चार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित हैं।

(घ) और (ङ). इस कालिज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि समाज कल्याण विभाग ने उप-अधिकारी पाठ्यक्रम को अपनी पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शामिल किया है।

जहाज खरीदने के लिये डैनमार्क सरकार द्वारा ऋण

1129. **श्री अनिरुधन :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज खरीदने के लिये डैनमार्क सरकार द्वारा दिये गये 2.12 करोड़ रूपये के ऋण का इस्तेमाल नहीं किया जा सका; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण के इस्तेमाल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) पोत की खरीद के लिये डैनमार्क की सरकार द्वारा 2.12 करोड़ रूपये का कोई ऋण नहीं दिया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगें

1130. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री अब्राहम :**
श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और कामगरों की कान्फेड्रेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा कर्मचारियों की काफी समय से निलम्बितचली आ रही मांगों के बारे में पारित प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

चीनी सैनिकों द्वारा मिजो क्षेत्रों पर अस्थायी कब्जा

1131. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा एक पुस्तिका परिचालित की गई है जिसमें मिजो लोगों से कहा गया है कि वे राष्ट्रीय हित में चीनी सैनिकों द्वारा अपने क्षेत्रों के अस्थायी कब्जे के लिये तैयार रहें ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि यह मिजो लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिये पीकिंग को एक खुला निमंत्रण है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे हमारी सीमाओं को कोई खतरा न रहे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) मिजो नेशनल फ्रंट की ऐसी कोई पुस्तिका सरकार के ध्यान में नहीं आयी है ।

(ख) और (ग). सरकार को मिजो नेशनल फ्रंट के विदेशी सहायता प्राप्त करने के प्रयासों की जानकारी है । सुरक्षा दल सतर्क है और वे ऐसे खतरों से निपटने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं ।

माओ समर्थक पुस्तकें

1132. : **श्री एस० कुण्डू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने उत्तर प्रदेश में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की चारदीवारी से बहुत सी पुस्तकों का पता लगाया है जिन में माओत्से तुंग के लेख लिखे हुए थे ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधियों को दण्ड देने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

प्रादेशिक भाषाओं में सस्ती पाठ्य-पुस्तकों के लिये उड़ीसा सरकार को सहायता

1133. **श्री एस० कुण्डू** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक भाषाओं में सस्ती पाठ्य-पुस्तकें छपाने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार को एक करोड़ रुपये दिये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो वास्तव में कितनी रकम दी गई है तथा उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) और (ख). विश्वविद्यालय स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं की सस्ती पाठ्य पुस्तकें मुद्रित करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। किन्तु चौथी आयोजना में प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिये राज्यों की सहायतार्थ एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में से एक विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को उचित मुल्य पर प्रकाशित करना है ।

(ग) राज्य सरकार से कहा गया है कि उड़िया में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराने के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव भेजें। किन्तु राज्य सरकार से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुप्त स्रोतों से शेख अब्दुल्ला को सहायता

1135. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री टी० पी० शाह :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय गृह-कार्य मत्रालय में राज्य मत्री के इन्दौर में 29 मई, 1968 को दिये गये इस वक्तव्य के बारे में जानकारी है कि शेख अब्दुला को कुछ "गुप्त स्रोतों" से भारी धन मिलता रहा है और कि उसके "विरुद्ध उचित समय" पर कार्यवाही की जायेगी ;

(ख) यह राशि कितनी "भारी" है और वे "गुप्त स्रोत" कौन से हैं और सरकार को इस मामले की कहाँ तक जानकारी है ; और

(ग) इन "गुप्त स्रोतों" को बन्द करने के लिये सरकार द्वारा क्या यथार्थ कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जब पूछा गया कि हमें ऐसे समाचार प्राप्त हुए है कि शेख अबदुल्ला भारत के प्रतिकूल स्रोतों से भारी मात्रा में धन प्राप्त कर रहा है, तो मैंने ऐसे समाचारों के प्राप्त होने की पुष्टि अथवा इससे इन्कार नहीं किया था।

(ख) और (ग) : सरकार को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के बारे में गुप्त-सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं तथा उनपर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। गुप्त सूचनाएं सार्वजनिक रूप में प्रकट नहीं की जाती हैं तथा विशेष गुप्त सूचनाओं पर की गई कार्यवाही को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के चालकगण से होटल शुल्क

1136. **श्री बाबू राव पटेल**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अपने चालकगण के लिये ग्रांड होटल, कलकत्ता को डबल रोटी तथा नाश्ते सहित प्रति कमरे के लिये 61·05 रु० देती है जब कि

एयर इण्डिया, डबल रोटी और नाश्ते सहित प्रति कमरे के लिये, जिसमें प्रात: और दोपहर बाद की अतिरिक्त चाय भी शामिल है, उसी होटल को केवल 50 रु० देता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रति व्यक्ति प्रति कमरा 11·05 रु० के अतिरिक्त शुल्क से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को, अपने चालकगण के 31,000 सदस्यों पर, जिन्हें प्रति वर्ष कलकत्ता के ग्रांड होटल में ठहराया जाता है, 35,650 रु० प्रतिवर्ष की हानि होती है, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा अधिक शुल्क देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). होटल द्वारा ली जाने वाली दरें दोनों कारपोरेशनों के लिये एक ही हैं, अर्थात् सिंगल रूम का 50 रुपये तथा उस पर 10% सेवा खर्च, यानि कुल 55 रुपये। इसमें सुबह के नाश्ते की रकम शामिल नहीं है जो कि 5·50 रुपये, तथा 10% सेवा खर्च मिलाकर कुल 6·05 रुपये होती है।

जब कि इंडियन एयरलाइन्स शय्या और नाश्ते का कुल भुगतान 61·05 रुपये एक साथ करके कमरा बुक करती है, एयर इण्डिया जब कभी आवश्यक होता है विमान-कर्मियों के ब्रेकफास्ट के लिये अलग से भुगतान करती है।

हैदराबाद में क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला में कोयला से गैस बनाने की परियोजना

1137. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला में कोयले से गैस बनाने की परियोजना आरम्भ करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उस समय धनबाद संयंत्र के अस्तित्व का कोई उल्लेख भी नहीं किया गया था जब कि दूसरी प्रयोगशाला में एक अग्रिम संयंत्र परियोजना के लिये प्रस्ताव पर गलत ढंग से जोर दिया जा रहा था;

(ग) अब तक हैदराबाद परियोजना पर वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा आयात किये गये सामान के मूल्य का अभी कितना भुगतान किया जाना है;

(घ) क्या यह भी सच है कि काने समिति ने इस सारी परियोजना को बेकार बताया है तथा इसे किसी उर्वरक कारखाने को सौंपने की सलाह दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सलाह को कार्यरूप देने के लिये क्या व्यवहारिक कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुणा सेन) : (क) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में कोयले से गैस बनाने का संयंत्र स्थापित करने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न प्रकार के कोयलों से गैस के उत्पादन और उसकी किस्म के सम्बन्ध में तकनीकी सूचना एकत्र करना;

(2) खनिज-मल की तह पर कार्य करने के लिये दाब क्रिया द्वारा गैस बनाने की प्रक्रिया में संशोधन तथा सुधार करना; और

(3) बाद में अपक्व गैस को (i) संश्लषण गैस; (ii) नगरीय गैस में बदलना और नगरीय गैस का अर्धव्यापारिक पैमाने पर वितरण के लिये परीक्षण करना ।

(ख) बी०एस०आई०आर० तथा सी०एस०आई०आर० की शासी निकाय की क्रमशः 2-11-1962 और 3-11-1962 को हुई बैठकों में जिस कार्यसूची पर विचार किया गया था उसमें केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद में गैस बनाने के संयंत्र के विद्यमान होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था ।

(ग) खर्च की जा चुकी राशि . . . 26·09 लाख रुपये

आयात के बारे में किये गये वायदों की पूर्ति (बैंक कमीशन सहित) . . . 45·40 लाख रुपये (64·4 फ्रेंच फ्रांक = 100 रु० की विनिमय दर पर आधारित)

माल को उठाने, हैदराबाद ले जाने और पेटियों को रखने के लिये अनुमानित खर्च . . 0·30 लाख रुपये

(घ) काने समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि क्षेत्रीय अनसंधान प्रयोगशाला, इलाहाबाद द्वारा सुझाये गये ढंग के अनुसार संयंत्र को स्थापित करना और उसे चलाना उचित नहीं होगा । समिति ने सुझाव दिया है कि :—

(1) इस बात की सम्भावनाओं का पता लगाया जाये कि क्या सरकारी क्षेत्र अथवा निजो क्षेत्र की कोई उर्वरक उत्पादन कम्पनी निम्न-स्तरीय कोयले से संश्लेषण गैस के उत्पादन के सम्बन्ध में विकास कार्य के लिये परीक्षण यूनिट के रूप में उपयोग के लिये पूरे संयंत्र को लेने के लिये तैयार है ।

(2) यदि किसी उर्वरक फैक्टरी को इस संयंत्र का अन्तरण सम्भव नहीं हो, तो केवल यही विकल्प हो सकता है कि संयंत्र को क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद, के कैम्पस में स्थापित किया जाये ताकि जहां तक इस प्रयोजन के लिये धन उपलब्ध हो उसके अनुसार कोयले से गैस बनाने के लिये विकास कार्य हेतु इसे एक परीक्षण यूनिट के रूप में चलाया जा सके ।

(ङ) काने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

कोकराझार (आसाम) में उपचुनाव

1138. **श्री देवेन सेन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के गोलपाड़ा जिले में कोकराझार निर्वाचन-क्षेत्र से संसद् के 19 मई, 1968 को हुए उपचुनाव के बहिष्कार के परिणामस्वरूप कितने आदिवासी निरुद्ध हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोकराझार में 23 मई, 1968 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने तथा मैदानी क्षेत्र के आदिवासियों की परिषद् के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद स्वायत्त शासन के लिये यह आन्दोलन अब गोपनीय रूप से चलाया जाने लगा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). तथ्य एकत्रित किये जा रहे हैं और यथासमय सदन के सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

हुगली पर दूसरा पुल

1139. **श्री देवेन सेन :**

डा० रानेन सेन :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार के सुझाव पर हुगली नदी पर दूसरा पुल बनाने का निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुल पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या यह व्यय केन्द्र वहन करेगा;

(घ) निर्माण कब आरम्भ होने की संभावना है; और

(ङ) क्या रेलवे को यह पुल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ग). हुगली के ऊपर का प्रस्तावित पुल मुख्यत: राज्य परियोजना है । अत: राज्य सरकार उससे सम्बद्ध है । फिर भी इस परियोजना के लिये सहायता प्रतिरूप के अंतर्गत, चौथी योजना के अंतर्गत अंतियत: दिये जाने वाले केन्द्रीय ऋण देने के लिये राज्य सरकार से कुछ जरूरी आंकड़े देने का अनुरोध किया गया है और उनके प्राप्त होने पर इस मामले में आगे विचार किया जायेगा । तब तक, 1968–69 के दौरान, उस पूर्व कार्यवाही के लिये, जो राज्य सरकार इस परियोजना पर करना चाहे, ऋण सहायता देने का प्रस्ताव है और राज्य सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि वह अपनी आवश्यकता की सूचना सम्बद्ध व्यय के अनुमानों सहित भेजे ।

(ख) कुछ समय पूर्व राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार इस पुल और जोड़ने वाली लिंक सड़कों वाली इस परियोजना पर 22·01 करोड़ रु० का अनुमानित व्यय होगा जैसा नीचे दिया गया है :—

	करोड़ रुपये
(1) मुख्य पुल	16·02
(2) रा० मु० मार्ग सं० 6 को जोड़ने वाली सड़क	2·75
(3) सेंट्रल हौड़ा को जोड़ने वाली सड़क	3·24
	22·01

(घ) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि इस पुल का निर्माणकार्य सम्भवत: कब शुरू किया जायेगा क्योंकि कार्यक्रम राज्य सरकार, जो मुख्यत: इस परियोजना से सम्बद्ध है, द्वारा निश्चित किया जाना है ।

(ङ) हाल में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अयोध्या में प्राचीन संस्कृति तथा संस्कृत का अध्ययन करने के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना

1140. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अयोध्या को राष्ट्रीय एकता का केन्द्र बनाने की दृष्टि से वहां पर प्राचीन संस्कृति तथा संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में अपराध

1141. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी–जून, 1968 की अवधि में दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में हत्या, छुरेबाजी तथा डाके के कितने मामलों की रिपोर्ट दर्ज हुई है;

(ख) क्या उक्त आंकड़े पिछले वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में बहुत अधिक नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो अपराध को रोकने तथा लोगों के मन में भय दूर कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). अपराध के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

अपराध का शीर्षक	अवधि में सूचित किये गये मामले	
	1–1–1967 से 30–6–67 तक	1–1–1968 से 30–6–168 तक
डकैती	—	3
हत्या	33	42
छुरा घोंपना	79	63

(ग) समय-समय पर दिल्ली में आपराधिक स्थिति का पुनरीक्षण किया जाता है और आवश्यक निरोध और अन्य उपाय प्रशासन द्वारा कानून के अनुसार किये जाते हैं । ज्ञात दुष्चरित्रों पर नजर रखी जाती है तथा प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कड़ी कर दी जाती है ।

नई दिल्ली में सत्याग्रहियों की पिटाई

1142. **श्री श्रीधरन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि 13 मई, 1968 को पटेल चौक, नई दिल्ली में पुलिस ने कच्छ सत्याग्रहियों को मारा-पीटा था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस शिकायत के बारे में जांच की है; और

(ग) इस जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन से एक शिकायत की गई थी कि पुलिस ने एक महिला प्रदर्शनकारी के साथ दुर्व्यवहार किया था। मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे तथा वह शिकायत सच नहीं पाई गई ।

दल-बदलुओं सम्बन्धी समिति

1143. **श्री श्रीधरन** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक दल-बदलुओं सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) समिति ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

लाइबेरिया का जहाज

1144. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जून, 1968 को लाइबेरिया का एक जहाज ओखा तट के पास जमीन में धंस गया था जिसके कारण 1 करोड़ रुपये की हानि हुई ;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 11 जून, 1968 को ओखा पत्तन के निकट एक लाइबेरियन पोत वा० पो० "माउंट ओदरायस" भूमि में धंस गया। विदेशी पोत होने के कारण उसका मूल्य ज्ञात नहीं है । नष्ट हुये माल का पोत तक निःशुल्क मूल्य 9·06 लाख रुपये था ।

(ख) और (ग). मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 359 के अधीन प्रारंभिक जांच जल परिवहन विभाग जामनगर के सर्वेक्षक अधिकारी द्वारा की गई थी। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पर्यटन के विकास के लिये प्रादेशिक सम्मेलन

1145. **श्री सीताराम केसरी**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के इस भाग में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त कार्यवाही की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक प्रादेशिक सम्मेलन बुलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन किस स्थान पर तथा कब बुलाने का विचार है तथा उसमें किन-किन देशों के भाग लेने की आशा है; और

(ग) क्या भारत प्रस्तावित सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमण्डल भेज रहा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग). भारत सरकार की पहल पर पर्यटन को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन (रीजनल कान्फ्रेन्स) बुलाने के एक प्रस्ताव को सरकारी यात्रा संगठनों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ के दक्षिण एशिया यात्रा आयोग के सदस्य देशों में प्रसारित किया गया है। आयोग के सदस्य देश अफगानिस्तान, सीलोन, नेपाल, ईरान, मंगोलिया का लोक गणराज्य, पाकिस्तान और भारत हैं। इस सम्मेलन के, जो कि आगामी वर्ष में किसी समय होगा, स्थान और तिथि को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा रात्रि विमान सेवा आरम्भ करना

1146. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स को रात्रि विमान सेवाएं आरम्भ करने की अपनी योजनाओं को समाप्त कर देना पड़ा क्योंकि विमान चालकों ने रात को विमान चलाने से इन्कार कर दिया था;

(ख) क्या विमान चालकों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई वैकल्पिक योजना बनाई गई है; और

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स की इस प्रयोजन के लिए विमान चालकों को भर्ती करने की कोई योजनाएं हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग). यात्रियों सहित रात्रि-कालीन हवाई डाक सेवा परिचालित करने का प्रस्ताव छोड़ा नहीं गया है, परन्तु कार्मिक प्रशिक्षण कार्य-क्रम में बाधा उपस्थिति हो जाने से उसमें कुछ विलम्ब हो गया है । दिल्ली-नागपुर-दिल्ली सेक्टर पर रात्रिकालीन यात्री सेवा 15 जुलाई, 1968 से चालू है । नवम्बर, 1968 से प्रारम्भ होने वाली अगामी शीतकालीन समय अनुसूची में इंडियन एयरलाइन्स कलकत्ता-नागपुर, मद्रास-नागपुर, बम्बई-नागपुर के बीच यात्रियों सहित रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा चालू करने की योजना बना रहे हैं।

इंडियन एयरलाइन्स की अपने विमान चालकों की संख्या में वृद्धि करने के लिये विमान चालक भर्ती करने की योजना है । ये विमान चालक दिन और रात दोनों ही की सेवाओं को परिचालित करेंगे ।

कर्मचारी निरीक्षण समिति की सिफारिशें

1147. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी निरीक्षण समिति की सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है, तो इससे कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और क्या छंटनी किये गये व्यक्तियों के लिये वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). सड़क पक्ष के मुख्यकार्यालयों में सचिवालय कर्मचारियों के बारे में स्टाफ इंसपेक्शन यनिट की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं और फालतू कर्मचारी अन्यत्र खपा लिये गये हैं । फालतू तकनीकी कर्मचारी अंशतः रिक्त स्थानों में लगा लिये गये हैं और शेष कर्मचारियों को लागाने का प्रश्न विचाराधीन है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् क्रेडिट कार्यक्रम के अधीन लिये गये सड़क निर्माण कार्य के निष्पादन के लिये स्वीकृत कर्मचारियों को लगाये रखने का प्रश्न विचाराधीन है । किन्तु अब वे केन्द्र और राज्यों के बीच संपर्क कार्य और पार्श्व तथा सामरिक महत्व की सड़कों के निष्पादन से संबद्ध कार्यों में लगे हुये हैं । फिलहाल अस्थायी पोस्टों को अगस्त 1968 के अन्त तक रखा जा रहा है । अभी तक किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई ।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मुकदमों का निपटाया जाना

1148. **श्री योगेन्द्र शर्मा** :
श्री भगवान दास :
श्री अनिरुद्धन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री हेम राज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमें अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय अनिर्णीत मुकदमों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या न्यायालयों के सामने आने वाले मुकदमों के निर्णय में बहुत अधिक विलम्ब होता है;

(घ) यदि हां, तो उनके निर्णय में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) उच्च न्यायालयों में पड़े अनिर्णीत मुकदमों को शीघ्र निबटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ङ). डा० रानेन सेन और श्री राणे के अतारांकित प्रश्न संख्या 2349 के उत्तर में उच्च न्यायालय में 31-12-1967 तक के अनिर्णीत मुकदमों का विवरण 1-3-68 को सभा पटल पर रखा गया था। सरकार ने इसके शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाये हैं; इसकी भी सूचना दी गई थी। 1-7-1968 तक के अनिर्णीत मुकदमों की संख्या की सूचना एकत्रित की जा रही है और इन अनिर्णीत मुकदमों के शीघ्र निपटाने के लिए उठाये गए कदमों के विवरण के साथ इसको सभा पटल पर रखा जायेगा।

हैदराबाद स्थित सेंट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इंगलिश

1149. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इंगलिश, हैदराबाद में अनुसन्धान कार्य करने के लिये प्रति-वर्ष कितने छात्र छांटे जाते हैं;

(ख) यह व्यवस्था कब से विद्यमान है;

(ग) तब से इस संस्था में कितने अनुसन्धान छात्रों ने अनुसन्धान कार्य किया है तथा उनमें से कितने छात्रों ने परियोजना पूरी की है;

(घ) इन अनुसन्धान परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार उन अनुसन्धान छात्रों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का है जो निर्धारित अवधि में अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). यह योजना दो अनुसंधान अधिछात्रवृत्तियों (फेलोशिप्स) से 1960 में शुरू हुई थी। छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर 1961 में पांच और 1967 में आठ कर दी गई।

(ग) इस संस्थान में 29 छात्रों ने अनुसंधान कार्य किया और सितम्बर, 1967 में दाखिल हुए 6 छात्रों को छोड़ कर बाकी सब ने परियोजना पूरी की है।

(घ) इन भाषा वैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्रीय खोजों का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है।

(ङ) अनुसंधान की प्रगति के सम्बन्ध में पहले से ही सावधानी बरती जा रही है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं का संतोषजनक समापन सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष एक अनुसंधान डिप्लोमा परीक्षा संचालित कर दी है।

राजस्थान के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

1150. **श्री योगेंद्र शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया पर आरोप लगाये थे कि वह राजनीतिक भ्रष्टाचार के दोषी हैं; और

(ख) क्या भारत सरकार को इन आरोपों से उत्पन्न स्थिति के बारे में उचित कार्यवाही करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि श्री एम० एल० सुखाडिया के राज्य विधान सभा के चुनाव के विरुद्ध श्री भानु कुमार शास्त्री द्वारा दायर की गई चुनाव याचिका को रद्द करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने श्री सुखाडिया के विरुद्ध कुछ आक्षेप लगाये थे। अभ्यावेदन की अभी परीक्षा की जा रही है। यह मालूम हुआ है कि श्री भानु कुमार शास्त्री ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है।

जून, 1968 में डम-डम पर पान अमरीकन विमान की दुर्घटना

1151. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1968 में डम-डम हवाई अड्डे पर पान अमरीकन के विमान की हुई दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रतिवेदन को सभापटल पर रखने का है ?

पर्यटन तथा उड्डयन असैनिक मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) दुर्घटना की औपचारिक जांच करने के लिए एक उच्च न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच अदालत नियुक्त की गयी है। अदालत की प्रारंभिक बैठक सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 1968 को होनी निश्चित हुई है।

(ख) अभी प्रश्न नहीं उठता।

Clashes with rebel Nagas and Mizos

1152. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of rebel Nagas and Mizos and the personnel of the Border Security Force killed and injured in the encounters from 1st April, 1968 to 30th June, 1968;

(b) the number of armouries belonging to the rebels which were seized and the places of their location and the names of lethal weapons seized, their number and the country of their make ; and

(c) the preventive steps being taken to check the danger ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a)

	Number of Persons Killed	Wounded
(i) Personnel of the "Border Security Force"	Nil	Nil
(ii) Naga Hostiles	9	2
(iii) Mizo Hostiles	42	18

(b) A total of about 123 small arms including some automatic weapons and a 60 m. m. mortar were recovered during the period in the course of encounters. The weapons used by hostiles generally carry no markings or have erased markings, but some of the seized weapons are believed to have been obtained from China and Pakistan.

(c) Suitable steps have been taken to strengthen security measures and security forces are maintaining constant vigilance.

आनन्द मार्ग के विरुद्ध आरोप

1153. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुरूलिया जिले का 18 सदस्यों का सम्मिलित एक शिष्ट-मंडल राज्य पाल से मिला था और उन्हें जिले में चल रहे आनन्द मार्ग के विरुद्ध आरोप लगाने वाला एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में लगाये गये मुख्य आरोप क्या हैं ;

(ग) क्या प्रतिनिधि मंडल में सम्मिलित व्यक्तियों ने सरकार से आनन्द मार्ग के वित्तीय साधनों की जांच करने की मांग की थी ;

(घ) क्या उन्होंने संगठन की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने की भी मांग की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ङ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

1971 की जनगणना

1154. **श्री ईश्वर रेड्डी** : : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 में होने वाली जनगणना की तैयारी आरम्भ कर दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो 1971 की जनगणना के लिये कौन से मार्ग-दर्शक सिद्धांत बनाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1971 की जनगणना की अनुसूचियों के प्रथम प्रारूप, जो तैयार कर लिए गये हैं, (किन्तु जिनको अन्तिम रूप में अपनाने से पूर्व पुर्व-परीक्षा आवश्यक है) मुख्य रूप में 1961 की जनगणना के नमूने का अनुकरण करेंगे। 1971 की जनगणना की अन्तिम प्रश्नावली तैयार करने में पिछले जनगणना के साथ सामग्री तथा विचार की तुलनीयता मूल सामग्री की वर्तमान आवश्यकताएं, सामग्री एकत्रित करने की व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जायेगा। इलैक्ट्रोनिक-गणक के द्वारा जन-गणना सम्बन्धी सामग्री का तैयार करना 1971 की जनगणना प्रक्रिया की विशेषता होगी जिसमें सामग्री के अधिक जटिल सारणीकरण में सुविधा होगी।

Tension in Kailash Nagar--Gandhi Nagar Delhi

1155. **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that communal tension prevails in Kailash Nagar-Gandhi Nagar Delhi due to the reason that the land earmarked in the Master Plan for a Community Centre

In that area has been occupied illegally by certain persons who have raised some unauthorised construction on it against the wishes of the residents of that area ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to remove this cause of communal tension ?

The Minister of States in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir .

(b) Does not arise .

दिल्ली के एक सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट का आचरण

1156. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि एक अभियुक्त की पहिचान करने के लिये दिल्ली का एक सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट जेल का दौरा करते समय एक पुलिस अधिकारी को अपने साथ ले गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट/मैजिस्ट्रेट ने उस पुलिस अधिकारी को अपना रीडर बताया ; और

(ग) यदि हां, तो उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) से (ग). मामले की जांच की जा रही है ।

Scholarships to Students in Polytechnic Institues in Delhi

1157. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of such students in the Polytechnic Institute at Pusa, Kashmere Gate and Okhla in Delhi who were granted merit-cum-means Scholarships in the first year of Diploma Course and had secured between fifty-five and sixty per cent marks in the annual examination of the first year and have been granted scholarships in the second year ;

(b) whether there is some Polytechnic out of those referred to above, where no scholarship has so far been granted to the students of the said category ; and

(c) if so, the reasons therefor and the time by which the scholarships would be granted to them ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c). The result of the first year Diploma Examinations for the students admitted during the session 1967-68 were announced in June , 1968 . The new session started on 15-7-1968. Twenty-two students receiving scholarships have secured marks between fifty-five and sixty per cent. The last date for the receipt of applications for scholarships has not yet expired. The award of scholarships will be finalised after the expiry date for applications .

दिल्ली के मैजिस्ट्रेट द्वारा मकान किराया गलत ढंग से ले लिया जाना

1158. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली का एक मैजिस्ट्रेट मकान किराया भत्ता अवैध रूप से लेता रहा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ सरकारी क्वार्टर में रह रहा था ;

(ग) यदि हां, तो मकान किराया के रूप में उसने कितनी राशि ली ; और

(घ) राशि की वसूली और तथ्यों को छिपाने के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (घ). दिल्ली मैजिस्ट्रेट द्वारा 2 माह के लिए अधिक मकान किराया भत्ता भ्रम के कारण लिया गया जो डिप्टी कमिश्नर द्वारा सरकार के संशोधित आदेश देर से प्राप्त करने के कारण उत्पन्न हुआ था। रकम की वसूली का प्रश्न विचाराधीन है।

Irregularties in Gobind Ballabh Pant Polytechnic, Okhla, New Delhi

1159. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a lot of disorder in the Govind Ballabh Pant Polytechnic, Okhla, New Delhi administered by the Delhi Administration in the matter of awarding scholarships and discipline ; and

(b) whether Government propose to conduct an enquiry into the affairs of this Polytechnic?

The Minister of Education (Dr Triguna Sen) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Author of "Pahle Aati Thi Hale Dil pe sharm"

1160. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the author of an article published in 'Saptahik Hindustan' of the 5th November, 1967 under the heading 'Pahle aati thi hale -dil pe sharm' is working in his Ministry as per his address given in the contents ; and

(b) if so, whether the above author had obtained the permission of Government before contributing the article in that magazine ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes Sir. The author is employed in the Central Hindi Directorate—subordinate office under the Ministry.

(b) Prior Government permission is not required for publishing articles of a purely literary, artistic or scientific character.

Hindi as a Medium of Instructions in Central Schools

1161. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arrangements have not been made in various Central Schools for imparting instructions in all the subjects in Hindi in pursuance of the Official Languages Act;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken by Government to teach all the subjects in Hindi in the Central schools ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c), The approved Scheme of Central Schools provides that the medium of instruction in these schools will be composite Hindi & English. This policy is being graduall implemented in all the Central Schools.

कलकत्ता में डाका

1163. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**
श्री बि० प्र० मण्डल :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्क स्ट्रीट डाकघर, कलकत्ता में दिन दिहाड़े डाका डाला गया जिसमें डाकुओं ने डाक की 3,97,950 रुपये की राशि लूट ली, गार्डों को जख्मी किया और उनकी बन्दूकें छीन लीं ;

(ख) क्या इस मामले में कोई छानबीन की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ;

(घ) क्या अपराधियों का पता लगा लिया गया है ; और

(ङ) क्या ऐसा विश्वास करने के कारण हैं कि यह डकैती पश्चिम बंगाल में मध्यकालीन चुनावों को लड़ने के लिये धन प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल द्वारा कराई गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ). कलकत्ता पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395, 397, शस्त्र अधिनियम की 25 (1) (क) तथा 27 के अधीन और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की 3 तथा 5 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है । अब तक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है ।

अंग्रेजी की शिक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया शिक्षा संबंधी श्वेतपत्र

1164. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किये गये शिक्षा सम्बन्धी श्वेतपत्र में यह सुझाव दिया गया था कि अंग्रेजी आठवीं कक्षा से पढ़ानी आरम्भ की जानी चाहिये ;

(ख) क्या राज्य के शिक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन ने श्वेतपत्र पर विचार करने के बाद यह सिफारिश की है कि पांचवीं कक्षा से अंग्रेजी के अध्यापन को अनिवार्य बनाया जाये ;

(ग) क्या सम्मेलन के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया है कि राज्य के विद्यार्थी अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में प्रभावशाली ढंग से भाग ले सकें ; और

(घ) क्या ये निर्णय करते समय किसी भी अवस्था पर उनके मंत्रालय से परामर्श किया गया था ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए शिक्षा सम्बन्धी श्वेतपत्र के मसौदे में, जो जनता के विचार मालूम करने के लिए अब प्रकाशित कर दिया गया है यह सुझाव दिया गया है कि अंग्रेजी का शिक्षण कक्षा पांच से वैकल्पिक आधार पर शुरु किया जाना चाहिए और कक्षा VIII से यह अनिवार्य होना चाहिए ।

(ख) और (ग). अनेक कारणों से राज्य से अंग्रेजी अध्ययन को कक्षा V से अनिवार्य करने की आम मांग है ।

(घ) जी नहीं ।

न्यायाधीशों की सेवा शर्तें

1165. **श्रीमती तारा सप्रे :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ उच्च-न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों और उपलब्धियों के बारे में विचार विमर्श हुआ था ; और

(ख) यदि हां, क्या उनकी सेवा-शर्तों और उपलब्धियों के संशोधन के बारे में कोई निर्णय हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत के मुख्य न्यायाधीश के इस सुझाव पर, कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा कर 65 वर्ष कर दी जाय, बैठक में विचार विमर्श किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया गया था ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

कुकियों के साथ मुठभेड़

1166. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 250 विद्रोही कुकियों तथा मिज़ोओं का एक गिरोह, जिसका नेतृत्व एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी कर रहा था, सीमा पार करके अप्पर बर्मा में चला गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस गिरोह ने सीमा पार करने से पहले सीमावर्ती आदिम जाति लोगों के गाँव को लूटा था ; और

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें सीमा पार करने से रोकने के लिए सुरक्षा दल द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) सुरक्षा दलों ने हमारी सीमाओं के पार जाने वाले विद्रोहियों को रोकने के सभी पूर्वोपाय कर लिये हैं ।

माओ-समर्थकों द्वारा एक युवक पर हमला

1167. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री माओ-समर्थकों द्वारा एक युवक पर हमले से सम्बन्धित 19 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7789 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में जाँच इस समय किस अवस्था में है और अपराधियों को दण्ड देने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, शिकायतकर्ता श्री दलीप भट्टाचार्जी पुलिस के समक्ष दिये गये अपने मूल वक्तव्य से मुकर गया और उसने 27 मई, 1968 को एक लिखित वक्तव्य दिया कि वह हमला करने वालों के नाम नहीं जानता और 17 फरवरी, 1968 को उसने जो पहला बयान दिया था जिसे पहले प्राप्त सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) माना गया था, वह उसने अपने एक मित्र के कहने पर दिया था। शिकायतकर्ता के पारस्परिक बयानों को दृष्टि में रखते हुए तथा अन्य साक्ष्य के न मिलने पर, आरोप-पत्र प्रस्तुत करना संभव नहीं था। तदनुसार गिरफ्तार किये गये सभी व्यक्ति जिनमें प्रदीप धर भी शामिल था और जिसका नाम शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया था, छोड़ दिये गये और मामले की जाँच बन्द कर दी गई।

उत्तर प्रदेश में भू-आन्दोलन के दौरान गिरफ्तारियां

1168. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में उत्तर प्रदेश में संयुक्त समाजवादी दल/साम्यवादी दल के कितने स्वयंसेवकों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने खेती तथा वन भूमि को हथियाने के लिये सत्याग्रह किया;

(ख) उनमें से कितने स्वयंसेवक रिहा किये गये तथा कितने अभी जेलों में हैं ; और

(ग) उनकी माँगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

मनोरा पीक (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय राज्य वैधशाला

1169. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राज्य वेधशाला, मनोरा पीक, उत्तर प्रदेश को "रिफलैक्टर" दिया जाने वाला है जिससे ज्योति-भौतिक विशेषज्ञों को इसके अध्ययन तथा तारकीय द्रव्यों के निश्चयन में सहायता मिलेगी ;

(ख) यदि हाँ, तो कब ; और

(ग) उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). नैनीताल राज्य वधशाला, उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि वैधशाला ने पूर्वी जर्मनी की जाइज जैना को 99,200 पौंड स्टर्लिंग के समकक्ष रुपयों में 40 इंच के द्वारक परावर्तक (अपरचर रिफलैक्टर) का आर्डर दिया है। परावर्तक (रिफलैक्टर) के 1969 वर्ष की दूसरी छमाही में प्राप्त होने और प्रतिष्ठापित किये जाने की आशा है। दूरबीनघर के उपसाधनों और प्रतिष्ठापन कार्य पर सात लाख रुपये और खर्च होने की सम्भावना है

छोटी गंडक और घाघरा नदियों पर पुल

1170. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटनी और नदावर में छोटी गंडक नदी पर तथा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भागलपुर में घाघरा नदी पर पटेल आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुल बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण-कार्य पर कुल कितनी लागत लगेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). भटनी और नदावर में छोटी गंडक पर और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भागलपुर में घाघरा नदी पर प्रस्तावित पुल पूर्ण हो जाने पर राज्य सड़कों पर होंगे। अतः उनके निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। उनसे अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है जो यथासमय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

शिक्षा आयोग की सिफारिशें

1171. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशों के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). जी हाँ। शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशों से सम्बन्धित सरकार के निर्णयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल कर लिया गया है जो कि 24 तारीख को सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वयं भू मिजोराम सेना की ओर से धमकी

1172. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वयं भू मिजोराम सेना ने इम्फाल-तायेंगलांग सड़क के साथ-साथ पड़ने वाले गाँवों में रहने वाले नागाओं को यह धमकी दी है कि वे अपने गाँव छोड़ कर चले जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त सड़क के देहातियों की मिज़ो विद्रोहियों के बल प्रयोग से रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) सरकार के पास ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सुरक्षा चौकियाँ स्थापित कर दी गई हैं ।

मिजो लोगों का रिग्रुपिंग

1173. **श्री श्रीनिवास मिश्र**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12000 मिज़ो लोगों को मिज़ो पहाड़ियों में और सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके लिये वही सुविधाओं की व्यवस्था की गई है जो उन्हें अपने मूल निवास स्थान पर उपलब्ध थीं ; और

(ग) उनके मूल निवास स्थानों को किस काम के लिये उपयोग में लाया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) मीज़ो पहाड़ी जिलों में 40 गाँवों के लगभग 13780 निवासियों ने स्वेच्छा से बड़े गाँवों और सुरक्षा वाले स्थानों में सीमा सुरक्षा दल की सहायता से स्थानान्तरण कर लिया है ।

(ख) ग्रामवासियों को नये स्थलों पर उपयोगी निर्माणकारी सामग्री और उनके धान के भण्डार आदि को ले जाने में सहायता दी गई थी । इन ग्रामों में अधिक सुरक्षा भी है ।

(ग) सरकार ने इन स्थलों को किसी काम में नहीं लिया है । यह भी निश्चित कर दिया गया है कि पुराने छोड़े हुए स्थलों का भी विद्रोहियों द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है ।

कोकराझार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव

1174. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के आदिवासियों ने आसाम में कोकराझार लोक-सभा चुनाव क्षेत्र के उप-चुनाव का बहिष्कार किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने मतदान केन्द्रों पर धरना दिया और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में जाने से रोकने के लिये रुकावटें खड़ी कीं;

(ग) क्या सरकार को आदिवासियों की इस प्रवृत्ति के कारणों के बारे में सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). असम की प्लेन्स ट्राइबिल कौंसिल में कोकराझार लोक-सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव को बाइकाट करने का आवाहन किया था। कौंसिल के स्वयंसेवकों ने निर्वाचन केन्द्रों पर पिकेटिंग किया और निर्वाचन में अन्य अड़चनें भी लगाईं।

(ग) और (घ). असम प्लेन ट्राइबिल कौंसिल में संसद् और असम राज्य विधान सभा दोनों के निर्वाचन के लिए मैदानी क्षेत्रों के आदिम जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के पुनःसीमांकन और एक पृथक् स्वायत्तशासी एकक के लिए की गई अपनी मांगों पर जोर डालने के लिए उपर्युक्त रुख अपनाया था।

Recovery of Illicit Liquor on Delhi-Meerut Border

1175. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the recovery of illicit liquor on Delhi-Meerut border ;

(b) if so, the results of the investigations into the sale of spirit and spurious rum and whisky on a large scale by some distilleries ;

(c) the action taken against the persons involved in such activities ; and

(d) how the large quantity of liquor seized was utilised and the action taken to check such crime in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, sir.

(b) to (d) The Delhi administration have reported that they had recovered country made illicit liquor on the Delhi-Meerut border . No incidents of sale of spirit etc. by distilleries have come to notice. The persons arrested in connection with the recovery of liquor are being proceeded against in accordance with law. The liquor recovered is disposed off as per orders of the court in such cases.

The information relating to Meerut District is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the table of the House .

Improvement in the System of Education

1176. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the judgement of Shri P.S. Verma, Session Judge, Agra wherein three under-age boys have been awarded life imprisonment on the charge of brutal murder ;

(b) whether it is also a fact that according to the learned judge lack of moral and religious education in the present system of education and obscene and vicious films shown in the cinemas are responsible for the cruel murder by immature boys; and

(c) if so, whether Government propose to change the system of education, replacing scenes of immorality, theft, dacoity and murder shown in the films and reconstituting the Film Censor Board ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

उड़ीसा में तकनीकी शिक्षा

1177. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के रौरकेला रिजनल इंजीनियरिंग कालिज को सहायता देते रहने के लिये राजी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सहायता का ब्यौरा तथा राशि क्या है और सहायता काल में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) 1968-69 और आगामी वर्षों में उड़ीसा में तकनीकी शिक्षा के विस्तार तथा एकीकरण के लिये क्या निर्णय किये गये हैं; और

(घ) क्या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के पिछड़ेपन के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):(क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार मूल योजना के अनुसार परियोजना पूरी होने तक इमारतों तथा साज-सामान पर होने वाले सभी अनावर्ती व्यय देगी। आवर्ती व्यय के लिये 50 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता 1968-69 वर्ष के लिए भी दी जाएगी।

निम्नलिखित धन अब तक दिया जा चुका है :—

आवर्ती	48,69,000 रुपए
अनावर्ती	1,08,72,000 रुपए

(ग) राज्य की 1968-69 के वार्षिक आयोजना में तकनीकी शिक्षा के विस्तार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

जहां तक आगामी वर्षों का सम्बन्ध है, राज्य की संशोधित चौथी पंचवर्षीय योजना के आधार पर इस मामले पर विचार किया जाएगा।

राज्य सरकार ने मौजूदा संस्थाओं के एकीकरण के लिए 1968-69 की अपनी वार्षिक योजना में 22 लाख रुपये की व्यवस्था की है।

(घ) जब संशोधित चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई जाएगी, तब तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य की जरूरतों का मूल्यांकन किया जाएगा।

उड़ीसा में त्रै-लाभ योजना

1178. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये त्रै-लाभ योजना क्रियान्वित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) उड़ीसा सरकार ने बुनियादी स्कूलों समेत सभी गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए 1-4-1964 से त्रिलाभ योजना लागू किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं ।

(ख) ब्यौरे, उड़ीसा सरकार के संकल्प सं० 19434-II-ई-बी-34/66, दिनांक 22-7-1968 में दिए गए हैं जो उड़ीसा के राजपत्र में विधिवत् प्रकाशित किया गया था ।

1968-69 में उड़ीसा को धन का नियतन

1179. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र तथा राज्यों के लिए नियत की गई धनराशि में से उड़ीसा को 1968-69 में कितनी-कितनी धनराशि दी गई थी; और

(ख) इससे कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य के विचार में उड़ीसा में सड़कों के लिये धन का आवंटन है । केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन 1968-69 में राष्ट्रीय मुख्य-मार्गों के विकास के लिये राज्य सरकार को 15 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है और अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के अनुमोदित कार्य के लिये राज्य सरकार सहायता अनुदान देने के लिये उस वर्ष के लिये बजट प्राक्कलन में 3.96 लाख रुपये की व्यवस्था मौजूद है । राज्य क्षेत्र के अधीन राज्य की 1968-69 की वार्षिक योजना में राज्य सड़कों के लिये 2.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुमोदित की गई है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें राष्ट्रीय मुख्य मार्ग (मूल) कार्य और अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कें सूचित की गई हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1474/68**] इनके लिये भारत सरकार द्वारा 1968-69 के बजट में व्यवस्था की गई है । जहां तक राज्य क्षेत्र के अधीन स्कीमें हैं उनके बारे में राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

श्री सत्यनारायण सिंह का चीन को पलायन

1180. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के मध्य में बिहार में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल के भूतपूर्व पायलाट ब्यूरो के सदस्य श्री सत्यनारायण सिंह जिन्होंने कुछ समय पहले सिन्दरी उर्वरक कारखाने में हुई लम्बी हड़ताल का नेतृत्व किया था तथा जिन्हें बाद में दल से निकाल दिया गया था और जो नक्सलाइट ग्रुप में शामिल हो गये थे नेपाल होते हुए चीन भाग निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको कोई विदेश यात्रा दस्तावेज जारी किये गये थे और यदि नहीं तो वह किन परिस्थितियों में पीकिंग गये; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कुछ समय पहले उन्हें बिहार में आदिम-जाति क्षेत्र में कृषि सम्बन्धी कथित क्रान्ति के सम्बन्ध में अविलम्बनीय विचार-विमर्श के लिये पीकिंग बुलाया गया था और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग) सरकार को यह सूचना नहीं है कि श्री सत्यनारायण सिंह नेपाल होता हुआ चीन भाग निकला है या कि वह पीकिंग द्वारा अविलम्ब परामर्श के लिए बुलाया गया था। अपने भाग निकलने के बारे में रिपोर्टों का खण्डन करते हुए दिये गये श्री सिंह के प्रेस वक्तव्यों को सरकार ने देखा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चौथी योजना में छोटे और मध्यम बन्दरगाहों का विकास

1181. **श्री बासुदेवन नायर** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में छोटे तथा मध्यम बन्दरगाहों के लिए विकास योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) योजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) चौथी योजना में जिन छोटे और मध्यम बन्दरगाहों का विकास करने का प्रस्ताव है उनके नाम क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास का कार्यकारी दायित्व सम्बद्ध राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें स्वयं लघु और अन्तरवर्ती पत्तनों के विकास के लिये चतुर्थ योजना कार्यक्रम तैयार कर रही हैं और अभी उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय खेल कूद में गिरावट

1182. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेलकूद के स्तर में हाल के वर्षों में सामान्य रूप से गिरावट आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में खेलकूद के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देश में खेल कूदों के स्तरों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय खेल कूद संघ मुख्यतः जिम्मेवार है। वित्तीय सहायता के लिए उन से प्राप्त सभी प्रस्तावों पर अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् के परामर्श से समुचित विचार किया जाता है।

कलकत्ता ट्राम्वे कम्पनी

1183. **श्री समर गुह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से कलकत्ता ट्राम्वे कम्पनी को चलाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया गया है तब से उस कम्पनी की दैनिक आय में भारी कमी हो गई है और प्रत्येक दिन चलाई जा रही ट्रामों की संख्या में कमी होती देखी गई है;

(ख) क्या उस कम्पनी के कर्मचारियों को मई, 1968 में उन्हें देय बोनस नहीं दिया गया था;

(ग) क्या ट्राम की पटरी और लाइनों में कम्पनी द्वारा मरम्मत न करवाये जाने के कारण, कलकत्ता के मुख्य बाजारों में यातायात बहुत खतरनाक हो गया है जिससे सड़कों पर दुर्घटनायें बार बार होने लग गई हैं;

(घ) क्या कलकत्ता ट्राम्वे के स्वामित्व को लेने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ङ). पश्चिम बंगाल की सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

अनिवार्य शिक्षा

1185. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा न प्राप्त करने वाले लोगों की नवीनतम औसतन संख्या क्या है;

(ख) क्या अनिवार्य शिक्षा वाले क्षेत्रों में सरकार जब तक छात्र साक्षरता प्राप्त न कर ले इस पर अमल कराने के लिए जुर्माना लागू करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो शिक्षा प्राप्त करने के इन अवसरों को बेकार न जाने देने तथा सरकारी धन की हानि को रोकने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) शिक्षा आयोग (1964-66) की रिपोर्ट के अनुसार निम्नतर व उच्चतर प्राथमिक स्तरों पर व्यर्थता का प्रतिशत क्रमश: लड़कों के लिए 56 व 24 तथा लड़कियों के लिए 62 व 34 है ।

(ख) ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ग) अन्य बातों के साथ साथ इस विषय पर शिक्षा आयोग की सिफारिशों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:--

(i) प्रथम श्रेणी के अन्त में परीक्षा की समाप्ति (ii) एक वर्ष की स्कूल पूर्व शिक्षा का आरम्भ तथा (iii) क्रीडन-तकनीक को अपनाना । ये सभी राज्य सरकारों को विचार करने और अमल में लाने के लिए भेज दी गई हैं।

संघ लोक सेवा आयोग

1186. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और सदस्यों की सेवा और नियुक्ति की शर्तों को अन्तिम रूप अनुमानतः कब तक दिया जायेगा;

(ख) क्या गृह-कार्य मन्त्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के सम्बन्धों से सम्बद्ध अनुदेशों को एकीकृत कर लिया गया है;

(ग) सरकारी उद्यमों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से परे रखने के कारण क्या हैं; और

(घ) किन किन परीक्षाओं में कुल अंकों के 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिए नियत हैं और क्या सरकार इस प्रतिशतता को कम करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1475/68]

शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षा

1187. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षा को पूर्णतया बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार कोई नई योजना आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). कालेजों और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय केडेट कोर के विकल्प के रूप में सरकार का विचार 1968-69 वर्ष से राष्ट्रीय सेवा कोर और राष्ट्रीय खेल कूद संगठन कार्यक्रम लागू करने का है। इन नए कार्यक्रमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल होंगे :—

1. ग्रामीण क्षेत्रों का विकास,
2. नगरीय क्षेत्रों का विकास,
3. नागरिक सुरक्षा,
4. रेडक्रास कार्यकलाप,
5. भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स,
6. साक्षरता आन्दोलन (कार्यात्मक),
7. कमजोर विद्यार्थियों का विशेष प्रशिक्षण,
8. खेल के मैदानों तथा अन्य कैम्पस परियोजनाओं का विकास,
9. जिनकी खेलों में विशेष रुचि तथा क्षमता हो उन पर विशेष ध्यान देना।

पहाड़ी क्षेत्रों से बरामद किये गये हथियार

1188. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के हथियार बरामद किये हैं; और

(ख) यदि हां, इस अवधि में बरामद किये गये हथियार किस किस प्रकार के हैं, वे किस देश के बने हुए हैं तथा उनकी संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकी अध्ययन

1189. **श्री रवि राय :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मई, 1968 को 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'दिल्ली विश्वविद्यालय—एक घोर उपेक्षा गाथा' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अफ्रीकन अध्ययन विभाग काफी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करने तथा अफ्रीका में एक भी गवेषणा परियोजना प्रायोजित करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट ठीक नहीं है, और इसलिए सरकार की ओर से कोई कदम उठाना जरूरी नहीं है ।

अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में शिक्षा आयोग की सिफारिशें

1190. **श्री रवि राय :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने दिल्ली स्कूल अध्यापक संगठन के संयुक्त परिषद् के निवेदन पर स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में शिक्षा आयोग की सिफारिशों सम्बन्धी अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां; शिक्षा मन्त्री ने व्यक्तिगत हैसियत में व्याख्या की है ।

(ख) संयुक्त परिषद् द्वारा उठाए गए प्रश्नों से सम्बन्धित व्याख्या सभा-पटल पर रखे गये ब्यौरे में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिय** संख्या एल० टी० 1476/68]

भारतीय समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद्

1191. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में समाज विज्ञानों में अनुसन्धान के कार्य को समन्वित करने

तथा सुव्यवस्थित ढंग से प्रोत्साहन देने के लिये भारतीय समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) योजना आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने सिफ़ारिश की थी कि देश में समाज विज्ञानों में अनुसन्धान को बढ़ावा देने और उसका समन्वय करने के लिये एक भारतीय समाज-विज्ञान परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए ।

(ख) और (ग) इस सिफ़ारिश की जांच की जा रही है ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये नए विमानों की खरीद सम्बन्धी मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन

1192. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन्:
श्री ज० कि० मंडल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारपोरेशन के लिये नये विमान खरीदने के बारे में सुझाव देने के लिये नियुक्त की गई इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की मूल्यांकन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में समिति ने क्या सुझाव दिये हैं; और

(ग) क्या कारपोरेशन ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग). इण्डियन एयरलाइन्स के प्रवर अधिकारियों का एक दल कारपोरेशन द्वारा खरीदे जाने के लिए विभिन्न वायुयानों की उपयुक्तता की जांच करने के लिए यू० के०, अमेरिका और रूस गया । इस सम्बन्ध में इण्डियन एयरलाइन्स के अन्तिम प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

राष्ट्रीय सेवा कोर कार्यक्रम

1193. श्री **दामानी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालिजों और विश्वविद्यालयों में "राष्ट्रीय सेवा कोर कार्यक्रम" आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना का कार्य-क्षेत्र, गतिविधियां क्या होंगी और इसके लिये सरकार को कितना धन देना होगा; और

(ग) क्या राज्य सरकारें इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये सहमत हो गई हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) योजना का उद्देश्य राष्ट्रीयता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जगाना तथा अनुशासन और परिश्रम की वृत्ति का निर्माण करना है। 1968-69 के शिक्षा सत्र में राष्ट्रीय सेवा कोर/राष्ट्रीय खेलकूद संगठन की नई योजना के अधीन विश्वविद्यालयों के एक लाख पुरुष छात्रों को लाने का सुझाव है। छात्र निम्नलिखित कार्यकलापों में से चुनाव कर सकेंगे :—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों का विकास,
(ख) नगरीय क्षेत्रों का विकास,
(ग) नागरिक सुरक्षा,
(घ) रेडक्रास के कार्यकलाप,
(ङ) भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स—रोवर तथा रेंजर ट्रेनिंग,
(च) साक्षरता आन्दोलन (क्रियात्मक),
(छ) कमजोर छात्रों की विशेष कोचिंग,
(ज) खेल के मैदानों का विकास तथा दूसरी कैम्पस परियोजनाएं।

अनुमान है कि केन्द्र का वार्षिक आवर्ती खर्च 100 लाख रुपए तथा राज्यों का आवर्ती खर्च 50 लाख रुपए होगा।

(ग) जी हां, राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों ने अप्रैल, 1967 में आयोजित सम्मेलन में इस योजना को सिद्धान्त रूप में मान लिया है। उन्हें लिखा जा रहा है / लिखा गया है।

सड़क परिवहन से आय

1194. **श्री दामानी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 से 1967 तक सड़क परिवहन से वर्षवार कितनी आय हुई; और

(ख) क्या यह सच है कि इस अवधि में सड़क पर व्यय कुल आय के 67·31 प्रतिशत से घट कर 36·24 प्रतिशत रह गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स आफ इंडिया (1966) और इंडिया रोड स्टेटिसटिक्स (नं० 1, 1968) के अनुसार सड़क परिवहन से प्राक्कलित राजस्व निम्न था :

31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष	राज्य बजट पर आधारित राजस्व करोड़ रुपयों में
1960	134.67
1961	166.96
1962	193 95
1963	227.56
1964	308.59
1965	346.91
1966	392.25
1967	431.45 (अनन्तिम)

(ख) जी हां।

मोटर गाड़ियों पर कर

1195. **श्री दामानी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मोटर गाड़ियों पर लगे करों में अन्य सभी करों की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) इस अत्यधिक करारोपण का परिवहन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सभी राज्यों के लिये एक समान कर प्रक्रिया बना कर, कर ढांचे और चुंगी तथा जांच चौकियों को अखिल भारतीय स्तर पर युक्तियुक्त बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। अपनी अन्तिम रिपोर्ट में सड़क परिवहन करारोपण जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है।

(ख) समिति इस निष्कर्ष पर भी पहुंची है कि चालन की लागत में कर-तत्व निश्चय रूप से सड़क परिवहन के स्वस्थ विकास के लिये गैर प्रेरणादायक है।

(ग) जून 1968 में अभी हाल ही में हुई परिवहन विकास परिषद् की बैठक में इस मामले पर विचार विमर्श हुआ था। उसके बाद परिवहन तथा नौवहन के केन्द्रीय मन्त्री ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों, राज्यपालों को अर्धसरकारी पत्र लिखा है जिसमें उनका सहयोग और वैयक्तिक पहल करने के लिये कहा गया है जिससे कर-संरचना का युक्तिकरण और चुंगी तथा चेक-पोस्टों की आधुनिक पद्धति सहित परिषद् के निष्कर्षों को पूरी तौर से और शीघ्र लागू किया जा सके।

मुख्य हवाई अड्डों का विस्तार

1196. **श्री श्रीचन्द गोयल** :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री देवराव पाटिल :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के चार मुख्य हवाई अड्डों का विस्तार और उनमें सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है तथा इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां। पालम, दम दम, सान्ताक्रूज और मद्रास के चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विशेषतया भविष्य में जम्बो जेटों और सुपरसौनिक विमानों को चलाना आरंभ करने के संदर्भ में, विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ख) सम्पूर्ण समस्या की जांच के लिए सरकार द्वारा श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में बनायी गयी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समिति के अनन्तिम अनमानों के अनुसार इन चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास पर 15 वर्षों की अवधि में करीब 100 करोड़ रुपये व्यय होने की आशा है। चौथी योजना की अवधि में व्यय 60 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना

1197. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब विश्वविद्यालय अध्यापक संगठन की ओर से इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) संगठन के प्रधान को सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालय की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए यद्यपि हर प्रकार प्रयत्न किया जा रहा है, किन्तु फिलहाल विश्वविद्यालय के फेडेरेशनिक पुनर्गठन के बारे में कार्रवाई करना उपयुक्त नहीं समझा गया है ।

पंजाब सरकार से ज्ञापन

1198. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री धो धीरेश्वर कलिता :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने उन्हें एक ज्ञापन भेजा है जिसमें कसौली, डलहौजी और शिमला के चण्डीगढ़, भाखड़ा नंगल बांध तथा हिमाचल प्रदेश क्षेत्रों को पंजाब में शामिल किये जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमाओं के समायोजन के प्रश्न पर विचार कर रही है या प्रधान मंत्री केवल विशेष समस्याओं के सम्बन्ध में ही मध्यस्थता करेंगे ;

(घ) वे समस्याएं क्या हैं और वे किन किन क्षेत्रों के बारे में हैं; और

(ङ) मध्यस्थता के प्रयोजनार्थ क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) से (ङ) ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु पंजाब के मुख्य मंत्री ने गृह मंत्री को हाल ही में एक पत्र लिखा था कि लम्बित मामलों के निपटान के लिये पंचनिर्णय की पद्धति प्रारम्भ करने के लिये शीघ्र कदम उठाए जांय । ये मामले चण्डीगढ़, भाखड़ा प्रायोजना तथा सीमा-समायोजन के लिये दावे और प्रतिदावे से सम्बन्धित हैं । अभी तक पंचनिर्णय के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के बीच कोई सहमति नहीं हुई है । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली में आग लगने की घटनायें

1199. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन मास में दिल्ली में आग लगने की कितनी घटनायें हुई तथा क्या आग लगने की घटनायें गत वर्षों की तुलना में बहुत अधिक हैं;

(ख) क्या व्यापारी तथा वाणिज्य हित द्वारा यह मांग की गई थी कि इन घटनाओं की जांच की जाये ?

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच हुई थी और यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्तियां हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ). गत तीन महिनों (अप्रैल, मई और जून) के दौरान दिल्ली अग्नि-शमन सेवा द्वारा परिचर्या की गई आग लगने की घटनाओं की कुल संख्या 824 है जब कि यह संख्या इन्हीं महीनों में सन् 1967 में 810, 1966 में 887 और 1965 में 763 थी। फूल तथा सब्जी विपणन कल्याण संगठन में अन्य बातों के साथ सब्जी मण्डी में लगी आग की अदालती जांच की मांग की थी। 9 मई, 1968 को प्रदर्शनी मैदान में स्थित चाय बोर्ड की स्टाल में, 11 मई, 1968 को सब्जी मण्डी में, तथा 12 मई, 1968 को सदरबाजार तथा रामकृष्णापुरम् में लगी आग की दुर्घटना की जांच के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक सदस्दीय जांच आयोग की नियुक्ति की।

बिहार-नेपाल सीमा पर चीनी तथा नेपाली छापामार दलों की उपस्थिति

1200. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार-नेपाल सीमा पर घने जंगलों में चीनी तथा नेपाली छापामार दल होने का पता चला है;

(ख) क्या उन की योजना के बारे में महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पकड़े गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी गतिविधियां कहां तक सीमित हैं तथा उन्हें समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

सलाहकार समितियां

1201. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों या ऐसे अन्य संगठनों के नाम क्या हैं, उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को क्या कार्य सौंपे गये हैं;

(ख) प्रत्येक समिति या बोर्ड के कितने सदस्य पुलिस कर्मचारी हैं और कितने अधिकारी हैं;

(ग) इन समितियों तथा बोर्डों की कालावधि क्या है;

(घ) क्या सदस्यों का मनोनयन केवल एक कालावधि के लिए किया जाता है और यदि नहीं, तो एक सदस्य को कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है; और

(ङ) 1967-68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ङ). मैं इस मंत्रालय के नियंत्रण के अन्तर्गत सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों, और अन्य स्थायी समितियों के गठन को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1477/68]

कलाकृतियों की चोरी और विदेशों में बिक्री

1202. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री हेमराज :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मूल्यवान कलाकृतियों और प्राचीन वस्तुओं की तेजी से बढ़ती हुई चोरियों और विदेशों में उनके चोरी छिपे बिक्री की समस्या पर सरकार ने विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का स्वरूप और आकार क्या है और अब तक कितनी कलाकृतियां विदेशों में बेची गई हैं; और

(ग) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). देश के स्मारकों में से मूर्तियों और प्राचीन वस्तुओं की बढ़ती हुई चोरियों के मामलों पर सरकार ने गौर किया है। गैर-कानूनी निर्यात के कुछ मामलों की भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी जांच की जा रही है, किन्तु बड़े पैमाने पर निर्यात के संबंध में कोई सरकारी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्र संरक्षित स्मारकों में से चोरी के मामलों की आवश्यक जांच और दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्राधिकारियों के पास शीघ्र रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। साथ ही साथ प्रमुख पत्तनों की निर्यात सलाहकार समितियों और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को भी चोरी की हुई वस्तुओं को देश के बाहर निर्यात करने से रोकने के लिए सावधान करा दिया जाता है। केन्द्र संरक्षित स्मारकों में से चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए, निम्नलिखित निरोधक उपाय काम में लाए गए हैं:—

(i) स्मारकों स्थलों में से विलग होकर पड़ी मूर्तियों का प्रलेखन और स्थानान्तरण।

(ii) स्मारकों स्थलों के पहरा और निगरानी कर्मचारियों को अधिक सतर्क रहने के लिए चेतावनी दे दी गई है। जहां कहीं आवश्यक और सम्भव है ऐसे कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकारों के प्रमुखों और मुख्य मंत्रियों को इस आशय के पत्र भेजें हैं कि निर्यात के स्थानों और ऐसे स्थानों पर जहां कलाकृतियों और प्राचीन वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है, अधिक सतर्कता और सख्ती बर्तने के लिए पुलिस की कार्रवाई को तेज कर दिया जाए। लाइसेंस संबंधी नियमों को कड़ा करने और देश के बाहर पुरानी वस्तुओं के अनिधिकृत निर्यात को रोकने के लिए, प्राचीन वस्तु (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 में उपयुक्त संशोधन करने का प्रश्न भी विचारधीन है।

लक्कदीव द्वीपसमूह को बारहमासी सेवा

1203. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्कदीव के लिये बारहमासी सेवा की व्यवस्था करने का कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ । भारत सरकार ने लक्कदीव, मिनिकोइ और अमिनदिवि द्वीपों तक एक बारहमासी सेवा चलाने का निर्णय किया है और भारत के जहाज़ी निगम ने यूगोस्लाविया को एक बारहमासी यात्री व माल जहाज का आदेश दिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

नागालैण्ड में विदेशी संवाददाता

1204. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विदेशी संवाददाता पिछले कई वर्षों से नागालैण्ड में रह रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वह वहाँ पर सरकार की पूर्व अनुमति से रह रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सम्बद्ध व्यक्ति के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा-विवाद

1205. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) महाराष्ट्र-मैसूर सीमा-विवाद को हल करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस विवाद के कब तक हल हो जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). इस विवाद को यथा शीघ्र हल करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है किन्तु वह समय नहीं बताया जा सकता कि विवाद के हल होने की सम्भावना कब तक है ।

दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति

1206. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विभूती मिश्र :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संसद् का पिछला अधिवेशन समाप्त होने के समय से दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). 15 फरवरी, 1968 से 30 अप्रैल, 1968 तक की कालावधि में 4578 के मुकाबले 1 मई, 1968 से 15 जुलाई, 1968 तक की कालावधि में 4432 मामले सूचित किये गये थे । जब कि अन्तर-सत्र अल्पावकाश के दौरान विधि तथा व्यवस्था का विशेष अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी दिल्ली में आपराधिक स्थिति का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और विधि के अनुसार प्रशासन द्वारा आवश्यक निरोधात्मक तथा अन्य उपाय किये जाते हैं ।

मिजो आदिवासियों के बीच पर्चों का वितरण

1207. **श्री क० लकप्पा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि मिज़ो नेशनल फ्रन्ट ने मिज़ो आदिवासियों के बीच एक पर्चा वितरित किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो पर्चे में क्या लिखा है ; और

(ग) ऐसे प्रचार कार्य का मुकाबला करने के लिये तथा मिज़ोओं के मामले में चीन के हस्तक्षेप को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) मिज़ोओं के बीच मिजो नेशनल फ्रन्ट द्वारा कोई पर्चा प्रकाशित करने तथा बाँटने की घटना सरकार की दृष्टि में नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने विद्रोही प्रचार का मुकाबला करने के उपाय अपनाये हैं तथा सुरक्षा दल लगातार अपनी कार्यवाही कर रहे हैं एवं निरन्तर सतर्कता रखी जा रही है ।

Accident to D.T.U. Bus

1208. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the evening of the 13th June, 1968, two D.T.U. buses collided near Delhi Cantonment as a result of which about 30 persons were injured;

(b) whether it is also a fact that the officials of the D.T.U. and the Police had no information about this accident till very late in the night ;

(c) the manner in which and when the officials of the D.T.U. and the police received the first information report of this accident and the action taken thereon by them ; and

(d) the details of the accident.

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The accident occurred at 5.35 P. M. Information about this was given at the Kalkaji Depot by one of the conductors of the buses involved at 5.55 P.M. The Traffic Supervisor immediately informed the Central Control Room of the D.T.U. and left for the site of the accident. The Divisional Manager (Central) who got the information at 6.05 P.M. also immediately left and ensured that the injured passengers were attended to.

The police received information at 5.50 P.M. from one Shri R.S. Bhutani, when an officer from the local police station rushed to the spot and investigation was taken up.

(d) According to the Delhi Police, two D.T.U. buses (Nos. DLP. 1163 and DLP1166 of route No. 43-A were involved in an accident on Maude Road near the Palam Tanki. As a result , about 30 persons received injuries . All the injured were given first aid and allowed to go except five, who were admitted in the Safdarjang Hospital. The driver of bus No. DLP.1163 was arrested on 13-6-68 itself , but was later released on bail . The case is under investigation .

According to the D.T.U. both the buses were found mechanically fit when checked after the accident. Furthur , a number of passengers have stated that the accident occurred when one of the drivers tried to swerve his vehicle to save a cyclist .

Delhi Transport Undertaking

1209. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the income of D.T.U. has come down after the private buses started plying on D.T.U. routes ;

(b) whether it is also a fact that the number of complaints received from public during the last six months about the misbehaviour of the drivers and conductors of the private buses is comparatively higher than complaints received against the drivers and conductors of D.T.U. buses ; and

(c) if so, whether it is proposed to withdraw private buses from their routes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). Yes, Sir.

(c): No, Sir. But the Delhi Transport Commiittee has introduced a revised arrangement regarding private buses, beginning from 1-7-68, under which, among other matters, conductors will be provided by the Undertaking itself and the private bus operators will be paid at the rate of 80 paise per kilometer, while the fare earned will be deposited by the conductors with the Undertaking.

पर्यटन विभाग के द्वारा अशोक होटल और जनपथ होटल का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना

1210. **श्री ओंकार लाल बेरवा**
श्री जु० कि० मंडल :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री अनन्त राम पाटिल :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री वी० ना० शास्त्री :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन विभाग निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय से अशोक होटल और जनपथ होटल का प्रबन्ध अपने हाथ में ले रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो देश के ऐसे कितने होटलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) अशोक होटल लिमिटेड और जनपथ होटल्स लिमिटेड (रणजीत और लोधी होटलों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण 2 जुलाई, 1968 से निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय से पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

आगामी योजना की अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम की बहुत से होटल बनाने की योजनाए हैं ।

काश्मीर में पाकिस्तानी एजेंट

1211. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुल का चित्र लेते समय हाल में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो काश्मीर में पाकिस्तानी एजेंटों द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाहियों का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) सरकार मामले में सतर्क है ।

कोचीन बन्दरगाह

1212. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन बन्दरगाह के विकास में विलम्ब हो रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीनेटर राबर्ट कैनेडी के कथित हत्यारे के मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिये भारतीय मनोवैज्ञानिक की अमरीका यात्रा

1213. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीनेटर राबर्ट कैनेडी के कथित हत्यारे के मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिये राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अमरीका जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस अध्ययन से भारत को क्या लाभ होगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रस्तावित अध्ययन से परामनोविज्ञान के विषय में वैज्ञानिक जानकारी के विस्तार की सम्भावना है ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा मैसूर राज्य से प्राप्त की गयी राज्य-सहायता

1214. **श्री संगण्णा अन्दानप्पा अगड़ी:** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को वर्ष 1961 से 1967 की अवधि के बीच मैसूर सरकार से कुल 44 लाख रुपये की राज-सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस आधार पर यह धनराशि एकत्र की गयी थी तथा उसका वर्षवार और विमान-मार्ग वार व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत के किसी भी दूसरे राज्य से इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को राज्य-सहायता के रूप में इतनी बड़ी धन-राशि प्राप्त नहीं हुई है हालाँकि वहाँ पर मैसूर राज्य की अपेक्षा अधिक उड़ानें होती हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) (क) मैसूर सरकार से प्राप्त हुए उपदान का व्यौरा निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष	सैक्टर	प्राप्त उपदान
1961–62	मंगलौर–बंगलौर	2,78,177.79
1962–63	मंगलौर–बंगलौर	5,98,181.98
1964–65	बेलगाम–गोवा–मंगलौर–बंगलौर	8,91,443.74
1965–66	बेलगाम–गोवा–मंगलौर–बंगलौर	17,32,952.96
1–4–66 से 30–9–66 तक	बेलगाम–गोवा–मंगलौर–बंगलौर	12,34,110.72
		47,34,867.19

1–1-66 से 31–3–66 तक सेवा गोवा में नहीं रुकी ।

(ख) एयर कारपोरेशन अधिनियम के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स से व्यावसायिक सिद्धान्तों पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है । इसलिए कारपोरेशन अलाभप्रद मार्गों पर परिचालन नहीं करती । परन्तु जब कोई राज्य सरकार उससे ऐसे मार्ग पर परिचालन कराती है, तो वह, बशर्ते कि विमान और विमान-कर्मी उपलब्ध हों, स्पष्ट रूप से इस शर्त पर विमान सेवा परिचालित करती है कि जो कोई भी हानि कारपोरेशन को होगी उसे राज्य सरकार को पूरा करना होगा । उपर्युक्त उपदान इस प्रकार की गारंटियों के आधार पर प्राप्त किया गया है ।

(ग) जी, नहीं । मैसूर ही अकेला ऐसा राज्य नहीं है, जिसके लिए इंडियन एयरलाइन्स ने इस शर्त पर विमान सेवायें चलायी हों । उन्होंने कई अन्य राज्य सरकारों के लिए भी ऐसी सेवायें परिचालित की हैं । परन्तु दूसरे मामलों में कारपोरेशन द्वारा प्राप्त की गयी उपदान राशि वास्तविक हानि की मात्रा के अनुसार अलग अलग है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हुबली धारवाड़ निगम (मैसूर) के समीप हवाई अड्डा

1215. **श्री संगण्णा अन्दानप्पा अगड़ी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन के पश्चात मैसूर में हुबली-धारवाड़ निगम के समीप एक असैनिक हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, और सर्वेक्षण के लिये अधिकारी नियुक्त किये गये थे परन्तु बाद में यह प्रस्ताव त्याग दिया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान बंगलौर से प्रकाशित होने वाले दिनाँक 26 जून, 1968 के "डैक्कन हैराल्ड" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मैसूर के विधायकों ने 26 जून, 1968 को हुबली में हुई अपनी बैठक में हुबली-धारवाड़ निगम के समीप एक असैनिक हवाई अड्डे की माँग की है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) नागर विमानन विभाग द्वारा, सर्वेक्षण करने के बाद हुबली में एक चुने हुए स्थान पर एक हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने 1956 में विचार किया था, लेकिन उसे निम्न कारणों से छोड़ देना पड़ा :—

(i) दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान नये हवाई अड्डों को बनाने के लिए उपलब्ध निधि प्रायोजना को आरम्भ करने के लिए पर्याप्त नहीं थी ।

(ii) बेलगाम में एक हवाई अड्डा है जो कि केवल लगभग 60 मील पुर है ।

(ग) और (घ) सरकार को हुबली के निकट एक हवाई अड्डे की माँग के बारे में मालूम है जो कि विभिन्न हितों द्वारा की गयी है, और मामले पर नये सिरे से विचार किया जा रहा है ।

हास्पेट के निकट हवाई अड्डा तथा पर्यटक गृह

1216. **श्री संगण्णा अन्दानप्पा अगड़ी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के विकास के लिये मैसूर राज्य में बैलारी जिले में हास्पेट के निकट स्वीकृत

किये गये हवाई अड्डे तथा एक पर्यटक गृह-बनाने के लिये कोई प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो हवाई अड्डे तथा पर्यटक केन्द्र पर पृथक-पृथक कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ;

(ग) निर्माण कार्य के कब आरम्भ और पूरा होने की सम्भावना है ; और

(घ) इस हवाई अड्डे के निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) एच० एस० 748 विमानों के लिए हास्पेट के निकट गिनिगेरा में हवाई अड्डे के लिए प्राक्कलन तैयार करने का कार्य अभी पूरा नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में पर्यटक गृह (टूरिस्ट होम) बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) हास्पेट में हवाई अड्डे के निर्माण की लागत, जिसका कि पहले मोटे तौर पर 55.43 लाख रुपये होने का अनुमान था, 65 लाख रुपये तक हो सकती है।

(ग) इस हवाई अड्डे को एस० एस० 748 विमानों के लिए उपयुक्त बनाने का अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। यह निर्णय उपलब्ध वित्तीय साधनों, और इस प्रायोजना के चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल किये जाने पर निर्भर करेगा।

(घ) गिनिगेरा रेलवे स्टेशन।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

1217. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृति के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है :

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिये क्या मानदण्ड अपनाया गया है ;

(ग) इस निर्णय की घोषणा और क्रियान्वित में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस निर्णय के फलस्वरूप पहिले पहल कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा और इसके वित्तीय पहलू क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 1-12-1962 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष है और इसको बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी सरकार ने नियमों में ऐसा परिवर्तन करने का निर्णय किया है ताकि लोक हित में यदि, आवश्यक हो तो, 50 वर्ष की आयु होने पर सरकारी कर्मचारियों को 3 मास का नोटिस देकर सेवा-निवृत्त करने की व्यवस्था की जा सके। कर्मचारियों को भी 3 मास का नोटिस देकर सेवा निवृत्त होने का ऐसा ही अधिकार होगा। संयुक्त परामर्शदायी व्यवस्था के राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के विरोध को दृष्टि में रखते हुए इस मामले पर आगे जाँच की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग

1218. **श्री विश्वम्भरन:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं ;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये योग्यतायें क्या हैं ;

(ग) क्या कभी केरल से किसी व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उन के नाम क्या हैं और वे कितने समय तक पद पर आसीन रहे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अध्यक्ष को मिलाकर 8 हैं ।

(ख) कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है । विधान के अनुसार जितना सम्भव हो सके इसके आधे सदस्यों की अपने नियुक्ति के समय भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत कम से कम 10 साल की सेवा होनी चाहिए ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) डा० ए० अप्पादुराई 9 दिसम्बर, 1964 को ये सदस्य नियुक्त किये गये थे और 15 मार्च 1967 तक अपने पद पर रहें ।

कोवालम में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र

1219. **श्री विश्वम्भरन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोवालम और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र बनाने के बारे में डिज़ाइन और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार का कोवालम में कब से 'होटल इंडिया' का निर्माण आरम्भ करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें अन्त:समुद्र धाराओं का अध्ययन पवन वेग तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े सम्मिलित हैं । सर्वेक्षण के कुछ परिणामों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । समुद्र तटीय विहार स्थल का समेकित आधार पर डिज़ाइन तैयार करने के लिए एक वास्तुकलाविद् (आर्कीटेक्ट) का चुनाव कर लिया गया है । उसकी रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) अभी सुनिश्चित प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है, परन्तु प्रायोजना पर व्यय एक करोड़ रुपये से ऊपर होने की संभावना है ।

(ग) विहार-स्थल की विभु योजना (मास्टर प्लान) को अन्तिम रूप मिलते ही होटल का निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

Delhi Police

1220. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have suspended and dismissed some of the employees of the Delhi Police from service after the last session of Parliament ;

(b) if so, the number of employees suspended and those dismissed, separately ; and

(c) the reasons for their suspension and dismissal ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) ; (a) and (b) : During the period 13-5-1968 to 17-7-68 the number of employees of Delhi Police who have been suspended/dismissed by Delhi Administration is as under :—

Suspended	31
Dismissed	10

(c) The reasons for their suspension/dismissal are, their, arrests in criminal cases, misconduct, dereliction of duty, gross indiscipline, acceptance of illegal gratifications, etc.

Teaching through Mother Tongue

1221. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up a scheme to teach various subjects to the non-Hindi speaking students in case their number is specific through the medium of their mother tongue in High Schools ;

(b) if so, whether Bihar Government have made necessary arrangements for imparting education through the medium of Urdu, Bengali, etc. in some of the High Schools in Bihar ;

(c) if so, the number and names of such High Schools ;

(d) whether it is a fact that the Director of Public Instructions of Bihar Government has issued orders for sending such teachers back to their former posts as had been brought on deputation to teach through the medium of the aforesaid languages in the said schools ;

(e) if so, the justification for sending back such teachers as had been brought on deputation without permanent arrangements of teachers for teaching through the medium of aforesaid language ; and

(f) whether this is a violation of the policy of the Government ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) (a) to (f) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as available.

Police Excess in Banda (U.P.)

1222. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the report, if any submitted by the Intelligence Department about excesses of Police in Banda District in Uttar Pradesh ;

(b) whether it is a fact that Banda Police is taking innocent poor people under custody on fictitious charges and harassing them as they cannot afford litigation and arrange for bail and they are thus forced to bribe the police ; and

(c) whether Government propose to conduct an enquiry into it through the Intelligence Department ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) ; (a) No such report was submitted.

(*b*) *and* (*c*) : The Uttar Pradesh Government have reported that they are in receipt of some allegations against Police in Banda District. The allegations are being enquired into by them.

U.P. High School and Intermediate Board, Allahabad

1223. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the U.P. High School and Intermediate Education Board, Allahabad is giving step motherly treatment to the private condidates and the private candidates are failed to make up the average percentage ;

(b) the pass percentage of regular students and private candidates in High School, Intermediate, B.A. examinations, separately ; and

(c) whether it is a fact that the addresses of the examiners are traced through Post Offices and the examiners are approached by some undesirable students to do favour ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) *to* (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Pending Cases in Supreme Court

1224. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 10338 on the 10th May, 1968 and state :

(a) the number of cases out of 5,526 cases pending with the Supreme Court, which have been lying pending for more than five years ; and

(b) the number of cases out of them which have since been disposed of by the Supreme Court.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 8 cases on 1st February 1968,

(b) 5 cases.

Transport Commissioner of U.P.

1225. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enquire into the fact that the Transport Commissioner of Uttar Pradesh received a cheque of more than Rs. 3 lakhs in May, 1968 from a company manufacturing motor buses and trucks ;

(b) whether Government also propose to enquire into the fact whether similar cheques were given to the Transport Commissioners by this company prior to that ;

(c) if so, the head under which the amount thus received has been deposited so far ; and

(d) the total amount thus deposited so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) *to* (d) : The required information is being collected from the concerned State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Political Sufferers

1226. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the families of former revolutionaries, who sacrificed their lives for the

liberation of India, have been included by Government in the category of families of Political Sufferers ;

(b) if so, the financial assistance provided to their families by the Government ;

(a) whether Government propose to provide any financial assistance to the families of revolutionary leaders like Chandra Shekhar Azad, Ram Prasad Bismil and Bhagat Singh ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) *to* (d) : Assistance is already being given by State Governments in the form of pensions, land grants, cash grants and other rehabilitation benefits to the dependents of the revolutionaries who laid down their lives in the freedom struggle. Small lump sum cash grants are also given from the Home Minister's Discretionary Grant in individual cases of hardship. No proposals for further assistance are under consideration. The Government of India have no details of the help rendered to the families of such revolutionaries by the State Governments in various forms ; suitable financial assistance has, however, been rendered to the families of the three revolutionaries mentioned by the Hon'ble Member.

Guerrilla Training of Left Communists

1227. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item appearing in the daily *Nav Bharat Times* dated the 9th May, 1968 the effect that Left Communists are being to imparted training in guerrilla warfare by a former Army officer in the dense forests of Baharaich; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister in The Ministry of Home Affairs: (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) : Government have no such information.

"Alleged Misbehaviour by Tourist Officers, Delhi"

1228. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government have recently received a memorandum from about 15 tourist students of Calcutta wherein they have complained against the misbehaviour o ftourist officers in Delhi;

(b) whether it is a fact that on a request made by these tourist students to the guide to explain in Hindi, the students were insulted and asked to get down from the tourist bus; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) Yes Sir. The complaint referred to the inability of the Information Staff of the Delhi Tourist Office to supply them publicity folders on Delhi which are in short supply.

(b) and (c) The guide did comply with the request of the students to explain in Hindi, but the latter insisted that the delivery be made first in Hindi and then in English. The allegation of insult by the guide has not been substantiated, but the guide concerned has been warned to avoid rudeness in future.

आशुलिपिकों के वेतनक्रम

1229. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के आशुलिपिकों के लिये स्वीकृत वेतन-मानों को लागू करने में अत्याधिक विलम्ब हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ये संशोधित वेतन मान कब तक लागू कर दिये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) गत मार्च में सरकार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का पुनर्निर्माण संशोधित वेतन मान के साथ स्वीकृत किया गया था। योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित ब्योरा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श में तैयार किया जा रहा है और यथाशीघ्र आवश्यक आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

दिल्ली में खतरनाक मकान

1230. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आसफअली रोड पर एक दीवार के गिरने से चार मजदूरों को चोटें आई थीं तथा फायर ब्रिगेड को उन्हें मलबे से निकालना पड़ा था ; और

(ख) क्या इस घटना को तथा पूर्व अनुभव को दृष्टि में रखते हुए दिल्ली में खतरनाक इमारतों को गिराने के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा खतरनाक इमारतों या उनके भाग गिराने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली में एक लड़के की बिजली से मृत्यु

1231. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी नगर नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में भूमि से लगभग एक फुट की ऊंचाई पर बिजली की नंगी तार को छूने से एक तीन वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) क्या तार के नंगे होने की रिपोर्ट अधिकारियों को पहले दी दे गई थी ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जाँच की गई है यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) क्या उस लड़के के माता-पिता को कोई मुआवजा देने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) घटना के पूर्व प्राधिकारियों (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) द्वारा तार के नंगे होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा घटना की एक जाँच कराई गई है जो चल रही है। दिल्ली पुलिस भी मामले में जाँच कर रही है।

(घ) चूंकि जाँच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है अतः इस अवस्था में यह कहना संभव नहीं है कि मुआवजा देय है या नहीं।

आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व इन्सपैक्टर जनरल आफ पुलिस के विरुद्ध जांच

1232. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व इन्सपैक्टर जनरल आफ पुलिस के सम्बन्ध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने जाँच कार्यवाही पूरी कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ; और

(ग) इस जाँच कार्यवाही के कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग) जाँच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है। मामले में बड़ी सख्या में साक्ष्यों और विस्तृत अभिलेखों की परीक्षा की परीक्षा शामिल है। शीघ्र निपटान के लिए कार्यवाही की जा रही है।

सारूरनगर हैदराबाद में सरकारी भूमि

1233. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम द्वारा हैदराबाद के निकट सरूरनगर में कपटपूर्ण तरीके से ली गई सरकारी भूमि के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को सितम्बर, 1967 में कोई ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस जाँच कार्य को पूरा करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) से (ग) सितम्बर, 1967 में गृह-मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा सरूरनगर में भूमि के बारे में कुछ आरोपों से समाविष्ट एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। उसे राज्य सरकार को निपटाने के लिए भेज दिया गया था।

पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी

1234. **श्री क० लकप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध जारी किये गये निलम्बन आदेशों को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन निलम्बित अधिकारियों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या उन निलम्बित कर्मचारियों के सेवाकाल में विघ्न समझा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 23 जुलाई, 1968 तक प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार के 44 कर्मचारी आरम्भ में निलम्बित किये थे किन्तु बाद में निलम्बन आदेश वापस ले लिये थे ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । फिर भी, यदि उन अपराधों के सम्बन्ध में जिनके लिये उन्हें पहले निलम्बित किया था, वे न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हों तो सामान्य नियमों के अन्तर्गत व्यक्ति-विशेषों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के यह पक्षपात रहित है ।

पब्लिक स्कूलों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना

1235. **श्री वि० ना० शास्त्री :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री बेदव्रत बरुआ,
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० सांधी :
श्री चक्रपाणि :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के सभी पब्लिक स्कूलों को शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को अपनाने के निदेश दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन शिक्षा संस्थाओं की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहा किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों को रियायतें

1236. **श्री वि० ना० शास्त्री :**
श्री बेदव्रत बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में अग्रेतर रियायतें देने का सरकार का विचार है; और

(ख) क्या सरकार इस बारे में संतुष्ट है कि यह लाभ किसी प्रकार भी प्रशासनिक कार्यकुशलता में रुकावट नहीं डालेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । पहले ही जारी किये गये अनुदेशों की एक प्रतिलिपि सदन के सभा पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०1478/68]

कलकत्ता में राष्ट्र विरोधी इश्तहार

1237. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में हाल ही में कुछ इश्तहार देखे गये हैं जिनमें लिखा है—मध्यावधि चुनाव नहीं; सविनय अवज्ञा आन्दोलन नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

नान मैट्रिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

1238. **श्री बेदब्रत बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'नौन मैट्रिक' उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है जिनकी नौकरी 15 वर्ष की हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) रेल मंत्रालय, डाक तथा तार विभाग तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभागों में एक योजना पर कार्य चल रहा है जिसके अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चाहे वे मैट्रिकुलेट हैं या नहीं, उनके यहां पाये जाने वाले तृतीय श्रेणी के पदों पर परीक्षा के आधार पर उन्नत किये गये हैं । इन विभागों/कार्यालयों में यह कार्यवाही चलती रहेगी ।

गृह मंत्रालय द्वारा एक योजना भी अपनाई गई है जिसके अधीन इन कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिकों के स्थानों की 10 प्रतिशत रिक्तियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (नियमित कर्मचारी वर्ग) द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ भरा जायेगा :—

(i) चयन विभागीय परीक्षा द्वारा किया जायेगा जो उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये की जाती है जो निम्नतम शैक्षिक, उदाहरणार्थ मैट्रिकुलेशन या उसके बराबर होना जैसी योग्यता की शर्त को पूरा करते हैं ।

(ii) इस परीक्षा के लिये अधिकतम आयु 40 वर्ष (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये 45 वर्ष) होगी ।

(iii) चतुर्थ श्रेणी वर्ग में कम से कम 5 वर्ष का सेवा काल आवश्यक होगा ।

(iv) इस ढंग से होने वाली उन्नतियां एक वर्ष में होने वाली निम्न श्रेणी लिपिक के पदों की रिक्तियों का 10 प्रतिशत होंगी, न भरी गई रिक्तियां दूसरे वर्ष में नहीं ले जाई जा सकेंगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास

1239. **श्री नन्दकुमार सोमानी** :
श्री न० क० साल्वे :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई हवाई अड्डों सम्बन्धी समिति ने चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के सुधार और विकास के बारे में अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और अन्तिम प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या 1970 के लिये सुपरसोनिक विमान सम्बन्धी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जब तक समिति की मुख्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हो जाती, जिसमें कि समस्याओं की जटिलता तथा परिमाण के कारण कुछ समय लगने की संभावना है समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में निम्नलिखित की सूचना दी है :—

(i) मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंगों में तुरन्त किये जाने वाले सुधार; और

(ii) 15 वर्षों की अवधि में फैले हुए समस्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में संभावित कुल व्यय की एक मोटी रूप-रेखा जिसमें 1969 से 1974 तक की अवधि में प्रारम्भ एवं क्रियान्वित की जाने वाली स्कीमों को विशेष रूप से दृष्टि में रखा गया है ताकि अप्रैल, 1969 में प्रारम्भ होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में उपयुक्त व्यवस्था की जा सके । समिति की अपनी अंतिम रिपोर्ट अब से लगभग 2 या 3 माह की अवधि में प्रस्तुत करने की आशा है ।

(ग) एयर इंडिया द्वारा सुपरसोनिक विमान खरीदने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है यद्यपि एयर इंडिया को अमरीकी एस० एस० टी० तथा आंग्ल–फ्रांसीसी कनकॉर्ड विमानों की 'डिलीवरी पोज़ीशन' के बारे में कुछ विकल्प प्राप्त है ।

पंजाब सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति-आयु

1240. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति-आयु फिर से 55 वर्ष करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस विषय पर केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया; और

(ग) यदि हां तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग). पंजाब सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 से 55 करने का एक प्रस्ताव अनुमोदनार्थ भेजा है । प्रस्ताव विचाराधीन है ।

लन्दन स्थित इंडिया लाइब्रेरी

1241. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन स्थित इंडिया लाइब्रेरी को प्राप्त करने के बारे में स्थिति क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुणा सेन) : लन्दन स्थित इंडिया आफिस लाइब्रेरी के प्रश्न का निपटारा

करने के लिये भारत पाकिस्तान और इंग्लैंड की सरकारें एक न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिये राजी हो गई हैं। किन्तु प्रस्तावित न्यायाधिकरण के विचारार्थ विषयों पर सभी संबंधित पार्टियां अभी तक राजी नहीं हैं। भारत सरकार न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली विधिव्यवस्था के बारे में इंग्लैंड की सरकार के प्रस्ताव से सहमत हो गई है। ऐसा मालूम हुआ है कि अपनाये जाने वाली विधि व्यवस्था के सम्बन्ध में पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में इंग्लैंड की सरकार को उत्तर भेज दिया है जिसकी इंग्लैंड की सरकार जांच कर रही है।

राजभाषा अधिनियम

1242. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज भाषा अधिनियम की कार्यान्विति की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इसकी कार्यान्विति के मार्ग में यदि कोई कठिनाइयां हैं तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र में विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) क्या हिन्दी सलाहकार का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) राजभाषा अधिनियम की धारा 5(1) दस जनवरी, 1965 से लागू की गई थी। दिसम्बर, 1967 में संसद् द्वारा पारित एक संशोधन अधिनियम से उसकी धारा 3 को बदला गया और इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिये प्रशासनिक अनुदेश हाल ही में जारी किये गये हैं।

(ख) हाल ही में जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों के साथ-साथ अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन केलिये वर्तमान प्रबन्धों को बढ़ाने की कार्रवाई आरम्भ की जायगी। इसमें विशेषतः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने की गति तेज करने के लिये, हिन्दी के टाइपराइटर खरीदने, शेष फार्मों को हिन्दी में अनुवाद करने और अनुवाद के प्रबन्ध आदि बढ़ाने के उपाय सम्मिलित हैं।

(ग) संघ के सरकारी उद्देश्यों के लिये हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की रिपोर्ट गृह मन्त्रालय की पिछली वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में दी गई है।

(घ) हिन्दी सलाहकार की रिपोर्ट प्रधानतः विभागीय प्रयोग के लिए थी। ऐसी रिपोर्टों सदन के सभा पटल पर रखने का कोई उपबन्ध नहीं है।

कोठारी आयोग

1243. **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री ओंकार लाल बोहरा :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों ने शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमानों को जिनकी कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन-किन राज्यों ने अब तक पुनरीक्षित वेतनमानों को लागू किया है और कौन-कौन राज्य ऐसा करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : स्कूलों के अध्यापकों के सम्बन्ध में ठीक-ठीक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जहां तक विश्वविद्यालय/कालेज के अध्यापकों का सम्बन्ध है आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात जम्मू और काश्मीर, हरियाणा, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों को जो शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों के समान हैं, लाग करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। नागालैण्ड के वेतनमान पहले से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वतनमानों के तुलनीय हैं। उड़ीसा सरका राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों की इन्तजार क रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

Indo-Nepal Border Road

1244. Shri Gunanand Thakur: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) the progress made so far in the construction of Indo-Nepal border road;

(b) whether it is a fact that the construction of road is important both from security and development point of view; and

(c) if so, the time by which Government propose to complete the construction of the remaining part of the road between Darbhanga and Saharsa?

The Deputy Minister in The Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) It is presumed that the Honb'le Member is referring to the Lateral Road, which is being constructed from Bareilly in Uttar Pradesh to Amingaon in Assam, passing through the States of Bihar and West Bengal along the Northern border of the country. If so, the widening to two lanes of 109 kms. of the Muzaffarpur-Barauni section in Bihar State has been completed. On the remaining lengths, works are in various stages of progress.

(b) The construction of the Lateral Road is certainly important from the point of view of the general development of the area.

(c) This project does not provide for extending the Muzaffarpur-Darbhanga Link road further to Saharsa.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी

1245. **श्री अ० दीपा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में भारतीय असैनिक सेवा, भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित अधिकारियों की क्या संख्या है;

(ख) क्या यह संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों के लिए सुरक्षित कोटा के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं तो सुरक्षित कोटा को पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) भारतीय सिविल सेवा कुछ नहीं

भारतीय प्रशासन सेवा	12
भारतीय पुलिस सेवा	5

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

(ग) इन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती प्रत्येक वर्ष उनके लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक की जाती है । उनमें से भर्ती की संख्या का एक अनुपात उड़ीसा को भी नियत किया जाता है ।

महानदी पर पुल

1246. **श्री अ० दीपा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में धेनकानल जिले के पोलेश्वर और फलबनी जिले धौलपुर स्थान को मिलाने के लिये महानदी पर पुल बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हां तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार है तथा पुल कब पूरा हो जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस पुल को शामिल करने के लिये कुछ समय पूर्व स्वयं माननीय सदस्य से एक प्रस्ताव मिला था ।

(ख) प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ता है । अतः इस परियोजना से राज्य सरकार मुख्यता सम्बद्ध है और भारत सरकार द्वारा इस मामले की परीक्षा करने के लिये उनसे कुछ आवश्यक वित्तीय सूचना मांगी गई थी । राज्य अधिकारियों से अभी पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है । राज्य सरकार को 19 जुलाई 1968 को पुनः स्मरण दिलाया गया है । अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर ही और चतुर्थ योजना आवंटन को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही इस मामले में निर्णय लिया जा सकता है ।

उड़ीसा में महानदी पर पुल

1247. **श्री अ० दीपा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा राज्य में धेनकानल जिले के कियाकाट और पुलबनी जिले के बोध स्थान को मिलाने के लिये महानदी पर पुल बनाने की आवश्यकता के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हां तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार है तथा पुल कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी हां । केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस पुल को शामिल करने के लिये कुछ समय पूर्व स्वयं माननीय सदस्य से एक प्रस्ताव मिला था ।

(ख) प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ता है। अतः इस परियोजना से राज्य सरकार मुख्यतः सम्बद्ध है और भारत सरकार द्वारा इस मामले की परीक्षा करने के लिये उनसे कुछ आवश्यक वित्त सप्लाई करने का अनुरोध किया गया था। राज्य अधिकारियों से अभी पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार को 19 जुलाई 1968 का पुनः स्मरण दिलाया गया है। अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर ही और चतुर्थ योजना आवंटन को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही इस मामले में निर्णय लिया जा सकता है।

कच्छ सीमा क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना

1248. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रन कच्छ के सामरिक महत्व को देखते हुए भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री वहां भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के प्रस्ताव के पक्ष में थे;

(ख) क्या इस कार्य के लिये कोई ठोस योजना बनाई गई है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर "नहीं" हो, तो विलम्ब का क्या कारण है तथा इस सम्बन्ध में योजना बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस विषय पर स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के विचारों का कोई रिकार्ड नहीं है।

(ख) और (ग). गुजरात में सरकार की बंजर भूमि राज्य सरकार द्वारा राज्य बंजर भूमि निपटान नियमों के अधीन शस्त्र सेना के कर्मचारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर दी गई थी।

उड़ीसा में नया राष्ट्रीय राजपथ

1250. **श्री अ० दीपा** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेशवर से खुर्दा नवगढ़ दसपल्ला बौद्ध सब डिवीजन सोनापुर, वल्लनगीर तथा साम्बलपुर तक नया राष्ट्रीय राजपथ बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) वह कब तैयार हो जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सीमा सड़क विकास योजना

1251. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार के राज्य के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित की जाने वाली सीमा सड़क विकास की 38 करोड़ रुपये की एक योजना प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है और उक्त योजना के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) योजना का ब्यौरा देना सार्वजनिक हित में नहीं है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम से सहमत होना आवश्यक नहीं समझा जाता है परन्तु यह प्रश्न कि कौन कौन सड़कें आवश्यक हैं, परीक्षाधीन ह।

केरल में पत्तनों का विकास

1253. **श्री मंगलाधुमाडोन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड का एक विशेषज्ञ केरल के कुछ छोटे तथा बड़े पत्तनों तथा दक्षिण में अन्य पत्तनों के विकास की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किसके आग्रह पर किया जा रहा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). लघु पत्तनों के विकास का कार्यकारी दायित्व राज्य सरकारों का है। केरल और मैसूर राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने राज्यों के कुछ लघु पत्तनों के विकास के लिये शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिये एक पोलैण्ड की कम्पनी को नियुक्त किया है। दक्षिण में बड़े पत्तनों के विकास के लिये कोई पोलिश कम्पनी नियुक्त नहीं की गई है।

कोलाघाट हल्दिया रोड

1254. **श्री श० ना० माइती** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर कोलाघाट से हल्दिया पत्तन तक 32 मील लम्बी सड़क बनाने के लिये अनुमानित खर्च कितना होगा तथा कितना समय लगेगा;

(ख) भूमि अर्जन तथा सड़क निर्माण के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) अब तक कुल कितना खर्च हुआ है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राष्ट्रीय मुख्य-मार्ग संख्या 14 पर कोलाघाट से हल्दिया पत्तन तक लिंक रोड राष्ट्रीय मुख्य-मार्ग संख्या 41 के निर्माण पर प्राक्कलित व्यय 3.69 करोड़ रुपये है। पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि जैसा राज्य सरकार ने सूचित किया है अब दिसम्बर 1972 है।

(ख) रिहाशी भूमि को छोड़ कर 32 मील की सम्पूर्ण लम्बाई में से 31 पर भूमि पर कब्जा किया जा चुका है और सीमा खम्भे इत्यादि लगाने की प्रारम्भिक कार्यवाही तथा सड़क कार्य को टेके पर देने का काम प्रगति पर है।

(ग) लगभग 20000 रुपये।

पोलिटैक्निक, बैजनाथ (कांगड़ा) का बन्द होना

1255. **श्री हेमराज** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बैजनाथ (कांगड़ा) स्थित पोलीटैक्निक बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप बहुत से लड़के तकनीकी अध्ययन से वंचित हो गये हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, डिप्लोमाधारियों में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और वर्तमान स्थिति में तीन पोलिटैक्निकों को जारी रखना उचित नहीं है। राज्य के पोलिटैक्निकों में भी दाखिले की मांग में कमी हुई है।

बैजनाथ पोलिटैक्निक केवल सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहा था और एक पूर्ण तथा सम्मिश्र पोलिटैक्निक के रूप में स्थापित नहीं किया गया था।

(ग) जी नहीं। राज्य के अन्य दो पोलिटैक्निक विद्यार्थियों की जरुरतें पूरा करेंगे।

(घ) जी हां।

(ङ) इन परिस्थितियों में पोलिटैक्निक को बन्द करने के कारण न्याय संगत हैं।

कोठारी आयोग

1256. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गये वेतनमान तथा भत्ते देने के बारे में सिफारिश प्राप्त हुई है और क्या उसे स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कार्यान्विति में देरी के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा से प्रतिनियुक्ति पर आये राजकीय स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण उनके मूल राज्यों द्वारा कार्यान्वित कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर दिया है। पुनरीक्षित वेतनमानों को प्राइवेट तौर पर चलाए जाने वाले स्कूलों के अध्यापकों के लिए लागू करने का प्रश्न अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

Missionaries

1257. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of foreign missionaries in India near about the 15th August, 1947 and the number thereof at present ;

(b) the present number of missionaries from different countries, separately;

(c) the number of missionaries who came to India during the years 1967 and 1968 so far ;

(d) the policy of Government in regard to issuing visas to foreign missionaries to come over to India ;

(e) whether the amount of foreign exchange brought into the country through the foreign missionaries has been ascertained ; and

(f) if not, whether Government propose to adopt some measures to exercise vigilance in this regard in future?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Information about the number of foreign Christian missionaries in India near about the 15th August, 1947, is not available. However, the number of foreign missionaries registered in India from 15th August, 1942 to 14th August, 1947 was 2,271. This figure does not include the number of Commonwealth missionaries who were not subject to the requirement of registration before April, 1967. Two statements showing the number of registered foreign missionaries and Commonwealth missionaries in India as on 1-1-1968 are placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-1479/68*].

(c) 336 foreign missionaries were granted visas for India during the year 1967. Information in respect of visas granted by certain Indian Missions abroad in 1968 has not yet been received. According to the information received so far, 65 missionaries were granted visas from 1-1-68 to 30-6-68. In addition, 276 and 54 Special Endorsements were authorised for Commonwealth missionaries in the years 1967 and 1968 till 30-6-1968 respectively.

(d) Foreign missionaries coming as additional members or in replacement of existing missionaries, are admitted into India only if they possess outstanding qualifications or specialised experience and Indians are not available for such posts.

(e) and (f). Remittances received from abroad by foreign missionaries are, for statistical purposes, classified as 'private donations' which include items like gifts, unrelated private remittances, migrates, transfers, savings, remittances for family maintenance, upkeep of religious missions etc. 'Private donation' is a technical term used in classifying 'Balance of Payments' data and covers a wide range of items. It would not, therefore, be feasible to collect information under a particular item like upkeep of religious missions, under this class. It is not considered desirable to place any curbs on the flow of foreign exchange into the country. Suitable action can be taken otherwise whenever any instance of undesirable activity on the part of a foreign missionary comes to notice.

Difference in the Pay and Allowances of Air India and I.A.C. Pilots

1258. Shri S. M. Joshi: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that previously the Air India and the Indian Airlines Corporation were functioning as one unit and at the time of their bifurcation capable senior pilots were retained in the Indian Airlines Corporation ;

(b) whether it is also a fact that at the time of bifurcation they were told that the chances of promotion and other facilities for the pilots of both the Air Corporations would remain uniform and they would be transferred within both the Corporations ;

(c) whether it is also a fact that the pilots of the Indian Airlines Corporation are much agitated on this issue ;

(d) the difference between the pay and dearness allowance given to the pilots of both the Corporations ; and

(e) the steps being taken by Government to reduce this difference ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) No, Sir. Air India and the Indian Airlines never functioned as one unit.

(b) and (c). Do not arise.

(d) A statement showing the total emoluments drawn as Pay and Dearness and other Allowances by the pilots of the two Corporations is attached. [*Placed in Library. See No. LT-1480/68*].

(e) Government have appointed the Air Corporations Job Evaluation Committee to undertake the Job evaluation of the various categories of employees of the two Corporations and recommend the wage differentials as between the different categories. The recommendations of this Committee will kept in view while negotiating future wage agreements

Dearness Allowance for I.A C. Pilots

1259. Shri S. M. Joshi : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Dearness Allowance paid to the pilots of the Indian Airlines Corporation is much less than that paid to the pilots of the Air India;

(b) whether it is also a fact that an agreement was reached with the pilots of Indian Airlines Corporation on this issue according to which a decision was taken to this matter to an arbitrator acceptable to both the parties;

(c) whether it is also a fact that the arbitrator has recommended in his award that the pilots of both the concerns should be given uniform Dearness Allowance; and

(d) if so, whether Government have accepted the said award; and if not, the reasons therefor?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) The Dearness Allowance is only one of the elements in the remunerations of the pilots of Indian Airlines and Air India. While it is true that at one stage the Dearness Allowance admissible to Air India pilots was Rs. 300 p.m. while that for the I.A.C. pilots was Rs. 125 p.m., the position changed when a part of the Dearness Allowance admissible to Air India pilots *i.e.* Rs. 200 p.m., was absorbed in their scale of pay. The position, therefore, when the Agreement referred to in part (b) of the Question was reached was that the Air India pilots were entitled to Rs. 100 p.m., as Dearness Allowance and the I.A.C. pilots to Rs. 125 p.m

(b) and (c). Yes, Sir.

(d) The Indian Airlines have accepted the Award of the Arbitrator which is now being referred to the National Industrial Tribunal for ratification. Pending such ratification, the Indian Airlines have been and are paying the pilots an additional Dearness Allowance of Rs. 175 p.m., which is also the amount awarded by the Arbitrator, on an on-account basis.

Incentive Scheme for I.A.C. Pilots

1260. Shri S. M. Joshi : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government had concluded an agreement with the pilot of the Indian Airlines that scheme for giving them incentives would be implemented; and

(b) if so, the action taken thereon?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b). Government do not enter into any agreemsnt with the employees of the Indian Airlines. Such agreements are entered into by the Airlines themselves. The subsisting agreement between the Indian Airlines and the Pilots which is due to expire on 27-8-68 does not provide for an Incentive Scheme as such, but contains such elements as Efficiency Bonus which serve this purpose.

उत्तर प्रदेश प्रशासन

1261. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो क्या वहां के राज्यपाल ने संयुक्त विधायक दल समन्वय समिति को यह वचन दिया था कि वह संयुक्त विधायक दल की विस्थापित सरकार द्वारा आरम्भ की गई नीतियों को नहीं बदलेगा;

(ख) क्या संयुक्त विधायक दल सरकार के एक अंग, भारतीय क्रान्ति दल, ने इस बारे में राज्यपाल को विरोधपत्र भेजा है;

(ग) यदि हां, तो विरोध पत्र में क्या-क्या मुख्य बातें कही गई हैं; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के प्रशासन का मामला संसदीय सलाहकार समिति के समक्ष रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) ऐसा कोई विशिष्ट वचन नहीं दिया गया था, राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रमुख मन्त्रालयों की नीतियों को जारीरखने से सम्बन्धित इस मामले में आम पद्धति बतलाई थी ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) 23 जून, 1968 को भारतीय क्रान्तिकारी दल की कार्यकारी समिति द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव की एक प्रति इंगलिश अनुवाद सहित संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1481/68]

(घ) सलाहकार समिति के किसी भी सदस्य के लिये उल्लिखित प्रस्ताव में दिये गये विषयों में से किसी पर विचार-विमर्श करने का रास्ता खुला होगा ।

राज्यों की शक्तियां छीनने के बारे में केरल के मुख्य मंत्री की शिकायत

1262. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र भेजा है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों की शक्तियां छीनने के बारे में शिकायत की गई है;

(ख) यदि हां, तो शिकायत में क्या-क्या मुख्य बातें कही गई हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन के लिये निगम

1263. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन तथा संचार सम्बन्धी कार्यकारी दल की हाल में लखनऊ में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन स्थापित करने की सिफारिश की थी ताकि जनता के लिए कुशल परिवहन सेवा की व्यवस्था की जा सके;

(ग) क्या राजकीय रोडवेज के चलाने के बारे में योजना आयोग, अन्य राज्यों तथा स्थानीय निकायों का भी यही मत है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश की सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) और (घ). भारत सरकार का मत है कि राज्य सड़क परिवहन संस्थानों का प्रबन्ध सांविधिक सड़क परिवहन निगमों द्वारा किया जाये जिससे वे वाणिज्यिक व्यवहार और सिद्धांतों का पालन कर सकें। वास्तव में इस प्रकार के निगमों की स्थापना आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश (मंडी-कुल्लू क्षेत्र), केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब (पेप्सू क्षेत्र), राजस्थान और पश्चिम बंगाल (कूच बिहार क्षेत्र और कलकत्ता नगर) के राज्यों में की जा चुकी है। जिन राज्य सरकारों में सड़क परिवहन निगम नहीं हैं उनसे शीघ्र ही इस प्रकार के निगम स्थापित करने का पुनः अनुरोध किया गया है। इसकी सिफारिश जून, 1968 की अभी हाल ही की बैठक में परिवहन विकास परिषद ने की थी ।

तकनीकी शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय परिषद्

1264. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटैक्नीकों में दाखिले कम करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना में सुझाई गई मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) और (ख). तकनीकी कार्मिकों में मौजूदा बेरोजगारी और ऐसे व्यक्तियों की भविष्य की मांग के सम्बन्ध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने छांट के आधार पर तकनीकी संस्थाओं के दाखिलों की रोक के लिये एक योजना बनाई है। इस योजना का लक्ष्य उन संस्थाओं में दाखिलों को कम करना है जहां पर्याप्त शिक्षा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, और जहां प्रशिक्षण के स्तर तथा गुणता में सामान्यतया सुधार करना है। उन संस्थाओं के दाखिलों में केवल गुंजाइश के देखते हुए समायोजन किया जाता है, जो पूर्णतया संस्थापित हैं और जहां पर्याप्त शिक्षा सुविधाएं हैं।

उत्तर प्रदेश में नक्सलबाड़ी जैसी गतिविधियां

1265. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में वामपंथी साम्यवादियों का नक्सलबाड़ी गुट सक्रिय है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त नक्सलबाड़ी गुट सुलतानपुर तथा बनारस में पहले ही दो कैम्पों का आयोजन कर चुका है और वे अब बिजनौर में तीसरा कैम्प लगाने की तैयारियां कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के एक भूतपूर्व सदस्य के नेतृत्व में उग्रवादी एक सशस्त्र कृषि क्रान्ति तथा मुक्त क्षेत्रों के निर्माण आदि की आवश्यकता पर बल देने की प्रचार सामग्री बंटते देखे गये हैं।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

भारत पर्यटक केन्द्र के रूप में

1266. **श्री सुदर्शनम** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अप्रैल, 1968 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पैसिफिक एरिया ट्रैवल एसोशियेशन ने भारत की गणना पर्यटकों के लिये सबसे कम आकर्षक देशों में की है;

(ख) क्या सरकार ने उस समाचार की प्रति प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक-उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) "पैसिफिक एरिया ट्रैवल एसोसियेशन" द्वारा तैयार की गई "पैसिफिक विजिटर्स सर्वे" रिपोर्ट का सारांश टाइम्स आफ इंडिया सहित कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यटकों की गन्तव्यता की दृष्टि से सर्वेक्षित 26 देशों में भारत का स्थान बहुत नीचा है।

(ख) सरकार को रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त हुई है।

(ग) इसमें भारत के सम्बन्ध में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने वाली मुख्य-मुख्य बातें ये बतायी गयी हैं : गन्दगी और गरीबी; निस्तत्व भोजन; कार्यालयों में विलम्बकारिता; अस्वास्थ्यकर वातावरण, अरुचिकर जलवायु; भारत पहुंचने में भारी खर्च; वैयक्तिक सुरक्षा का अभाव; भाषा समस्या; कार्य की कमी; इत्यादि इत्यादि। इसके विपरीत, भारत के अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करने वाली मुख्य-मुख्य बातें ये बतायी गयी हैं : मानव रचित सुन्दर कला-कृतियां; दूकानदारी का आकर्षण; मुनासिब कीमतें; नवीन परिस्थितियां; सुविधापूर्ण आवास व्यवस्था।

भारत सरकार इस अध्ययन के परिणामों को स्वीकार नहीं कर सकी है, क्योंकि उसके मत में इस रिपोर्ट में कई गम्भीर त्रुटियां हैं तथा इस सर्वेक्षण का सैम्पल (नमूना) न तो पर्याप्त रूप से विस्तृत ही था और न उचित रूप से चयनात्मक (सिलेक्टिव), तथापि यह मंत्रालय हमारे पर्यटन के आधारभूत उपादानों में कमियों के प्रति सखेद जागरूक है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इनमें यथार्थ सुधार करने के कटिबद्ध प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पंजाब मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की मांग के बारे में ज्ञापन

1267. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री काशीनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में विपक्षी दल के नेताओं ने राष्ट्रपति को कोई ज्ञापन दिया है, जिसमें पंजाब मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी जांच आयोग की नियुक्ति की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मामले की परीक्षा की जा रही है ।

प्रशासन सुधार आयोग

1268. **श्री जु० कि० मंडल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की अवधि को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) अब तक उस पर कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) प्रशासनिक सुधार आयोग की काम की शर्तों में कोई कालावधि नियत नहीं की गई थी वरन् उन्हें जितनी जल्दी सम्भव हो सरकार को अपना प्रतिवेदन देना ही आवश्यक था । अत: उनकी अवधि बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) रु० 45,96,754 (जून 1968 तक) ।

दिल्ली के कालेजों में दाखिला

1269. **श्री अर्जुन सिंह भदूरिया :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन कालेज 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के बीच भेदभाव करते हैं,

(ख) क्या विश्वविद्यालय ने किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया है कि प्रत्येक कालेज में 25 प्रतिशत स्थान 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दिये जाने चाहियें ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) कालेज स्वायत्त निकाय हैं और प्रत्याशियों के चुनाव के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं, बशर्ते कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विहित पात्रता की न्यूनतम शर्तों से नीचे न जाएं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंगलोर पत्तन

1270. **श्री मु० न० नाघनूर :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर पत्तन के विकास सम्बन्धी अन्तिम प्राक्कलन क्या हैं;

(ख) इस उद्देश्य के लिये वर्ष 1968-69 के लिये कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितनी राशि नियत करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 24·30 करोड़ रुपये।

(ख) 1 करोड़ रुपये।

(ग) 16·52 करोड़ रुपये।

(घ) साधनों की स्थिति के अनुसार इस परियोजना को पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जायेगा।

Introduction by U.P. Government of an Additional Subject in Intermediate Classes

1271. Shri Sarjoo Pandey: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U.P. Government have decided to introduce an additional subject of study in the Intermediate Classes from the ensuing academic year;

(b) if so, what will be the subject ; and

(c) if it is English, the reason therefor?

The Minister of State in The Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) **Yes, Sir.**

(b) Any optional subject (including English).

(c) Increase of one subject, to be chosen by the pupils, was considered necessary to raise the standard of education.

Implementation of Recommendation of Education Commission

1272. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the steps taken by Government for the implementation of the recommendation made by the Education Commissions appointed from time to time during the last 20 years in regard to the education policy of the country; and

(b) whether Government propose to implement these recommendations immediately in order to satisfy the aspirations of the people?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) and (b). The Education Commission (1964—66) under the Chairmanship of Dr. D.S. Kothari held a review of all stages of education in India and made comprehensive recommendations for educational development in the country over the next 20 years. These recommendations have been examined at various levels by

educationists, Parliamentarians and practising teachers and out of these discussions a National Policy on Education has been evolved. The Government Resolution on the National Policy on Education has been placed on the table of the House on the 24th instant.

The Cheif instrument for the immediate implementation of the national policy on education will be the Fourth Five Year Plan which will begin next year. This Plan, preparations for which are now being made, will be based on the National Policy on Education.

केरल में साम्यवादी आन्दोलन

1273. **श्री बेवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल ने केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को हड़पने के लिये बड़े पैमाने पर आन्दोलन करने का निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा बिरला उद्योग समूह के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

1274. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिरला उद्योग समूह की कम्पनियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग ने कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं;

(ख) इन रिपोर्टों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह सच है कि इस बारे में जांच करने वाले अधिकारियों को या तो स्थानान्तरित कर दिया गया था अथवा उनसे सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी लेने को कहा गया था; और

(घ) यदि हां, तो जब कि जांच के कार्य में सन्तोषजनक प्रगति हो रही थी, तब ऐसा करने के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). बिरला ग्रुप के टैक्सटाइल मिलों के विरुद्ध शिकायतों की जांच में केन्द्रीय जांच विभाग ने नौ प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे। इन जांचों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा अब तक निम्नलिखित मिलों के विरुद्ध मामलों में आरोप-पत्र दायर किये गये हैं :—

1. टैक्नोलौजिकल इंस्टीट्यूट आफ टैक्सटाइल्स, भिवानी।
2. भिवानी टैक्सटाइल मिल्स, भिवानी।
3. सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई।
4. बिरला कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, दिल्ली।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी शिकारी

1275. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशियों ने मध्य प्रदेश की एक शिकार फर्म से ठेका किया है

और मध्य प्रदेश के जंगलों, विशेषकर बस्तर क्षेत्र और वहां पर रहने वाले आदि वासियों की इस ग्रीष्म ऋतु में बड़े पैमाने पर फोटो लिये और यदि हां, तो भारतीय कम्पनी तथा फोटो लेने वाले विदेशियों के नाम क्या हैं और उनके फोटो लेने का प्रयोजन क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है तेलंगाना के मार्क्सवादियों ने इस क्षेत्र में एक आन्दोलन संगठित किया है और वे इस क्षेत्र में विधि और व्यवस्था भंग करने के लिये आदिवासियों को उकसा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशियों को इस क्षेत्र में उपलब्ध सभी चीजों के फोटो लेने और पश्चिमी देशों में इसका प्रचार करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जो कि राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मैसर्स आलवीन कूपर प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर शिकार एजेन्टों ने 1 मार्च तथा 31 मई, 1968 के दौरान बस्तर जिले के तीन शिकारी खंडों में शिकार करने का परमिट प्राप्त किया। ये परमिट तीन अमरीकन राष्ट्रिकों के नाम में थे। बतलाया गया है कि इन व्यक्तियों के पास कैमरे थे और उन्होंने सम्भाव्यतः फोटो लिए। फोटोग्राफरों के बारे में विवरण मालूम नहीं

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ). इस क्षेत्र में फोटो लेने के लिये रोक सम्बन्धी कानून नहीं है।

यारदी समिति का प्रतिवेदन

1276. श्री सिद्धया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में यारदी समिति की सिफारिशों को अब तक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने किस हद तक क्रियान्वित किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : श्री एम० आर० यारदी की अध्यक्षता में कार्यकारी दल की रिपोर्ट में समाविष्ट नियोजन से संबंधित सिफारिशों में से प्रत्येक सिफारिश पर गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई बतलाने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1482/68]

हरिजनों पर अत्याचार

1277. श्री सिद्धया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में देश में हरिजनों के प्रति हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए क्या निर्णय किये गये; और

(ख) क्या उन निर्णयों में से किसी को अब तक कार्यान्वित किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली में 19 मई, 1968 को हुई मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में, गृह मंत्री जी ने संकेत किया था कि प्रशासन

को समाज के दुर्बल वर्गों पर उनकी दशाएं सुधारने के लिये अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिये। राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है, कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से सम्बन्धित घटनाओं की जांच पड़ताल साधारण सावधानी की अपेक्षा अधिक सावधानी से होनी चाहिये तथा अपराधियों को कम से कम सम्भव समय में न्यायालयों के सम्मुख लाया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिये, तत्परता एवं सभी सम्भव प्रयत्न किये जाने चाहियें। यदि आवश्यक हो, विशेष जांच-दल नियुक्त किये जाने चाहिये जिससे अपर्याप्त जांच के कारण मुकदमें में किसी प्रकार की हानि न होने पाये। राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि पुलिस में हरिजनों की नियुक्ति का प्रश्न निरन्तर पुनर्विचाराधीन रखा जाना चाहिये।

सीमा सड़क विकास बोर्ड

1278. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1961 में उनके मंत्रालय द्वारा एक ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाने पर सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधिकारियों को जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में स्थानान्तरित किया जा सकेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अर्द्ध-स्थायी कर्मचारियों को इस स्पष्ट बात के आधार पर, कि उनकी वापिसी छंटनी पर उनको उनके मूल विभागों में उनके मूल पदों पर वापिस लिया जायेगा और उनकी वरिष्ठता नियत करने के मामले में उन पर गृह मंत्रालय द्वारा 25 अप्रैल, 1952 को जारी किया गया आदेश लागू होगा, सीमा सड़क विकास में शामिल होने की अनुमति दी गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उल्लिखित सिद्धान्तों और प्रक्रिया का एकरूपता से पालन किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्, किन्तु अनुदेशों का जहां तक उनका अर्द्ध-स्थायी सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्ध है वे अप्रैल, 1952 में जारी हुए पूर्व अनुदेशों की ही पुनरावृत्ति है।

(ग) मंत्रालय/विभागों से गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए अनुदेशों के पालन की आशा की जाती है। गृह-मंत्रालय के ध्यान में ऐसे विशिष्ट मामले नहीं लाये गये हैं जहां इन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थायिवत सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें

1279. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32/2/61-एस्टेब्लिशमेंट (ए) दिनांक 2-6-1961 में उल्लिखित केन्द्रीय सरकार के स्थायिवत कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सिद्धान्तों और प्रक्रिया का प्रतिरक्षा तथा रेलवे मंत्रालय अनुसरण कर रहे हैं परन्तु अन्य मंत्रालय उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ वर्गों के कर्मचारियों के इस प्रकार के भेदभाव वाले कुछ मामले गृह मंत्रालय को निर्णय करने के लिये भेजे गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसे दृष्टान्त जिनमें मंत्रालयों/विभागों ने उल्लिखित अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया है, गृह-मंत्रालय के ध्यान में नहीं आये हैं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाएं

1280. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियन्त्रण में पहले से बनी हुई विभिन्न अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के नाम क्या हैं तथा और कौन-कौन सी सेवायें बनाये जाने की सम्भावना है ;

(ख) संविधान निर्माण के समय से लेकर प्रत्येक सेवा के गठन की तिथि तथा तत्सम्बन्धी सरकारी नियम क्या हैं ;

(ग) प्रारम्भिक गठन के समय प्रत्येक सेवा में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और आज तक प्रत्येक सेवा के लिये प्रति वर्ष भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) प्रारम्भिक गठन के समय प्रत्येक सेवा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये थे और वार्षिक भर्ती में अब तक कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) विद्यमान अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं तथा कुछ ऐसी सेवाओं के नाम, जिनके शीघ्र ही गठन की सम्भावना है, बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख जाता है (परिशिष्ट I) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1483/68] अन्य सेवाओं के बारे में जिनके गठन की सम्भावना है, सूचना एकत्रित की जायेगी और यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) से (घ). गृह-मंत्रालय के नियन्त्रक के अधीन सेवाओं के बारे में सूचना, जो सहज उपलब्ध है, देने वाला एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट II) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1483/68] अन्य सेवाओं के बारे में सूचना एकत्रित की जायगी और यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

समाज कल्याण अधिछात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम

1281. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण के विभिन्न विषयों में भारतीय राष्ट्रिकों के प्रशिक्षण के लिए सरकार 1947 से संयुक्त राष्ट्र संघ समाज कल्याण अधिछात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम में भाग ले रही है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक भारत को प्रति वर्ष कितने विद्यार्थियों

के लिये पेशकश की गई तथा वास्तव में इस अवधि में कितनी कितनी संख्या का उपयोग किया गया;

(ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों को चुना गया है तथा प्रशिक्षण दिया गया है जो अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से सम्बन्ध रखते हैं ; और

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उन प्रशिक्षणार्थियों के नाम क्या हैं जो केन्द्र तथा राज्यों के समाज कल्याण विभागों में काम कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मिजो विद्रोहियों के साथ मुठभेड़

1282. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पूर्व पाकिस्तान की सीमा पर दमगिरि के दक्षिण में मिजो विद्रोहियों की सीमा सुरक्षा सेना के साथ उस समय बड़ी मुठभेड़ हुई थी जब मिजो विद्रोही पूर्व पाकिस्तान से काफी बड़ी मात्रा में सैनिक सामान लेकर उस क्षेत्र में पुनः प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो दोनों पक्षों के कितने कितने लोग हताहत होने का समाचार मिला है;

(ग) क्या इस मुठभेड़ में मिजो विद्रोहियों के पास से कोई गोला-बारूद दस्तावेज पकड़े गये थे ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) 9-6-68 को मीजो पहाड़ियां, पूर्वी पाकिस्तान सीमा के निकट दीमागिरि के लगभग नौ मील उत्तर-पश्चिम में सीमा सुरक्षा दल के एक गश्ती दल और मीजो विद्रोहियों में एक मुठभेड़ हुई थी । मीजो विद्रोही पार कर पाकिस्तान को जाने का प्रयत्न कर रहे थे ।

(ख) चार मीजो विद्रोही मारे गये और सीमा सुरक्षा दल में कोई हताहत नहीं हुआ ।

(ग) और (घ). स्थल से कुछ गोलाबारूद और कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे ।

(ङ) सुरक्षा दल क्षेत्र में नियमित रूप में और कड़ी गश्त लगा रहे हैं ।

क्रान्ति-अड्डों की स्थापना हेतु नक्सलबाड़ी जैसे आन्दोलन का आवाहन

1283. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जो किसानों द्वारा सशस्त्र संघर्ष के आधार पर शहरों को घेरने और राजनैतिक सत्ता हथियाने के उद्देश्य से देहाती क्षेत्रों में क्रांति-अड्डे स्थापित करने के नक्सलबाड़ी जैसे आन्दोलन के आह्वान के सम्बन्ध में थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है ।

आसाम के गारो पर्वतीय-जिले में पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण

1284. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आसाम के गोरा हिल्स जिले के नूनमती हिल्स में कुछ सशस्त्र पाकिस्तानियों ने घुसपैठ की तथा महिलाओं सहित कुछ भारतीय नागरिकों का अपहरण कर ले गये ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानियों द्वारा कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया ;

(ग) अपहरण किये गये व्यक्तियों को वापस लेने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पांच ।

(ग) सीमा सुरक्षा दल और आसाम सरकार द्वारा पाकिस्तान में उनके समकक्षों से कड़ा विरोध किया है, मामला राजनैतिक स्तर पर भी उठाया गया है ।

(घ) पांच अपहरण किए गए व्यक्तियों में से चार अब भारत वापस आ गये हैं, शेष व्यक्तियों की वापसी के लिये प्रयत्न जारी है ।

दिल्ली की कालोनियों में उद्दण्ड लड़कों की अवैध गतिविधियां

1285. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनिवासपुरी और पंडारा रोड जैसी सरकारी बस्तियों में उदण्ड लड़कों के गिरोहों द्वारा गुंडागर्दी के कार्यों तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलापों तथा अकेले जाने वाली लड़कियों तथा महिलाओं के लिए आतंक पैदा करने वाली घटनाओं के बारे में 29 जून, 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आवश्यक कार्यवाही करने की दृष्टि से ऐसी सभी सूचना का सावधानी से निरीक्षण किया जाता है । दुष्चरित्रों पर नजर रखना, प्रभावित क्षेत्रों में सादे कपड़ों वाले और वर्दीधारी पुलिसमैनों तथा चलती-फिरती गाड़ियों द्वारा कड़ी तथा बार-बार गश्त लगाना तथा विधि के अनुसार अन्य निरोधात्मक कार्यवाही करना उन सामान्य उपायों में से कुछ हैं जिन्हें अवैध तथा अवांछनीय गतिविधियों को निपटाने के लिये अपनाया जाता है ।

हिल्टन के सहयोग से होटल

1286. **श्री सीताधर कटकी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में अमरीका के हिल्टन होटल्स निगम के

सहयोग से एक होटल निर्माण करने के प्रस्ताव पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने पार्टियों को सूचित कर दिया है कि सहयोग की प्रस्तावित शर्तें उन्हें स्वीकार्य नहीं हैं ।

Kaushalyapuri Farm at Etawah U.P.

†1287. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received any communication in regard to the embezzlement by the then District Officers of the funds of the Kaushalyapuri Farm in Etawah set up in 1950 on the basis of cooperation and victimisation of Shri Ganga Ram Dhanuk, Manager of the Farm and its other members by utilizing their official position;

(b) if so, the action being taken by Government in this regard; and

(c) whether Government propose to hold an open enquiry into this affairs?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). Information is being collected from Uttar Pradesh, Government.

संसद् सदस्य पर हमला

1288. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 जुलाई, 1968 को दिल्ली में गुंडों ने एक संसद्-सदस्य पर हमला किया था ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में पुलिस ने कोई गिरफ्तारियां की हैं ; और

(ग) संसद् सदस्यों की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). यह बताया जाता है कि 10/11 जुलाई, 1968 को रात को कुछ व्यक्तियों द्वारा एक संसद् सदस्य को पीटा गया। उस सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) उन क्षेत्रों में जहां संसद् सदस्य रहते हैं चौबीस घण्टे गश्त के प्रबन्ध कर दिये गये हैं।

Deporting of Pakistani Infiltrators from Assam

1289. Shri Onkar Lal Bohra: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the progress made so far in deporting Pakistani infiltrators from Assam and in checking the illegal entry of Pakistanis into the border areas of Assam;

(b) whether it is a fact that these foreign elements, who are in collusion with China, are posing a danger to the security of eastern borders for the last few ears and yrebel Nagas and Mizos are achieving success in their anti-Indian propaganda by their co-operation; and

(c) whether the question of taking over the administration of eastern borders by the Central Government is under consideration, and if so, the time by which the administration of these areas would be taken over by the Centre?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Information, showing the up to date position, is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) No, Sir.

(c) No, does not arise.

Development of Places of Tourist Interest in Rajasthan

1290. Shri Onkar Lal Bohra: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the schemes formulated by Government for the attraction of tourists to the places of historic and scenical importance in Rajasthan particularly in Chittorgarh, Udaipur, Haldighati, Ranakpur, Abu, Mandor, Jaisalmer and Aner;

(b) whether the Rajasthan Government have approached the Central Government for a special grant for this purpose; and

(c) if so, the amount likely to be given particularly for the construction of new hotels, tourist bungalows and to meet transport requirements?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) Proposals in respect of the tourism schemes to be taken up in Rajasthan are still awaited from the State Government. The number of schemes that can be taken up will ultimately depend upon the resources available for the Tourism Plan.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Udaipur Airport

1291. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3400 on the 8th March, 1968 and state:

(a) the extent to which the scheme under consideration for the extension of the present airport at Udaipur to enable the Viscounts and other big planes to land there is likely to be implemented this year; and

(b) the difficulties in regard to declaring the Udaipur Airport as a Class II airport and the reasons for the delay in its development?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) No decision has been taken yet for the extension of the runway at Udaipur to enable Viscounts to land there without a penalty. A proposal to include this project in the Fourth Five Year Plan is under consideration. The work of installation of runway lighting is expected to be completed by 31st July, 1968.

(b) Aerodromes have been classified into four categories, International, Major, Intermediate and Minor; and not in Classes I, II and III. Udaipur is at present regarded as an Intermediate Airport. The classification is based on the nature of services to the airport and the frequencies thereof. There would be no difficulty about Udaipur being placed in a higher Class if, by virtue of these criteria, it qualifies for it.

Delegations to Foreign Countries to Attract Tourists

1292. Shri Onkar Lal Bohra: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether some Departmental Delegations are proposed to be sent to foreign countries with a view to attract foreign tourists towards India;

(b) if so, when such delegations are likely to be sent and the names of persons proposed to be included in these delegations;

(c) the steps so far taken to attract more foreign tourists towards India and popularise Indian tourism in foreign countries; and

(d) the amount of expenditure likely to be incurred for providing tourist facilities at various tourist centres in the country during the current year?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Steps have been taken to enlist the active co-operation of the Air-India establishments in Europe for promotion of tourism. Steps have also been taken in collaboration with the India Tourism Development Corporation to reorient and upgrade the publicity activities of the Department of Tourism.

(d) An amount of Rs. 147·55 lakhs, as part of 'Plan' expenditure. has been provided in the Budget Estimates for 1968-69 for providing tourist facilities at various centres in India.

क्षेत्रीय परिषद्, मनीपुर द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों के बारे में पारित संकल्प

1293. **श्री मेवचन्द्र :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय परिषद् मनीपुर ने 1963 में इस आशय का एक संकल्प पास किया था कि प्रशिक्षित मैट्रिक तथा गैर-मैट्रिक अध्यापकों को, जो बीस वर्ष से सेवा कर रहे हैं, प्रशिक्षण से छूट दी जायेगी तथा वे प्रशिक्षित अध्यापकों को मिलने वाले वेतन के अधिकारी होंगे;

(ख) क्या इस संकल्प से अनेक अध्यापकों को लाभ हुआ था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह संकल्प संघ क्षेत्र अधिनियम, 1963 की धारा 58(2) (ख) के अन्तर्गत अभी तक लागू है;

(घ) क्या गैर-मैट्रिक अध्यापकों को जिन्होंने बीस वर्ष और अधिक सेवा कर ली है, प्रशिक्षित अध्यापक समझा जायगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या वे सिलेक्शन ग्रेड वेतनमान के अधिकारी हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भूतपूर्व मणिपुर संघीय परिषद् ने, 1962 में (1963 में नहीं) ऐसे अप्रशिक्षित मैट्रिक और अप्रशिक्षित गैर-मैट्रिक अध्यापकों को, जिन्होंने 1-1-1959 को 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी प्रशिक्षण से छूट देने और उन्हें प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन-मान देने का निर्णय किया था।

(ख) जी हां।

(ग) संघीय क्षेत्र सरकार अधिनियम की धारा 58(2) (ख) के उपबन्धों के नाते संकल्प अभी तक लागू है अथवा नहीं, यह प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित, भूतपूर्व मणिपुर संघीय परिषद् के निर्णय के लिये भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता थी। 20 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अप्रशिक्षित मैट्रिक अध्यापकों को प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन-मान देने के लिये आवश्यक

अनुमति पहले ही से दे दी गई है । इसी प्रकार का अध्यापन अनुभव रखने वाले गैर-मैट्रिक अप्रशिक्षित अध्यापकों को इसी प्रकार की रियायत देने से सम्बन्धित परिषद् का निर्णय विचाराधीन है ।

(ङ) और (च). प्रश्न ही नहीं उठते ।

गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

1294. श्री मेघचन्द्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतन का पुनरीक्षण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सभी गैर-सरकारी कालेजों को सहायता दे रही है जिससे कि अध्यापक आसाम में अपने साथी अध्यापकों को मिलने वाले वेतनमान के समान नये वेतनमान तथा ऊंचे वेतनमान का लाभ उठा सकें; और

(घ) यदि नहीं, तो पुनरीक्षित वेतनमान न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख)

	डिग्री कालेज	पूर्व विश्वविद्यालय स्तर के कालेज
प्रिंसीपल	750—1200 रुपये	350—1000 रुपये
लेक्चरर	350—925 रुपये	300—800 रुपये
निदर्शक (डेमोंस्ट्रटर) . .	225—600 रुपये	—

(ग) और (घ). सहायता-अनुदान की शर्तें पूरी करने वाले सभी कालेजों को मदद दी जा रही है ताकि कालेजों के अध्यापक नये वेतनमानों का लाभ उठायें । परन्तु 550—1100 रुपये का वरिष्ठ वेतन-क्रम मंजूर नहीं किया गया है क्योंकि असम के सहायता प्राप्त कालेजों में अध्यापकों को वह वेतनक्रम नहीं दिया गया है । पूर्व विश्वविद्यालय स्तर के कालेजों को उच्चतर माध्यमिक वेतनमान दिये गये हैं क्योंकि उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्तर के बराबर समझा गया है । पर्वतीय तथा देहाती क्षेत्रों में स्थित उन प्राइवेट कालेजों के मामले, जो सहायता-अनुदान की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, सरकार के विचाराधीन हैं ।

सेवानिवृत्त अध्यापकों को पेंशन का न दिया जाना

1295. श्री मेघचन्द्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के एल० पी० स्कूलों के अनेक हैड पंडितों को, जोकि वर्ष 1961 और 1962 में सेवानिवृत्त हुए थे, अभी तक पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ नहीं दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो भुगतान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां, किन्तु उन्हें प्रत्याशित पेंशन और उपदान दिये गये हैं।

(ख) भूतपूर्व मणिपुर क्षेत्रीय परिषद् ने ऐसे मैट्रिक और अप्रशिक्षित गैर-मैट्रिक अध्यापकों को जिन्होंने 1-1-1959 को 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो प्रशिक्षण से छूट दे दी थी और उनके लिये प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन-मान मंजूर कर दिये थे। प्रत्यक्षतः परिषद् द्वारा स्वीकृत छूट के लिये आरम्भतः भारत सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। अप्रशिक्षित मैट्रिक पास अध्यापकों से संबंधित अनुमति पहले ही से दे दी गई है और ऐसे अध्यापकों के पेंशनों के मामलों को अब अन्तिम रूप दिया जायेगा। अप्रशिक्षित गैर-मैट्रिक अध्यापकों का मामला विचाराधीन है।

मनीपुर में एम० ई० और बी० जे० बी० के स्कूलों के हैडमास्टरों के वेतन का पुनरीक्षण

1297. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के एम० ई० और बी० जे० बी० स्कूलों के हैडमास्टरों के वेतनों का पुनरीक्षण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नया वेतनमान सभी हैड-मास्टरों के लिये एक समान है; और

(घ) यदि नहीं, तो वेतन में अन्तर के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे हैड मास्टर जो केवल मैट्रिक पास हैं 125—200 रुपये ग्रेड वेतन और 20 रुपये मासिक विशेष वेतन के रूप में।

ऐसे हैड मास्टर जो मैट्रिक पास और मनीपुर बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त अथवा इण्टर-मीडिएट हैं। 140—275 रुपये ग्रेड वेतन और 20 रुपये मासिक विशेष वेतन के रूप में।

(ग) और (घ). एम० ई० और जे० बी० स्कूलों के हैडमास्टरों को असम के समान ऊपर (ख) में उल्लिखित वेतनमानों में से कोई एक, निर्धारित योग्यताओं के अनुसार मिलता है।

उत्तर प्रदेश के स्कूलों में दक्षिण भारत की भाषाओं का पढ़ाया जाना

1298. **श्री सिद्दय्या** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को दक्षिण भारत की भाषाएं अर्थात् तामिल, कन्नड़ और तेलुगू पढ़ाने की एक योजना आरम्भ की थी; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1962-63 से लेकर वर्ष 1967-68 तक कितने कर्मचारियों ने इन प्रत्येक भाषा के सम्बन्ध में इस योजना का लाभ उठाया ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) इस योजना के सम्बन्ध में सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगें

1299. श्री अविचन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जुलाई, 1968 में संयुक्त परामर्शदायी व्यवस्था द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगों (एक) जीवन-निर्वाह में हुई वृद्धि का पूर्ण प्रतिकर और (दो) न्यूनतम मजूरी आदि की मांगों के बारे में वार्ता असफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कर्मचारियों तथा सरकार का पृथक-पृथक दृष्टिकोण क्या था;

(ग) क्या कर्मचारियों ने हड़ताल करने की धमकी दी थी; और

(घ) यदि हां, तो हड़ताल को टालने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). संयुक्त परामर्शदायी व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक 11-12 जुलाई, 1968 को हुई। इस बैठक में कर्मचारी-पक्ष ने यह जानना चाहा कि क्या सरकार ने मंहगाई भत्ते को वेतन में मिलाने और जरूरत पर आधारित न्यूनतम मजूरी स्वीकारने के सम्बन्ध में दो विषय पंचनिर्णय मण्डल के हवाले कर दिये हैं। उत्तर में कर्मचारी-पक्ष को बताया गया कि सरकार का पहला मत यह था कि ये दो विषय पंचनिर्णय-योग्य नहीं मालूम पड़ते तो भी सरकार पंचनिर्णयता योग्य के प्रश्न पर मुक्त विचारधारा रखेगी तथा कर्मचारी-पक्ष के प्रतिनिधि जब उप-प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और श्रम मंत्री से कुछ ही दिनों में मिलेंगे, जैसा कि उन्हें पहले ही आमंत्रित किया गया है, इन दो विषयों की पंचनिर्णयता योग्य के प्रश्न पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं।

राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में जीवन-निर्वाह में हुई वृद्धि के पूर्ण प्रतिकर से सम्बन्धित विषय पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि कर्मचारी-पक्ष ने इस विषय को लिये जाने से पहले ही बैठक को स्थगित करना चाहा था।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में कर्मचारी-पक्ष ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वे हड़ताल का सहारा लेंगे।

Jawahar Lal Nehru University, New Delhi

1300. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of Education be pleased to state the progress made in regard to the establishment of the Jawahar Lal Nehru University in New Delhi ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): Out of the total of 1000 acres of land required for the University, about 600 acres have been acquired and the rest is in the process of being acquired.

The appointment of the Vice-Chancellor and the Academic Advisory Committee, as envisaged in the Jawahar Lal Nehru University Act, 1966, is under consideration.

Powerful Radar Along Calcutta-Madras Coast Line

1301. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no powerful radar along the coast line from Calcutta to Madras and upto Gandhidham;

(b) whether it is also a fact that in the absence of such a system, heavy loss of life and property is suffered as people cannot be forewarned of hurricanes every year; and

(c) whether Government propose to install powerful radars at various places for this purpose?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) Yes, Sir. 3-cm. wavelength radars are at present functioning at Dum-Dum (Calcutta), Meenambakkam (Madras) and Santa Cruz (Bombay). While the radar at Calcutta has a range of about 200 miles, those at Madras and Bombay have a range of about 80 miles and less in local heavy rain.

(b) A network of more powerful radars than the ones indicated above, will be an effective aid to detaction of cyclonic storms. However, the absence of a system of powerful radars cannot be regarded as the only reason for the loss suffered on account of hurricane etc. as, even under the present arrangements, people are forewarned of impending storms with the help of available equipment.

(c) Action to install a 10-cm. powerful radar at Visakhapatnam is already in progress. Schemes for installation of some more 10-cm. radars will be considered for inclusion in the Fourth Five Year Plan subject to the availability of resources.

एवरो 748 के संकट के समय खुलने वाले दरवाजे

1302. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि एवरो 748 के संकट के समय खुलने वाले दरवाजे उड़ान के समय स्वतः ही खुल जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और डिजाइन के दोष को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डय मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). केवल एक अवसर पर अर्थात् 29 जनवरी, 1968 को आपातकालीन निकास मार्ग की खिड़की विमान के उड़ने समय खुल गई । घटना की जांच करने पर यह साबित हुआ कि यह घटना इस कारण हुई कि एक यात्री ने बेध्याने में खिड़की का लीवर उठा दिया परन्तु आपातकालीन निकास के डिजाइन या बनावट में कोई त्रुटि नहीं थी ।

इस प्रकार की घटना की आवृति को रोकने के लिये इंडियन एयरलाइन्स आपातकालीन निकासों को लाल पेन्ट करा रहे हैं तथा उन पर यह हिदायत लिखवा रहे हैं "उड़ान के दौरान प्रयोग न करें (नौट टू बी ओपरेटिड इन फ्लाईट)" ।

दिल्ली के स्कूलों में त्रि-भाषी सूत्र

1304. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में त्रि-भाषा सूत्र को अपना लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये तीन भाषाएं कौन सी हैं और दिल्ली के कौन से स्कलों में यह योजना क्रियान्वित की जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) दिल्ली प्रशासन के अधीन बहुद्देश्य स्कूलों में जोकि अब उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदल दिए गए हैं त्रिभाषा-सूत्र पर आधारित पाठ्य-विवरण लागू था । इस समय दिल्ली में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अखिल भारतीय पाठ्य-विवरण का अनुसरण करने वाले 12 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने त्रिभाषा-सूत्र अपनाया हुआ है । दिल्ली के संघीय क्षेत्र के बाकी स्कूलों ने इस सूत्र को नहीं अपनाया है ।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अखिल भारतीय पाठ्य-विवरण का अनुसरण करने वाले दिल्ली के स्कूलों में अपेक्षित भाषाओं से सम्बन्धित सूचना संल न विवरण में दी गई है । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि दिल्ली के बाकी स्कूलों द्वारा कब तक त्रिभाषा-सूत्र को कार्यान्वित करने की सम्भावना है, मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

विवरण

प्रत्येक उम्मीदवार को अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिये निम्नलिखित भाषाओं में से तीन भाषाएं लेनी पड़ेंगी :—

(1) उच्चतर स्तर पर एक भाषा :—

हिन्दी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तामिल, तेलगू, उड़िया, आसामी, कन्नड, काश्मीरी, संस्कृत, सिन्धी, मनीपुरी, अथवा एक विदेशी भाषा—फ्रांसिसी, जर्मन या रूसी ।

(2) निम्नतर स्तर पर एक भाषा :—

हिन्दी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तामिल, तेलगू, उड़िया, आसामी, कन्नड, काश्मीरी, संस्कृत, सिन्धी, मनीपुरी अथवा एक विदेशी भाषा फ्रांसिसी, जर्मन या रूसी ।

(3) अंग्रेजी

नोट : 1. (एक) और (दो) के अन्तर्गत एक ही भाषा नहीं ली जायेगी ।

2. हिन्दी एक भाषा के रूप में या तो (एक) के अन्तर्गत ली जायेगी या (दो) के ।

3. निम्नतर स्तर पर भाषा के अन्तर्गत किसी छात्र से उसके द्वारा ली गई भाषा के केवल प्रारम्भिक ज्ञान की आशा की जाती है ।

राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्र-गीत के प्रति सम्मान

1305. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रत्येक चलचित्र के प्रदर्शन के पश्चात चलचित्र के माध्यम से गाये जाने वाले राष्ट्र गीत का सावधान मुद्रा में खड़े सब दर्शकों द्वारा सम्मान नहीं किया जाता है;

(ख) क्या छविग्रहों के मैनेजरों को ऐसी व्यवस्था करने के लिये पुनः आदेश दिये जायेंगे, जिससे सब दर्शकगण राष्ट्र-गीत और राष्ट्र-ध्वज के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करें ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्र-गीत के अपमान के लिये दंड देने के उपबन्ध वाले किसी विधान पर विचार किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) आमतौर पर राष्ट्रीय गान सिनेमा में गाये जाने पर व्यक्ति खड़े होते हैं और उचित शिष्टता बनाये रखते हैं। फिर भी समय-समय पर इस सम्बध में दर्शकगणों द्वारा उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हाल में सूचना और प्रसारण मंत्री ने सिनेमा दिखाने वालों से अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जब राष्ट्रीय गान गाया जाये तो दर्शकगण द्वारा उचित शिष्टता बनाई रखी जाये।

(ग) राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की मानहानि करने के कृत्यों पर दण्ड देने का कानून बनाने का प्रस्ताव है।

विद्यार्थियों द्वारा स्कूल के प्रशासन में भाग लिया जाना

1306. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा तैयार की गई उस नई योजना का ब्यौरा क्या है जिसके अनुसार विद्यार्थी स्कूल के प्रशासन में अधिक भाग ले सकेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

त्रिपुरा में पाकिस्तानी घुसपैठिये

1307. श्री कीर्ति विक्रम देव वर्मन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय त्रिपुरा में बड़ी संख्या में अवैध पाकिस्तानी घुसपैठियें हैं और यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक ऐसे घुसपैठियों में से कितने गिरफ्तार किये गये हैं और कितनों को देश से निकाल दिया गया है ;

(ग) इन घुसपैठियों को गिरफ्तार करने और देश से निकालने के लिये अपनायी गई प्रक्रिया क्या है ; और

(घ) त्रिपुरा के सीमान्त क्षेत्र में इस प्रकार के तोड़ फोड़ करने वाले तत्वों को चुन चुन कर बाहर निकालने के लिये अन्य क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). आज तक की और निश्चित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ग) और (घ). निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं :—

(1) सीमा सुरक्षा दल द्वारा सीमा की कड़ी चौकसी की जाती रही है।

(2) सीमावर्ती ग्रामों में बाह्य चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है।

(3) त्रिपुरा प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों को त्रिपुरा से पाकिस्तानी घुसपैठियों को शीघ्र निकालने को सुनिश्चित करने के अधिकार दिये गये हैं।

(4) पाकिस्तानी घुसपैठियों के मामलों पर विचार करने के लिए एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया है।

त्रिपुरा में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा

1308. श्री किरित विक्रम देव वर्मन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में 6 से 14 वर्ष की आयु के कितने प्रतिशत बच्चे स्कूलों में नहीं जाते ;

(ख) क्या संविधान में उल्लिखित निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रणाली को उचित ढंग से क्रियान्वित करने के लिये त्रिपुरा में स्कूलों की पर्याप्त व्यवस्था है ;

(ग) यदि नहीं, तो आवश्यकताओं की तुलना में ये सुविधायें कितनी कम हैं ; और

(घ) त्रिपुरा में 8 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये स्कूल जाने की पर्याप्त सुविधायें जुटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से)घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभी पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा योजना

1309. श्री किरित विक्रम देव वर्मन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में हाई स्कूल अथवा हायर सेकेन्डरी स्तर तक निःशुल्क शिक्षा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है;

(ख) कौन से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस स्तर तक पहले ही निःशुल्क शिक्षा आरम्भ की जा चुकी है;

(ग) क्या त्रिपुरा में 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था पहले से लागू है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दोषी माता/पिता के लिये कोई सजा न होने के कारण बहुत से बच्चे घरेलू कर्मचारियों और बूट पालिश आदि जैसे छोटे कामों को अपनाते हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) त्रिपुरा में शिक्षा आठवीं कक्षा तक निःशुल्क है किन्तु अभी तक अनिवार्य नहीं की गई है।

(घ) और (ङ). प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार हाई स्कूल अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर (स्टेज) तक निःशुल्क शिक्षा की स्थिति इस प्रकार है :—

आन्ध्र प्रदेश (केवल लड़कियों के लिये)

जम्मू तथा काश्मीर ।

मध्य प्रदेश : (केवल लड़कियों के लिये)

मद्रास

मैसूर : [दसवीं कक्षा (स्टैन्डर्ड) तक]

उड़ीसा : (लड़कियों, प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों तथा चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों के लिये)

पंजाब : (कुछ वर्गों के लिये अर्थात लड़कियों के लिये और निर्धारित आय की शर्तों के अधीन पिछड़ी जातियों तथा हरिजनों के बच्चों के लिये)

उत्तर प्रदेश : (दसवीं कक्षा तक केवल लड़कियों के लिये)

पश्चिम बंगाल : (निम्न साक्षरता प्रतिशतता वाली आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये दसवीं कक्षा तक)

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

दादरा तथा नागर हवेली

दिल्ली : (दिल्ली में केवल नगर निगम के स्कूलों में)

लकादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीप समूह ।

पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी

पांडुचेरी : (केवल लड़कियों के लिये)

त्रिपुरा : (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों, लड़कियों और 1200 रुपये वार्षिक आय सीमा वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये)

कमालपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

1310. **श्री कीर्ति विक्रम देव बर्मन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल में कमालपुर (त्रिपुरा) में खाद्य आन्दोलन में भाग ले रहे विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की दुर्घटना के, जिसमें अनेक विद्यार्थी घायल हुए और मारे गये थे, बारे में न्यायिक जांच के लिये आदेश कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन निर्देश पदों के साथ यह मामला जांच के लिये सौंपा गया है ;

(ग) क्या जांच इस बीच पूरी कर ली गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) गोली चलाने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । त्रिपुरा सरकार ने एक मात्र सदस्य श्री एस ० बी ० लस्कर, जिला और शैसन जज त्रिपुरा, का एक जांच आयोग कमालपुर (त्रिपुरा) में 17.4.68 को पुलिस द्वारा चलायी गई गोली की घटना की जांच करने को नियुक्त किया गया है जिसमें एक विद्यार्थी मारा गया था और पांच अन्य घायल हुए थे ।

(ख) जांच आयोग के विचारार्थ विषय हैं (i) स्थिति का कारण और प्रकृति जिसके कारण 17 अप्रैल, 1968 को गोली चली ; (ii) क्या गोली चलाना न्याय संगत था जिसके परिणाम-स्वरूप बताया जाता था, कि कुछ व्यक्ति घायल हुए और एक व्यक्ति की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। और (iii) अन्य कोई परिस्थितियां जो आयोग को सम्बद्ध प्रतीत होती हैं।

(ग) और (घ). आयोग की जांच अभी चल रही है।

कलकत्ता विश्व विद्यालय के पाठ्यक्रम में माओ के लेख

1311. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय ने निर्णय किया है कि साम्यवादी चीनी नेता माओत्से तुंग के लेखों को राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार का परामर्श लिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुणा सेन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

10 मई, 1968 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 10384 के उत्तर को ठीक करने वाला वक्तव्य जो गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री के० एल० रामास्वामी द्वारा दिया गया।

10 मई, 1968 को लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 10384 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संलगन वक्तव्य के क्रम संख्या 16 में स्तम्भ (कालम) 7 में दिखाई गई 3,022 रुपये 20 पैसे की राशि गलती के कारण गलत दी गई है। वास्तविक राशि 1,238 रुपये 20 पैसे है।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): मैं बड़े पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) वर्ष 1966–67 के लिये विशाखापत्तनम पत्तन न्यास का वार्षिक लेखा तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 1966–67 के लिए बम्बई पत्तन न्यास का वार्षिक लेखा तथा उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1454 68]

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुणा सेन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) औद्योगिकी संस्थायें अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) वर्ष 1966–67 के लिये इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलौजी, मद्रास के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 1966–67 के लिए इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलौजी, कानपुर के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) वर्ष 1966–67 के लिये इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलौजी, खड़गपुर के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1455/68]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) शस्त्रास्त्र (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो शस्त्रास्त्र अधिनियम 1959 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 1 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1019 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) सिविल प्रतिरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 20 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सिविल प्रतिरक्षा नियम, 1968 जो दिनांक 10 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1277 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सिविल प्रतिरक्षा विनियम, 1968 जो दिनांक 10 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1278 में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1456/68]

(3) सिविल प्रतिरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 1 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2435 की एक प्रति जो दिनांक 6 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1457/68]

(4) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 811 जो दिनांक 4 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 1 अप्रैल, 1967 को जी० एस० आर० 422 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

(दो) जी० एस० आर० 833 जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदावली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(तीन) जी० एस० आर० 834 जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थ तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(चार) जी० एस० आर० 835 जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(पांच) अखिल भारतीय सेवाएं (सेवा की शर्तें—शोध विषय) (संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 836 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) जी० एस० आर० 837 जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(सात) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1968, जो दिनांक 18 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 887 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) जी० एस० आर० 888 जो दिनांक 18 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(नौ) जी० एस० आर० 889 जो दिनांक 18 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(दस) जी० एस० आर० 890 जो दिनांक 18 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 951 जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(बारह) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 952 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) जी० एस० आर० 1017 जो दिनांक 1 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(चौदह) जी० एस० आर० 1077 जो दिनांक 8 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 1078 जो दिनांक 8 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया ।

(सोलह) जी० एस० आर० 1079 जो दिनांक 8 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया ।

(सत्रह) भारतीय वन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक, 8 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1083 में प्रकाशित हुए थे ।

(अठारह) जी० एस० आर० 1113 जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(उन्नीस) जी० एस० आर० 1114 जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया ।

(बीस) जी० एस० आर० 1115 जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(इक्कीस) भारतीय वन सेवा (वरीयता का विनियमन) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1120 में प्रकाशित हुए थे ।

(बाईस) भारतीय वन सेवा सेवा-मुक्त (एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त तथा शार्ट सर्विस कमीशन-प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1968 जो दिनांक 22 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1138 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेईस) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 22 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1139 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौबीस) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं निवृत्ति लाभ) पांचवा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1183 में प्रकाशित हुए थे ।

(पच्चीस) जी० एस० आर० 1246 जो दिनांक 6 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(छब्बीस) जी० एस० आर० 1247 जो दिनांक 6 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गये । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1458/68]

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (तीसरा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 13 मार्च, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3(10)/67–ट्रांसपोर्ट में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 145968]

(2) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं जो दिनांक 18 मई, 1968 तक भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 894 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1460/68]

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY THE PRIME MINISTER

प्रधान मंत्री की सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया की हाल की यात्रायें

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सम्बन्धित मित्र सरकारों के प्रधानों से निमंत्रण मिलने पर मैंने 19 मई से लेकर 1 जून तक सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा मलयेशिया की यात्रा की। जिस सद्भावना और सहृदयता से वहां की सरकारों और जनता ने हमारा स्वागत किया उससे भारत के प्रति उनकी सद्भावना और मित्रता झलकती है।

मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य इन देशों के प्रमुख नेताओं के साथ निजी सम्पर्क स्थापित करना, उनके साथ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और पारस्परिक हित के मामलों पर विचार विमर्श करना था। इस यात्रा से हमें परस्पर सम्बन्धों को दृढ़ करने, अपनी समस्याओं, अपनी नीतियों, अपने प्रयत्नों और उपलब्धियों के समुचित ज्ञान को बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त हुआ, मैं सोचती हूं कि मैं उनकी कुछ उन धारणाओं को भी ठीक कर सकी हूं जो कि अभी कुछ वर्षों में हमारी आर्थिक और अन्य कुछ कठिनाइयों के कारण उनके मन में उत्पन्न हो गई थी। मेरे साथ जो अधिकारी आये थे उन्होंने उन सरकारों के अपने समकक्ष के अधिकारियों के साथ आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया।

मैंने इण्डोनेशिया, लाओस, कम्बोडिया, थाईलैंड, मलयेशिया तथा सिंगापुर से अपने दूतावासों के प्रधानों को परामर्श के लिये क्वालालम्पुर में बुलाया, उन्होंने इन देशों की स्थिति, इनकी विचार-धारा, वर्तमान समस्याओं तथा हमारे विकासशील पारस्परिक सम्बन्धों का प्राथमिक मूल्यांकन किया, मुझे सभा को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इन देशों के साथ और अन्य दूसरे

देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं और अधिक दृढ़ हो रहे हैं। भारत के लिये बड़ी सद्भावनायें हैं और यह मान्यता दी जाती है कि उसकी हाल की कठिनाइयों के बावजूद भी वह एक बड़ा शक्तिशाली और शान्तिप्रिय लोकतन्त्र है। मुझे यह जानकारी दी गई कि आर्थिक प्रयासों में भारतीय सहयोग तथा साझेदारी का स्वागत किया जायेगा।

हम अपने व्यापार को बढ़ाने तथा तकनीकी सहयोग का विकास करने की सम्भावनाओं पर विचारविमर्श कर रहे हैं। मलयेशिया का एक शिष्टमंडल हमारे पास आ चुका है। अन्य शिष्टमंडलों के आने की उम्मीद है।

सभा इस बात से अवगत है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में से बहुत से लोग इनमें से कुछ देशों में रहते हैं। 10 लाख से अधिक लोग मलयेशिया और सिंगापुर में रहते हैं। इनमें से अधिकांश लोग वहां के नागरिकों के रूप में वहां बस गये हैं और वे इन देशों के कल्याण और विकास में सहयोग दे रहे हैं। इन दो देशों की सरकारों के नेताओं ने मुझे आश्वासन दिलाया कि भारतीय मूल के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। उनकी कुछ समस्यायें अवश्य हैं जो इन परिस्थितियों में असाधारण नहीं हैं। सब की सद्भावनायें मिलने पर ये कठिनाइयां अपराजेय नहीं होनी चाहियें।

ये देश अपने क्षेत्र में बदलती हुई परिस्थितियों के सम्भावित आर्थिक तथा राजनैतिक परिणामों के बारे में चिन्तित थे। स्वाभाविक रूप से, हम दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में रुचि रखते हैं जिसमें हम शान्ति, सहयोग तथा सम्पन्नता का स्थायित्व चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा तथा इसका भविष्य इन देशों की स्थिरता, विकास तथा तीव्र आर्थिक विकास पर निर्भर करता है।

हम इन देशों तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्धों को सब से अधिक महत्व देते हैं। सौभाग्यवश उनके साथ हमारे बहुत निकट के सम्बन्ध हैं और इन सम्बन्धों को दृढ़ करने का हमारा प्रयास सतत् रहेगा जो कि पारस्परिक सहयोग तथा एक दूसरे की स्वतन्त्रता के प्रति सम्मान पर आधारित है।

Shri Rabi Ray (Puri): There should be a discussion on it. There should be a discussion on foreign policy.

अध्यक्ष महोदय: कुछ सदस्यों ने इस विषय में लिखा है। मैं सोचता हूं वहां बैठे हुए उन सदस्य महोदय ने भी इस विषय में कल लिखा था। उन्होंने प्रधान मंत्री महोदया को भी बता दिया है। अब डा० राम सुभग सिंह को सुनें। वह अगले सप्ताह के कार्य के बारे में हमको कुछ बताने वाले हैं। हम देखेंगे कि क्या वह इसके लिए भी कुछ समय दे सकते हैं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): श्रीमन्, 29 जुलाई, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्य-सूची से आगे ले जाये गये सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार;

[डा० राम सुभग सिंह]

(2) स्वर्ण (नियंत्रण) अध्यादेश, 1968 और स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक, 1968 का निरनुमोदन प्राप्त करने वाले सांविधिक संकल्प पर जिसकी सूचना श्री यशपाल सिंह द्वारा दी गई है, विचार ।

(3) शत्रु सम्पत्ति विधेयक, 1968 पर विचार तथा पास करना ।

(4) भारतीय पेटेंट और डिजाइन (संशोधन) विधेयक, 1968 पर विचार तथा पास करना और पेटेंट विधेयक, 1967 को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव पर विचार ।

(5) अन्तर्राज्य जल-विवाद (संशोधन) विधेयक, 1968 पर विचार तथा पास करना ।]

प्रेस और पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1968 पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार तथा पास करना ।

सरकारी भू-गृहादि (अवैध कब्जा निष्कासन) संशोधन विधेयक, 1968 पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार तथा पास करना ।

बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक, 1968 पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार तथा पास करना ।

अध्यक्ष महोदय : वे अभी पूछ रहे थे कि क्या विदेश नीति पर कोई चर्चा होगी ।

डा० राम सुभग सिंह : जैसा आप जानते हैं, विदेश नीति के सम्बन्ध में, केवल दो ही दिन पहले हम ने रूस द्वारा पाकिस्तान को दिये जा रहे हथियारों की सहायता पर चर्चा की थी । उस बात को दृष्टि में रखते हुए इस चालू सत्र के दौरान विदेश नीति पर चर्चा के लिये समय देना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : क्या उन्होंने हमें चालू सत्र के लिए कार्यक्रम बताया अथवा केवल अगले सप्ताह के लिये ?

अध्यक्ष महोदय : अगले सप्ताह के लिये ।

श्री रंगा : यह अगले सप्ताह के लिए होगा, मैं ऐसा सोच रहा था कि स्वर्ण नियंत्रण विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाना था । लेकिन मेरे माननीय मित्र ने इसका उल्लेख नहीं किया है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैंने उसके बारे में बताया है ।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस पर दुबारा विचार किया था । इसका उल्लेख सलाहकार समिति में किया गया था । हमने यह निर्णय किया है कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जायेगा, लेकिन अध्यादेश होने के कारण, हमें सभा स्थगित होने से पहले इसे पास करना होगा । इसलिये प्रवर समिति इसे शीघ्र ही वापिस भेजेगी और तब हम इसे पास करेंगे । हम इस बात पर कल राजी हो चुके हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Yesterday, Dr. Ram Subhag Singh promised that some no-day-yet-named motions will be discussed. All the hon. Members requested that the motion regarding the Government servants is urgent and therefore that should be discussed immediately. So this motion should be included in the business for the next week.

श्री रंगा : अन्य कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा भी इसे आपके ध्यान में लाया गया और तब आपने उनको तब तक के लिए प्रतीक्षा करने को कहा जब तक आप समाचार पत्रों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में कोई निर्णय करने में समर्थ न हों। श्रीमन्, हमें असुविधा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनमें से बहुमत से समाचार-पत्र नहीं निकल रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगले सप्ताह इस विषय पर चर्चा के लिए कुछ समय दें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने एक ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्ताव है। मुझे याद नहीं कि यह किसके नाम पर है। मैं भी सोचता हूं कि हमें इस पर चर्चा का अवसर प्राप्त करना चाहिये। शायद राज्य सभा इस पर चर्चा कर चुकी है।

डा० राम सुभग सिंह : श्रम मंत्री महोदय ने श्री स० मो० बनर्जी को कुछ जानकारी अवश्य भेजी।

अध्यक्ष महोदय : वह गुप्त रूप से भेजी गई थी। यहां तक कि मैं भी उसके बारे में नहीं जानता था। कोई ऐसी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी कि ऐसा वक्तव्य सभा में दिया जाना था। किसी सदस्य के किसी भी समय उठने, वक्तव्य देने के लिए कहने और मंत्री महोदय के वक्तव्य देने, की परम्परा को समाप्त करना चाहिये। मैं नहीं सोचता कि यह उचित है। किसी भी प्रकार से ऐसा हो गया है, लेकिन मैं आशा करता हूं ऐसा फिर दुबारा नहीं होगा। इस विषय पर दूसरे सप्ताह में चर्चा होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, यह नियम 340 के अन्तर्गत किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम नहीं जानता हूं। लेकिन माननीय सदस्यों को जानना चाहिये कि सभा में एक आवश्यक वक्तव्य दिया जा रहा है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : इस विषय पर चर्चा करने में अगर बहुत अधिक देरी की गई तो इससे सारे देश को नुकसान होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं बता चुका हूं कि हम इस पर विचार करेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): The matter relating to newspaper employees is an urgent one. The Labour Minister may be asked to make a statement today.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): महोदय, आपने बताया कि इस पर अगले सप्ताह चर्चा होगी। हम वह तिथि जानना चाहते हैं जिस दिन इस पर चर्चा होगी। यदि आज नहीं तो क्या वे इसे सोमवार को लेंगे ?

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : महोदय, इस सम्बन्ध में, लगभग चार दिन पहले मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज क्योंकि कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है अतः इसे लिया जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : यह निश्चय ही महत्वपूर्ण मामला है। लेकिन मैंने सोचा कि उन्हें प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में होना चाहिए। यदि वे इस स्थिति में हैं तो इसे इस दोपहर बाद लिया जा सकता है। अन्यथा हम उन्हें एक-दो दिन का समय दे सकते हैं और वे सोमवार को वक्तव्य दे सकते हैं।

डा० राव सुभग सिंह : मैं श्रम मंत्री महोदय से इस विषय पर बातचीत करूंगा। यदि वे वक्तव्य देने के लिये तैयार होंगे तो आज ही दे सकते हैं अन्यथा यह सोमवार को निश्चय रूप से दिया जायेगा।

Shri Parkashvir Shastri (Hapur) : Mr. Speaker I would like to remind you that Shri Ayengar, the Speaker of this House before you started a practice that at least one no-day-yet-named motion should be taken up during the week. In this connection the Committee which you have formed had a meeting yesterday. In the many no-day-yet-named motions which the Committee has accepted in its recommendations there is a discussion about the re-organisation of Assam. You should ask the Minister for Parliamentary Affairs that during the next week or next to that while preparing the business he should not neglect this practice and at least one no-day-yet-named motion should be taken up for consideration.

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सोचता कि हमें उसी प्रकार चलना चाहिये। उप-समिति की बैठक हुई थी। मुझ पता नहीं कि उसमें क्या निर्णय लिये गये। मैं सोचता हूं उसमें ऐसे दो प्रस्तावों को लाट के या ऐसे ही और जरिये से लेने का निर्णय किया गया है। कार्य मंत्रणा समिति में भी इस पर चर्चा हुई थी। इसे लिया जायेगा। हमने लाट के जरिये दो अनियत दिन वाले प्रस्ताव लेने का निर्णय कर लिया है। कल, श्री नायडू चाहते थे कि कुछ और भी शामिल किया जाय। हमने सुझाव दिया है कि बैलेट में इसे भी शामिल कर लिया जाये। देखें क्या होता है।

श्री सोनावने : इस सत्र के दौरान कार्य-सूची में वर्णित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन तथा इन जातियों के कष्ट निवारण हेतु संसदीय समिति का गठन नामक दो मदें हैं। मंत्री महोदय इन मदों पर अगले सप्ताह अथवा इससे अगले सप्ताह में अवश्य बहस करें।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Speaker, in the House, we always talk about labourers, Harijans etc. but not about the farmer who is the soul of the country. I would like that there should be a discussion on the farmer also sometimes next week or so, in view of the huge floods in different parts of the country and also a steep decline in the prices of the produce.

I want that the farmers' problems should be discussed in the House.

श्री मनुभाई पटेल : पिछले तीन वर्षों से सरकार के पास पड़ी टेक चन्द समिति की रिपोर्ट पर सदन में वाद-विवाद होना चाहिये।

श्री जे० एच० पटेल : कन्नड़ में बोलें।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : कन्नड़ में बोलें।

श्री धीरेश्वर कलिता : आपने बाढ़ के प्रश्न पर हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। परन्तु राजस्थान, आसाम तथा हरयाणा में आई बाढ़ तथा इससे हुई जान व माल की क्षति के बारे में सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिये।

श्री सु० कु० तापिड़या : राजनैतिक दलों को चन्दे देने के प्रश्न पर सदन में विचार होना चाहिये।

श्री समर गुह : आपने समाचार पत्रों की हड़ताल के बारे में मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो ठुकरा दिया और इस प्रश्न पर मुझे बोलने भी नहीं दिया, परन्तु उसी प्रश्न पर मंत्री महोदय ने अपूर्व चिन्ति ; वक्तव्य दिया। यह ठीक नहीं। यह तो दूसरे सदस्यों के प्रति अन्याय है।

दूसरे, मैं चौधरी रणधीर सिंह से सहमत हूं तथा कृषि मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये। आप इसके लिये समय दें।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : क्या विद्यार्थियों को प्रबन्ध में स्थान देने के प्रश्न पर भी यहां विचार होगा ?

Shri Shiv Chandra Jha : I want to know whether a bill regarding Khudabakt Public Library will be introduced here or not.

I want that the Govt. should explain the measures that they are taking to check the floods in North Bihar ?

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये। एक एक करके सब खड़े हो जाते हैं। आगे से केवल नेता-गण ही खड़ हो सकेंगे। हर कोई नहीं।

कार्य-मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

बीसवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो 25 जुलाई, 1968, को पेश किया गया, सहमत है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन, जो कि 25 जुलाई, 1968 को पेश किया गया, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

MR. DEPUTY SPEAKER in the chair

भारतीय पेटेंट तथा डिज़ाइन (संशोधन) विधेयक

INDIAN PATENTS AND DESIGNS (AMENDMENT) BILL

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय पेटेंट और डिज़ाईन अधिनियम, 1911 को आगे संशोधित करने वाले बिल को पेश करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय पेटेंट तथा डिजाईन अधिनियम, 1911 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT RE. ORDINANCE

औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत भारतीय पेटेंट तथा डिजाई (संशोधन) अध्यादेश, 1968, द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

शत्रु सम्पत्ति विधेयक

ENEMY PROPERTY BILL

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : I beg to move that leave he granted to introduce a Bill to provide for continued vesting of enemy property vested in the Custodian of Enemy Property for India under the Defence of India Rules, 1962, and for matters connected therewith.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत प्रति रक्षा नियम, 1962 के अधीन भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित शत्रु सम्पत्ति के निरन्तर निहित रखने तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Dinesh Singh : I introduce the Bill.

अध्यादेश सम्बन्धी वक्तव्य

STATEMENT REGARDING ORDINANCE

Shri Dinesh Singh : I beg to lay on the Table a copy of the explanatory statement giving reasons for immediate legislation. by the Enemy Property Ordinance, 1968 under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

अन्तर्राज्य जल-विवाद (संशोधन) विधेयक

INTER STATE WATER DISPUTE (AMENDMENT) BILL

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): मैं प्रस्ताव करता हूं कि अन्तर्राज्य जल-विवाद अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि अन्तर्राज्य जल-विवाद अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० कु० ल० राव : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

संघ राज्य-क्षेत्र (न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण) विधेयक

UNION TERRITORIES (SEPARATION OF JUDICIAL AND EXECUTIVE FUNCTIONS) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों के पृथक्करण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 22 सदस्य, अर्थात् :—

(1) श्री जहानुद्दीन अहमद
(2) श्री एम० देवीकन
(3) श्री संजीभाई रूपजीभाई देलकर
(4) श्री के० आर० गणेश
(5) श्री कंवर लाल गुप्त
(6) श्री के० एम० कौशिक
(7) श्री हाजी लत्फल हक
(8) श्री बलराज मधोक
(9) श्री विक्रम चन्द महाजन
(10) हिज हाइनेस महाराजा माणिक्य बहादुर—त्रिपुरा
(11) श्री एम० मेघचन्द्र
(12) श्री वी० विश्वनाथ मेनन
(13) श्री पी० एम० सईद
(14) श्री द्वैपायन सेन
(15) श्री एन० सेथुरमाने
(16) श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे
(17) श्री नुग्गेहल्ली शिवप्पा
(18) श्री ए० जी० सोनार
(19) श्री कृष्ण देव त्रिपाठी
(20) श्री रामसेवक यादव
(21) श्री यशवन्तराव चव्हाण
(22) श्री विद्याचरण शुक्ल, और राज्य सभा के 11 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी;

[विद्या चरण शुक्ल]

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं यह प्रस्ताव सभा के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं :--

प्रश्न यह है :

कि संघ राज्यक्षेत्रों में न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों के पृथक्करण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 22 सदस्य, अर्थात् :--

(1) श्री जहानुद्दीन अहमद
(2) श्री एम० देवीकन
(3) श्री संजीभाई रूपजीभाई देलकर
(4) श्री के० आर० गणेश
(5) श्री कंवरलाल गुप्त
(6) श्री के० एम० कौशिक
(7) श्री हाजी लत्फल हक
(8) श्री बलराज मधोक
(9) श्री विक्रम चन्द महाजन
(10) हिज हाइनेस महाराजा माणिक्य बहादुर--त्रिपुरा
(11) श्री एम० मेघचन्द्र
(12) श्री वी० विश्वनाथ मेनन
(13) श्री पी० एम० सईद
(14) श्री द्वैपायन सेन
(15) श्री एन० सेथुरमाने
(16) श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे
(17) श्री नुग्गेहल्ली शिवप्पा
(18) श्री ए० जी० सोनार
(19) श्री कृष्णदेव त्रिपाठी
(20) श्री रामसेवक यादव
(21) श्री यशवन्तराव चव्हाण
(22) श्री विद्याचरण शुक्ल, और राज्य सभा के 11 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंग जो अध्यक्ष करे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

धान कुटाई उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक

RICE MILLING INDUSTRY (REGULATION) AMENDMENT BILL

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : श्री जगजीवन राम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

यह एक ऐसा अधिनियम है कि इस सम्बन्ध में बहुत ही कम मतभेद है। जैसा कि सभा को ज्ञात है, इस समय धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 कुछ वर्ष पहले से ही लागू है। अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान अधिनियम में कुछ परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। जब पहले पुराना अधिनियम बनाया गया था तो मुख्य उद्देश्य रोज़गार की दृष्टि से हाथ से कूटने वाले उद्योग के लिये कुछ संरक्षणों की व्यवस्था करना था। लेकिन अब हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देश की खाद्य समस्या को किन-किन उपायों से हल किया जा सकता है। और इसको हमने विभिन्न कोणों से जांच करनी है। मुख्यत: इसके लिये दो दृष्टिकोणों पर विचार किया जा सकता है। उन में से एक है उत्पादन तथा दूसरा है परिष्करण, संग्रहण इत्यादि।

हमारे देश में धान-उत्पादन एक महत्वपूर्ण समस्या है। हमारे कुल खाद्य-उत्पादन का लगभग आधा भाग धान है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि परिष्करण के लिये हमें यथेष्ट सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। 50,000 चावल मिलों में से अधिकतम मिलें पुराने ढंग की हैं। उन में से भी अधिकतर मिलें या तो छिलका उतारने वाली हैं अथवा फिर दाल-मिलें, अथवा विद्युत् से चलने वाली मिलें और पम्प सैटों जैसी पुराने ढंग की हैं। इन में सब तकनीक तथा औद्योगिक प्रणाली सभी पुराने समय की हैं। इस लिये वसूली तो कम होती है तथा धान की की पर्याप्त मात्रा इस सफ़ाई की प्रक्रिया में नष्ट हो जाती है। और यह निश्चय करना तो हमारे राष्ट्र हित में है कि आधुनिक कारखानों तथा समुचित उपायों की कमी के कारण हमारा अत्यन्त मूल्यवान खाद्यान्न नष्ट होता न चला जाये। यह भी एक दृष्टिकोण है जिसे अपनाकर माननीय सदस्य इस विधेयक पर विचार करें।

वर्तमान अधिनियम में यह उपबन्ध नहीं है कि सरकारी क्षेत्र तथा किसानों द्वारा स्थापित मिलों को वरियता से सुविधायें दी जायें। अत: इस विधेयक में ऐसा विशिष्ट उपबन्ध रखा गया है कि किसी ऐसे अन्य प्रार्थी की अपेक्षा जो कि सरकारी समवाय नहीं है या जो निगम का समवाय नहीं है या फिर जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है उसकी

[अन्ना साहिब शिन्द]

अपेक्षा किसी सरकारी समवाय तथा किसानों की सहकारी संस्थाओं को आज्ञा-पत्र देने में प्राथमिकता दी जाये। यह इस विधेयक का एक प्रमुख उद्देश्य है।

दूसरे उपबन्ध का सम्बन्ध वर्तमान अधिनियम में निहित दण्ड-विधान से है जो बहुत साधारण है। नये अधिनियम में कुछ सख्त दण्ड की मांग है क्योंकि पहले दोषी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा दण्ड पाकर बचते रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में हमें अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वर्तमान दण्ड-विधान सख्त नहीं है। समुचित नहीं है। अतः राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श के बाद इस में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

एक और महत्वपूर्ण उपबन्ध यह है कि हमें वर्तमान धान-मिलों का आधुनिकीकरण करना है।

अतः जो मिल लाइसेंस प्राप्त करना चाहेंगे उन्हें अपने यहां आधुनिक मशीनरी रखनी होगी। यह देश के हित में अच्छा होगा। वास्तव में तो ऐसा बहुत पहले ही किया जाना चाहिये था। मैं सब ओर से इस विधेयक के लिये समर्थन की आशा रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने वाले तथा जिस रूप में राज्य सभा द्वारा पास किये गये विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : प्रस्तावकर्ता मंत्री इस विधेयक को मत-भेद विहीन तो समझते हैं परन्तु उन्होंने इस विधेयक की प्रमुख बातें नहीं बताई हैं।

यह विधेयक वास्तव में तथाकथित सरकारी धान मिलों को वरियता देने के लिये संहित किया गया।

यह हर्ष की बात है हमारी ओर से काफी प्रचार किये जाने के बाद सरकार धान की हाथ से कुटाई के पक्ष में हो गई है क्योंकि इस से रोजगार बढ़ेगा। धान-मिलों से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परन्तु हम देखते हैं कि सरकार आयातित भारी भारी जापानी धान-मिलों को प्रोत्साहन देना चाहती है। और इसके लिये सहकारी धान-मिलों की आड़ ली जा रही है। ये सहकारी नहीं हैं और इन के कारण अनेक लोग बेकार हो जायेंगे।

मेरे अनेक माननीय साथियों ने स्वायत्त-यंत्रों का विरोध किया है और मंत्री महोदय पुराने मिलों को समाप्त कर के और बेरोजगारी बढ़ाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि पुराने तरीके के कारण काफ़ी धान नष्ट होता है ; परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। नष्ट कुछ नहीं होता सब खाया जाता है, हां पालिश किया हुआ जरा कम मिलता है। टूटा चावल तथा छिलका सब काम में आते हैं।

बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान धान-मिल जो कि एक अथवा दो वर्षों से काम न कर सके उन्हें अब अपने मिल पुनः चालू करने के लिये केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के आगे घुटने रगड़ने पड़ेंगे तथा घूस देनी पड़ेगी। मेरे पास ऐसे भी मामले हैं कि इन मिल वालों को शोषित करने के लिये पंचायत के स्तर तक भी राजनयिक प्रभाव प्रयोग किया गया है। अतः इस विधेयक का उद्देश्य तो अधिकारियों को अधिक शक्ति देने का है, देश के हित की इस में कोई बात नहीं है।

[श्री रंगा]

जहां तक दण्ड विधान का सम्बन्ध है वह वर्तमान अधिनियम में पर्याप्त है । इस संशोधन द्वारा तो सरकार दण्डों की संख्या बढ़ाना तथा इस प्रकार जनता को दबाना चाहती है

अतः मंत्री महोदय देखें कि वर्तमान धान-मिलों के साथ भेद-भाव का व्यवहार न किया जाये तथा इन तथाकथित सहकारी मिलों को एकाधिकार न दिया जाये । देश के लाखों लोगों ने मिल कर ये धान मिल चलाये हैं परन्तु माननीय मंत्री अब उन को हताश करना चाहते हैं । यह सहकारिता तो केवल नाम की है । अतः उनकी खातिर निजी मिल वालों का गला न घोंटा जाये ।

श्री अनन्तराव पाटिल (अहमदनगर) : मैं इसविधेयक का समर्थन करता हूं । चावल मिलों के अन्तर्गत धान कूटने वाली मशीनों अर्थात् "हलर्स" को भी सम्मिलित किया गया है । ये "हलर्स" बहुत पुराने हो गये हैं । ये "हलर्स" मध्य वर्ग के लोग तथा बनिये चलाते हैं जो किसानों का शोषण करते हैं तथा उन्हें लूटते हैं । इन पुरानी मशीनों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है अन्यथा किस्म में सुधार करना तथा उत्पादन बढ़ाना सम्भव नहीं है । चावल मिल उद्योग के सम्बन्ध में जापान ने बहुत प्रगति की है । अतः हमें शीघ्रातिशीघ्र मशीनों को आधुनिक बनाना चाहिये ।

दूसरी मुख्य बात यह है कि परमिट देते समय सरकारी कम्पनियों, कार्पोरेशनों तथा किसानों की सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी । कृषि पर आधारित उद्योगों के सम्बन्ध में हमें किसानों की सहकारी समितियों को प्राथमिकता देनी चाहिये । हमें देहाती क्षेत्रों में इन उद्योगों को चलाने के लिये किसानों को प्रेरणा तथा प्रोत्साहन देना चाहिये ।

इस विधेयक की तीसरी मुख्य बात यह है कि मूल अधिनियम में अपराधी के लिये बहुत कम दंड की व्यवस्था की गयी थी । इसके बजाय अधिनियम को उल्लंघन करने वालों के लिये कठोर दंड की व्यवस्था करनी चाहिये । अब यदि अपराध की पुनरावृति की जाती है तो मशीनरी तथा संयंत्र को जब्त कर लेने की व्यवस्था की गयी है । मुझे आशा है कि इस विधेयक से किसानों की ही सहायता नहीं होगी बल्कि देश में विशेष तरीके से तैयार किये जाने वाले चावल का उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी ।

Shri Brij Bhushan Lal (Bareilly) : No doubt object of the Bill is creditable but I would like to point out that Government do not mean what they say. I want to invite their attention to section 2 of the Act of 1958 in which it has been stated :

> "It is hereby declared that it is expedient in the public interest that the Union should take under its control the rice milling industry."

But Government have not taken any steps to take over this industry.

In case Government want to award deterrent punishment to guilty persons then the guilty persons should be fined as well as imprisoned but in the Bill It has been stated fine or imprisonment would be awarded. It should be fine and imprisonment and *not* fine or imprisonment.

It has been provided in the Bill that outdated machinery should be modernised but Government is not prepared to provide loans or give other necessary facilities to do the needful. I want to know whether Government have formulated any scheme to provide

loans to replace the outdated machinery and if so, I would like to know the details thereof.

Paddy is very important foodgrain and the question of paddy should not be considered in piecemeal. But the agriculturist is not being benefited by this Rice-milling Industry (Regulation) Act. He simply sells his paddy to rice mills. These rice mills purchase paddy at cheaper rates and make huge profits. There is no provision in the Bill to check it.

I would like to suggest that this Bill should be withdrawn and a new Bill should be introduced to nationalise this industry. If this suggestion is not acceptable to Government then Government should make a provision to the effect that paddy should be purchased through Food Corporation so that farmers may get their due profit. It may also be suggested that defunct Mills which do not work properly should be taken over by the Government.

श्री दत्तात्रेय कुंटे (कोलाबा) : यह कहा गया है कि चावल मिलों और धान कूटने वाली मशीनों की संख्या 45,000--50,000 के बीच में है। यह कहा गया है कि पुरानी मशीनरी का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये परन्तु नयी मशीनों से होने वाले उत्पादन के आंकड़े नहीं दिये गये हैं। वर्तमान मिलों तथा धान कूटने वालो मशीनों के उत्पादन की तुलना भी नहीं की गयी है। औद्योगिक नीति संकल्प में कुछ वर्गों को पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र में रखा गया था, जिनका कार्यभार सरकार सम्भाल लेगी और दूसरे वर्गों को पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र में नहीं रखा गया था। यह संकल्प इस सभा द्वारा पास किया गया था। मंत्री महोदय ने इस विधेयक में उपरोक्त नीति का पालन नहीं किया है।

[इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बज म० प० तक के लिये स्थगित हुई]
[The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock]

[मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई]
[The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fourteen of the Clock]

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुई]
[Shrimati Tarkeshwari Sinha in the Chair**]**

श्री दत्तात्रेय कुंटे : यह विधेयक औद्योगिक नीति संकल्प के उपबन्धों के अनुसार नहीं बनाया गया है क्योंकि इस विधेयक में उल्लिखित है कि सरकार पहली प्राथमिकता राज्य को देगी और उसके बाद सहकारी समितियों तथा अन्त में गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रथमिकता दी जायेगी।

हमारी सूती कपड़े की मिलों की मशीने 60 वर्ष पुरानी हैं जबकि जापान ने इस दिशा में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु सरकार इस मशीनरी को बदलने के लिये नहीं कहेगी क्योंकि उस पर इन के मजदर संघों का दबाव है और वे उन्हें बदलने का साहस नहीं कर सकते। सूती कपड़ा उद्योग में भी कोई युक्तिकरण नहीं है।

गत अधिवेशन में वाणिज्य मंत्री द्वारा एक विधेयक सभा के समक्ष रखा गया था जिसके द्वारा सरकार संकटग्रस्त मिलों को अपने अधिकार में ले सकता थी। जैसे कि महाराष्ट्र में संकटग्रस्त मिलों को अपने अधिकार में लेकर उसमें काफी धन लगाया था परन्तु सरकार ने आखिर में उन्हीं मिलों को उनके मालिकों को सौंप दिया। इससे करदाता का धन का दुरुपयोग हुआ, सरकार को जो इस क्षेत्र में

राज्य को लाने की बात कर रही है. कपड़ा उद्योगपतियों को छूने का साहस नहीं है परन्तु वह छोटे उद्योगपतियों को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही है ।

अभी एक माननीय सदस्य एक नई मशीनरी के बारे में कह रहे थे । उनका कहना था कि जहां मौजूदा मिलें 63 से 64 प्रतिशत तक उत्पादन कर सकती है वहां ये नई मिलें 72 प्रतिशत तक उत्पादन कर सकती है । परन्तु क्या कभी इन मौजूदा मिलों के उत्पादन की ओर भी ध्यान दिया है और फिर नई मिलों के आने से इन मौजूदा मिलों का क्या होगा ? मेरे एक माननीय मित्र को धान के व्यापारी से इस बात पर आपत्ति है कि वह धान को मिल-मालिकों को नहीं बेचता है अपितु अपनी ही मिलों में ले जाकर कुटवाता है । मैं उनके साथ सहमत हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि इन बिचौलियों को समाप्त कर दिया जाय और मिल-मालिकों को प्रमुखता दी जाय । सरकार भी धान सस्ते भाव में खरीदकर चावल को ऊंचे मूल्य पर बेचकर लाभ कमा रही है । इस प्रकार किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता । यहां धान के व्यापारी और मिल-मालिकों का सीधा सम्बन्ध होना चाहिए जिससे किसानों को पूरा लाभ मिल सके ।

सरकार का इस क्षेत्र में आना ठीक नहीं रहेगा । क्योंकि सरकार ने अब तक इस क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे उसकी प्रशंसा की जा सके । महाराष्ट्र में जब से गन्ने के गैर-सरकारी कारखानों को सरकार ने अपने हाथ में लिया है तब से वह घाटे में चल रही है और सरकार को लाखों रुपयों की प्रतिवर्ष हानि हो रही है ।

श्री लोबो प्रभु : और वे गन्ने की कीमत को बढ़ा रहे हैं ।

राज्य व्यापार से किसानों को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है । राज्य का ध्येय किसानों को लाभ पहुंचाना नहीं होता है बल्कि वह मिल-मालिकों के हितों का ध्यान रखती है । किसानों को कम मूल्य पर गन्ना बेचना पड़ता है और उन्हें हानि होती है । वर्तमान मिलों की तरफ सरकार को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए । मैं सरकार का ध्यान खादी व ग्राम उद्योग पर बिठायी गई अध्ययन दल के प्रतिवेदन की ओर दिलाऊंगा । इस प्रतिवेदन में कहा गया था कि इन मशीनों को गांवों में ही रखा जाय ताकि किसान इनका उपयोग कर सकें और इससे होने वाले लाभ उसे मिल सकें । परन्तु सरकार ने इस सिफारिश की ओर ध्यान नहीं दिया ।

मैं किसानों के सहकारी संघ के पक्ष में हूं । परन्तु यह अन्य सहकारी चीनी मिल की भांति सहकारी समितियां अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संयुक्त पूंजी कम्पनी नहीं होनी चाहियें । इसके अलावा देश में कई मिलें हैं । क्या सरकार उनको समाप्त कर रही है ? इस प्रकार राष्ट्रीय धन का अपव्यय होगा । इन मिलों की तरफ अगर सरकार ध्यान दे तो इसका उत्पादन 62 प्रतिशत से 68 प्रतिशत तक हो सकता है । सरकार को इन मिलों को अपने अधिकार में लेकर किसानों को सस्ते मूल्य पर बेच देना चाहिए और इस प्रकार उन्हें नई मिलों को खरीदने के लिए ऊंची कीमत नहीं देनी पड़ेगी । इससे किसानों का फायदा होगा ।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्ण नगर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं क्योंकि इससे किसानों को बहुत फायदा होगा । यह मिलों की कार्यक्षमता को भी बढ़ाएगा 1966 में चार संयन्त्रों का आर्डर दिया गया था और उसके लिए दो भवनों का निर्माण शुरू कर दिया गया था । क्या यह काम पूरा हो गया है । जापान में चावल कूटने की ऐसी मशीनें हैं जिनसे चावल के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते । क्या इस प्रकार की मशीनें आयात की जायगी या देश में ही बनाई जायेगी ताकि चावल मिल में कूटे

[श्रीमती इलापाल चौधरी]

गये चावल के पोषक तत्वों को भी सुरक्षित रखा जा सके। धान की बरबादी चूहों द्वारा भी बहुत होती है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

किसानों के लिए सहकारी क्षेत्र बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। इसी के द्वारा किसानों का भविष्य के लिए आशाएं बंध सकती है। चीनी के सहकारी क्षेत्र पिछले 10 वर्षों से अच्छी प्रगति कर रहे हैं। तो इसका कोई कारण नहीं है कि हमारे किसानों की सहकारिता भी प्रगति नहीं कर सकती।

मिलों में धान कूटने की व्यवस्था के साथ ही साथ हाथ से धान कूटने की प्रथा को भी समाप्त नहीं करना चाहिए। इस विधेयक में हाथ से धान कूटने की व्यवस्था को संरक्षण देने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। पश्चिमी बंगाल में हाथ से धान कूटने की रोजगार में लाखों लोग लगे हैं। इनमें से अधिकांश स्त्रियाँ हैं। हाथ से धान कूटने में चावल के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं और साथ ही साथ इससे लोगों को रोजगार मिलता है। मुझे आशा है कि इसको संरक्षण दिया जायेगा और लोगों की रोजगारी, जिनमें अधिकांश स्त्रियाँ हैं, नहीं छीनी जायेगी।

श्री एस० के० सम्बन्धन (तिरूत्तानि) : मैं विधेयक के कुछ उपबन्धों का स्वागत करता हूं। धान कूटने का उद्योग एक ग्रामीण या कुटीर उद्योग है जो गाँव गाँव में फैला हुआ है। आजकल भी जब सरकार बड़े-बड़े उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर रही है तो क्यों कुटीर उद्योग पर इस तरह से नियन्त्रण रखा जा रहा है। बहुत से राज्यों में ऐसे भी मामले हुए हैं जहाँ कि लोगों ने धान कूटने की मिल लगाने के लिए आवेदन पत्र दिये थे और उनके आवेदन पत्रों को टाल दिया गया : इस प्रकार बहुत से लोगों को धान कूटने की मिलें लगवाने के लिए लाइसेंस बनवाने में हजारों रुपये खर्च करने पड़े।

विधेयक के उपबंधों के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि सहकारी तथा सरकारी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। राज्य सरकारें ऐसे उपबंधों के बिना भी इन्हीं क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही हैं तो फिर ऐसे उपबंधों को कानूनबद्ध करने की क्या आवश्यकता थी। दूसरी बात यह भी है कि कोई भी बड़ा मिल स्थापित करना किसी एक व्यक्ति के वश की बात नहीं रह गई है। कुछ भी हो मैं इनका स्वागत करता हूं साथ ही यह भी चाहता हूं कि सहकारी या सरकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देने की आड़ में गैर-सरकारी क्षेत्र की न्यायोचित मांगों को न ठुकराया जाये। दंड की व्यवस्था करने वाले खंड के बारे में मेरी यह राय है कि कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिये। इस दृष्टि से कुछ दंड व्यवस्था संबंधी खंड उपयुक्त हैं परन्तु दंड के रूप में पूरी मशीनरी को जब्त कर लेने की बात समझ में नहीं आती। यह आवश्यकता से अधिक दंड है। इसके बजाय आप कारावास का दंड दो या तीन वर्ष कर सकते हैं।

Shri Hem Raj (Kangra) : Mr. Chairmzn, I have objection in respect of Clause 3(a) of the Bill. In accordance with these provisions the farmers who have installed smaller machines in villages, will have to take licences from the Government. First of all these machines do not work throughout the year. They only work on seasonal basis. The measure in its present form seeks to include small hullers. It will directly hit the interests of the small hullers. The licensing inspectors will take undue advantage out of it. They will begin to follow corrupt practices.

The provisions of this Bill also apply to the machines run with the aid of power. It means that those machines which are run with the aid of water power also fall within the purview of this Bill. In hill areas most of the machines are run with water power. Such machines should be exlcuded from the provisions of the Bill. So I suggest that 'aid of power' words should be deleted. Secondlythose machines which are not run with electric power should not be included in the list of industries to which the provisions of this Bill apply. Thirdly there should

not be equal punishment both for mills and small hullers. It should definitely be less for the small hullers than the big rice mills. The provisions of the Bill will be benefitial to big landlords and harmful to the small farmers who have installed hullers. With these words I welcomet Bill.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): No body will oppose the Bill in its present form. But I would like to submit that every law, which is passed, gives protection to the businessmen. The provisions to facilitate the establishment of big mills were made in the Bill. Not only this but taking of licences is made compulsory for those who own small hullers.

It is also provided in the Bill that licences will be issued after the implementation of this Act. It means that those who now own hullers will get licences after great difficulty. The licence-issuing authority or Inspector will issue licences after taking bribery. They are big mills which create a phenomenon of black marketing and not the small hullers. Instead of this measure, it will be better to nationalize all the rice-mills. Such a decision was also taken in All India Congress session held at Bhubaneswar. Now it is a public demand that the rice mills should be taken over from the hands of their owners. Moreover, preference in this respect should be given to cooperatives, though they are not working as properly as they should have worked . Similarly preference should be given to small industries. This Bill should be so amended as will pave the way for small industries to get the licences easily and without giving bribe to licensing authorities. This kind of policy will put an end to the increasing profiteering and poverty. With these words I conclude.

Shri Deorao Patil (Yeotmal): Mr. Chairman, every body talks in terms of giving profit to farmers. But when any scheme favouring the interests of cultivators is brought forward, some people oppose it. I think this Bill will be in the interest of the farmers. Benefits will certainly accrue from it to cultivators. The National Development Corporation has extended its cooperation for setting up 470 small rice mills and 5 modern rice mills. It has been clarified in the Statement of objects and Reasons of the Bill that a large number of rice mills should emerge in cooperative sector. It is good to give encouragement to cooperatives. But the experience shows that the small cultivator has been least benefitted. Hence it is necessary that the agricultural labourers or the small cultivators should be associated with the farming societies or with the management of the industry. It will augement the progress in this sphere and enable the workers to have a sence of participation in the industry. It will be helpful in achieving the maximum production and over all this system will give benefit to cultivators. I have one more doubt in my mind. The new Bill will not allow the cultivators to set up new hullers, as it will allow only big rice mills in cooperative sector. Here I want to give one suggestion that exemption should be given to hullers in those areas where protection of paddy is on a small scale and where cultivators make rice for self consumption and not for commercial purposes. It is also stated in the Statement of objects and Reasons that "there has been a growing public demand that the rice mills in the country should be brought progressively under cooperative or State management". In this respect I would like to suggest that preference should be given to cooperative sector over State management for a number of reasons.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut): Madam, we are discussing today the question of marketable surplus of paddy with the peasants. In case of small farmers it is not more than 10 per cent of their total produce and 90 per cent of it is required for their own use. In Other words they retain 90 per cent of their paddy production for their domestic consumption while only 10 per cent of it they send to market. Now for this surplus of paddy Government want to set up big rice mills. But have they considered the way in which the small cultivators will

[Shri Maharaj Singh Bharti]

get their paddy hulled for their domestic use ? It will not be economical for them to get their paddy hulled by big rice mills. Only small hullers can help them in the matter.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair* }

There is a large number of unlicensed hullers which are secretly running in rural areas.

Government may put restrictions on these hullers but they will go on running secretly. Government will not be in a position to check them. So what is the utility of passing such a law, as will be violated on a large scale. I welcome the setting up of big rice mills, yet I favour that small hullers should be allowed for serving the domestic needs of the producers in the villages.

The second thing, which I want to emphasize, is the reasonable price of paddy which should be paid to the producers for their produce. The price of rice varies with its quality. But this fact is not recognized while purchasing paddy from the farmers. The paddy out of which Basmati rice is taken out is purchased from the producers at the rate of Rs. 70/- per quintal while its rice is sold by mill-owners or big businessmen at Rs. 212/- per quintal. Thus the middlemen get big profits. Steps should be taken to ensure reasonable price of paddy to farmers.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati): While speaking on the Rice Milling Industry (Regulation) Amendment Bill I would like to say that in a socialistic pattern of society, which we have accepted for our country, nobody should be allowed to exploit the other person on the basis of his economic or social power. If there is monopoly in any industry, there will be more chances for exploitation. So Government should take steps to root out monopolies and to pave the way for cooperatives to enter into such industries. In cooperative sector industries there are less chances of exploitation, because there industry is not in private hands and every share-holder-cum-labourer or worker feel that it is his personal property. We should bring such a fundamental change in a democratic way and not by dictatorial orders.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इससे आगे अपना भाषण अगले अवसर पर शुरू करें।

गैर-सरकारी सदस्यों की विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS
(बत्तीसवाँ प्रतिवेदन)

श्री राघवाचार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 32वें प्रतिवेदन से, जो 24 जुलाई, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के, 32वें प्रतिवेदन से, जो 24 जुलाई 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १४५ का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 145)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Madhu Limaye: I introduce the Bill.

उच्चतम न्यायालय (अतिरिक्त विवेकाधिकार) विधेयक

SUPREME COURT (ADDITIONAL DISCRETIONARY POWERS) BILL

Shri Madhu Limaye : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to confer additional discretionary powers on the Supreme Court to issue writs in certain cases."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय मामलों में रिट जारी करने के लिये उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त विवेकाधिकार प्रदान करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Motion was adopted

Shri Madhu Limaye: I introduce the Bill.

छावनी (संशोधन) विधेयक, 1968

(धारा 13, 14 आदि का संशोधन)

CANTONMENTS (AMENDMENT) BILL 1968

(Amendment of sections 13, 14 etc.)

Shri Madhu Limaye: (Monghyr): Mr. Deputy Speaker, I beg to move:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Cantonments Act, 1924."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"छावनी अधिनियम, 1924 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1968

नई धारा 9 (क) का रखा जाना

DELIMITATION COMMISSION (Amendment) BILL, 1968

(Insertion of New section 9A)

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, I beg to move:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Delimitation Commission Act, 1962."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Madhu Limaye: I introduce the Bill.

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1968

(धारा 124क का हटाया जाना)

INDIAN PENAL CODE (Amendment) BILL, 1968

(Omission of Section 124A)

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a bill further to amend the Indian Penal Code, 1860".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

Shri George Fernandes: I introduce the Bill.

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 125, 126 और 127 का हटाया जाना)

INDIAN PENAL CODE (Amendment) BILL

(Omission of Sections 125, 126 and 127)

Shri George Fernandes (Bombay-South): Mr. Deputy Speaker, I beg to move:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri George Fernandes: I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

(अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—CONTD.

(AMENDMENT TO ARTICLES 74 AND 163)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री मधु लिमये के निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अब श्री भंडारे अपने भाषण को आगे शुरु करें ।

श्री रा० द्धो० भंडारे (बम्बई मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से लोगों की नैतिकता को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया है । यह इस परम्परा की स्थापना करता है कि जो लोग सामान्य निर्वाचन के बाद दल बदल करें उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिये, क्योंकि जिस घोषणा-पत्र के आधार पर उन्होंने चुनाव जीता था, वे उसे त्याग कर किसी दूसरे दल के घोषणा-पत्र को स्वीकार कर रहे हैं । इस दृष्टि से तो अवश्य ही कोई प्रतिबन्ध होना चाहिये जो इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण कर सके । परन्तु मैं इस विधेयक का विरोध इस दृष्टि से करता हुं कि नैतिकता या परम्परा को कानूनों के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता । पक्ष या दल बदलने या न बदलने की बात तो सदस्यों पर ही छोड़ दी जानी चाहिये क्योंकि लौकिक नैतिकता या परम्परा का मूल्य वे स्वंय भी समझते हैं । दूसरे दल बदलने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की संहिता तैयार की ही नहीं जा सकती । हमारे समाज का ढांचा ही ऐसा है जो संघर्षों और तनावों से परिपूर्ण है और ऐसे वातावरण में किसी भी प्रकार के विधान या कानून से दल बदलने की प्रवृति पर रोक नहीं लगाई जा सकती । अतः इस सम्बन्ध में मेरा पहला सुझाव यह है कि पहले हमें इन संघर्षों और तनावों का मनन विवेचन करना चाहिये । मैं दूसरा सुझाव यह देता हूं कि हमें राजनीति के ध्रुवीकरण की ओर शीघ्रता से बढ़ना चाहिये, क्योंकि जब तक राजनीति में ध्रुवीकरण नहीं होगा तब तक इस प्रकार राजनैतिक की नैतिकता का कोई मूल्य न होगा और वह अवरोध उत्पन्न करने में भी समर्थ न होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास लगभग एक घंटा शेष है । मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य पाँच-पाँच मिनट से अधिक समय न लें ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यहां हमारा सम्बन्ध केवल मंत्रि मंडलों के आकार से है । पहला प्रश्न यह है कि मंत्रि मंडलों के आकार को नियमित करने की आवश्यकता है इस बात के लिए जरा सा गौर से देखने की आवश्यकता है । उदाहरणार्थ बिहार में मंत्रि मंडल पूरा एक दल ही था । इसी प्रकार पंजाब की स्थिति है । एक समय था कि केवल चार सलाहकार

उत्तर प्रदेश का कार्य चलाते थे जिसे आज 40 मंत्री कर रहे हैं। एक समय था कि भारत सरकार का कार्य 10 मंत्री चलाते थे। जिसे आज 56 मंत्रियों का अर्थ हुआ 56 सचिव और तथा इसके साथ साथ अन्य अधिकारी और कर्मचारी। इस प्रकार मंत्री की नियुक्ति पर प्रशासन का खर्च बहुत अधिक आ जाता है। एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सब किया जाता है। जिन मंत्रियों की नियुक्ति राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है वे अनुपयुक्त होते हैं। प्रत्येक मंत्री पर व्यक्तिगत रूप से लगभग 10,000 रुपये मासिक खर्च आता है। अतः हमें मंत्रियों की सरकार पर प्रतिबन्ध लगाना है। और मंत्रि मंडल के आकार को ठीक करना है। जिससे व्यय न्यूनतम हो तथा साथ ही मात्रा की अपेक्षा गुण की वृद्धि हो और कार्य शीघ्रता तथा मितव्ययिता से चले।

भिन्न-भिन्न मंत्रालय तथा भिन्न-भिन्न मंत्री रखने का तात्पर्य हुआ कि फाइलों को कई सीढ़ियां पार करनी हैं और तब निर्णय होगा। निर्णय लेने से पूर्व सभी सम्बन्धित मंत्रियों से परामर्श करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में फाइलों का बेहद आवागमन होता है और इसका कारण केवल यह है कि सरकार के पास मंत्री होना चाहिये जो राजनीतिक प्रयोजन की पूर्ति कर सके।

लोगों में भी मंत्रियों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है। ये लोग इतनी संख्या में हो गये हैं और प्रत्येक जिले में आये दिन इनके दौरे करने से इनका महत्व घट गया है। इससे भी अधिक जब मंत्री को अपना स्तर प्राप्त नहीं होता और जब उसकी नियुक्ति एक दल बदल की संतुष्टि के लिए की जाती है तो मंत्री पद का महत्व गिर जाता है। जब कोई मंत्री ऐसे मंत्रियों के साथ होता है जिन्हें केवल दल बदलने के कारण मंत्रिपद मिला है तो उसे यह समझना चाहिए कि उसका अपमान हो रहा है।

अतः मैं अपने मित्र श्री मधु लिमये से पूर्णतः सहमत हूं कि मंत्री मंडलों का आकार घटा दिया जाए। यह चुने हुए सदस्यों की संख्या का $\frac{1}{20}$ होना चाहिये। राज्यों में यह आकार 12 अथवा 13 अथवा 14 मंत्रियों का होना चाहिय अथवा $\frac{1}{20}$ होना चाहिये। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय और हमें शीघ्र ही मंत्रियों की संख्या में वृद्धि को रोकना चाहिये।

श्री राणे : (बुलडाना) : मैं सिद्धान्त रूप से सहमत हूं कि केन्द्र और रज्यों में मंत्रियों की संख्या की कोई सीमा होनी चाहिये। यह बिल्कुल सच है कि केन्द्र में कांग्रेस दल ने अथवा कांग्रेस मंत्रि मंडल ने मंत्रि मंडल को बनाने के बारे में कोई उचित परम्परा कायम नहीं की है। 1952 में कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की संख्या 12 थी और राज्य मंत्रियों की संख्या 5 थी। 1957 में कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की संख्या 14 हो गई और राज्य मंत्री आठ हो गये। 1962 में कैबिनैट स्तर के मंत्रियों की संख्या 17 तक पहुंच गई और राज्य मंत्रियों की संख्या 11 तक पहुंच गई। अब 1967 में कैबिनैट स्तर के मंत्रियों की संख्या 18 हो गई है और राज्य मंत्रियों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। इससे सिद्ध होता है कि इस संख्या को न्यूनतम रखने की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

जहां तक विधेयक के गुण-दोष का सम्बन्ध है मैं श्री मधु लिमये के खण्ड 1 के उप खंड (2) से सहमत नहीं हूं। इस के अनुसार यह तुरन्त लागू होगा। मैं नहीं चाहता कि इस विधान को पास करने के बाद यथास्थिति में खलल पैदा हो।

जहां तक खण्ड 2 का सम्बन्ध है इस के अनुसार मंत्रियों का अनुपात लोक सभा के निर्वाचित

सदस्यों का 1/12 होना चाहिये। मैं सिद्धान्त रूप से इस बात से सहमत हूं, लेकिन मैं खण्ड 3 से असहमत हूं। राज्यों में मंत्रियों का अनुपात 1 20 होना चाहिये।

समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि दल-बदल संबंधी विधि-विशेषज्ञ समिति ने मंत्रिमंडल के निर्णय तथा दल-बदल की रोकथाम के बारे में सुझाव दिये हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि मंत्रियों की संख्या उपरिसदन सहित विधान मंडल के सदस्यों की कुल संख्या का 1, 10 होना चाहिये। इस समय केन्द्र में मंत्रियों की संख्या 57 है, यदि हम इस समिति के सुझाव को स्वीकार करें तो यह संख्य केन्द्र में 80 तक हो सकती है और विभिन्न राज्यों में यह दुगुनी या इस से भी अधिक हो सकती है। अतः इस समिति द्वारा दिये गये सुझाव अनुचित हैं।

मैं श्री मधु लिमये के साथ सिद्धान्त रूप से सहमत हूं और जो कुछ मैंने सुझाव दिये हैं मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन् (विशाखापत्तनम) : यह विधेयक आज यहां स्वीकार किया जाय अथवा नहीं, इस में बहुत अच्छा सिद्धान्त अन्तर्निहित है। यद्यपि मंत्रिमंडल का आकार 1, 12 होने के सम्बन्ध में असहमति हो लेकिन इस प्रश्न पर सामान्य सहमति होनी चाहिये कि मंत्रिमंडल का आकार कम किया जाय अथवा बढ़ाया जाय अथवा समुचित बनाया जाय।

चार आम चुनावों के बाद हमने देखा है कि विभिन्न राज्यों में तथा केन्द्र में मंत्रिमंडल के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति रही है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि मंत्रिमंडलों का आकार अधिक बड़ा है। मैं कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार 30 मंत्रियों से चलाई जा सकती है। लेकिन मंत्रियों का चुनाव कार्य के परिमाण को देखते हुए नहीं किया जाता। जो मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं अथवा उस के निर्माण में सहयोग देते हैं वे जानते हैं कि उन पर काफी दबाव पड़ता है और इस दबाव की सन्तुष्टि के लिए प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री को मंत्री पद देना पड़ना है। कुछ लोग अपनी योग्यता और राजनीतिक शक्ति के कारण आते हैं लेकिन इन के अतिरिक्त कुछ अवांछित दबाव के कारण भी आ जाते हैं। प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं और उस में अधिक से अधिक व्यक्ति लाने का प्रयत्न करते हैं। प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री महत्वाकांक्षी होते हैं। वे महत्वा-कांक्षाओं से खेलते हैं। उन की शक्ति इस बात में निहित है कि वे किसी भी प्रकार दल के बहुमत का संचालन करें और जब वे देखते हैं कि वे असफल हो रहे हैं वे मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेते हैं और सफल होते हैं। यह प्रवृत्ति बहुत बुरी है। इस लिये विधेयक में निहित सिद्धान्त अच्छा है। केन्द्रीय सरकार 30 मंत्रियों से चल सकती है और राज्य सरकार 10 मंत्रियों से, अब प्रश्न यह है कि क्या हम ऐसी कानूनी सीमा लागू कर सकते हैं? वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी परम्परा बनाना असम्भव है। यदि हम कानूनी सीमा पर सहमत हो जाते हैं तो महत्वाकांक्षायें कम की जा सकती हैं और मुख्य मंत्रियों तथा प्रधान मंत्री पर पड़ने वाले दबाव भी कम हो जायेंगे।

तब योग्यता प्राप्त व्यक्तियों अथवा पार्टी में राजनीतिक दृष्टि से मजबूत व्यक्तियों में इन पदों के लिये होड़ होगी और वे इस स्तर तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह एक परम्परा बन जायेगी। यदि कोई कानून है तो उस का पालन किया जाना चाहिये। मैं विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं केन्द्रीय मंत्रिमंडल में 30 से अधिक मंत्री नहीं होने चाहियें और राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 10 से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिये चाहे राज्य का आकार कितना ही हो। यह तुरन्त लागू नहीं होगा बल्कि अगले चुनावों के पश्चात् होगा।

Shri Randhir Singh (Rohtak): The desire to hold chairs has crossed all limits. We have been defamed due to the excessiveness of this sort of our tendency. In this Bill it has been said that the number of Ministers should be 1/12 of the total members elected. I say this should also be lessened. The more the number of Ministers will be the more the diseases will be. This applies to Centre, Bihar, U. P. and all other States concerned.

Every elected M. P. or M.L.A. wants to become a Minister and gives to this Ministership undue importance. They uses all the possible methods to become a Minister. This tendency has increased the number of Ministers very much. This is not a healthy sign.

There is a tendency in this country that we give undue importance to Ministers. The able and qualified Members of the Parliament and the M.L.A.'s do not get the due respect where they go in the country. But actually they are better than the Ministers. Such wrong notions will have to be removed from the minds of the people and the MP's and M.L.A.'s should receive the due respect from the Public.

I appreciate my friend for bringing this Bill here. But I think inspite of amending the constitution it would have been of more importance to set up a healthy convention.

I support the Bill with these words.

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : राजनीतिक उथल-पुथल के पश्चात् सन् 1967 में आम चुनावों के बाद संसदीय प्रजातन्त्र की प्रक्रिया में हमने कुछ विनाशक कदम उठाये हैं। जिस गति से राज्यों में मन्त्रिमंडल के पश्चात मंत्रिमंडल बनते-बिगड़ते रहे उससे हमने प्रजातन्त्र को जनता की नजरों में एक मजाक की वस्तु बना दिया। जिस विधेयक पर इस समय चर्चा हो रही है उससे बड़ा काम कर दिया होता यदि इससे देश के प्रत्येक राजनीतिक दल तथा प्रत्येक विधिकार में पुनर्विचार की भावना जागृत हो जाती। इस समय कुछ आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। पिछले 15 महीनों में हमने यह सीखा है कि देश के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के दिलों और दिमागों के मिलने से जो मतैक्य तैयार होगा उसके परिणामस्वरूप कुछ परम्परायें और पूर्व दृष्टान्त तैयार किये जाने चाहिये ।

मुझे इस बात से बड़ा दुख है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। लोक सभा के लिए आवश्यक गणपूर्ति की संख्या 54 है लेकिन सरकार के मंत्री 57 हैं । यह आवश्यक गणपूर्ति की संख्या से तीन अधिक हैं । प्रधान मंत्री को हमारी उपस्थिति की तब तक कोई परवा नहीं जब तक उनके पास 57 मंत्री सभा को सुशोभित करने के लिए मौजूद हैं। हमने अपने देश में संसदीय प्रजा-तन्त्र को इस स्थिति तक पहुंचा दिया है ।

बिहार, पश्चिमी बंगाल, हरियाना आदि राज्यों की स्थिति भी इसी प्रकार खराब है। एक समय आयेगा जब कि मंत्रियों की संख्या को इस प्रकार बढ़ाने पर मंत्रिगण राष्ट्र के लिये हंसी का कारण बन जायेंगे। जब तक संविधान की मंजूरी नहीं है कोई भी मुख्य मंत्री परम्परा के आगे झुकने वाला नहीं है। वह संवैधानिक आदेश की मार चाहता है और संयुक्त सोशलिस्ट दलों के नेता द्वारा यही व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा की स्वीकृति के लिए विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री असगर हुसैन (अकोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का इसलिये समर्थन करता हूं कि आज हर जगह यही भावना व्याप्त है कि केवल केन्द्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी मंत्रालय के ऊपर इतना समय और धन नष्ट करने की आवश्यकता नहीं जितना कि किया जा रहा है। यह भी कहा जाता है कि यदि हम सदस्यों को मन्त्रि-पद देने का प्रोत्साहन न दें तो यह

दल परिवर्तन भी रोका जा सकता है। यह ठीक है कि पहले से आज काम बहुत बढ़ गया है तथा संसद् और विधान मंडलों में सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई है, परन्तु फिर मंत्रियों की इतनी संख्या नहीं होनी चाहिये जितनी कि आज है। सरकार इस पहलू पर विचार करे तथा भविष्य में इसे नियमबद्ध करे।

परन्तु विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या इस सम्बन्ध में संविधानिक रोक लगाई जानी चाहिये ? मेरे विचार से इस सीमा तक जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे सरकार का काम प्रभावपूर्ण ढंग से चलाना कठिन हो जायेगा। प्रजातन्त्र में ऐसे अनेक अवसर आ जाते हैं। अतः संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके लिये कुछ स्वस्थ परम्परायें स्थापित की जानी चाहियें जिससे कि दल-बदलुओं को दल-परिवर्तन करने का बढ़ावा न मिले।

यही कुछ मैंने कहना था।

Shri O. P. Tyagi (Muradabad): At the time of Independence twenty years ago, we opted for democracy and opposed dictatorship. But the day when carruption entered into politics. was the most unfortunate day in our history. The followers of Mahatma Gandhi theirselves crushed the spirit of truth and non-violence. And it was in 1967 when the people's wish got precipitated and the real democracy emerged. But unfortunately Congress party could not afford it and they tried to put down the voice of people through the malice way of defections. There was no other spirit other than the greed of a Minister's post or money. And people witnessed the political leaders getting themselves sold or bargained like goats and sheep. People saw many Government getting uprooted as a result of greed for Ministership.

This has caused a great danger to democracy and if we do not be careful about it, it will create much disorder in the country.

The very first point is that the defections should be stopped, and for this purpose we should shut down the avenues providing greed by checking expansion of ministers. Maximum limit should be fixed and adhered to.

Finally, supporting the Bill, I would submit that it is not the question of one party but of the whole country and country is always above party. The Govt. should effort for eradicating corruption in the political field.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I feel that something more should have been added to Shri Madhu Limaye's Bill since it states about only quantity and not quality.

(श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए)
(**Shri Vasudevan Nair in the Chair**)

Many a times we find that the people criticise the ministers about the ability in their face itself, when found to be quite ignorant about even the basic facts and existence of their allotted subjects. So, the quality also matters much. The limit to the number of Ministers provided for in the Bill is quite adequate but it should also be ensured that every minister bears a high moral character. No drinker should be made a Minister.

A corrupt man should not be made a Minister so that the people's belief in democracy may deepen further. The representative of the people should be a man of high moral and character having no greed either for money or post. It should be ensured.

The minister should be well-conversant with the subjects allotted to him. A minister who has never taken up science as his subject, how can he ask the doctors to

put various details. So, such things should be stopped and with no consideration of any party or so, we all should consider it.

Most of our laws and acts are merely the writings on paper and many a times those are mocked at in Assemblies. This Act should not be one of those. What we legislate we should implement that in its true spirit and might. The offender should be punished severely.

I, therefore, support it and thank you for the time allotted to me.

श्री राजाराम (सलेम) : श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं सहर्ष समर्थन करता हूं क्योंकि यह बड़ा सामयिक है तथा देश के हित में बड़ा आवश्यक है ।

मेरे मित्र श्री एस० एम० कृष्ण ने मेरे राज्य मद्रास के बारे में ठीक कहा है। मद्रास में केवल 9 मंत्री हैं जो कि राज्य का सारा प्रशासन चलाते हैं। भूतकाल में भी मेरे राज्य में शासन की बाग-डोर सम्भालने वाले बहुत ही थोड़े व्यक्ति होते थे तथा वहां किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होता था। वे लोग देश के हित के लिये अपना धन भी खर्च कर देते थे। वे लोग लालची नहीं थे और धन अथवा पद के प्रलोभन के दास नहीं थे जैसा कि आज की राजनीति में है । पंजाब राज्य में प्राय: सभी भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं बिहार में नित्य ही नये राजनीतिक दल उत्पन्न हो रहे हैं तथा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हर भूतपूर्व मुख्य मंत्री एक नया राजनैतिक दल स्थापित कर लेता है ।

अत: इसी चीज को रोकने के लिये यह संविधान (संशोधन) विधेयक है। आज हर व्यक्ति मंत्री पद पाना चाहता है। यह एक साधारण सी बात हो गई है। मधु लिमये जी ने यह सच कहा है कि हम इस संशोधन द्वारा एक आदर्श मंत्री मडल की स्थापना कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि हमें मंत्रियों की योग्यता का विचार करना चाहिये। हम इसके लिये प्रयास करें । हमें मन्त्रियों की सेनायें नहीं चाहिये बल्कि उनकी संख्या घटा कर कम से कम की जानी चाहिये। इस पर इतना धन व्यय नहीं किया जाना चाहिये। इससे राजनीतिज्ञों के प्रति आदर और मान बढ़ेगा जब कि आजकल राजनयिक व्यक्तियों के प्रति सम्मान निरन्तर घटता जा रहा है। उनका उपहास किया जाता है ।

अत: मैं श्री मधु लिमये के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं और मेरे विचार से अन्य दल भी इसे स्वीकार करेंगे। हम सबको मिल कर यह तय करना चाहिये कि मंत्रियों की संख्या कम करें तथा देश में सच्चा और अच्छा प्रजातन्त्रवाद लायें ।

Shri Onkar Lal Bohra (Chuttorgarh) : I thank Mr. Madhu Limaye for bringing this amendment in the Constitution. It is my firm belief that we should develop democracy and keep it well secured. But it is a party that it was not done during the last 20 years. First of all we should ever remember that we have adopted a democratic pattern in our cabinets, Legislative Assemblies and the Parliament. And with this, it becomes our first and foremost duty to develop our democracy, enrich it and keep it well protected.

With this view I support this Bill. It is a basic fact that the democracy can be kept secured by its representatives only who, in fact, are the hon. members of our Parliament and different State Legislative Assemblies etc. They should therefore, bring up democracy by their conduct and character. I donot want to go into giving examples in this regard but the establishment of Govts. in Haryana, Bengal, Bihar, Madhya Pradesh, and even in Rajasthan after the 4th General Elections, and after the way in which those were built and expanded, is sure to cost the country very much. We same defections at a large scale and it was the result of greed and

lust for power. Everybody wants to become a Minister and strives his most for it. This course has spoiled our political career. So how can such people develop the country and the society? And, that is why I support this Bill sincerely.

This Bill is not meant for any party in particular. It deals with the interest of the whole nation. After the Fourth General Election, all the parties have clearly shown that they are worried only for their individual motives; and they have little care for the nation's interest. They want to govern only and keep their cabinet well strong. So Congress is not only to blame for it. Many SVD Governments have also not proved better than that of Congress. The fact is that we failed to establish a strong democratic pattern. Every party failed to come forward as an ideal party. This needs a true spirit of love and honour for the nation which is always far above our individual interests and motives.

Democracy needs men of character and ideal. So no corrupt person should be made minister. Person having a fine record of public service only should be made to rule. Besides this it is also essential that the same person should not remain in power for a very long period.

So, I want to say that the number of ministers should be limited as it would have more striking effect, and each minister should have a very good record of service in the public field, irrespective of the fact that he has a support of so many M.Ps. or M.L.As. He should have bright image in public and there should be no doubt in public about his character and conduct. He should not remain in power for a very long period and new brain may get opportunities through rotation.

But what prevails now, is quite different and shocking. He, who does not get ministership, tries his level best to overthrow the whole set up. This has become a chronic evil in today's politics. So, if we want to get rid of it we should have clear conventions. We cannot clean our political career merely by passing this Constitution (Amendment) Bill.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The present Bill has been upported by mostly all the members, and I also do it. But I have fear that it is passed, what would happen to these poor Ministers. They will become jobless. And that is why they are attacking the opposition.

The process of the defections was started by the Congress itself. Congress encouraged the defections. Hundreds of examples can be quoted in this respect. Ministership was offered by the Congress to various persons to keep them in the party.

I doubt whether we can check the defections by reducing the number of ministers. The proposed limits of 1/12th should be further reduced. We should try to reduce the lust for power among the persons. That is very important. With these words I welcome the Bill and request that necessary amendment should be made in the Constitution to establish healthy practices and also to avoid expenditure in future.

Shri Tulshidass Jadhav (Baramati) : The intentions behined the Bill are appreciable The hon. Member has desired to amend Articles 75 and 164 of the Constitution in this Bill.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

We will not be able to check defections simply by limiting the number of ministers.

I would suggest that a defector should neither be appointed a minister nor he should be offered any other office. The practice of offering offices to defectors by ruling as well as opposition parties should be stopped. Moreover, I feel that in a developing country like ours, number of ministers has to be increased to cope with the increased work. So we should seriously consider whether by limiting the number of ministers we will achieve our objectives. I do not agree with the figures given by the mover.

All the Political Parties should combine together to clean the political life of the country.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I congratulate Shri Limaye as the spirit behind his Bill has been appreciated by both Congress as well as opposition Members. But I will point out that it is not a disease which can be treated so easily.

Large size ministries is only one of the many problems we are faced today. The persons defeated in the general elections are appointed on important posts such as chairmen of the big corporations and public sector undertakings. It is injurious to the health of the country that Prime Minister is yielding to pressure and is appointing defeated persons to public sector undertakings and corporations.

India is the only country in the world where a party securing 40% votes is running a Government. The Prime Minister should establish healthy conventions by resigning and seeking fresh verdict from the electorate.

श्री श्रीधरन (बडागरा) : मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं । यह विधेयक देश के इतिहास के कठिन समय में बुलाया गया है । लोकतंत्र से हमारा विश्वास उठ रहा है । लोगों ने गम्भीरता से यह विचार करना आरम्भ कर दिया है कि क्या हमें लोकतंत्र का पुन:निर्माण करना चाहिये अथवा हमें अपने देश में राष्ट्रतीत ढंग की सरकार बनानी चाहिए । हमारे मंत्रालय के ठीक प्रकार से काम न करने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है । प्रशासन को दक्षतापूर्ण चलाने के लिए एक संगठित मंत्रालय का होना अच्छा है । यदि रेलवे, परिवहन तथा नौवहन को एक ही मंत्रालय के अन्तर्गत लाया जाये तो वे विभाग अधिक दक्षता से काम करेंगे । इसी प्रकार यदि सिंचाई, विद्युत तथा कृषि मंत्रालयों को एक व्यक्ति के अधीन रखा जाये तो वे अधिक दक्षता से काम करेंगे । इस समय बहुत से मंत्रालय हैं और उनमें आपस में झगड़ा चलता रहता है । अत: इनकी संख्या में कमी की जानी चाहिए ।

मेरा सुझाव है कि मंत्रियों में 51 प्रतिशत मंत्री महिलाएं तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों से होने चाहिएं । संसदीय प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य उपाय किये जाने की भी आवश्यकता है । मैं विधि मंत्री से अपील करूंगा कि वह इस विधेयक को स्वीकार कर लें ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं माननीय मित्र श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का समर्थन करने के लिए ही खड़ा हुआ हूं । मैं विधेयक के सिद्धान्त से सहमत हूं परन्तु आंकड़ों से सहमत नहीं हूं । उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ।

जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा लोकतन्त्रीय प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाये रखने के लिये कुछ उपाय किये जाने चाहिये । मंत्रि पद का प्रयोग दलबदलुओं को आकर्षित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिये । पंजाब में एक व्यक्ति को छोड़ शेष सभी को मंत्रि पद पर नियुक्त किया गया है, अत: यह विधेयक बहुत ही उचित समय पर लाया गया है ।

मेरी आपत्ति विधेयक के इस पहलू पर है जिस में सभा की कुल संख्या का 1/12वाँ भाग मंत्री बनाने को कहा गया है। यह बात युक्तियुक्त नहीं है। यह बात जनसंख्या से भी सम्बन्धित नहीं है। विभिन्न राज्यों में विधान सभाओं की संख्या अलग अलग होती है। समूचे देश के लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए। मंत्रियों की संख्या जनसंख्या पर निर्धारित की जानी चाहिए।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : यह विधेयक जिस सिद्धान्त पर आधारित है मैं उसको स्वीकार करता हूं। इस सिद्धान्त का इस चर्चा में भाग लेने वाले लगभग सभी वक्ताओं द्वारा समर्थन किया गया है।

गत कुछ महीनों से सरकार भी इस समस्या के बारे में विचार कर रही है। सरकार ने दल-बदलुओं सम्बन्धी समिति नियुक्त की है जिसमें सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। समिति में कुछ प्रमुख विधि-वेत्ता तथा वकील भी शामिल किये गये हैं।

यह समय दलबदल के लिए किसी पार्टी को जिम्मेदार ठहराने का नहीं है। यह सच है कि दल बदल इस हद तक हुआ है कि इसकी निन्दा की जानी चाहिए। देश में इस प्रकार के राजनैतिक पतन को रोकने सम्बन्धी सुझाव सुझाने हेतु इस समिति का गठन किया गया है। सरकार द्वारा एक सिफारिश यह की गई थी कि मंत्रिमडलों के आकार को कानूनी तौर पर सीमित किया जाये। इसके लिए गृह-कार्य मंत्री ने मुझे समिति के वकील-सदस्यों की एक बैठक बुलाने के लिए निवेदन किया था ताकि इस कठिनाई को कानूनी तौर पर दूर करने के लिए कुछ विचार किया जा सके। मैंने समिति के सदस्यों, जो कि प्रसिद्ध वकील हैं, के साथ भेंट की और दलबदलुओं सम्बन्धी को अपना प्रतिवेदन दिया। हमने केन्द्र तथा राज्यों में मंत्रिमंडलों की संख्या को संविधान में संशोधन द्वारा सीमित करने की सिफारिश की है।

कहीं-कहीं पर दलबदलुओं के कारण ही बड़े बड़े मत्रिमंडल बनाने पड़े हैं। जो लोग दल बदल कर आते हैं वें उसके बदले में कुछ इच्छा करते हैं। लोग न तो दल बदलने को और न ही बड़े बड़े मंत्रिमंडलों को पसन्द करेंगे। इससे लोकतन्त्र का उपहास भी होगा। अत: संविधान में संशोधन का सुझाव दिया गया था। अधिक अच्छा होगा यदि विभिन्न राजनैतिक दल कोई सामान्य नैतिक संहिता बनायें। परन्तु हमें कानून द्वारा मंत्रिमंडलों की सीमा सीमित करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए क्योंकि अन्य देशों में ऐसा है। ब्रिटेन में 1957 में मंत्रिमंडल को कानून द्वारा सीमित करने का अधिनियम बनाया गया था। परन्तु ब्रिटेन में अपनाई गई पद्धति का पूर्णतया अनुसरण नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ लिखित संविधान है। वह पद्धति हमारे यहाँ उपयुक्त नहीं होगी।

जब तक संविधान के अनुच्छेद 75 और 163 में संशोधन नहीं किया जाता तब तक इस सम्बन्ध में कोई भी कानून बनाना असंवैधानिक होगा। अत: संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। आयरलैंड के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि मंत्रियों की संख्या कम से कम सात तथा अधिक से अधिक 15 होनी चाहिए। जापान में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। इस समय मंत्रियों की संख्या के बारे में कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिए। मैं श्री लिमये से विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध करूंगा क्योंकि सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार कर ली है और पहले से इस बारे में विचार कर रही है।

समिति की आगामी बैठक अगस्त के शुरू में होगी और उससे हम इस बारे में आवश्यक उपबन्धों को अन्तिम रूप दे सकेंगे। मुझे विश्वास है कि इसके बाद मैं सरकार की ओर से एक विधेयक प्रस्तुत कर सकंगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It is true that a Committee on defections has been appointed. That Committee will give its recommendations to avoid defections, it necessary legally also. In the first meeting of the Committee I suggested for limiting the number of ministers. I have introduced this Bill for two reasons. First to avoid defectors and Second to check political immorality which have endangered our democratic way of life. I do not say that the Congress party alone is to be blamed for causing defections or for lust of power. But it can be blamed to a large extent because of its being the first and biggest party in the country. The best example has been provided by D. M. K. Government in Madras by having only 9 ministers in the Council of Ministers.

I am happy that the Committee on Defections has taken some important decisions in respect of the limit on the strength of the Council of Ministers to the effect that there should not be more than 10% of the strength of the House in case of unicameral legislatures and not more than 11% of the strength of the Lower House in bicameral legislatures. There is general agreement on the issues like that the Parliamentary Secretaries should be included in fixing the strength of the Council of Ministers and that no one should be Prime Minister or Chief Minister if he or she is not a member of the Lower House in Parliament or State Legislatures.

Hon. Members like Sarvashri Lobo Prabhu and Ranga have suggested that the strength of the Council of Ministers should be 1/20 of the Members of Lower House. I have no objection to it also, though I suggested a limit of 1/12. The Government is not prepared even to accept it. They want to restrict the size of the Council of Ministers to 11%, which is not acceptable to me. I object to it due to the fact that it will bring no change in existing structure of the Council of Ministers. He has given me an assurance that he will bring shortly such a Bill before the House. With the hope that he will do so in near future, I want to, by leave of the House, withdraw my Bill. I wish that such a change should also be made in the Constitutions.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा विधेयक वापिस लेने की अनुमति प्रदान करती है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक वापिस लेता हूं ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The Bill was, by leave, withdrawn

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 120 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 120)

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : श्रीमन् मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मेरे विधेयक का उद्देश्य है संविधान के अनुच्छेद 120 में संशोधन किया जाये । इसके अन्तर्गत केवल इस बात पर विचार-विमर्श किया जा सकता है कि संसद् में सदस्यों द्वारा कौनसी भाषा का प्रयोग किया जाये । अनुच्छेद 120 के अनुसार यह व्यवस्था कि संसद् में काम हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में होगा हालांकि ऐसा सदस्य जो अपने विचारों को हिन्दी या अंग्रेजी में ठीक प्रकार से अभिव्यक्त न कर सके, वह राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में बोल सकता है ।

अब उस आदमी को लीजिये जो लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित होकर संसद में आ जाता है परन्तु जिसे हिन्दी या अंग्रेजी नहीं आती या जिसे उनका यथेष्ट ज्ञान नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपने विचारों को कि भाषा में व्यक्त करे । यदि अध्यक्ष या सभापति की कृपा से उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति भी मिल जाती है तो उसके बोलने का क्या लाभ होगा जब तक कि उसके विचारों का अनुवाद के माध्यम से अन्य सभा में उपस्थित सदस्य न समझें और जब तक सभा की कार्यवाही वृत्तांत में उसका भाषण उसकी अपनी मातृभाषा में नहीं छापा जाता । ऐसा व्यक्ति संसद् में आकर अपने कर्तव्य को पूरा कैसे करे ?

उपाध्यक्ष महोदय : फिलहाल तो हमने यह व्यवस्था अपना रखी है कि कोई भी सदस्य अपनी मातृ भाषा में बोल सकता है । इस सम्बन्ध में हमारे सामने एक तकनीकी समस्या है वह है अनुवाद के सम्बन्ध में ।

श्री सेझियान : मैं इस बात को मानता हूं । परन्तु अध्यक्ष के निर्णय के आधार पर किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा । यह अधिकार उसे तभी मिल सकता है जबकि संविधान में तत्सम्बन्धी व्यवस्था में संशोधन किया जाये । संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले मेरे विधेयक का यही उद्देश्य है । प्रत्येक सदस्य ऐसी व्यवस्था की वांछनीयता का अनुभव करता है और अपनी मातृभाषा में बोलकर ही वह ठीक प्रकार से अपने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है । उदाहरण के लिये रूस के संविधान में भाषा के सम्बन्ध में कोई भी अनुच्छेद नहीं है । वहां की संसद में सदस्य अपनी अपनी मातृभाषा में बोलते हैं । जहां तक अनुवाद आदि से सम्बद्ध तकनीकी समस्या है, उसके समाधान के बारे में विचार करना होगा । मेरे विचार से बम्बई के टाटा इंस्टीच्यूट आफ फंडामेन्टल रिसर्च के द्वारा बनाये जाने वाले अनुवाद यंत्र (कम्प्यूटर) इसमें सहायक सिद्ध हो सकते हैं ।

यह विचार कोई नया नहीं है । 1927 में श्री गोविन्द दास ने भी इसी आशय का एक विधेयक पेश किया था । अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे विधेयक को सिद्धान्ततः स्वीकार करेंगे । मैं अनुरोध करता हूं कि सभा इस विधेयक को स्वीकार करे ।

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Dy. Speaker, I want to suggest an amendment to the Bill introduced by Shri Sezhiyan. He sought the amendment in the constitution in the way which will facilitate the transaction of bussiness in Parliament in all the 14 languages incorporated in the Constitution. But at the moment we require unity at all levels including the level of languages. So I suggest that we should accept four languages namely Marathi, Bangla, one southern language and Hindi instead of 14 languages for this purpose. But give up English language at all. I also favour the suggestion given by Dr. Rajendra Prasad for adopting the Deonagari script for all Indian languages.

Mr. Deputy Speaker : The hon. member may continue his speech at next time.

**पाकिस्तानी विशेषज्ञों की फरक्का बांध स्थल की यात्रा के बारे में

RE : VISIT OF PAKISTANI EXPERTS TO FARAKKA BARRAGE SITE

श्री चेंगलाराया नायडू (चित्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की दुर्बल नीति पर

**आधे घंटे की चर्चा

**Half an-Hour Discussion.

एक और प्रहार पाकिस्तान ने किया है । सिन्धु जल विवाद में नीति की दुर्बलता के कारण हमें यह मामला विश्व बैंक को मध्यस्थता के लिये सौंपा । जिसके परिणामस्वरूप हमें अब पाकिस्तान को 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष देने पड़ते हैं । अब ऐसा ही मामला पाकिस्तान ने फरक्का बांध के बारे में उठाया है । प्रश्न यह कि हमारी सरकार ने पाकिस्तानियों को बांध देखने के लिये बुलाया ही क्यों, जबकि भारत-पाक संघर्ष के पश्चात् दोनों देशों के बीच स्वस्थ सम्बन्ध नहीं रह गये हैं ? पाकिस्तान के इंजिनियरों, जिनमें वहां के सैनिक इंजिनियर भी सम्मलित होंगे, को बांध देखने का निमंत्रण देने का हमारी सरकार को क्या अधिकार था । वे लोग किसी भी प्रकार की हानि बांध को पहुंचा सकते हैं ।

(श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुए)
(Shri R. D. Bhandare *in the Chair*)

फरक्का बांध पर काम बहुत समय पहले शुरू किया गया था परन्तु वह अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है । सरकार उसके प्रति इतनी उदासीन क्यों है ? जून 1966 में अनौपचारिक परामर्शदातृसमिति को मंत्री महोदय ने बताया था कि बांध 1970-71 तक पूर्ण हो जायेगा । परन्तु अब भी वहां काम धीमी गति से किया जा रहा है और अधिक प्रगति नहीं हुई है । मार्च 1967 तक बांध के कुल 109 आधार-स्तम्भों में से केवल 32 आधार-स्तम्भ ही निर्मित हो पाये थे । इस पर एक सुपरवाइजरी बोर्ड तथा दो अन्य समितियों की देख-रेख में काम चल रहा है । तथा उन के तत्वाधान में भी इसके लिये नियमत राशि का 30 प्रतिशत खर्च किया जा चुका है जब कि कार्य केवल 20 प्रतिशत ही समाप्त हुआ है । अब अनुमान किया जा रहा है कि इस पर पूर्वानुमानित नियत राशि से दुगुनी राशि खर्च होगी ।

पाकिस्तान द्वारा इस बारे में शोर मचाये जाने का कारण यह है कि वह इस विवाद को उठाकर वैसा ही लाभ प्राप्त करना चाहता है, जैसा कि उसे सिन्धु जल सन्धि के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ था । दूसरे भारत के प्रति अपने सतत शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत को बदनाम करना चाहता है । इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न और उठता है कि रूस ने फरक्का बांध के मामले में पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत को यह सुझाव क्यों दिया है कि पाकिस्तान के साथ भारत को यह मामला भी सिन्धु जल विवाद की भांति सुलझा लेना चाहिये ? सरकार को उस पत्र की प्रति सभा पटल पर रखनी चाहिये ।

फरक्का बांध एक बहुत महत्व पूर्ण योजना है और सरकार को उसे शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिये । इसका निर्माण हमारे देश के हित में है । फरक्का बांध तथा पोषक नहर के साथ साथ इस पोषक नहर को भागीरथी नदी तक मिलाने का काम भी शुरू किया जाना चाहिये । साथ ही भागीरथी के नदी तल से रेत आदि निकाल कर उसे गहरा बनाया जाना चाहिये । जिस से भागीरथी नदी को नौवहन के लिये उपयोग में लाया जा सके । इससे कलकत्ते के अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा । फरक्का बांध से आसाम तक भी एक नहर निकाली जाये जिसमें नौवहन सम्भव हो । यह सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिये बड़ी उपयोगी होगी ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : गंगा के पानी में हिस्से के मामले को लेकर पाकिस्तान फिर झगड़ा उठा रहा है । मामला यहाँ तक बढ़ गया है कि रूस के प्रधान मंत्री ने

हमारे प्रधान मंत्री को इस विषय में एक पत्र भी लिखा है । मुझे प्रसन्नता है कि मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बड़े दृढ़ स्वर के साथ यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ यह विवाद किसी भी तीसरे पक्ष को मध्यस्थता या पंच-निर्णय के लिये नहीं सौंपा जायेगा ।

मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस पक्ष को दृढ़ता से अपनाये रहेगी और इस मामले में किसी भी विदेशी शक्ति को हस्तक्षेप करने का अवसर न देगी ।

मैं सरकार से निश्चित रूप से आश्वासन चाहता हूं कि वह इस निश्चय पर दृढ़ रहेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि विवादास्पद मामला क्या है और इस मामले पर चर्चा करने के लिये तथा उस स्थान का निरीक्षण करने के लिये पाकिस्तान से विशेषज्ञ भारत कब आये थे ? उनकी क्या मांगें थीं और हमारा दृष्टिकोण उन के सम्बन्ध में क्या है ? इन सब बातों को स्पष्ट किया जाना चाहिये जिस से हमारा दृष्टिकोण न्यायोचित प्रतीत हो ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : We were told that in the matter of Farakka Barrage or Ganges water, Russia has not told us to go for arbitration. Russia told us to talk to Pakistan on these matters. In this connection I want to point out that it has been published in Dacca that "The Soviet Union made the suggestion of a third party settlement in a letter to the Indian Government." In view of this I would request the Government to clarify this point. I want to ask whether hon'ble Minister would place the letter of Shri Kosygin on Table of the House in order to remove the doubt created in our mind. A few days before it was admitted that some engineers working in Farraka Barrage had handed over maps, blue prints etc. to Pakistan. In view of this position may I ask whether it is proper to invite Pakistani personnel to visit our places?

Shri Itabi Ray (Puri) : The hon'ble Minister should assure this House that he would place Shri Kosygin's letter on the Table of the House and Government will not agree to refer the Farakka Barrage issue for arbitration.

श्री समर गुह (कंटाई): फ़राक्का बांध से पूर्व पाकिस्तान को बहुत लाभ होगा । पाकिस्तान भारत को अधिक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उलझाना चाहता है । वह गलत प्रचार कर के पूर्व पाकिस्तान के लोगों के मन में यह बात बिठाना चाहता है कि गंगा बांध से उनका बहुत नुक्सान होगा । यदि भारत एक पुस्तिका प्रकाशित करे जिस में फराक्का बांध से पूर्व पाकिस्तान को होने वाले लाभों का उल्लेख किया जाये तो उस से विश्व को यह पता लग जायेगा कि पाकिस्तान का प्रचार केवल राजनीतिक चाल है ।

फ़राक्का बांध देखने के लिये पाकिस्तान के विशेषज्ञों को बिलकुल नहीं बुलाया जाना चाहिये । रूस द्वारा फ़राक्का बांध के बारे में मध्यस्थ निर्णय का सुझाव दिया जाना हमारे राष्ट्र का अपमान है । मेरे विचार में भारत को रूस को बता देना चाहिये कि किसी भी विदेशी को हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल): प्रश्न यह है कि गंगा बांध को देखने के लिये पाकिस्तानी विशेषज्ञों को आमंत्रण दिया जाना चाहिये या नहीं । इसी के साथ और भी कई प्रश्न उठाये गये हैं । मैं इस सम्बन्ध में सिंचाई और बिजली मंत्री से यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं

कि रूस सरकार से भारत पर कोई दबाव नहीं डाला गया है, यह मामला पंच निर्णय के लिये नहीं भेजा जायेगा । फराक्का बांध का निर्माण कार्यक्रम के अनुसार चलता रहेगा और यथाशीघ्र इस बहुप्रयोजनीय प्रायोजना को पूरा किया जायेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : It is understood that Shri Kosygin has suggested in his letter that we should discuss this matter with Pakistan. I feel that even this amounts to interference in our internal affairs, and we should tell Russia that it is not proper for them to do like this. I would also like to know whether entire correspondence relating to this matter would be placed on the Table.

The Ganges is our river and therefore there is no dispute about it. I want to know whether Government would tell Pakistan categorically that we shall not negotiate over this matter. Lastly I want to know the steps being taken to construct this barrage expeditiously?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): जहां तक इस प्रायोजना की प्रगति का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा विचार यह था कि यह बान्ध जून, 1971 तक पूरा बन जायेगा परन्तु अब हमें आशा है कि जून, 1970 में ही यह पूरा हो जायेगा । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि गंगा के सिरे पर इस प्रकार का बांध बनाना कोई साधारण बात नहीं है । यह बहुत कठिन कार्य है । इस पर 150 करोड़ रुपये खर्च किये जाने हैं । हम इस प्रायोजना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु कठिन परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रायोजना के कार्य में अधिक तेजी लाना सम्भव नहीं है । हम नियत समय से पहले ही इस कार्य को पूरा कर रहे हैं ।

जहां तक पाकिस्तान के इंजीनियरों के निमंत्रण का सम्बन्ध है, हमने ऐसा कोई निमंत्रण नहीं दिया है । हमने दोनों देशों के विशेषज्ञों के बीच बातचीत करने की बात को स्वीकार किया था । यह बात वर्ष 1957 में तय हुई थी कि हम विशेषज्ञों अथवा तकनीकी स्तर पर बातचीत करेंगे । इसके अनुसार चार बैठकें हुई थीं और मई के महीने में पांचवीं बैठक हुई थी । इस बैठक में उन्होंने प्रायोजना को देखने के लिये कहा था । उनका विचार यह था कि बांध अभी पूरा नहीं हुआ है । परन्तु जब उन्होंने परियोजना को देखा तो उन्हें पता लगा कि दो तिहाई काम पूरा हो चुका है । फिर हमने भी पाकिस्तानी इंजीनियरों से कहा कि हम भी उनकी गंगा-बदीपुर प्रायोजना को देखना चाहते हैं। अतः हमारे इंजीनियर भी अक्तूबर/नवम्बर में उनकी प्रायोजना की प्रगति देखने के लिये वहां जा रहे हैं ।

श्री समर गुह : उस प्रायोजना का हमारे लिये कोई अर्थ नहीं है । हमारे विशेषज्ञों के वहां जाने से हमें कोई लाभ नहीं ।

डा० कु० ल० राव : संपूर्ण प्रायोजना को उन्हें दिखाने में कोई हानि नहीं है । अब उन्हें पता लग गया है कि प्रायोजना पूरी हो चुकी है । इसके अतिरिक्त उस समय गंगा में

पानी बहुत अधिक था। उन्हें केवल पुल तथा स्तम्भ दिखाई देने के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं दिया।

श्री समर गुह : इसके पीछे भी राजनीतिक चाल है। पाकिस्तान पूर्व बंगाल में भारत विरोधी प्रचार कर रहा है।

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने दो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। एक यह है कि हमें बांध संबंधी आंकड़ों को देखना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निचली फीडर नहर पानी के लिये तैयार हो। जिसका प्रयोग कलकत्ता पत्तन के लिये किया जा सकता है। यह कार्य परिवहन मंत्रालय के साथ परामर्श कर के किया जाने वाला है। केवल धन की व्यवस्था करने का प्रश्न है परन्तु हम यह कार्य अवश्य करेंगे।

दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया गया है कि फरक्का से आसाम तक पूर्णतय भारतीय क्षेत्र से जाने वाला एक नौ परिवहन मार्ग बनाया जाना चाहिये। वास्तव में यह प्रायोजना टीस्टा के मार्ग से गुजरने वाली फ़रक्का ढुबरी प्रायोजना है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण हम इस प्रायोजना के कार्य को आरम्भ नहीं कर सके हैं। इस प्रायोजना के लिये 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जब कि हमें इतनी धन राशि खर्च नहीं कर सकते। इस प्रायोजना में 300 मील लम्बी नहर की व्यवस्था है जिस में आसाम के रास्ते गंगा से ब्रह्मपुत्र तक हमारे जहाज जा सकेंगे। वित्तीय स्थिति ठीक होने पर हम इस प्रायोजना को आरम्भ करेंगे।

जहां तक रूस के प्रधान मंत्री के पत्र का सम्बन्ध है उस में इस प्रायोजना के बारे में केवल एक वाक्य लिखा है जिस में यह इच्छा व्यक्त की गयी है कि सिंध नदी के पानी के मामले की तरह इस मामले का भी ऐसा समाधान ढूंढा जाना चाहिये जो दोनों पक्षों को मान्य हो। जहां तक उपरोक्त पत्र को सभा-पटल पर रखने का सम्बन्ध है मैं इतना कह सकता हूं कि इस प्रकार के पत्र दोनों देशों के अध्यक्षों की अनुमति से ऐसे किया जा सकता है क्योंकि यह पत्र रूस के प्रधान मंत्री द्वारा भारत के प्रधान मंत्री को लिखा गया है। रूस द्वारा इस समस्या को हल करने के लिये विश्व बैंक की सहायता का सुझाव दिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि रूस विश्व बैंक का सदस्य नहीं है।

गंगा तथा इस के जल के प्रयोग के सम्बन्ध में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। यह मामला सिंध नदी के जल सम्बन्धी मामले से भिन्न है। वह मामला बड़ा जटिल था। हेड वर्क्स का कुछ भाग भारत में है और नहरें पाकिस्तान में हैं। परन्तु गंगा नदी के सम्बन्ध में ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कई दृष्टियों से भी यह दोनों मामले भिन्न-भिन्न हैं। इस मामले में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है।

यदि वैज्ञानिक दृष्टि से इस समस्या पर वैज्ञानिक और कानूनी दृष्टि से विचार किया जाय तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के दावे बहुत बढ़ा चढ़ा कर किये गये हैं। वे पहले 3500 क्यूसेक पानी मांगते थे और अब 4900 क्यूसेक पानी चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान वास्तव में इतना पानी नहीं चाहता है। फिर गंगा भारत की नदी है। अतः इस विषय पर कोई बातचीत

करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी यदि कोई पड़ोसी देश बातचीत करना चाहता है तो हम इस सम्बन्ध में उनसे तकनीकी स्तर पर बात कर सकते हैं और हम अब तक इसी बात के लिए वचनबद्ध हैं।

जहां तक फरक्का बांध के कानूनी पक्ष का सम्बन्ध है इसमें कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि फरक्का बांध की योजनायें हमारे पास हैं। फिर अब तो यह परियोजना पूरी होने वाली है।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, २९ जुलाई १९६८/६ श्रावण 1890, (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned at Eleven of the clock on Monday, the 29th July, 1968/Sravana 6, 1890 (Saka)

GMGIPND—LS III—1791 LSD—31-1-69—600.